राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] चौदहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 6

मंगलवार,

28 जनवरी, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: शपथ ग्रहण। श्री कुंजीलाल (बामनवास) (33)। कुंजीलालजी, स्वस्थ हो गये आप। आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होकर ठीक हो गये।

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया)

क्र.सं.	**सदस्य का नाम**	**शपथ/प्रतिज्ञान**	**भाषा**
198.	श्री कुंजीलाल (बामनवास)	शपथ	हिन्दी

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री बाबू सिंह।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। कृपया प्रश्नों को आप स्पीड से खीचें तो हमारे जैसे माननीय सदस्य हैं, उनका भी नम्बर आ जाएगा। थोड़ी गति दें, कृपया।

शेरगढ़ की वृहत् जलप्रदाय योजना

36. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वृहद् जलप्रदाय योजना आर.डी. 134 व आर.डी. 159.50 के द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है? यदि हां, तो वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबू सिंह)

(2) क्या सरकार उक्त दोनों योजनाओं के द्वितीय चरण का कार्य निविदा के कार्यादेशानुसार निश्चित समय सीमा में पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितने नलकूप, ओपन-वेल नाकारा व पानी की कम क्षमता वाले हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नाकारा नलकूप, नाकारा ओपन-वेल व पानी की कम क्षमता वाले स्थान पर नवीन नलकूप खुदवा कर पेयजल से लाभान्वित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितने हैण्डपम्प नाकारा हैं? ग्राम पंचायतवार, स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार नाकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प खुदवा कर पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल से वंचित क्षेत्रों में नवीन नलकूप एवं हैण्डपम्प स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले की जनता जल योजना के विद्युत बिल पंचायत समिति द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने से अधिकतर जनता जल योजनाएं बंद हो गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को पुन: जलदाय विभाग के अधीन कर विद्युत बिल, मानदेय, संचालन व संधारण का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्री सांवर लाल): (1) जी हां। वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त दोनों योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु परिशिष्ट-ब के क्रम संख्या 2 पर अंकित एक कार्यादेश का कार्य आदेशानुरूप माह मई, 2014 तक पूर्ण किया जाना है तथा क्रम संख्या 1 व 3 पर अंकित दो कार्यादेशों की समय सीमा निकल चुकी है।

क्रम संख्या-1 पर अंकित कार्यादेश के विरुद्ध आदेशित फर्म के

(श्री सांवर लाल)

नियमानुसार रुपये 765.59 लाख की शास्ति राशि वसूल की जा चुकी है। क्रम संख्या-3 पर अंकित कार्यादेश के पूर्ण क्रियान्वयन में उच्च जलाशय के लिये चिह्नित भूमि में विवाद होने के कारण देरी हुई है। उक्त दोनों परियोजनाओं को पूर्ण करने की समयावधि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित 66 ग्रामों में से 37 नलकूप एवं 9 खुले कुएं नाकारा तथा 33 नलकूप एवं 5 खुले कुएं पानी की कम क्षमता वाले हैं। स्थानवार वांछित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त वर्णित 66 ग्रामों में से 14 ग्रामों को वृहद् जलप्रदाय योजना आर.डी. 159.50 खुडियाला-जियाबेरी के अन्तर्गत नहरी पानी से लाभान्वित किया जा चुका है। भू-जल की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार शेष ग्रामों के नाकारा एवं पानी की कमी वाले जल स्रोतों के स्थान पर नवीन नलकूपों का निर्माण कार्य 30 अप्रैल, 2014 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-स में निहित है।

(5) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 368 हैण्डपम्प वर्तमान में नाकारा हैं। वांछित सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(6) जी हां। भू-जल की उपलब्धता एवं पेयजल की आवश्यकतानुसार क्षेत्र में पेयजल की कमी वाले स्थानों में नवीन हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य 30 अप्रैल, 2014 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(7) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना बनाकर पेयजल से वंचित क्षेत्रों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जायेगा।

(8) जी नहीं। कार्यालय जिला परिषद, जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जोधपुर जिले में संचालित जनता जल योजनाएं विद्युत बिलों के भुगतान के अभाव में बन्द नहीं हैं। प्राप्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण, सूची व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-8 पर जो सवाल मैंने पूछा था, उसका पूरा जवाब नहीं आया, ''क्या सरकार उक्त योजना को पुन: जलदाय विभाग के अधीन कर विद्युत बिल, मानदेय, संचालन व

(श्री बाबू सिंह)

संधारण का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?" क्या यह सही है कि वर्ष 2008 से पूर्व जनता जल योजना के संचालन, संधारण व मानदेय का भुगतान जलदाय विभाग द्वारा किया जाता था? यदि हां, तो भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार उक्त योजना को पुन: जलदाय विभाग के अधीन लेकर मानदेय व संचालन-संधारण राशि बढ़ाने का क्या सरकार विचार रखती है? इसको स्पष्ट करिये।

खण्ड-8 के अनुसार, जोधपुर जिले में जे.जे.वाय. में 13 करोड़ से अधिक विद्युत बिल का भुगतान बकाया है। पिछले पांच वर्षों में योजना के उचित रखरखाव व मरम्मत के अभाव में योजनाएं नाकारा होने से पेयजल का संकट है। इसमें कैसे सुधार लाएंगे, इसको भी स्पष्ट करें।

क्या यह भी सही है कि जनता जल योजनाओं को जलदाय विभाग से पंचायती राज को देने के पश्चात् मरम्मत, रखरखाव व उचित संधारण न होने से अधिकतर योजनाएं बंद हैं, नाकारा हैं? यदि हां, तो कैसे सुधार लाएंगे, इसको स्पष्ट करिये।

क्या यह सही है कि वृहद् जलदाय योजना स्वीकृति के समय प्रति व्यक्ति 55 एल.पी.सी.डी. व शेष पानी स्थानीय सोर्स से लाभान्वित करने के मापदण्ड थे? यदि हां, तो खण्ड-4 के अनुसार अभी तक 14 गांव, जो आपने पेयजल से लाभान्वित बताये हैं, जबकि वे लाभान्वित नहीं हैं। तो क्या सरकार नाकारा व कम-क्षमता-पानी वाले के स्थान पर नवीन नलकूप व नाकारा हैण्डपम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत कर पेयजल संकट दूर करने का विचार रखती है?

अब आप प्रस्तावित कहते हैं तो प्रस्तावित तो वे भी कहते थे। उनके समय से नाकारा पड़े हैं, पूरी योजनाएं बंद पड़ी हैं। अब ये जहां नाकारा हो गईं तो वहां तो कम से कम तुरन्त ही ट्यूबवेल खोद करके आप यहां पर लोगों को पेयजल से लाभान्वित करें। इसको आप स्पष्ट करिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इनका जवाब आने दीजिए।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। जनता जल योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। अब इस योजना का जो सिस्टम बना रखा है, उसी के अनुरूप चलाई जा रही है। राज्य सरकार अगर इसको लेती है तो इस पर वित्तीय भार और जो भी आएगा, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। यह निर्णय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करने के बाद ही मैं बता सकता हूं।

(श्री सांवर लाल)

दूसरी बात यह है कि जो हैण्ड-पम्प, ट्यूबवेल नाकारा हैं, कुएं हैं, वह सारी लिस्ट मैंने कैटेगिरी-वाइज दे दी है कि कोई तो बिलकुल ही नाकारा हो चुके हैं, कुछ में क्षमता कम है। अब पानी का लेवल बढ़ाने के लिये मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके जो 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, नवीन नलकूप और पुराने जो भी हैं, वे सब व्यवस्था करके आपके सेवा स्तर में सुधार कर दिया जाएगा।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। क्या यह सही है कि 8 मई, 2007 को मुख्य मंत्री, आदरणीया वसुन्धरा राजेजी द्वारा शेरगढ़ में की गई घोषणा के पश्चात् आर.डी. 134 व आर.डी. 159.5 का कार्य प्रारम्भ हुआ था, जिसको 2010 में पूरा करना था? कांग्रेस शासन में तीन वर्ष तो उसमें रुकावट रही। उसके पश्चात् आर.डी. 134 के कार्य को 10 अगस्त, 2013 व आर.डी. 159 को 17 फरवरी, 2013 को पूर्ण करना था; नहीं हुए। अब आपने फिर कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि अगस्त, 2014 व मई, 2014 बताई है। तो क्या कार्य पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा में अब कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा? राजस्थान की कोई भी योजना, निविदा में जो निश्चित समय-सीमा है, पूर्ण करने की, वह उस समय-सीमा में कहीं भी नहीं हो रही है। तो क्या इसको टाइम-बाउण्ड आप कराएंगे?

साथ ही क्या यह सही है कि आर.डी. 134 में बी.डब्ल्यू.एस.सी.सी. पाइप लगाने थे, अब जी.आर.पी. पाइप लगा रहे हैं? क्यों? स्पष्ट करें।

साथ ही, 76 करोड़ के भुगतान किये जाने के पश्चात् क्या अभी तक एक गांव भी लाभान्वित नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार, स्वीकृति अनुसार कार्य करवाने व गांवों को कब तक पेयजल से लाभान्वित करेंगे? इसको आप जल्दी स्पष्ट करें। यह योजना करीबन दस-बारह साल से चल रही है लेकिन अभी तक एक गांव में भी पानी पहुंचा नहीं है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सही है कि जो टार्गेट हमने दिया था, उस टार्गेट के अनुसार, जिस अवधि के अन्दर पूर्ण होना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। अब प्रैक्टिकली जब काम करते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। कुछ बाधाएं ठेकेदार के द्वारा पैदा की जाती हैं, तो उसमें हमने शास्ति 7 करोड़ से ऊपर की लगाई है। दूसरा, लोकल जो विवाद होता है, जिसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पाता है, तो उसके लिए, मेरी तो यही अपेक्षा है कि आप

(श्री सांवर लाल)

भी इसमें मदद करें और जन सहयोग, अगर जनता को समझाइश करके हम काम करवाएंगे तो निश्चित रूप से वह टाइम पर हो जाएगा।

अब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें छोटी सी समस्या कोई हो, सरकार कोई भी हो, कोई न कोई अड़चन आती ही है। अब सरकार की नीयत और उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर देरी हुई है, यह मैं जरूर कह सकता हूं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक विवाद की बात है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो पूरक प्रश्न हो गए; दो पूरक प्रश्न हो गए। यह शेरगढ़ की बात है। आप पूरक प्रश्न करेंगे क्या?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विवाद की वजह से काम बंद नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप एक और कर लीजिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विवाद की वजह से काम बंद नहीं है, यह तो राजनीतिक दबाव की वजह से काम रोका गया था, अब सरकार बनते ही शुरू हो गया। लेकिन आप पूरे राजस्थान की योजनाओं को एग्जामिन करवाइए। जहां पर निविदाएं की हैं, उनमें समय-सीमा में कार्य पूर्ण कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं। सारी योजनाओं को एग्जामिन करवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान दिला दिया।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, निविदा में समय-सीमा कार्य पूर्ण करने की है, उन सभी को आप एग्जामिन करवाइए, परीक्षण करवाइए। काम समय-सीमा में कहीं पर भी पूर्ण नहीं हो रहे हैं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में चिंता है, जनता की भी है और माननीय सदस्य की भी है। अब पूरे राजस्थान की एक सवाल के मार्फत मैं नहीं कह सकता हूं पर मैं इनके एरिये की, जो भी यह डिले हुआ है या जान-बूझकर हुआ है, क्या कारण रहे हैं, इसकी जांच मैं करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह शेरगढ़ से सम्बन्धित है। आप प्रश्न कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी देखिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा, माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी राजे द्वारा 30 अगस्त, 2008 को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विषय से बाहर जा रहे हैं। केवल शेरगढ़ के बारे में सवाल पूछा गया है, अगर शेरगढ़ के इर्द-गिर्द आपका कोई सवाल हो, पूरक प्रश्न हो तो आप कीजिए, बाकी सारे राजस्थान का इसमें नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उसके साथ, एड्जोइनिंग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शेरगढ़ से सम्बन्धित है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): जोधपुर जिले से सम्बन्धित है, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप अपना प्रश्न अलग से कर लीजिए, जवाब आएगा। कृपया विराजिए। शेरगढ़ से सम्बन्धित प्रश्न है, आप विराजिए। उन्होंने सारे राजस्थान का ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): राजस्थान का मामला है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का मामला है, जनता जल योजना पूरे राजस्थान की है। जनता जल योजना, पूरे प्रदेश के बारे में पूछा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि ये 14 गांव जो शेरगढ़ के हैं, जो 14 गांव शेरगढ़ के माननीय सदस्य ने बताए हैं और आपने अपने उत्तर में कहे हैं, उनको पानी कब तक मिल जाएगा? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब देने के बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 14 गांवों को पानी देने का मुद्दा है। इन 14 गांवों को पानी कौनसी तारीख तक मिल जाएगा? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि पानी तो अभी भी मिल रहा है, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है; कुछ सब-स्टैंडर्ड पानी होगा। तो वह व्यवस्था जल्दी करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री घनश्याम।

टोडाभीम की सड़कों का नवीनीकरण

37. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक सरकार द्वारा कहां-कहां, किस-किस सड़क का नवीनीकरण एवं कहां-कहां पैच-वर्क का कार्य करवाया गया तथा इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सड़कें पैच-वर्क अथवा नवीनीकरण नहीं होने के कारण अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार इनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी डामरीकृत सड़कें गारंटी अवधि में हैं? सड़क के नाम व गारंटी अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के पैच-वर्क कार्य में घटिया सामग्री प्रयुक्त करने के कारण सड़कें वापस क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें तथा इसके लिए संवेदकों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार टोडाभीम घाटी की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार गाजीपुर मोड़ से टोडाभीम बस स्टैंड तक क्षतिग्रस्त डामर सड़क का पुन: निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जनवरी, 2013 से 31.12.2013 तक नवीनीकरण की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं पैच कार्य कराई गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अत्यन्त क्षतिग्रस्त/नान-पैचेबल सड़कों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। अत्यन्त क्षतिग्रस्त नान-पैचेबल सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गारंटी अवधि की सड़कों का विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(श्री युनुस खान)

(4) जी नहीं। पैच कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ सड़कों के आबादी क्षेत्र में पानी की उचित निकासी व्यवस्था न होने के कारण किए गए पैच कार्य के अतिरिक्त अन्य नये पैच बन जाते हैं, जिन्हें नियमित रूप से संवेदकों से ठीक करवाया जाता है।

(5) जी हां। टोडाभीम-बालाजी सड़क (एम.डी.आर.-142) के किलोमीटर 4 में टोडाभीम घाटी में चौड़ाइकरण हेतु राशि रुपये 74.66 लाख की स्वीकृति एस.एम. एण्ड आर. योजना के अन्तर्गत दिनांक 02.01.2013 को जारी की गई है, जिसकी निविदा प्राप्त कर कार्यादेश दिनांक 13.02.2013 द्वारा जारी किया गया एवं कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि दिनांक 21.06.2013 नियत थी लेकिन घाटी पोर्शन वन विभाग की सीमा में होने के कारण, वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से कार्य नहीं हो सका है। वन विभाग की भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वन विभाग से स्वीकृति उपरांत कार्य करवाया जाएगा।

(6) जी हां। गाजीपुर मोड़ से टोडाभीम बस स्टैंड तक सड़क की लम्बाई 13.50 किलोमीटर है। इसमें से करौली जिले में 10.00 किलोमीटर (किलोमीटर 71/0 से 81/0) लम्बाई में चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य एस.एम. एण्ड आर. योजना में, राशि रुपये 960.00 लाख, स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि 03.07.2014 नियत है। शेष दौसा जिले में लम्बाई 3.50 किलोमीटर (किलोमीटर 81/0 से 84/500) में वर्ष 2011 में नवीनीकरण का कार्य एस.एम. एण्ड आर. योजना में करवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के बिंदु संख्या 2 में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सड़कें, जो अत्यन्त खराब हैं, जिनका पैच-वर्क, नवीनीकरण करवाना अत्यन्त आवश्यक है, माननीय मंत्रीजी ने जवाब में अवगत करवाया है कि जी हां, सड़कें बहुत खराब हैं लेकिन वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ठीक करवाई जाएंगी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि क्या सरकार वित्तीय संसाधनों के अभाव को कह कर इन सड़कों का नवीनीकरण व पैच-कार्य नहीं करवाएगी, जो गारंटी अवधि की सड़कें हैं?

(श्री घनश्याम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के बिंदु संख्या-3, मेरे द्वारा गारंटी अवधि की सड़कें, जो करीब 45 सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त बताई गई हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र इतनी सड़कें सम्पूर्ण होंगी जो दूसरे गांवों को लिंक कर रही हैं, वे सारी की सारी अत्यन्त क्षतिग्रस्त सड़कों की श्रेणी में अंकित की गई हैं। क्या सरकार इन गारंटी अवधि की सड़कों को, सम्बन्धित ठेकेदार की जिम्मेदारी ठहराते हुए, अविलम्ब ठीक करवा सकती है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के बिंदु संख्या 4 में मैंने माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाही है कि क्या सरकार उक्त सड़कों के पैच-कार्यों में घटिया सामग्री प्रयुक्त करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, जिसके उत्तर में माननीय मंत्रीजी द्वारा बताया गया है, इनका मतलब, सरकार जिम्मेदार ठेकेदार व अधिकारियों को सीधे-सीधे बचाना चाहती है, जबकि प्रश्न के बिंदु संख्या-3 में सरकार द्वारा माना गया है कि गारंटी अवधि की सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्रीजी तथ्य छुपाकर अधिकारियों और ठेकेदारों को जिम्मेदारी से बचाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। अब बहुत सवाल हो गए, जवाब आने दीजिए। दूसरा एक मौका और दे दूंगा आपको।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मौका और दे दूंगा, आप विराजिए। मंत्रीजी का जवाब आ जाने दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइंट संख्या-4 में ठेकेदारों का कहीं पर जिक्र नहीं किया है। अगर आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं? जो इन्होंने सवाल पूछा है, उसका उत्तर दिया गया है। इसमें कहीं पर भी, अगर एक बार आपकी अनुमति हो, तो इसको पढ़ दूं- ''क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के पैच-वर्क कार्य में घटिया सामग्री प्रयुक्त करने के कारण सड़कें वापस क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें तथा इसके लिए संवेदकों पर क्या कार्यवाही की गई?''

(श्री युनुस खान)

अब मेरा यह निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेरा पूरक प्रश्न है, साहब। पूरक प्रश्न में मैंने पूछा है। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप विराजिए। विराजिए। माननीय, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं।

जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनका हमने पूरा विवरण दे दिया। लगभग 45 सड़कें इनके यहां पर ज्यादा खराब हैं और जिन संवेदकों की, जिन ठेकेदारों की गारंटी पीरियड में हैं, उनकी बिलकुल लायबिलिटी है, सरकार कहीं नहीं बचायेगी। अगर किसी ठेकेदार ने घटिया सामग्री का प्रयोग किया है और माननीय सदस्य विशेष रूप से उसका विवरण देंगे, उसकी हम जांच करवायेंगे, कार्यवाही होगी और जिनकी जितनी गारण्टी पीरियड की सड़कें हैं, उनको बिलकुल ठीक करवायेंगे।

आपके क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें पिछले कार्यकाल में, यह बात सही है, इनका प्रश्न भी सही है कि पिछले कार्यकाल में उन सड़कों का न तो नवीनीकरण हुआ, न पैचवर्क हुआ, जिससे उनकी हालत खराब है। चूंकि अब माननीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में नई सरकार बन गयी है और उनका विजन यही है कि सड़कें हमारी मेन धुरी हैं, तो सड़कें हमारी प्राथमिकता है। जिनका पैचवर्क करना है, उनका पैचवर्क करवाएंगे; जिनको बिलकुल नये सिरे से बनवानी है, उनकी योजना बनाकर नये सिरे से बनवाएंगे; और जहां नई सड़कें बनाने की आवश्यकता होगी, वहां नई सड़कें बनवाएंगे। इनके क्षेत्र में, वास्तव में यह बात सही है कि विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। इनके ही नहीं, पूरे राजस्थान की ले-देकर यही हालत है। तो उसको सुधारने के प्रयास हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका पूरा जवाब।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: यह टोडाभीम से सम्बन्धित सवाल है।

एक माननीय सदस्य: हां, हां, करौली जिला, टोडाभीम एक ही बात है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, करौली जिला नहीं, टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, गारण्टी अवधि की सड़कें, जो अभी 45 माननीय मंत्री महोदय ने बताई हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि टोडाभीम से मूंडिया और टोडाभीम से गोरेड़ा और कंजोली से महावीरजी, इन सड़कों का निर्माण किस-किस एजेन्सी के माध्यम से कराया गया? और इसके अलावा, जो इसमें बिटुमिन, जो सी.आर.सी. का बिल, क्या सही मात्रा में लगा हुआ है? वह सही है या गलत है? इतना सा जवाब दें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने टोडाभीम से मूंडिया सड़क और अन्य जो 45 सड़कों का जिक्र किया है, उन सबको हमने दिखवाया है, वहां मौके पर भी दिखवाया है और पी.एम.जी.एस.वाई. योजना में यह सड़क बनी है और जिस तरह से इसकी कार्याअवधि है...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एजेन्सी का नाम पूछ रहा हूं, मात्र तीन सड़कों में कि किस एजेन्सी ने, किस ठेकेदार ने काम किया है? यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है। दूसरा, जो बिटुमिन बिल्स, जो सी.आर.सी. का बिल आता है रिफाइनरी से, वह बिल सही है या गलत है? यह पूछ रहा हूं। और मौके पर मात्रा में सही लगा है या नहीं लगा?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य, बिल मेरे स्तर पर नहीं आता है, बिल स्थानीय एक्स.ईएन के स्तर पर ही आता है। आपने आज बिल के लिये पूछा है, तो वह मंगवा लिया जायेगा।

श्री रमेश (सपोटरा): तो एजेन्सी का नाम बता दें, तीनों जगहों की? टोडाभीम की 45 जगहों की?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको जानकारी करके जवाब दे दिया जायेगा। अब मैं नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार रहा हूं।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इससे रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, इससे रिलेटेड है, गंगापुर से नांदोती हाइवे है, 2012-13 में वह बना था, बनने से पहले ही चला गया। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे, इसकी जांच कराएंगे? 2012-2013 में जो मेगा हाइवे बना, वह मेगा हाइवे सड़क पर है ही नहीं। उसकी जांच के लिये क्या मंत्री महोदय कहेंगे?

श्री अध्यक्ष: जवाब है आपके पास?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि जो-जो शिकायतें आपको सड़कों के बारे में हैं, वे आप मुझे लिखकर दे दें और जिनकी जांच करने की जरूरत होगी, अगर घटिया सामग्री किसी ने उपयोग में ली है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, और जांच करने की जरूरत होगी तो जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हां, लिखकर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विराजिये।

श्री रामहेत सिंह।

प्रदेश के मेवात क्षेत्र में संचालित बालिका आवासीय विद्यालय

38. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के मेवात क्षेत्र में कितने मेवात बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था तथा वर्तमान में कितने विद्यालय कब से संचालित किये जा रहे हैं? जो विद्यालय संचालित नहीं किये जा रहे हैं, क्या सरकार उन्हें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापक व सहायकों की नियुक्ति की गयी है? प्रत्येक आवासीय विद्यालय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बालिका आवासीय विद्यालयों में कितनी-कितनी बालिकाएं किस-किस कक्षा में अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बालिका आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिये विगत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी तथा अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? प्रत्येक आवासीय विद्यालय को आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त बालिका आवासीय विद्यालयों में विगत पांच वर्षों से बालिकाओं को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं? इस हेतु प्रत्येक विद्यालय को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी तथा अब तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया):

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) प्रदेश के मेवात क्षेत्र में वर्ष 2006-07 की बजट घोषणा के अनुसार दस आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बजट घोषणा की अनुपालना में 16 आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये गये जिनमें से 11 अलवर जिले में तथा 5 भरतपुर जिले में निर्मित कराये गये। वर्तमान में अलवर जिले में 10 बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, जिनके संचालन का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। अलवर जिले में एक गैर-आवासीय विद्यालय आवासीय ब्रिज कोर्स पर पी पी पी माडल पर जिलेट इंडिया द्वारा संचालित है। भरतपुर जिले के निर्मित 5 आवासीय विद्यालयों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार व्यावहारिक नहीं होने के कारण विद्यालय के रूप में उपयोग लेने का निर्णय लिया गया है।

(2) प्रत्येक मेवात आवासीय विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों व सहायकों का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) उक्त बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं का कक्षावार विवरण संलग्न परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(4) उक्त सभी बालिका आवासीय विद्यालय विगत दो वर्षों से संचालित किये जा रहे हैं। आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(5) उक्त बालिका आवासीय विद्यालयों में मेवात बालिकाओं हेतु शिक्षा, आवास एवं भोजन तथा दूसरी शिक्षण सामग्री, ड्रेस व दैनिक उपभोग की सामग्री सहित दूसरी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ये जो आवासीय विद्यालय तत्कालीन यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीया वसुन्धरा राजे द्वारा 2007 में खोले गये थे, जिनमें 11 अलवर जिले में और 5 भरतपुर में खोलने थे, इनको सरकार बदलने के कारण, कांग्रेस राज ने हमारे 5 साल के संघर्ष के बाद 2011-12 में आठ आवासीय विद्यालय खोले और 2012-13 में दो आवासीय विद्यालय खोले। ये आवासीय विद्यालय कस्तूरबा टाइप-टू पैटर्न पर सरकार द्वारा चलाने थे, लेकिन इन आवासीय विद्यालयों को सरकार द्वारा नहीं चलाकर के निजी संस्थाओं को दिये गये। जिन संस्थाओं को दिये गये, जिस तरह से नोर्म्स में

(श्री रामहेत सिंह यादव)

तय था, उन निर्देशों की पालना भी नहीं हुई। एक संस्था जो दो से अधिक आवासीय विद्यालय नहीं चला सकती थी, इसमें सी-डोट, गुरु गोविन्द सिंह हैं, सी-डोट को चार आवासीय विद्यालय दिये गये, गुरु गोविन्द सिंह को तीन आवासीय विद्यालय दिये गये। इसकी भी पालना नहीं हुई। यही नहीं, इन संस्थाओं को जो आवासीय विद्यालय दिये गये हैं, उन्होंने उनको सब-लेट कर दिया और अलग-अलग लोकल व्यक्तियों को लक्ष्मणगढ़, कठूमर, महुआ, यह महुआ के उप-सरपंच के पति हैं छोटे खां जी, उसको सब-लेट कर दिया। इसी तरह से बन्जीर का अब्बास को और सहजपुर का अरशद खां को दे दिया, मातौर का अरशद को ठेके पर दे दिया। यह ठेकेदार उनमें अनियमितता करते हैं।

यही नहीं, माननीय मंत्रीजी ने जो परिशिष्ट-ब पर जवाब दिया है कि कौन इनमें संस्थाओं द्वारा लगाये गये हैं, तो जो लिस्ट मुझे दी है, उसमें जैरोली विद्यालय का जिक्र करना चाहता हूं। इसमें तीन नम्बर पर हुरमीना बानो और जेबूना, अध्यापिका के रूप में हैं, जो जवाब सरकार ने दिया है उसमें लिखा हुआ है, जबकि ये तो तीन महीने पहले ही मदरसों में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो चुकी हैं, ये छोड़कर जा चुकी हैं। यह इस लिस्ट में कैसे आया? एक बात।

दूसरा, जो जवाब दिया है, उसमें 2011-12 में जो खर्च दिखाया है, महुआ, शहजादपुर, नंगला, चांदोली, इसमें जो बजट अनावत्ती था और आवत्ती था, इस बजट पर अगर माननीय मंत्री महोदय गौर फरमाएंगे तो जो खर्च किया है, बजट में महुआ में था 5,87,500 रुपये, अनावर्ती मद में करना था और यह खर्च हुआ 5,09,771 । वही आंकड़ा बिलकुल महुआ, सहजपुर, नंगला और चांदोली, और अनावर्त जो लिखाया, वह भी बिलकुल 2,99,084, 2,99,084, चारों संस्थाओं में है। अलग-अलग गांव हैं, उनकी दूरियां 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर पर है लेकिन जो खर्च हुआ, उसमें एक अक्षर तक नहीं बदला। यह है 2010-11 का।

इसी तरह से देखेंगे तो 2012-13 में भी यही स्थिति रहती है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये, मंत्रीजी का।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं को यह दिया गया है, ये घोटाला कर रही हैं।

इसके अलावा, जो नाम लिखे हैं इन संस्थाओं ने पढ़ने वाली

(श्री रामहेत सिंह यादव)

बालिकाओं के, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे लिस्ट दी है। जमालपुर लक्ष्मणगढ़ में पड़ता है जो आवासीय विद्यालय है, सिर्फ उसमें जो नाम लिखे हैं, 50 बालिकाओं के नाम हैं। जमालपुर अकेले गांव का नाम है।

इसी तरह से बाघोड़ा का देखेंगे, माणकपुर गोठड़ी का देखेंगे, एक ही गांव हैं जिनमें ये आवासीय विद्यालय हैं, उन्हीं बालिकाओं के नाम हैं जिनके नाम सरकारी विद्यालयों में भी लिखे हुए हैं। मैं दावा करता हूं इस बात का।

इसमें बहुत बड़ा घोटाला वहां के जिला प्रमुख द्वारा इन एन.जी.ओ. संस्थाओं से मिलकर के, मेवात की जो मंशा थी माननीया वसुन्धराराजे जी की कि मेवात की बालिकाएं पढ़ें, पिछड़ापन दूर हो, उसको इस कांग्रेस के राज ने डुबोकर रख दिया।

जिस तरह से सरकार ने जो जवाब दिया है कि भरतपुर के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ जाने दीजिये, फिर दूसरा पूरक प्रश्न कर लेना। दूसरा पूरक प्रश्न और कर लेना। इनका जवाब दे दीजिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): भरतपुर के विद्यालय हैं, उनका भी जवाब साथ में ही दे दें। सरकार ने यह जवाब दिया है कि उनकी आवश्यकता नहीं है, कहीं थाना खोल दिया, कहीं पटवार घर खोल दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन विद्यालयों का हमने चयन किया 2011 में, हमने एक विज्ञप्ति जारी की, सारे एन जी ओज को उसमें आमंत्रित किया। उसके लिए भी बड़े राइडर लगाये हुए थे कि उसके पास एक करोड़ रुपये की व्यवस्था हो; उसकी बैलेंस शीट तीन साल की हो; उसमें कई लम्बे-चौड़े हमने आधार लगाये हैं। उस आधार पर पहले हमने चार संस्थाओं को देने के लिए जो विज्ञप्ति जारी की, उसमें से छह लोग आये और छह में से तीन संस्थाओं को, हमने उनके क्राइटेरिये को देख कर जो सलेक्शन किया था, उसमें सी-डाट, जयपुर को महुआ खुर्द का दिया; गुरु गोविन्द सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने दो दिए, हनुमानगढ़ की एक संस्था है, उसको सहजपुर और नंगला; जसवन्त विद्या भवन को एक दिया, भरतपुर को। ये हैं पहले साल 2011 के, इनका चयन गठित राज्य स्तरीय समिति ने किया था। इस समिति ने इन संस्थाओं का चयन किया।

इसके बाद, 2012 में जिला स्तरीय समिति द्वारा छह आवासीय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विद्यालयों का चयन किया गया। उसमें अलवर का खानपुर गुरुनानक खालसा समिति, हनुमानगढ़ को; बाघोड़ा और जैरोली का सी-डाट को; जमालपुर, माणकपुर, पोड़ली का गुरु गोविन्द सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ को देकर; इस प्रकार छह आवासीय विद्यालयों का चयन किया गया।

इनका हर समय निरीक्षण होता है। ये विद्यालय 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के हैं। इनमें से दो संस्थाओं को हमने उनकी कमियों के कारण से उनको निरस्त किया और उन विद्यालयों की हमने दूसरी आल्टरनेट व्यवस्था की।

जहां तक खर्चे का सवाल है, इसमें जो पद हैं, जिसकी मैंने सूची दी है, उन पदों पर जो भी उनको, सरकारी सैलेरी नहीं, इस संस्था ने जो कुछ भी सलेक्शन किया है, पहले वाले साल में कम थी, आज की तारीख में अध्यापिका की 7,000 रुपये, वार्डन की 9,000 रुपये, कम्प्यूटर आपरेटर की 6,500 रुपये, रसोइये का 3,000 रुपये, सहायक रसोइये का 2,500 रुपये और चौकीदार का 3,000 रुपये है। यह सब मिलाकर, सभी दस होस्टल्स का जो खर्चा है, हम उनको आवर्तक व्यय देते हैं, प्रत्येक संस्था को 16 लाख 94 हजार देते हैं। एक बार में सामग्री, वगैरह, सब के लिए 5.375 लाख रुपये देते हैं। इस तरह से, हमने पहले साल 2011-12 में 62 लाख 82 हजार का आबंटन किया दोनों मद में। क्योंकि ये नये थे, सैकण्ड बार की संस्थाओं को आवर्तक व्यय देने की आवश्यकता नहीं थी, केवल सैलेरी हैड देना था, वह 2 करोड़ 2 लाख रुपया दिया। तीसरी साल में, चूंकि ये सभी चल रहे थे, सामग्री के लिए और बाकी पलंग के लिए जो पैसा देना था, वह नहीं दिया, उस साल में 01 करोड़ 21 लाख रुपया हमने इनको आबंटित किया।

दो सवाल माननीय सदस्य ने खड़े किये हैं, एक तो यह कि यह सब-लेट किया हुआ है, मेरे पास जानकारी इस तरह की नहीं आयी, लेकिन यदि ये सब-लेट हैं, निश्चित रूप से सब-लेट हुआ है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा जिसने जाकर, निरीक्षण करने के बावजूद भी इस बात को वह नहीं कह पाया कि उसने सब-लेट किया हुआ है। मेरी जानकारी में सब-लेट के बारे में अभी तक कोई विषय नहीं आया।

विभाग ने बालिकाओं की जो सूची मुझे उपलब्ध करवायी है, वही सूची मैंने दी है। आपकी भी वही सूची थी, जो इन्होंने उपलब्ध करवायी है। स्टाफ के सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं। आवासीय बालिकाओं की संख्या, हर आवासीय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विद्यालय की पचास-पचास की पूरी सूची परिशिष्ट में लगाकर इनको दी है। अगर इस सूची में किसी भी प्रकार की कमी-खामी है तो जांच के बाद ही होगा कि इस पर क्या निर्णय करेंगे, वह निश्चित रूप से करेंगे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, यह सूची जो दी गई है और जिसको माननीय मंत्रीजी पढ़ रहे हैं, वह एक ही गांव की है। आवासीय विद्यालय खोलने के पीछे माननीया वसुन्धराजी की इच्छा यह नहीं थी। इच्छा तो यह थी कि उस क्षेत्र की सम्पूर्ण गांवों की बालिकाएं उसमें रहें, लेकिन एन जी ओ मिलकर, सरकारी विद्यालयों में जो नाम दर्ज हैं, जिन बच्चों का, उन्हीं को इसमें डाल कर, फर्जी बिल बनाकर उठा रहे हैं।

तीन पद दिए हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, एक कुक, एक हैड कुक और एक सहायिका, हर आवासीय विद्यालय में एक महिला काम कर रही है और तीन जनों की तनख्वाह उठा रही है। इसी तरह से, हैडमास्टर और वार्डन के हर आवासीय विद्यालय में दो-दो पद हैं, दो जगह सैलेरी उठती है लेकिन वहां पर एक ही कर्मचारी काम करता है। इसी तरह से, एक भी विद्यालय में कम्प्यूटर नहीं है और एक भी विद्यालय में शिक्षक नहीं है। बाघोड़ा जो आवासीय विद्यालय है, उसमें तो बी.टेक. की हुई एक लड़की का नाम दर्ज कर दिया जो कि एक दिन भी नहीं गई उस विद्यालय में। उसके नाम से फर्जी पैसे उठाये गये हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवा कर क्या इन संस्थाओं को हटाकर कस्तूरबा गांधी पैटर्न-2 के द्वारा सरकार चलाने का विचार रखती है?

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि सब-लेट की मुझे जानकारी नहीं मिली, विभाग ने आपको पूरी जानकारी नहीं दी है। अतिरिक्त संयुक्त सचिव ने अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को 23.05.2013 को पत्र लिखा है, उन्होंने बाकायदा अनियमितताएं पायी हैं। एक ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो बयान लिये हैं, "नूरबानो गुलशन वर्तमान में बागोड़ा में है, पूर्व में चांदोली में थी, उसने जांच अधिकारी के सामने अपने बयान में कहा है कि यहां पर कार्यरत ब्रजेश शर्मा जब भी विद्यालय आते हैं, रात को यही ठहरते हैं। पहले श्री शर्मा व चौकीदार शराब पीते हैं। अध्यापिकाओं ने बताया कि कम्प्यूटर-कम-लिपिक के पद पर श्री शर्मा की पत्नी मीना कुमारी का नाम लिखा हुआ है जो कभी विद्यालय में आयी नहीं।''

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो परिशिष्ट लगाया है, अगर उसके अनुसार वहां स्टाफ नहीं है, जिसने मुझे यह सामग्री दी है तो मैं देने वाले अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही करूंगा, अगर उसकी प्रामाणिकता होगी तो।

जहां तक वर्ष में दो बार निरीक्षण की परिपाटी का सवाल है, इन आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण होता है, निरीक्षण के बाद ही गुरुनानक खालसा समिति, हनुमानगढ़ और जसवन्त विद्या भवन समिति, भरतपुर को 15 जुलाई, 2013 से उनको अपने कार्य से हटा दिया गया। उनकी अनियमितता पायी गयी, लेकिन उनमें से गुरुनानक खालसा समिति ने जैरोली विद्यालय हेतु कोर्ट से स्टे ले लिया, इसलिए वह स्टे के कारण से है। बाकी हमने इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो।

विभाग के द्वारा जो परिशिष्ट मुझे दिए गए हैं, जो मैंने लगाये हैं, अगर उनमें कोई कमी-खामी मिलेगी तो जांच करवाने के बाद निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नगर से आने वाली माननीय सदस्या।

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि भरतपुर में मेवात बालिका विद्यालय के पांच भवन बन कर खड़े हुए हैं, ग्रामीणों ने सभी जगह बाउंडरी वाल्स को तोड़कर उन पर अतिक्रमण कर लिया है। तो कब तक उनको अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे? उन भवनों में जो स्कूल्स चलाने हैं, वह व्यवस्था आप कब तक कर देंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भरतपुर में हमने प्रयास किया था, पांच आवासीय विद्यालय हमने बनाये लेकिन प्रयास करने के बावजूद और वहां के जन-प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करने के बावजूद भी, सम्भागीय आयुक्त ने जाकर मीटिंग ली, लेकिन सबने यह कहा कि जिन स्थानों पर ये आवासीय विद्यालय बने हुए हैं, उन बच्चियों को रखना और उनकी सुरक्षा करना सम्भव नहीं है और गांव के लोगों ने भी इस बारे में राय दी कि यहां आवासीय विद्यालय नहीं चल सकते। इसलिए उसकी जगह, क्योंकि भवन हमने बना दिए, उनका उपयोग करना था, इसलिए हमने वहां विद्यालय प्रारम्भ करके उन भवनों का भी उपयोग किया और वे विद्यालय आज की तारीख में चल रहे हैं।

श्रीमती अनीता (नगर): मंत्री महोदय, विद्यालय किसी में भी नहीं चल

(श्रीमती अनीता)

रहे। आपको गलत जानकारी दी गई है। कहीं विद्यालय नहीं चल रहे हैं। उन पर ग्रामीण लोगों ने अतिक्रमण कर झोंपड़ी, वगैरह डाल रखी हैं। विद्यालय कहीं पर भी शुरू नहीं हुआ। गुलपाड़े के अन्दर तैयारी करनी थी लेकिन उसका जो स्कूल का भवन है, वह पहले ही बहुत अच्छा बना हुआ है, वह गांव के अन्दर है, इसलिए उसको शिफ्ट नहीं किया गया। वे सब पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि अगर वहां विद्यालय नहीं चल पाता है तो क्या किसी अन्य संस्था, या अस्पताल, वगैरह को आप दे देंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विद्यालय संचालित हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगती हो, आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं अपने अधिकारियों को भेजकर सात दिन में ही इस बात की जानकारी लूंगा कि वास्तव में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसका क्या उपयोग किया जा सकता है, उसके बारे में फिर से जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर चर्चा करेंगे और उस भवन का कैसे उपयोग किया जा सकता है, करेंगे।

श्रीमती अनीता (नगर): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: आप पर्याप्त पूछ चुके हैं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): सरकार की, जो माननीया वसुन्धराजी की मंशा थी इस विद्यालय को खोलने की, चलाने की, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इसको कस्बूरता टाइप-2, स्वयं सरकार अपने स्तर पर चलाने की मंशा रखती है क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बजट घोषणा में ही प्रत्येक आवासीय विद्यालय के लिए 25 लाख रुपया रखा और, ढ़ाई करोड़ रुपया रखा लेकिन जन-सहभागिता का भी वर्शन उसमें किया था कि जन-सहभागिता में भी इसका प्रयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया, आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): कस्बूरता का खर्चा मैं बताना चाहता हूं, उसमें तो आता है साल का 9 लाख 50 हजार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मालूम है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): और जो एन.जी.ओ. को दे रहे हो, वह साढ़े बारह लाख-सोलह लाख दे रहे हो। तो सरकार को स्वयं चलाने की मंशा रखनी चाहिए, मेरा यही आग्रह है, ताकि क्षेत्र के, मेवात के लोगों की बालिकाओं को फायदा मिल सके।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती गीता वर्मा।

रिद्धि-सिद्धि योजनान्तर्गत सहकारी समितियों के चयन के मानदण्ड

39. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) व **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दौसा जिले में रिद्धि-सिद्धि योजनान्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा महिला समितियों का चयन किया गया था? यदि हां, तो चयनित सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दौसा जिले की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी उक्त योजनान्तर्गत समितियों का चयन किया गया? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त महिला सहकारी समितियों का चयन किस उद्देश्य से किया तथा इसकी क्या प्रक्रिया एवं मानदण्ड तय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायतें भी सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): (1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार ने दौसा जिले में कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, रिद्धि-सिद्धि योजनान्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा महिला समितियों का चयन किया गया था। परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। दौसा जिले की तर्ज पर प्रदेश की अन्य जगह भी समितियों का चयन किया गया। परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उद्देश्य तथा इसकी प्रक्रिया एवं मानदण्ड के विवरण की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(श्री अजय सिंह)

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में विभाग स्तर पर प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि परिशिष्ट-तीन के अन्तर्गत बिंदु संख्या 6 में जो उल्लेख किया गया है कि 'कार्मिक वाणिज्यिक कार्य करने वाली संस्थाओं में तत्समय की आवश्यकतानुसार कार्मिकों की जरूरत होती है', मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो कार्मिकों की जरूरत होती है उनको कब-कब आवश्यकता होती है और अधिकतम संख्या उसकी कितनी होती है?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी संख्या विभाग द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गयी। यह बजट घोषणा 2009-10 के अन्दर घोषणा की गयी थी कि ''महिला उचित मूल्य की दुकानों का संचालन एवं उर्वरकों की बिक्री का कार्य महिला सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने के लिए इन समितियों को प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी। चालू वित्तीय वर्ष में ऐसी 500 महिला सहकारी समितियों को पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी और इसके अतिरिक्त, राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से 6 करोड़ रुपये का एक स्टेट रिवाल्विंग फंड गठित किया जायेगा, जिसमें से इन समितियों को दो प्रतिशत ब्याज पर कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।''

मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक लाख रुपये का जो प्रबंधकीय अनुदान है, वह सरकार को दो किश्तों में देना है। पहली किश्त 50 हजार की; उसके लिए उन्होंने फिक्स किया है कि फर्नीचर, फिक्सचर्स, आदि पर 30 परसेंट और उसके बाद में बांट, तराजू, सूचना-पट्ट, आदि उसका लिया जायेगा। उसके बाद में, एक महीने बाद में उसको दूसरी किश्त 50 हजार की दी जायेगी, जिसमें उसको दुकान या गोदाम किराये पर लेना है तो उसके पैसे के लिए और अनुबंधित कर्मचारी रखने के लिए।

क्योंकि ये जो महिला सहकारी समितियां हैं, सरकार का यह था कि इनका ज्यादा से ज्यादा सशक्तिकरण किया जाए और उनको चलाया जाए, इसलिए उन्हीं को छूट दी गयी है कि वे अपने स्तर से कोई भी नियुक्त कर दें। यह था।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न, पूरक प्रश्न।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट संख्या चार के अन्तर्गत पैरा नम्बर एक में जो बताया है कि 'उपादेयता नहीं होने के कारण महिला सहकारी समिति, हेमल्यावाला खाद बीज का व्यवसाय नहीं कर रही है', दूसरी तरफ लिखा है कि 'दिनांक 08.11.2011 से एक नवीन हेमल्यावाला ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यरत है जो कि खाद बीज का व्यवसाय कर रही है', मैं मंत्री महोदयजी से पूछना चाहती हूं जब महिला सहकारी समिति, हेमल्यावाला द्वारा खाद-बीज के व्यवसाय हेतु कृषि विभाग से लाइसेंस ले लिया गया था, फिर भी नवीन संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हेमल्यावाला में आप जिस समिति की बात कर रही हैं, वह हमारी जी.एस.एस., ग्राम सेवा सहकारी समिति है और पंचायत मुख्यालय पर सभी जगहों पर अधिकांशत: एक-एक जी.एस.एस. हैं और वे कार्य कर रही हैं, खाद-बीज का मूल जो कार्य है वह उनका है। लेकिन फिर भी सरकार का यह प्रयास रहा है कि जहां भी महिला सहकारी समितियां अगर यह चलाना चाहें तो उनको तवज्जोह दी जाए, और प्रयास किया जाए कि आर्थिक सशक्तिकरण उनका हो और इसीलिए उनको बार-बार यह कहा गया है, जो उर्वरक अनुज्ञा पत्र है उसका, वह प्राप्त करें, लेकिन उर्वरक अनुज्ञा पत्र उनके पास में वर्तमान में नहीं है और जो वहां की समिति है, वह इच्छुक भी नहीं है उर्वरक का यह व्यवसाय करने के लिए।

श्री अध्यक्ष: लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न। अब आपके दो प्रश्न हो चुके हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): एक ही करूंगा कि दो करूंगा?

श्री अध्यक्ष: आप एक कीजिए, फिर दो। दूसरों को मौका देंगे। आप तो बहुत अनुभवी विधायक हैं, संक्षिप्त में कर लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी 31 महिला सहकारी समितियां बनी हैं और उनका बनने का उद्देश्य केवल राजनीतिक था। पूरी रसद सामग्री उनको बांटने के लिए दे दी गयी, जनता के बीच, उपभोक्ता के बीच सामग्री गयी नहीं और ये महिला सहकारी समितियां उनको लूट कर खा गयीं।

मैं माननीय मंत्रीजी से यही सवाल करना चाहता हूं, वह तो जांच का विषय है, आप जांच करना लेकिन जो महिला सहकारी समितियां बनी हैं, उनमें

(डा. किरोड़ी लाल)

प्रक्रिया की पालना नहीं हुई, जैसे चयन प्रक्रिया में समितियों का चयन दो किश्तों में किया जाना चाहिए और इन दोनों के बीच में एक माह का अन्तराल होना चाहिए, यह प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। दूसरा, महिला सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्य की दुकान संचालन में उर्वरकों की बिक्री के लिए जो विज्ञापन जारी होना चाहिए था अखबार के माध्यम से, जो दूसरों को भी पता लगता, विज्ञापन जारी नहीं किया गया और एक कमरे में बैठ कर व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ताओं ने, या वर्ग, दल विशेष के कार्यकर्ताओं ने यह महिला सहकारी समितियां बना लीं। क्या यह जो प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं अपनायी गयी, और इसमें पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण है, आप लालसोट की ऐसी महिला सहकारी समितियों की जांच कराएंगे ताकि उपभोक्ताओं को पी.डी.एस. का वितरण सही हो सके?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है और बताया भी है, दौसा में आपने 31 का बताया, मैं आपको बता दूं, पहले तो आपने कहा कि विज्ञापन ढंग से नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक यदि समितियां आयी हैं तो वे दौसा जिले की हैं; कुल 74 समितियों को चयन के लिए यहां पर राज्य स्तर पर भेजा गया और 49 का हमने चयन किया और वर्तमान में 42 समितियां...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं यह नहीं पूछ रहा कि ज्यादा हैं कि कम हैं, मैं यह पूछ रहा हूं, प्रक्रिया ठीक नहीं अपनायी।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैं उसी पर आ रहा हूं।...42 कार्यरत हैं और 7 समितियां अभी निष्क्रिय हैं। उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वे वापस, जल्दी से जल्दी काम करना शुरू करें।

अभी आपने बताया कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो मैं आपको बता दूं, दौसा जिले में जो समिति की बैठक हुई है, उसका मैं बता दूं कि 28.10.2009 को वहां पर कमेटी की बैठक हुई; उसके बाद में 26.11 को हुई; फिर 14.12 को हुई; फिर 29.12 को हुई; 21.04 को हुई; 14.07 को हुई; फिर 13.08 को हुई। मैं आपको दौसा की बता रहा हूं। उसके बाद में, राज्य स्तर पर भी इसकी तीन बैठक हुई हैं। इसके लिए मैं बताऊं कि 24.11.2009 को बैठक हुई; उसके बाद में 30.12.2009 को बैठक हुई; और फिर 14 फरवरी, 2010 को।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मंत्रीजी, बैठकों का दौर खूब चला; मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि एक को तो पता है, बाकी 99 को पता नहीं कि महिला सहकारी समितियों का भी गठन होने जा रहा है क्या। इसलिए अखबारों में विज्ञापन जारी नहीं किया गया और जो दो किश्तों में चयन होना था, वह नहीं किया गया। इसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): आप यह कह रहे हैं कि विज्ञापन नहीं किया, सरकार ने पूरा प्रयास किया, आप मेरी सुनिये, अगर यह प्रयास नहीं होता तो दौसा की सबसे ज्यादा समितियां नहीं आतीं। 74 समितियां हैं दौसा की आपकी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं इस पर आपको चार्ज लगा रहा हूं, विज्ञापन जारी नहीं किया गया और दो किश्तों में जो चयन करना चाहिए था, उस प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी। क्या आप इसकी जांच कराओगे?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): बिलकुल। और भी अगर आपने कोई शिकायत की बात कही है, तो किसी तरह की शिकायत इसके सम्बन्ध में विभाग को नहीं मिली है। दौसा के सम्बन्ध में जो समितियां हैं, हेमल्यावाला और राजोली, सिर्फ दो शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। उनकी जांच हम कर चुके हैं।

इसके अलावा भी, यदि माननीय सदस्य के पास में कोई, किसी तरह के तथ्य हैं, तो उन पर अलग, नये सिरे से जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं कस्बे की पेयजल समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना

40. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं कस्बे में आबादी के अनुसार पेयजल की समस्या व्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बे की पेयजल की समस्या के निदान हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पेयजल के स्थायी समाधान हेतु चौमूं कस्बे को बीसलपुर योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सांवर लाल): (1) जी नहीं। चौमूं कस्बे में 97 क्रियाशील नलकूपों से 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से

(श्री सांवर लाल)

की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है। इसके अतिरिक्त, कस्बे में 35 सिंगल फेज नलकूपों से भी पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

कस्बे की जल आपूर्ति सेवा स्तर में आवश्यक सुधार हेतु स्वीकृत दस नवीन नलकूपों (सात का वेधन कार्य पूर्ण किया जा चुका है) को माह फरवरी, 2014 तक चालू करना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने जिन 97 बोरिंग की बात की है, उनमें से 47 बोरिंग ऐसे हैं जो नाम मात्र के बोरिंग हैं, लेकिन पीने के पानी की उपलब्धता दो बाल्टी भी प्रति दिन नहीं है।

वाटर लेवल नीचे जा रहा है। दिन-प्रतिदिन गिरते हुए जल स्तर की वजह से चौमूं के आसपास पानी के जो ब्लाक हैं, उन ब्लाकों से पानी की आपूर्ति चौमूं शहर को करने के लिए इस प्रकार की योजना जब तक नहीं बनेगी, तब तक पानी का काम चलने वाला नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि चौमूं के आसपास कई जगह पानी के ब्लाक्स हैं, अगर वहां से पानी लाकर आप आपूर्ति की योजना करेंगे तो आने वाले समय में 2020 तक की योजना बन सकती है और उसकी आपूर्ति उस पानी से हो सकती है। तो क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की योजना बनाने का विचार रखते हैं?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल या वाटर का लेवल जो नीचे जा रहा है, स्वाभाविक रूप से वर्षा सामान्य या सामान्य से कम होती है तो निश्चित रूप से दोहन होने के कारण जल स्तर नीचे जा रहा है। सरकार की तरफ से जहां-जहां व्यवस्था की आवश्यकता है, निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं। सामान्यतया सौ लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 97 जो क्रियाशील नलकूप हैं, उनसे साठ लीटर प्रति व्यक्ति की दर से दे रहे हैं। इसके अलावा, सिंगल फेज जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वे इसके अलावा हैं।

वर्तमान में सरकार को बराबर चिन्ता है और यह जो पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी है, हमने नगरपालिका को सौंप दी है और वह ही कर रही है, पर चूंकि हमारे डिपार्टमेंट के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर जल स्तर या सोर्सेज बढ़ाए जाएं जिनकी वजह

(श्री सांवर लाल)

से यहां पर पीने के पानी में और ज्यादा इजाफा हो। इसके लिए डोडसर, रींगस रोड जोतपुरा, कालाडेरा रोड, समरपुरा-मोरीजा रोड पर उपयुक्त भू-जल स्रोत के चयन हेतु भूजल वैज्ञानिकों से राय ली जा रही है। भूजल स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरांत कस्बे हेतु पुनर्गठित पेयजल योजना के प्रस्ताव तैयार किये जाएंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): खण्ड-2 में माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, "जी नहीं।'', जो बीसलपुर पेयजल योजना है, मैं बताना चाहूंगा कि रोड नम्बर-14 तक यह बीसलपुर पेयजल योजना पहुंच चुकी है, चौमूं की दूरी इससे मात्र 22 किलोमीटर पड़ती है। हो सकता है कि पांच-सात साल पानी की उपलब्धता हमारे पास रहेगी और उससे हम स्थानीय स्तर पर नलकूपों के द्वारा पानी की आपूर्ति कर पायेंगे लेकिन भविष्य को देखते हुए, अगर बीसलपुर परियोजना से चौमूं को नहीं जोड़ा गया तो आज वर्तमान में जो चौमूं की आबादी साठ से सत्तर हजार तक पहुंच चुकी है, भविष्य में एक साथ विस्फोटक स्थिति बनेगी।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि इस बीसलपुर योजना से भी जोड़ने की आप योजना बनाएं ताकि भविष्य में इसका लाभ मिल सके।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर की जो योजना है, वह भी बीसलपुर में पानी आने की कंडिशन पर चलती है। अगर बीसलपुर बांध में पानी पर्याप्त नहीं आता तो इसमें भी कई बार संकट आता है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप पाइप तो डाल दो, मंत्री महोदय।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): बीसलपुर योजना से हमने जयपुर को, अजमेर को, कई जगहों को जोड़ रखा है। अभी हमको गुंजाइश नहीं लगती है। आने वाले समय में जो भी संकट आएगा, उसका मुकाबला हम मिल-जुलकर करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

भादरा की क्षतिग्रस्त सड़कें

41. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संजीव कुमार)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा की कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। परिशिष्ट-1 में वर्णित पैचेबल सड़कों पर पैच मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण करवा दिया जाएगा। नान-पैचेबल सड़कों पर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भादरा विधान सभा क्षेत्र में नान-पैचेबल सड़कों में नोहर, भादरा, बालसमन्द, यानी भादरा से हिसार की जो सड़क है, यह 'रिडकोर' को स्थानान्तरित की हुई है और इसका कार्य पिछले छह माह से बिलकुल बंद पड़ा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह कार्य किन कारणों से बंद है और इस कार्य को क्या सरकार शीघ्र शुरू करवाने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भादरा से आने वाले सदस्य ने जिस 'रिडकोर' सड़क की चर्चा की है, यह बात सही है कि उसका काम पिछले छह महीने से पेण्डिंग पड़ा है और जो वहां अभी मौजूदा सड़क है, वह भी बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त है जिससे जनता को आवागमन में दुविधा हो रही है। अभी जब मैं स्थानीय दौरे पर था तो वहां के स्थानीय लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया। हमने इस विषय में 'रिडकोर' के साथ बैठक की है। 'रिडकोर' के अधिकारियों ने वहां जाकर के, सारी परिस्थितियां देखकर एक सप्ताह में हमारे साथ बैठक करने को कहा है। 'रिडकोर' से चर्चा करके शीघ्र ही इस सड़क का, पहली प्राथमिकता 'रिडकोर' की है, वह बना रही है, निर्माण कर रही है, हम उसी को परश्यू करेंगे कि वह बनाए।

उसके बावजूद भी, चूंकि माननीया मुख्य मंत्रीजी की यह इच्छा है कि

(श्री युनुस खान)

हमारी सड़कें बहुत ही बेहतरीन हों, उसके लिए जो पैचेबल सड़कें हैं, उनका पैचवर्क तो हम 28 फरवरी तक, राजस्थान की लगभग बासठ हजार किलोमीटर सड़कें हैं, उनका पैचवर्क तो कम्प्लीट कर देंगे लेकिन राजस्थान में ग्यारह हजार किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिनका पैचवर्क नहीं हो सकता। अगर हम उनका पैचवर्क करेंगे तो अधिक खर्चा आएगा।

वैसे भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नोटिस में मैं यह लाना चाहता हूं कि पिछले छह माह में सिर्फ चुनाव की दृष्टि से काम किया गया। इसलिए यह जितने माननीय सदस्यगण सवाल उठा रहे हैं और यह बात कह रहे हैं कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई हैं, आज ही इस हाउस में दो प्रश्न आए और दोनों ही क्षतिग्रस्त सड़कों के आए, तो एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 45-45 सड़कें टूटी हुई हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है, वह यह है कि पिछली सरकार की प्राथमिकता में सड़कों का पैचवर्क नहीं था, उनकी प्राथमिकता में वोट बैंक प्रमुख था।

अगर मैं विगत छह माह की बात करूं, तो हमारा जो बजट था, वह लगभग 2,242 करोड़ की एक सीलिंग थी; माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन छह महीनों में चार हजार करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दीं और उसके टेंडर भी काल कर लिए। अब आप मुझे बताइये कि जितना सरकार का सीलिंग बजट है, उससे ज्यादा तो उन्होंने छह महीने में लोगों को जाकर इस तरीके से कह दिया कि आपके भी बना दूंगा, आपके भी बना दूंगा। उसमें भी अगर उनकी प्राथमिकता इस तरह की टूटी हुई सड़कें होतीं, तो कम से कम जनता को सुविधा मिलती।

मैं फिर भी हाउस को आश्वस्त करता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी के निर्देश हैं कि इस तरह की जो टूटी हुई सड़कें हैं, जिनसे जनता को असुविधा हो रही है, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवायेंगे और उसके साथ-साथ नई सड़कें भी प्लान करके करेंगे, न कि पिछली सरकार की तरह, हमारे बजट में प्रावधान भी नहीं हो, सीलिंग भी ऊपर जा रही हो।

इसलिए मैं आपके माध्यम से भादरा से आने वाले सदस्य को कह रहा हूं, जिस 'रिडकोर' की सड़क की आपने चर्चा की है, उसके प्रति सरकार गम्भीर है, अतिशीघ्र उसका काम चालू करवाएंगे; जब तक काम चालू होगा, तब तक उसको मोटरेबल हम करवाएंगे।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा विधान सभा की सड़कों के बारे में मंत्री महोदय ने फरमाया कि नान-पैचेबल सड़कें हैं, उनका सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य होना है, एक सूची इन्होंने दी है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि नान-पैचेबल सड़कों का नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य, क्या सरकार उसको शीघ्र शुरू करवाने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैंने अभी जिक्र किया कि इस क्षेत्र में टोटल 28 सड़कें टूटी हुई हैं, उनमें से जो पैचेबल हैं वे तो 18 सड़कें हैं। उनका पैचवर्क तो, जैसा मैंने कहा, 28 फरवरी तक हम करवा देंगे। जो नान-पैचेबल सड़कें हैं, वे दस हैं। उन सड़कों का नये सिरे से, हम पूरी योजना बनाकर के, वित्तीय योजना बनाकर के, वित्तीय प्रबन्ध करके, उसके बाद में बिलकुल उनका सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और उनको नया, एकदम इस तरीके से बना देंगे कि माननीय सदस्य की जनता जब वहां घूमेगी तो उनको भी यह पता चलेगा कि अब राज बदला है।

श्री संजीव कुमार (भादरा): कब तक करवा दोगे? मंत्रीजी, कब तक हो जाएगा? यह सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य कब तक हो जाएगा? क्योंकि ये सड़कें तो क्षतिग्रस्त हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय भादरा से आने वाले सदस्य, जो बाकी दस सड़कें हैं, जो बिलकुल ही क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, उनका डी पी आर हम 28 फरवरी तक बना लेंगे और जब अगला बजट आएगा, उसमें वित्तीय प्रावधान करके उनका करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में विदेशी सैलानियों के प्रति बढ़ रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ

(श्री अध्यक्ष)

हूं। वैसे भी माननीय सदस्य आज पर्ची के माध्यम से इस विषय पर अपने विचार रखने जा रहे हैं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर में पानी सप्लाई की समस्या का निवारण करने के सम्बन्ध में;
2. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से जिला टोंक में वर्ष 2013 में प्रबोधकों की भर्ती व उनके प्रमाण पत्रों की जांच में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में;
3. श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की विषम भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका पुनः सेटलमेंट करने के सम्बन्ध में;
4. श्री बंशीधर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में शीतलहर से जौ एवं सरसों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में;
5. श्रीमती राजकुमारी, सदस्या की ओर से जिला करौली की चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना को सिंचाई विभाग के स्थान पर पेयजल विभाग के माध्यम से मंजूर करने के सम्बन्ध में;
6. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से तहसील सांचौर एवं चितलवाना की खरीफ फसल सम्वत् 2070 का खराबा 50 प्रतिशत से कम कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
7. श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर रियासत से स्थानान्तरित 45 गांवों के बन्दोबस्ती-काश्तकारान को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में;
8. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से राजस्थान में समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीद के लिये स्थायी तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में;
9. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर जिले की सभी सड़कों पर लगे टोल के सन्दर्भ में;
10. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम

(श्री अध्यक्ष)

भेहाड़ा से निजामपुर वाया ग्राम बसई, हरियाणा सीमा को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क से आम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में;

11. मास्टर मामनसिंह यादव, सदस्य की ओर से उद्योगों में कार्मिकों की भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में; व

12. श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की तुलाई की गति कम होने तथा खरीद की अवधि 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य बेनीवाल साहब अपनी पर्ची के माध्यम से बोलेंगे इसलिए अभी आपको बोलने की आवयश्यकता नहीं।

अब मैं श्री कैलाश भंसाली से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें 295 के अन्तर्गत।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो आपकी बात मानता ही हूं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर में जल आपूर्ति समस्या का निवारण

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव—जोधपुर में पानी सप्लाई की समस्या के निवारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि जोधपुर क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी जलदाय विभाग जनता को एकान्तरे पानी की सप्लाई कर जनता को पानी के लिये त्रस्त कर रहा है। जनता बेहद परेशान है। एकान्तरे पानी की व्यवस्था के बावजूद 31 कालोनियों में पानी बहुत कम वेग से आता है, विशेषकर रातनाड़ा, झालामंड, सिटी पुलिस गांधियों की गली, पचेरिया हिल, अजित कालोनी, सुनारों का पास, आदि।

जोधपुर में भू-जल स्तर बढ़ने से पानी व्यर्थ नालों में बहता है। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सीवरलाइन के साथ पानी की लाइन सम्मिलित हो गयी है तथा गन्दा पानी सप्लाई हो रहा है।

(श्री कैलाश भंसाली)

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि उक्त गम्भीर समस्या का कारगर समाधान कराने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

टोंक में वर्ष 2013 में प्रबोधकों की भर्ती व प्रमाण पत्र जांच में अनियमितताएं

श्री हीरालाल (निवाई): महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत टोंक जिले में वर्ष 2013 में प्रबोधकों की भर्ती व उनके प्रमाण पत्रों की जांच में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

टोंक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) कार्यालय में वर्ष 2013 में न्यायालय प्रकरण के नाम पर नियुक्त प्रबोधकों की पात्रता व प्रमाण-पत्रों की अनियमितता सम्बन्धी जांच निदेशालय द्वारा की गयी। उक्त जांच में अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच न किया जाकर, जांच में अनियमितता व भेदभाव बरतना पाया गया, जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है। इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) कार्यालय के अधिकारी दोषी हैं।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले की पुन: जांच की जाय और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ताकि प्रबोधकों को न्याय मिल सके और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह भाटी।

जैसलमेर में विषम भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर पुन: सैटलमेंट

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): महोदय, जैसलमेर जिले की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण 10-15 वर्ष तक ऐसी स्थिति थी कि लोगों को 30-40 किलोमीटर की दूरी में पानी तक नहीं मिल पाता था। जैसलमेर जिले में सम्वत् 2012 में संक्षिप्त समरी सेटलमेंट तथा सम्वत् 2028 में सेटलमेंट हुआ था। विकट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तथा अमीनों की कमी व साधनों के अभाव में उस समय के सेटलमेंट भी पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हो पाये थे। पूर्व में हुए समरी सेटलमेंट के समय तरमीमों में हुई त्रुटियों के कारण

(श्री छोटू सिंह)

काबिलकाश्त भूमि गैर-मुमकिन मगरा एवं अन्य गैर-मुमकिन श्रेणियों में दर्ज हुईं व गैर-मुमकिन भूमि मुमकिन भूमि के रूप में दर्ज हुईं तथा कई काश्तकारों की भूमियां समरी सेटलमेंट एवं 1970 नियम के तहत अलाटमेंट के समय गलत तरमीमों की वजह से मूल स्थानों से हटकर अन्य स्थानों पर तरमीम हो गयीं, परन्तु काश्तकार अपने कब्जे के हिसाब से पुरानी भूमियों पर काश्त कर रहे हैं।

वर्तमान में लोगों को भूमि सम्बन्धी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सरकार जिले की सम्पूर्ण भूमि का पुन: सेटलमेंट का निर्णय ले ताकि लोगों की पुरानी समस्याओं का निदान हो सके तथा जो लोग पूर्वजों से अपनी भूमि पर बैठे हैं परन्तु उन्हें रिकार्ड में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया है, उन्हें अपने वाजिब हक मिल सकें।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पुन: सेटलमेंट का निर्णय लें ताकि जिले के हजारों किसान अपने हक पुन: अर्जित कर सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर।

खण्डेला में शीतलहर से जौ एवं सरसों की फसलों को कारित नुकसान का मुआवजा

श्री बंशीधर (खण्डेला): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव, खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में भारी शीतलहर से जौ एवं सरसों की फसल को हुए भारी नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं कृषि मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला (जिला सीकर) में अभी हाल ही में हुई भारी शीतलहर से खेतों में खड़ी फसल को हुए भयंकर नुकसान की ओर आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि सीकर जिले के खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के काश्तकारों की जौ एवं सरसों की फसल का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसान की रोटी-रोजी का आसरा छिन गया है, प्रकृति की मार के आगे सब नत-मस्तक हैं परन्तु एक संवेदनशील सरकार का यह अहम् दायित्व बनता है कि वह काश्तकारों के हितों का पूरा ध्यान रखे। काश्तकार की खून-पसीने से तैयार खड़ी फसल पर प्रकृति ने अपना कहर बरपाया है और कोई भी उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकता परन्तु उसके दर्द

(श्री बंशीधर)

को कम अवश्य किया जा सकता है। उसको दो वक्त की रोटी का मोहताज नहीं होना पड़े, ऐसी व्यवस्था समय पर किया जाना हर लोक-कल्याणकारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है।

ऐसी स्थिति में मैं पुन: राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर जिले के खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में अभी हाल ही हुई शीतलहर से किसानों को हुए नुकसान की तुरन्त प्रभाव से गिरदावरी किये जाने के आदेश आज ही जारी करायें और एक सप्ताह के भीतर-भीतर किसानों को मुआवजे की राशि स्वीकृत कर उन तक पहुंचायी जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी।

करौली जिले की चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की सिंचाई विभाग के स्थान पर पेयजल विभाग के माध्यम से मंजूरी

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि करौली जिले का जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण किसानों को अपनी जमीन बेचकर बोर कराने पड़ते हैं। पीने के पानी में भी फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। जल स्तर 350 से 400 फीट गहरा चले जाने के कारण विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन व करौली जिला डार्क जोन में है। फ्लोराइड के कारण गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं।

माननीया मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजे जी ने वर्ष 2005 में जनता के इस दर्द को समझ कर 275 करोड़ की लागत से चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना का सर्वे करवाया और अपने बजट में इसे शामिल करके प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी। चूंकि वर्ष 2008 में कांग्रेस की सरकार आ गयी, तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार बनायें; राजस्थान व केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, इसके बावजूद गत 5 वर्ष में कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की एवं इस योजना को केन्द्रीय जल आयोग ने कई आपत्तियां लगाकर लटका दिया।

अत: मेरा मुख्य मंत्री महोदया एवं पी एच ई डी मंत्रीजी से अनुरोध है कि चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना को सिंचाई विभाग की बजाय पेयजल विभाग के माध्यम से नये सिरे से मंजूर किया जाय और साथ ही

(श्रीमती राजकुमारी)

गम्भीर नदी पर श्री महावीर जी, सिद्धबाबा, कटकट व देवरेन-तिधरिया, इन चार स्थानों पर एनिकट निर्मित किये जावें जिससे आम जनता व किसानों को लाभ मिल सके तथा क्षेत्र का जल स्तर बढ़ सके।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

सांचौर एवं चितलवाना तहसीलों की खरीफ फसल का खराबा 50 प्रतिशत से कम कर दिया जाना

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सम्वत् 2070 में खरीफ फसल का सांचौर एवं चितलवाना, दोनों तहसीलों का 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा दोनों तहसीलदारों द्वारा भिजवाया था लेकिन जिलाधीश, जालौर द्वारा दोनों तहसीलदारों को जरिए टेलीफोन कहा गया कि आप दोनों अभावग्रस्त तहसीलों की संशोधित रिपोर्ट 50 प्रतिशत से कम का मूल्यांकन करके भेजें। इस पर दोनों तहसीलदारों ने दुबारा 50 प्रतिशत से कम की रिपोर्ट भेजी। दोनों रिपोर्ट जिला कार्यालय जालौर में उपलब्ध हैं। लेकिन जिलाधीश, जालौर ने 50 प्रतिशत से ज्यादा की रिपोर्ट नहीं भेज कर 50 प्रतिशत से कम खराबे की रिपोर्ट भेजी जिससे बीमा कम्पनियों को करोड़ों का फायदा हुआ तथा किसानों को करोड़ों रुपयों का फसली बीमा नहीं मिला।

सरकार इसमें बताये कि कौनसी रिपोर्ट मानी जायेगी?

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरसिंह।

जैसलमेर रियासत से स्थानान्तरित गांवों के बंदोबस्ती-काश्तकारान को खातेदारी अधिकार की प्रदायगी

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि उपनिवेशन क्षेत्र के जैसलमेर रियासत से स्थानान्तरित 45 गांवों के बंदोबस्ती-काश्तकारान (गैर-खातेदारों) को खातेदारी हक दिलाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 एएए में धारा 2 (क) संशोधन द्वारा सन् 1992 में जोड़ी गई। तत्पश्चात् भी, लंबे समय से राजस्थान कृषि जोत सीलिंग अधिरोपण अधिनियम, 1973 के परिप्रेक्ष्य में उक्त काश्तकारों को दिनांक 1.1.1973 के धारित प्रति यूनिट सीलिंग सीमा के भीतर

(श्री भंवरसिंह)

खातेदारी अधिकार, परिवार के सदस्यों की गणना कर, जारी कर दिये जाने चाहिए थे लेकिन उपनिवेशन विभाग की अकर्मण्यता व अधिकारियों की अरुचि के कारण चालीस वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उक्त काश्तकार खातेदारी अधिकार से वंचित हैं।

उक्त गैर-खातेदार काश्तकारों द्वारा समय-समय पर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाया गया है। तत्कालीन राज्य सरकार ने उक्त गैर-खातेदारों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाते हुए, प्रक्रिया व नियमों में संशोधन करते हुए, दिशा-निर्देश अपने पत्रांक क.6(13)राज/ग्रुप-8/01 दिनांक 29.09.2008 द्वारा, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 7 के परन्तुक के सम्बन्ध में दी गयी राय के अनुसार सीलिंग सीमा का निर्धारण 1 जनवरी, 1973 की स्थिति के अनुसार ही किया जायेगा और भूमि की किस्म भी 1 जनवरी, 1973 को विद्यमान भू-अभिलेख में अंकित मृदा वर्ग के अनुसार ही निर्धारित की जायेगी तथा यह भी स्पष्ट किया कि उक्त अधिनियम की धारा 7 का परन्तुक दिनांक 15.08.1972 से दिनांक 01.01.1973 के बीच के प्रकरणों पर ही लागू होता है एवं इस आदेश के तहत लम्बित प्रकरणों में खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु उक्त स्पष्ट आदेश के बावजूद, विभाग के आला अधिकारियों ने खातेदारी अधिकार देने में कोई रुचि नहीं दिखाई और गैर-खातेदारों की यह समस्या जस की तस पड़ी रही।

फिर पुन: निवर्तमान राज्य सरकार से निवेदन किया गया तो पुन: राज्य सरकार ने अपने पत्रांक प.3(19)उप/2009 दिनांक 21.03.2013 से एकदम स्पष्ट आदेश दिया कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 7 व 8 के संदर्भ में यह निर्देश है कि धारा 7 का परन्तुक दिनांक 1.1.1973 तक सरकारी लागत से निर्मित सिंचाई परियोजना के परिणामस्वरूप भूमि की किस्म परिवर्तन पर ही लागू होता है। दिनांक 1.1.1973 के पश्चात् सरकारी लागत से भूमि की किस्म में हुए परिवर्तन पर लागू नहीं है। अत: सीलिंग प्रकरणों के निस्तारण हेतु भूमि की किस्म एवं परिवार की गणना का आधार दिनांक 1.1.1973 किया जावे।

उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् इस क्षेत्र के काफी किसानों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, पर आज भी काफी संख्या में किसान उक्त

(श्री भंवरसिंह)

खातेदारी अधिकार से वंचित हैं। उपनिवेशन विभाग के वर्तमान आयुक्त द्वारा इन नियमों के तहत खातेदारी अधिकार देने से बिना किसी आदेश के मना कर दिया है। करीब बीस दिन से किसान विभाग के चक्कर लगा रहे हैं परन्तु उन्हें खातेदारी अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जब राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है, फिर भी विभाग के अधिकारी खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य। श्री मानिक चन्द सुराना।

राजस्थान में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्थायी तंत्र की आवश्यकता

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि भाजपा के सुराज संकल्प 2013 के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों की उपज को लाभकारी बनाने हेतु समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद की जायेगी; बोनस की राशि उपज के अनुसार किसानों को सीधे ही उनके खातों में नकद दी जायेगी; इसके साथ ही यह कहा गया है कि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का स्थायी तंत्र विकसित किया जायेगा'।

सुराज संकल्प 2013 में उक्त घोषणाएं होने के बावजूद उक्त घोषणा को अभी तक मूर्त रूप दिया जाना बाकी है। मूर्त रूप दिये जाने के सम्बन्ध में अभी तक प्रशासन पूर्ण रूप से गाफिल है और ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य एवं सहकारी विभाग, दोनों ही उक्त घोषणाओं से पूर्णरूपेण अपरिचित हैं।

पूर्व में कांग्रेस सरकार ने चुनाव के निकट 01 दिसम्बर, 2013 को मतदान होने के पूर्व भारत सरकार के 'नाफेड' की ओर से मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़ व बीकानेर की कृषि उपज मण्डियों में शुरू की और यहां यह खरीद मौके पर वस्तुतः ना तो 'नाफेड' द्वारा की गई और ना ही 'नाफेड' द्वारा अधिकृत तिलम संघ द्वारा की गई। तिलम संघ ने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उक्त खरीद के लिए एक 20 व्यक्तियों की एक सहकारी समिति, जिसका नाम, 'सहभागी बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, श्रीगंगानगर' के पक्ष में खरीद के सारे अधिकार दे दिए और उन्हें अपना कमीशन एजेंट मुकर्रर कर दिया, जबकि तीनों ही स्थानों पर तहसील स्तर की क्रय-विक्रय सहकारी समितियां कार्यरत थीं। हजारों किसानों की सदस्यता वाली क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को जान-बूझकर नजर-अंदाज किया गया और एक 20 व्यक्तियों की नाम मात्र की सहकारी समिति को लाखों बोरियां, जो तीनों क्षेत्रों में खरीदी गईं, उनका एकाधिकार दिया गया और भारत सरकार के धन का, राज्य सरकार द्वारा प्रेरित किसानों के सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने की सभी नीतिगत घोषणाओं के विपरीत, श्रीगंगानगर के 20 व्यक्तियों की सहकारी समिति को खरीद का एक मात्र एजेंट बना दिया गया।

उक्त खरीद का मात्र 15-20 प्रतिशत लाभ किसानों को हुआ है और 80 प्रतिशत से कुछ अधिक लाभ उन बड़े व्यापारियों को हुआ है जिन्होंने मूंगफली 2,800, 2,900 व 3,000 रुपये क्विंटल में किसानों से खरीद रखी थी व जिसकी गिरदावरियां भी उन्होंने किसानों से परम्परागत तौर पर आगे होने वाली सरकारी खरीद की दृष्टि से हस्तगत कर रखी थीं।

13 दिसम्बर, 2013 को सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद, एक सप्ताह बाद मंत्रिमंडल गठन के बावजूद, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के संगठन, तहसील स्तर पर गठित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को पूर्ण रूप से नजर-अंदाज कर एक 20 व्यक्तियों की सहकारी समिति को जो लाभ दिया गया है, वह समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा सीधे खरीद के सिद्धान्त के पूर्णतया विपरीत है। मूंगफली की समर्थन मूल्य पर जिस प्रकार की खरीद लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़ व बीकानेर में की गई है, उसका 80 प्रतिशत से अधिक लाभ सीधे व्यापारियों को हुआ है, जो वर्तमान में मण्डियों के स्थानीय प्रशासन की मिलावट से चल रहे दो नम्बर के धंधे को पूर्ण रूप से उजागर करता है।

मेरी पुरजोर मांग है कि प्रशासन के जो-जो बड़े अधिकारी इस 20 व्यक्तियों की सहकारी समिति के खरीद की एजेंसी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि उन्होंने हजारों किसानों की तहसील स्तर पर गठित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को नजर-अंदाज कर लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़ व बीकानेर से असम्बन्धित 20 व्यक्तियों की सहकारी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

समिति, 'सहभागी बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, श्रीगंगानगर' को खरीद की एजेंसी देकर, हजारों किसानों की तहसील स्तर पर गठित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को नजर-अंदाज किया है।

इसके साथ ही, राज्य सरकार के खाद्य विभाग और सहकारी विभाग, दोनों का यह दायित्व है कि वे राजस्थान राज्य में समर्थन मूल्य पर होने वाली सारी खरीद सीधे सरकार द्वारा करें और उनका लाभ सीधे किसानों को मिले, इसके लिए सक्षम गाइडलाइंस बनाई जाने की तत्काल आवश्यकता है। आगे आने वाले दो महीनों में सरसों एवं अन्य वस्तुओं की सरकारी खरीद होने वाली है और इसका लाभ सीधा किसानों को मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। सरकारी मूल्य पर खरीद का एक स्थायी तंत्र बनाया जाना अत्यधिक आवश्यक है और सुराज संकल्प 2013 में जो घोषणाएं की गईं, उन्हें अब एक माह में मूर्त रूप दिये जाने की पुरजोर मांग मैं नियम 295 के तहत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर जिले की सड़कों पर अवस्थित टोल

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले में एक भी सड़क ऐसी नहीं बची है जिस पर टोल नहीं लगता हो, चाहे नेशनल हाइवे सड़कें हों या स्टेट हाइवे सड़कें हों। आज स्थिति यह बन गई है कि जिले से दिल्ली, आगरा, टोंक, सीकर, अजमेर, आदि सभी नेशनल हाइवे सड़कों पर टोल गेट लग चुके हैं। इसके अलावा, दौलतपुरा, सामोद, आदि सड़कों पर पहले ही टोल प्लाजा स्थापित हैं। अब आने वाले समय में कालाडेरा एवं कालवाड़ रोड पर भी टोल लगाने की तैयारियां हो रही हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि जयपुर जिले के सभी निजी वाहनों को टोल-मुक्त किया जावे जिससे आम जन को राहत मिल सके। जिले के किसानों और व्यापारियों को दिन में अनेकों टोल बूथों पर टोल भुगतान करना पड़ता है, चाहे वे अपने खेतों को पानी देने जायें या व्यापारी अपनी फैक्टरी को जायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुरवासी जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आते हैं और प्राधिकरण को विकास शुल्क एवं अन्य शुल्कों को अदा करते हैं। उसके बावजूद भी, जयपुर विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के

(श्री रामलाल शर्मा)

जिले में कई टोल लग चुके हैं। सीकर रोड पर स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण की 'आनन्द लोक' कालोनी, जो वर्षों पहले बस चुकी है और उसके बाद सीकर रोड पर टोल प्लाजा लगा, आज अनाधिकृत रूप से टोल कर्मियों द्वारा 'आनन्द लोक' कालोनी में जाने के लिए बनी सड़क के ऊपर ही बेरिकेड्स लगाकर अवैध वसूली कर आम जन को अनाधिकृत परेशान किया जा रहा है।

अत: आपसे निवेदन है कि अविलम्ब 'आनन्द लोक' की सड़क पर लगे बेरिकेड्स को हटाया जाये; जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में लगे टोल प्लाजा तत्काल हटें; तथा जिले के निजी वाहनों को टोल-मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

खेतड़ी में क्षतिग्रस्त भेहाड़ा-बसई सड़क से आमजन को कारित परेशानी

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में 20 अगस्त, 2010 को अतिवृष्टि के कारण कालाभुजा बांध टूट गया था। इसके टूटने से 6.4 किलोमीटर सड़क, जो रजवाड़ों के समय की है, विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के हैडक्वार्टर से वाया ग्राम भेहाड़ा से ग्राम बसई से लगती हुई हरियाणा सीमा को जोड़ती है, तत्कालीन सरकार के जिला प्रभारी मंत्री मौके पर पहुंच कर निरीक्षण करके आयें और उस सड़क को बनाने हेतु बी ओ टी में सैंक्शन जारी की गई, लेकिन बी ओ टी के अन्तर्गत एक भी ठेकेदार वह सड़क बनाने हेतु नहीं आया क्योंकि यह क्षेत्र खनन क्षेत्र है और ठेकेदारों को यह आशंका रहती है कि खनन बंद होने पर उनकी लागत वसूल नहीं हो पायेगी। यहां अवैध खनन भी होता है जिससे आसपास की सड़कों की हालत भी जर्जर है। मेरा कहना यह है कि निवर्तमान सरकार की मंशा अगर इस सड़क को बनाने की होती तो किसी अन्य मद से इसका निर्माण करवा सकती थी, मगर नहीं करवाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2010 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई इस सड़क को, जो कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम भेहाड़ा से ग्राम बसई तक की 6.4 किलोमीटर की है, का निर्माण जन हित में शीघ्र ही किसी अन्य मद से करवायें।

श्री अध्यक्ष: श्री मास्टर मामन सिंह यादव।

उद्योगों में भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नहीं किया जाना

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौपानकी व टपूकड़ा में काफी संख्या में उद्योग एवं औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं जिनमें हजारों की संख्या में कार्मिक कार्य करते हैं, परन्तु औद्योगिक कम्पनियां रोजगार कार्यालय भिवाड़ी में खुला होते हुए भी उसके तहत भर्ती नहीं करती हैं, बल्कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में स्वयं के द्वारा खोले हुए प्लेसमेंट के तहत भर्ती करती हैं। यू पी, बिहार, झारखण्ड, बंगाल व अन्य प्रदेशों के कार्मिकों की अपनी मनमर्जी से भर्ती करती हैं, जबकि स्थानीय/क्षेत्रीय योग्यताधारी युवकों को स्थानीय कह कर, धक्का देकर एवं दुर्व्यवहार के साथ गेट से बाहर कर दिया जाता है। इससे स्थानीय काबिल योग्यताधारी युवक बेरोजगार रह जाते हैं और उनके मन में कुंठा रहती है एवं द्वेष व्याप्त रहता है।

हमारे क्षेत्र की भूमि उद्योगपतियों हेतु कौड़ियों के भाव में अवाप्त कर ली और क्षेत्रीय एवं स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं मिलने से किसान व बेरोजगार युवक अपने आपको असहाय, ठगे-सा महसूस कर मायूस हो रहे हैं। यह समस्या तिजारा विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं, बल्कि अलवर जिले के बहरोड़, किशनगढ़, नीमराणा व पूरे राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों की है।

अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि उद्योगों से सम्बन्धित अधिकारियों को पाबन्द कर निर्देशित किया जाये कि स्थानीय रोजगार कार्यालय से ही कार्मिकों की योग्यतानुसार भर्ती की जाये ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार, मान-सम्मान एवं स्वाभिमान मिल सके तथा योग्यतानुसार बेराजगार युवकों को रोजगार मिल सके।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, 295 में पढ़ ही सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष: आपका समाप्त हो गया।

श्री किशनाराम।

श्रीडूंगरगढ़ में समर्थन मूल्य तंत्र के तहत मूंगफली तुलाई की शिथिल गति व खरीद अवधि में वृद्धि

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): मेरे क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर में दस हजार से अधिक कृषि कुएं कार्यरत हैं। इस वर्तमान फसल में मूंगफली की पैदावार भरपूर हुई है। व्यापारियों द्वारा ली जाने वाली रेट काफी कम है, परन्तु समर्थन मूल्य पर खरीद चालू है जिसकी तुलाई की गति काफी धीमी है। आज तक 3 हजार के करीब किसान मूंगफली बेचने का इंतजार कर रहे हैं। कई किसानों को मजबूरन व्यापारियों को सस्ती दरों पर मूंगफली बेचनी पड़ रही है। इससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

'नाफेड' द्वारा 15 फरवरी, 2014 तक खरीद करने का लक्ष्य है, जो कि बहुत नजदीक है। जिस गति से खरीद हो रही है वह किसानों के लिए काफी कम समय होगा।

अत: मूंगफली खरीदने के लिए कम से कम 30 से अधिक कांटों द्वारा खरीद करें एवं 'नाफेड' से वार्ता कर इस खरीद की अंतिम तिथि 15 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च, 2014 तक चालू रखने का आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य: पढ़ा हुआ मान लो।

श्री अध्यक्ष: इतना ही दिया हुआ है इन्होंने। मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पढ़ लिया इन्होंने।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक तो नाम पुकारो, तो 'किशनाराम नाई' के नाम से पुकारा करो। पहले तो किशनाराम, फिर किशनाराम। 'किशनाराम नाई' के नाम से ही पुकारा करो।

श्री अध्यक्ष: वाह, नाई सरदार, जरूर बोलेंगे।

पर्ची के माध्यम से। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

एक माननीय सदस्य: मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: आपका भी है, मैं सुनूंगा, आपको भी अनुमति दूंगा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

परिणाम संशोधन के कारण चयन-च्युत परन्तु कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों का समायोजन

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आज पर्ची के माध्यम से सदन में एक ज्वलंत मुद्दा उठाना चाहता हूं। हमारे राजस्थान की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पूर्व सरकार ने 2012 में शिक्षकों की भर्ती की थी, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती; एक लाख 35 हजार से ज्यादा शिक्षकों को नौकरियां दीं, लेकिन शिक्षकों का 2012 भर्ती का जो परिणाम था वह संशोधित हुआ और परिणाम संशोधित होने के कारण से कुल 2,742 ऐसे तृतीय श्रेणी के शिक्षक उस परिणाम के कारण से बाहर हो गये। लेकिन वे 12 महीने से अधिक समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड के अध्यापक लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सरकार के ध्यान में यह बात आयी तो पूर्व सरकार ने निर्णय लिया और 6 सितम्बर, 2013 को एक आदेश जारी किया और आदेश जारी करके उन थर्ड ग्रेड के 2,742 शिक्षकों को जो 2013 की भर्ती है, उससे पहले जो विज्ञापन में रिक्त पद हैं, उनके विरुद्ध समायोजन करके उसके बाद कार्यवाही करने का किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदन की नेता ने काफी बढ़-चढ़कर कहा था कि हम 15 लाख को नौकरी देंगे; माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनायी कि हम 60 दिन की कार्ययोजना बना रहे हैं; 29.12.2013 को माननीय मंत्री महोदय का एक स्टेटमेंट भी आया, हम सबकी जानकारी में है, उन्होंने कहा कि हम 60 दिन की जो कार्ययोजना बना रहे हैं उसमें एक लाख व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देंगे; मैं समझता हूं, 2,742 शिक्षक हैं, उन्होंने तीन दिन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेर रखा है, धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन की चेतावनी भी उन्होंने दे रखी है। एक तरफ तो कार्ययोजना का पुलिंदा जो सरकार द्वारा दिया गया, उसमें एक शब्द भी एक शिक्षक को नौकरी देने का, एक बेरोजगार को नौकरी देने का पंचायत राज की तरफ से नहीं दिया गया और दूसरी तरफ, वे व्यक्ति जो 12 महीने से नौकरी कर रहे हैं, उनको वापस सरकार नहीं ले रही है, उनके समायोजन करने के आदेश होने के बावजूद भी उसकी पालना नहीं कर रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन शिक्षकों का समायोजन करें और समायोजन करने के साथ-साथ जो शेष पद रिक्त हैं, विद्यालयों में, उनकी भर्ती का काम यथाशीघ्र करें।

आपने कार्ययोजना में तो नहीं लिया, लेकिन आपका खुद का स्टेटमेंट है 29.12.2013 का कि हम शीघ्र 60 दिन की कार्ययोजना में एक लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे, वह तो नहीं की लेकिन आज जो रोजगार में हैं, जो सरकारी अध्यापक हैं और पूर्ववर्ती सरकार ने उनके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लिए आदेश जारी कर दिये, केवल मात्र आपको, आदेशों की पालना कराने से ही, 2,742 शिक्षक हैं, उनका क्रेडिट चला जाएगा।

इसलिए, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे शिक्षकों को, आपका भी काम हो जाएगा, आपके कार्यालय को घेर रखा है तीन दिन से, धरना खतम हो जाएगा और जब सरकार के आदेश हैं, या तो सरकार उन आदेशों को निरस्त करे। जो आदेश 6.09.2013 के हैं, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि इनको 2013 की जो भर्ती निकाल रखी है, उसके अगेंस्ट में समायोजित किया जाएगा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, 60 दिन की बात करते हो, 60 महीने में कुछ नहीं किया आपने।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने भी नहीं किया था, तभी तो 2008 में हम आये थे।

श्री हीरालाल (निवाई): 60 महीने में क्या किया?

श्री अध्यक्ष: निवाई से आने वाले माननीय विधायक, काहे को उलझ रहे हो? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): आप भाषण दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने कर दिया, उसको तो ठीक कर लो। हमने कर दिया, उस आदेश की पालना तो करा दो 60 दिन में।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): इस तरह उत्तेजित क्यों होते हो?

श्री हीरालाल (निवाई): आप विराजो, आप सीनियर हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निवाई से आने वाले विधायक, आप इस तरह से बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): हम तो गये, आप इस तरह चलाओगे क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए ऐसे शिक्षक आज बहुत ही भयभीत हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया, पर्याप्त हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ध्यान क्या, पर्ची के माध्यम से 10 मिनट ही नहीं बोलने दोगे तो फिर क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: हो गया, बिलकुल ठीक हो गया। आपने सही बिन्दु, सही ढंग से ध्यान आकर्षित कर लिया, 2 मिनट में ही बोल लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। न 60 दिन की कार्ययोजना में नौकरी दे रहे हैं, न नौकरी जो दी हुई हैं, जो आदेश किये हुए हैं सरकार के, उनकी अनुपालना में एक आदेश निकालना है; कह रहे हैं हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो कोर्ट ने भी कह दिया कि आप चाहो जो निर्णय कर लो, आप निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। तो एक सेकण्ड का निर्णय लेना है। वे बेरोजगार हो जाएंगे।

कल खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शादियां टूट जाएंगी, न जाने क्या-क्या हो जाएगा। तो ऐसी नौबत क्यों आने दे रहे हो? ये तो अपने आपको पारदर्शी, सुराज और पता नहीं, कौन-कौनसी सरकार बता रहे हैं, तो इनको खुद के कार्यालय सुरक्षित करने चाहिए पहले, उसके बाद में दूसरी बात आएगी। (व्यवधान)

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को फरमाएं जिससे उन शिक्षकों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है वह दूर हो सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप रेस्पोंस करेंगे? माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, उस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। इसमें दो प्रकरण चल रहे हैं। एक तो जो परीक्षा का परिणाम बदलने के कारण से 17 महीने पहले 2,742 विद्यार्थियों को अध्यापक के रूप में लगा दिया। बाद में जो मेरिट बनी, उसके आधार पर उनसे ऊपर 8,800 बच्चे होते हैं और उसी के आधार पर ये जो 2,742 बच्चे हैं, ये नौकरियों से बाहर होते हैं। लेकिन अभी कोर्ट ने इस पर स्थगन भी दे दिया कि जब तक आगे का कोई निर्णय नहीं होता है, तब तक ये 2,742 जो बच्चे हैं, ये भी सेवारत रहेंगे। तब तक हमारी जो कमेटी बैठी है, जो स्टेट के बारे में और इस समस्या के बारे में जो विचार कर रही है, वह जब अपना फैसला देगी, उसके आधार पर इस पर निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

राष्ट्रीय राजमार्गों के परिवर्तन/परिवर्धन में स्थानीय कठिनाइयों का समाधान

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 14

(श्री मदन राठौड़)

और 65 को फोर-लेन में तब्दील किया जा रहा है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है, सड़क बन रही है। मैं यह भी जानता हूं कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का काम है, नेशनल हाई-वे अथोरिटी आफ इण्डिया का, लेकिन सड़क बन जाने के बाद वहां कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस मार्ग में जो कमियां आ रही हैं, जो जन-अभाव हैं, जनता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, आम समस्याओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसकी ओर भी राजस्थान सरकार हस्तक्षेप करके और एन एच ए आई के पास में, इसको पत्र भी लिखे और समाधान भी करवाये।

अध्यक्ष महोदय, गांव की आबादी एक तरफ है सड़क के और उनके खेत सड़क के दूसरी ओर हैं; मवेशियों का नियमित रूप से आवागमन होता रहेगा, कहीं कोई चारा लेकर आएंगे। तो उनके लिए अंडरपास बनवाना बहुत जरूरी था, जिसका ध्यान नहीं रखा गया है। कई स्थानों पर उत्तर की तरफ से पानी आता है बहकर के और दक्षिण दिशा में पानी जाता है, यह नेचुरल फ्लो है, अध्यक्ष महोदय, और उसकी बराबर निकासी के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। कई, यानी पांच साल पहले जो ब्रिजेज छोटे-छोटे थे, उन सबको जोड़ कर एक बना दिया और एक स्थान से वह पानी यदि बहुतायत से निकलेगा तो वह आगे के किसानों के खेत को काटेगा। अध्यक्ष महोदय, तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से यह हस्तक्षेप करवाना चाहूंगा।

उसके लिए भी, अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि उनको डबल रोड पहले से ही मिली हुई है, नेशनल हाई-वे अथोरिटी ने, यह जो जिन्होंने टोल लिया है, यह जो ठेका जिसने लिया है, जैसे एल एण्ड टी ने ठेका लिया, एल एण्ड टी ने नई सड़क बनाने का ठेका लिया, लेकिन उनको डबल रोड का तो फाउण्डेशन मिला हुआ है, तैयार भरा-भराया फाउण्डेशन मिला हुआ है, जिसमें कुटाई, कंक्रीट, डामर तक तैयार मिला है। तो यह तो उनको अतिरिक्त लाभ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां से रामदेवरा पैदल यात्री जाते हैं, हमारे यहां से अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह से भी पैदल यात्री जाते हैं, उनके लिए एक अलग से ट्रैक दिलवाने की व्यवस्था करवानी चाहिए, ताकि, जब उनको अतिरिक्त लाभ हो रहा है और वे जब यह लाभ ले रहे हैं तो फिर इसका जनता को लाभ क्यों नहीं मिले?

दूसरी तरफ, मैं यह भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जैसे

(श्री मदन राठौड़)

अभी भी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी कि जो जिस जिले के रजिस्टर्ड वाहन हैं, उस जिले में निकलने वाले फोर-लेन में कई जिले और केन्द्र हैं, तो कई बार आना पड़ेगा, आम नागरिकों को कई बार आना पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा और वे यदि नियमित रूप से दिन में दो बार, एक बार आएंगे और वे टोल चुकाते रहेंगे, यह तो ठीक नहीं है। मैं सोचता हूं कि यह उनके साथ अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए जिन जिलों से वहां जो फोर-लेन निकल रहा है, उस जिले के रजिस्टर्ड वाहनों को कम से कम टोल-फ्री करवाने का, यह पत्र भी राजस्थान सरकार एन एच ए आई को लिखे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पाली बाई-पास, जो जोधपुर से सुमेरपुर की तरफ सड़क जा रही है, उसमें एन एच 65 पर वह बाई-पास बना रहे हैं। उस पूरे बाई-पास में एक भी जगह पुल नहीं बनाया। अब यह आश्चर्य की बात है, जहां पर रूपावास, भांवरी होते हुए आहोर-जालोर तक का मार्ग है और वहां नियमित रूप से, प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में वाहन जाते रहते हैं, अब उनको यदि पुल नहीं देंगे तो आए-दिन दुर्घटनाएं होती रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता हूं कि जैसे यह हेमावास वाला क्षेत्र है, इसी प्रकार से मंडली, यानी कई गांव हैं, तो निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा, एक तो आप कोई स्वतंत्र इंजीनियर से सर्वे करवा दें तो स्वतंत्र इंजीनियर सर्वे करेगा, न तो वह एल एण्ड टी का पक्ष रखेगा और न और किसी का पक्ष रखेगा। एक स्वतंत्र इंजीनियर से आप सर्वे करवा दें, प्राधिकरण के अधिकारी को साथ में लगा दें और भी जहां-जहां जन-समस्या जो बताई जाएं, उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, कम से कम खर्चे में कैसे उनको राहत दी जा सकती हैं...।

अध्यक्ष महोदय, ये एक तो टोल वसूली भी करेंगे, उसकी ये टोल वसूली भी कर रहे हैं, तो ठीक है, 10-15 दिन और मिल जाएंगे; एक दिन में ही इनको 90 लाख रुपये केवल एन एच-14 से मिलने वाले हैं, केवल वह जो ब्यावर से लेकर पिंडवाड़ा तक सड़क बनेगी, उसमें एक दिन में इनको 90 लाख रुपये मिलने वाले हैं और एक पुल बनाने में लगभग 40 लाख रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह निवेदन मैं आपसे चाहूंगा। दूसरा, पाली बाई-पास पर भी जो रूपावास मार्ग है, वहां पर पुल बनाना बहुत आवश्यक है।

मैं सोचता हूं कि ये दोनों निवेदन मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से

(श्री मदन राठौड़)

करूंगा कि इनके लिए समाधान करने का प्रयास करें। क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों को सुनना चाहिए, पूर्व सरकार ने परवाह नहीं की; अध्यक्ष महोदय, वहां उन्होंने, जन-प्रतिनिधियों ने भी लिखा, हमने भी लिखा, हम जन-प्रतिनिधि उस समय नहीं थे, पूर्व विधायक थे, हमने भी कई बार आग्रह किया लेकिन उन्होंने बिलकुल परवाह नहीं की। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से तो निवेदन करूंगा कि आप इसमें समाधान करवाने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी रेस्पोंड करेंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा, इनको जल्दी है तो ये बोल लें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बोलिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। साहब, अगर इनको जल्दी है तो ये बोल लें, क्योंकि ये बहुत सारी समस्याएं लेकर आते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बोलिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सारा बोझ अपने पर लेकर घूमते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह पूरी जनता का बोझ अकेले ही लेकर के घूम रहे हैं, इसलिए इनको जल्दी है। मैं बैठ जाता हूं, ये बोल लें पहले।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):: नहीं, नहीं, मंत्री महोदय, आप जवाब दें, प्लीज।

श्री हीरालाल (निवाई): अपने आप में ही समस्या हैं ये तो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, यह सही है कि यह जो फोर-लेन बन रही है, यह हमने अप्रैल, 2011 में ही एन एच ए आई को सुपुर्द कर दी थी और उस समय से ही इसका काम

(श्री युनुस खान)

चल रहा है। आपने जो समस्या उठाई है और यह कहा कि भाई, यह सुराज है, इसलिए जन-प्रतिनिधियों को सुनना चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि एन एच ए आई के अधिकारी, हमारे पी डब्ल्यू डी के अधिकारी और कन्सेशनर जो हैं इस रोड के, इन तीनों को बिठा कर के, वहां के, उस जिले के जितने जन-प्रतिनिधि हैं, उनको बिठा कर के मीटिंग करूंगा और जनता से जुड़ी हुई जो समस्या है, उसके समाधान के लिए यह सरकार जो रास्ता निकल सकता है, वह निकालने का प्रयास करेगी।

दूसरी बात आपने कही कि एक स्वतंत्र इंजीनियर से सर्वे करवा लें, तो मैं आज यहां घोषणा कर रहा हूं कि एक स्वतंत्र इंजीनियर हम लगवा करके और उसका सर्वे करवा करके, सात दिन के अन्दर रिपोर्ट मंगवा करके और माननीय सदस्य के साथ बैठ कर के और उनसे चर्चा कर लेंगे और उन्होंने जिन-जिन बातों पर आज चर्चा की है, जब इनके साथ बैठेंगे तो उनका समाधान निकालेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, बहुत-बहुत।

श्री हनुमान बेनीवाल।

विदेशी पर्यटकों के साथ राज्य में घट रही आपराधिक घटनाएं

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सदन का ध्यान विदेशी सैलानियों की बढ़ती समस्याओं और विदेशी सैलालियों पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, हत्याओं जैसी घटनाओं की ओर दिलाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जयपुर के अन्दर फ्रांस के एक सैलानी का अपहरण कर लिया गया और जयपुर कमिश्नरेट को पांच दिन तक पता नहीं लगा। फ्रांस के दूतावास ने जब जयपुर कमिश्नरेट को सूचित किया, तब आनन-फानन के अन्दर पुलिस सक्रिय हुई और उस फ्रांसिसी सैलानी को लपकों के चंगुल से छुड़ाया।

जयपुर में एक ऐसा गिरोह बना रखा है, लपकों का, जो गिरोह विदेशी सैलानियों से पहले बातचीत करता है, फिर उनको राजा-महाराजाओं के टाइम की ज्वेलरी का सामान दिखा कर और बाद में पार्सल में कांच के टुकड़े पैक करवा करके भेज देते हैं और इस तरह लाखों की ठगी कर लेते हैं।

प्रदेश में आये-दिन विदेशियों पर बढ़ते अत्याचार की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं और दिनों-दिन विदेशी पर्यटकों की आवक राजस्थान में कम होने

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लग गई। इस सरकार बनने के बाद 16 जनवरी को मेरे विधान सभा क्षेत्र के +++ होटल के अन्दर एनीरोबीन नाम की आस्ट्रेलियन युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। 16 तारीख को खींवसर थाने के अन्दर मर्ग संख्या 2 दर्ज हुई और पांच दिन बाद मेडिकल बोर्ड से जोधपुर के महात्मा गांधी हास्पिटल के अन्दर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन अभी तक उस विदेशी आस्ट्रेलियन महिला की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। मरने वाली विदेशी थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक होटल में हुई और वह होटल प्रदेश के +++ का होटल है। +++ होटल के अन्दर उसकी मौत हुई है। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना 60 दिन में हो नहीं सकती। एक तरफ तो देश की सरकार सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध परिस्थितियों में....

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत आरोप है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): व्यक्तिगत आरोप नहीं है। उस होटल के मालिक वे खुद हैं। किस बात का व्यक्तिगत आरोप है? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बेवजह सारे घटनाक्रम को घुमाते हैं। ये बेवजह के व्यक्तिगत आरोप लगाकर मंत्री जी...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक तरफ तो सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में स्पेशल टीम बनाकर दिल्ली सरकार कार्यवाही कर रही है, तो इस मामले में भी....

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): +++ पर इन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया है। इसको कार्यवाही से निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान की सरकार को बड़ा मन दिखाते हुए, स्पेशल टीम से इस मामले की जांच करायी जानी चाहिए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह मौत कोई आकस्मिक मौत नहीं है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पर्ची किसकी दी है आपने, बोलना क्या चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : ये विषय पर बोलेंगे तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: होटल के मालिक का नाम ड्राप कर दिया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री को बचाये जाने का प्रयास राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा लेकिन उस +++ का मालिक कौन है, यह आप बताओ। आप हो क्या मालिक?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ओमजी बता रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जो मालिक होगा, उसी का नाम आयेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको पूछने का अधिकार नहीं है कि कौन है मालिक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मुझे अधिकार है, मैं चुनकर आया हूं वहां से।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आगे आप अपनी बात कहिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और सुनो, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नम्बर पर थी मेरे सामने। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नियम के अन्तर्गत नोटिस दीजिये। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): +++ के मालिक आप खुद हो। आप ही मालिक हैं +++ के।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप लाये थे न नरेन्द्र मोदी को, कि मुझे हराना है, हरा दिया क्या? आ गया न जीतकर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं? कहां बीच में आ गये नरेन्द्र मोदी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस मामले की एस.आई.टी., स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने और जिस तरह से सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में हिन्दुस्तान की सरकार जांच करा रही है, वैसे जांच करायें। इस तरीके से, अगर आप सुशासन की और संवेदनशीलता की बात करते हैं तो आपकी संवेदनशीलता की सबसे ज्यादा अगर किसी ने तकलीफ सही है तो मेरे इलाके के किसानों ने सही है। आज भी दो हजार लोग धरने पर बैठे हैं और आप लोगों ने बात तक नहीं की है, और विधायक खुद बीस दिन तक धरने पर बैठा रहा है। आपकी कौनसी संवेदनशीलता है? आप कहते हो कि बदले की भावना से कार्यवाही नहीं करेंगे,

(श्री हनुमान बेनीवाल)
पर वह कार्यवाही आप कुछ लोगों के खिलाफ नहीं करोगे लेकिन हमारे खिलाफ आप बदले की भावना से कार्यवाही कर रहे हो। आप साफ-साफ इन मंत्रीजी को बचाने में लगे हैं जो बहुत ज्यादा सरकार में नजदीक हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आपने इनको बोलने की अनुमति दी, उस विषय पर ये बोलें। यह क्या मतलब है? हम इनका भाषण सुनने के लिए आये हैं क्या यहां? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विदेशी सैलानी ठहरे हैं... (व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर यहां बोलना चाहते हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन इनकी जलन निकालने का मंच थोड़े ही है। (व्यवधान) खुद तो एक आरोप भी सहन नहीं करते हैं। आप व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत जलन..... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): (व्यवधान) ये +++ करते हैं। सुशील शर्मा जो युवक कांग्रेस का महासचिव था, उसने दिल्ली में तंदूर में भून दिया था, और बड़े आदर्श की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): ये विषय से बाहर जा रहे हैं, इनको रोकिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उत्तेजना देने वाली भाषा का प्रयास नहीं करें, अपने विषय पर बोलें। इधर-उधर के विषय लाकर के आप यहां नहीं बोलें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा, अध्यक्षजी, आपसे इतना ही निवेदन है कि इस पूरे मामले की....

श्री हीरालाल (निवाई): तंदूर में भून दिया था, वह कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव था।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा हाई-प्रोफाइल है। इन्होंने सुनन्दा पुष्कर का भी हवाला डाला है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलते भी हाई-प्रोफाइल हैं पर कभी-कभी इधर-उधर हो जाते हैं तो हमको बरदाश्त कर लेना चाहिए। आप विराजिये। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सुनन्दा पुष्कर के प्रकरण में किस ढंग से जांच कराई जा रही है, उसी तरह... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, ये लोग ज्यादा उत्तेजना में नहीं आयें। ये जब विपक्ष में थे तो यही काम करते थे। मैं देखता था कि रोज यहां कूदकर, भाग-भाग कर वेल में आ जाते थे, छोटी-छोटी बातों के लिए।

श्री अध्यक्ष: आप समाप्त कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसकी पूरी जांच का मंत्रीजी आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ध्यान में आ गया, सारे सदन के ध्यान में आ गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस पूरे मामले में जो मैंने बताया, उसमें अगर मैं गलत हूं तो मेरी सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हूं और अभी इसी वक्त सदस्यता छोड़ता हूं। आप जांच करा लें। (व्यवधान) ऐसे ही छोड़ दो। आपके कहने से छोड़ देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: ध्यान में आ गया। सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप जांच करवा लें, साहब।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप छोड़ रहे हैं सदस्यता? माननीय सदस्य, आज ही छोड़िये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी से जवाब तो दिलवा दो, साहब। अध्यक्ष महोदय, आज आपने सबके सवालों के जवाब दिलवाये हैं, तो मेरे लिए भी बुलवा दो-मिनट।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप मंत्री हो क्या? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य ने आज तक +++ के विरुद्ध बोलने के सिवाय कोई काम इस सदन में किया है क्या? कुछ भी नहीं किया और हमेशा यही बोलते रहते हैं और केवल एक ही विषय है। इनको थोड़ा विषय पर आने दें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप टिकट से जीते हो। बिना टिकट नहीं जीत सकते आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय विधायक। सुमेरपुर से आने वाले माननीय विधायक, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से वे मामले, जो त्वरित मामले हैं, जिनको सरकार के नालेज में लाने की आप छूट देते हैं...

श्री अध्यक्ष: वह आ गया।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह का लम्बा-चौड़ा भाषण देना, इसमें ऐसा क्या मामला है जो ये सरकार के नोटिस में लाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त हो गया उनका।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): वह फोर्ट किसका है और किसका होटल है...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह +++ का होटल है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इसके लिए माननीय सदस्य को प्रश्न लाना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, जिसमें सारे जवाब आते। (व्यवधान) अभी तो इनको कोई ऐसा लोक महत्व का मामला है, तो वो ही उठाने का अधिकार है। इसलिए इनको मत करिये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विदेशी महिला का मामला है, अध्यक्ष महोदय। अब इस तरह की घटनाएं होने लग गईं तो प्रदेश में विदेशी पर्यटक आने बन्द हो जाएंगे। कोई विदेशी पर्यटक यहां नहीं आयेगा, आप बैठे रहना। (व्यवधान) कैसे विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा दोगे, यह अभिभाषण में लिखा तो नहीं आपने। लम्बा-चौड़ा दे दिया आपने।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। अब विराजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप जवाब तो दिलवा दो, साहब। अध्यक्ष महोदय, आपसे ही तो हमारे हितों को संरक्षण मिलता है।

शीतलहर से हाड़ौती सम्भाग में फसलों को कारित क्षति का मुआवजा

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान....

श्री अध्यक्ष: जहाजपुर से आने वाले विधायक, आपको भी समय दूंगा, आप विराजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): एक गम्भीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कोटा सम्भाग में, हाड़ौती में शीतलहर और बरसात से प्राकृतिक आपदा का कहर धनिये की फसल पर जो बरपा है, लाखों बीघा में धनिये की फसल चौपट हो गई, किसान तबाह हो गया।

अध्यक्ष महोदय, पूरे देश का 75 प्रतिशत धनिया हाड़ौती में पैदा होता है और इस बार लगभग एक लाख 28 हजार हेक्टेयर में धनिये की फसल बोई गई। पूरे हाड़ौती में, कोटा में 35,165 हेक्टेयर, बारां में 35,530 हेक्टेयर, झालावाड़ में 52,400 हेक्टेयर और बूंदी में 5,000 हेक्टेयर धनिये की फसल बोयी गयी। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जिस तरह की शीतलहर चली, बरसात हुई, नमी के कारण धनिये की फसल में लोंग्या रोग लगा और लगभग 35 हजार हेक्टेयर में धनिये की फसल पूरे हाड़ौती में चौपट हो गई। धनिये में जो फल के फूल, वे वो गिर गये और डण्ठल रह गये। किसान के अरमान चकनाचूर होकर खेतों में बिखर गये।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सर्वे के निर्देश दिये, माननीय कृषि मंत्रीजी ने निर्देश दिये और प्रारम्भ में उसमें लगभग दस हजार हेक्टेयर में खराबा पाया गया, लेकिन लगातार जब देखा गया पूरे सम्भाग में तो 35 हजार हेक्टेयर में खराबा पाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कीटनाशक दवाइयां जो अनुदान पर मिलनी चाहिए, वे कीटनाशक दवाइयां किसानों को अनुदान पर नहीं मिलीं और जो कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि बाजार से कीटनाशक दवाइयां खरीदकर छिड़की जाएं ताकि फसल को बचा लिया जाए, लेकिन बाजार में दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाईं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा, यह राज्य सरकार के रामावतार शर्मा, संयुक्त निदेशक का बयान है कि कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिले में 35 हजार हेक्टेयर धनिये की फसल में खराबा हुआ है। बूंदी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सर्वे रिपोर्ट 24 जनवरी को राज्य सरकार को भेज दी गई थी। कृषि मंत्री ने विभाग के पर्यवेक्षकों व राजस्व विभाग के पटवारियों के साथ संयुक्त सर्वे करने के निर्देश दिये हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। उनको बोलने दीजिये, हस्तक्षेप मत कीजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मुझे तो बोल लेने दो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): प्रताप सिंहजी, विराजो, बोलने दो उनको।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): धनिये की पूरी की पूरी फसल, हण्ड्रेड परसेंट खराब हो गई है। उसका मुआवजा जितना जल्दी किसानों को मिल सकता है, वह मिलना चाहिए और उसका सर्वे तुरन्त करवाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक बोल रहे हैं, उसके बाद आप भी...। अभी विराजिये आप।

(13.00 बजे)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, धनिये का औसत उत्पादन प्रति बीघा तीन क्विंटल का उत्पादन होता है, इस हिसाब से 6.54 लाख क्विंटल धनिये का उत्पादन है और धनिये का औसत भाव रु. 4,500/- प्रति क्विंटल है, इस हिसाब से 2,943 करोड़ रुपये की धनिये की फसल हाड़ौती में तबाह हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि सरकार ने सर्वे के निर्देश दिये हैं, मंत्रीजी ने दिये हैं लेकिन सर्वे की गति बहुत धीमी है। अभी तक सर्वे सम्भाग में नहीं हुआ है और हालत यह हो गई है कि किसान धनिये की खड़ी फसल को हांकने के लिए तैयार हो गया और हांक रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है। पूरे हाड़ौती में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि आरबू का धनिया बिखर गया है, किसान तबाह हो गया है।

इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे तेजी से करवायें और सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाये और किसानों को मुआवजा देकर कहीं न कहीं जो किसान तबाह हुआ है, उसको राहत दी जाये। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि किसान जो तबाह हुआ है, उसको राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और कोई बोलता है तो आप उसमें रेस्पोंड करवाते ही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये भी इनके अंग रहे हुए हैं, इनका भी जवाब दिलवा दो। ये भी बी जे पी में रहे हुए हैं, पुराने दोस्त हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकार से मेरा जवाब तो दिलवाओ, साहब। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। पूरा राजस्थान देख रहा है। सरकार की संवेदनशीलता क्या है? एक मंत्री के होटल में विदेशी पर्यटक मारे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जाएं, इसकी आप कोई जांच भी नहीं करें। और इसको आप कागजों में दफन करना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सरकार पर निर्भर है। माननीय विधायक...(व्यवधान) खींवसर से आने वाले माननीय विधायक, मैं आपका ध्यान नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार स्वेच्छा से रेस्पोंड करना चाहे तो कर सकती है, आसन सरकार को मजबूर नहीं कर सकता कि वह जवाब दें। आप दे रहे हैं?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही थी कि आप ध्यान रखोगे। 26 दिन तक जिन किसानों का धरना रहा है, उन किसानों की समस्या भवानी सिंहजी ने उठाई; किसानों का मामला है, वहां धरने पर बैठे हैं तो सरकार को कुछ तो रेस्पोंड करना चाहिए, इनके मामले में भी।

श्री अध्यक्ष: कृषि मंत्रीजी खड़े हैं, रेस्पोंड कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कृषि मंत्रीजी फिर जवाब दें, नागौर का मामला है।

श्री अध्यक्ष: वे रेस्पोंड कर रहे हैं, आप विराजिये। वे रेस्पोंड कर रहे हैं, आप विराजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित किया है, भवानी सिंहजी ने बहुत अच्छा मामला उठाया है, वे रेस्पोंड कर रहे हैं। (व्यवधान) इन्होंने, भवानी सिंह जी ने जो उठाया है, किसानों को राहत मिलनी चाहिए, तुरन्त मिलनी चाहिए...

श्री अध्यक्ष: लालसोट से आने वाले विधायक, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, कृषि मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ...लेकिन नागौर का किसान धरने पर 26 दिन से बैठा है, इस सरकार में 26 दिन से कलेक्टरेट पर धरने पर बैठा है, उसका तो कुछ सरकार जवाब दे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हां, कृषि मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

निश्चित रूप से पिछले सप्ताह कोटा सम्भाग और राजस्थान में बेमौसम बारिश हुई है और तापमान में गिरावट होने से, कोटा सम्भाग में लगभग 1.28 लाख हेक्टेयर में जो धनिये की फसल बोई गई है, प्राथमिक सर्वे जो कराया गया है, उसमें लगभग 33,000 हेक्टेयर भूमि लोंगिया रोग से प्रभावित होना पाया गया है और जहां तापमान में गिरावट हुई है, उससे भी फसलों का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, आपके माध्यम से, कोटा में 11,910 हेक्टेयर में धनिये की फसल को नुकसान हुआ है, बारां में 13,000 और झालावाड़ में 8,000 और बून्दी में कम नुकसान हुआ।

मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मौसम के बदलाव को देखते हुए, नुकसान का आकलन करने के लिए आदेश दिये थे और मुझे भी कहा गया था कि मैं भी मौके पर जाकर फसलों का निरीक्षण करूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा अधिकारियों के साथ में, राजस्व के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ में मौका निरीक्षण किया गया है। मौका निरीक्षण पर पाया गया है कि सांगोद में 3,850 हेक्टेयर में लगभग 80 प्रतिशत खराबा हुआ है, कनवास में 3,007 में लगभग 78 प्रतिशत और रामगंजमण्डी में लगभग 75 प्रतिशत खराबा अभी प्राथमिक रिपोर्ट में आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, सरकार के द्वारा 12.50 लाख रुपये फंगसनाशक दवाई, कार्बेनिज्म के लिए इनको पैसा दिया गया है, जो को-आपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि जो फसलें अभी तक छोटी फसलें थीं, उनमें नुकसान कम हुआ है, तो उनको दवाई उपलब्ध करवाई जाकर उनकी रोकथाम की जा रही है। फफूंदीनाशक दवा है, उसको हम उपलब्ध करवा रहे हैं।

मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा, खड़ी फसल हाई ह्यूमेडिटी और लो टेम्प्रेचर के कारण से जो नुकसान होगा, कोटा सम्भाग में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मौसम-आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जो भी नोर्म्स में सर्वे में रिपोर्ट आयेगी या प्राकृतिक आपदा मद से 50 प्रतिशत से अधिक खराबा लघु सीमान्त कृषक और अन्य कृषकों का होगा, उनके मुआवजे की प्रक्रिया के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के

(श्री प्रभू लाल सैनी)

निर्देश पर पूरे राजस्थान में जहां भी, चाहे जोधपुर, जैसलमेर में चाहे अरंडी की फसल को नुकसान हुआ है या अन्य जिलों में जहां सरसों की फसल को भी नुकसान हुआ है, पूरे राजस्थान में संयुक्त सर्वे के लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं और 15 दिन में पूरे राजस्थान में सर्वे करवा लिया जायेगा और जितने भी किसानों को नुकसान होगा और जो नोर्म्स में आएंगे, उनको समय पर मुआवजा उपलब्ध करवाया जायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मैं जहाजपुर के माननीय विधायक को अंतिम वक्ता के रूप में समय दूंगा। अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और ले लेते हैं, आप विराजिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। लूणकरणसर से आने वाले माननीय विधायक, तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न अब तो, अब आ जायेगा। अब समय हो गया। शून्य काल समाप्त हो गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ गया।

श्री अध्यक्ष: नहीं हुआ, शून्य काल के आखिरी वक्ता के रूप में वे जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो पहले फिर ये नहीं आयेंगे, वे आयेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, हो जायेगा। यह शून्य काल ही चल रहा है, बैठो आप।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज में अनधिकृत रूप से काबिज रहे प्राचार्य

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय के समक्ष अत्यधिक गम्भीर सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर निम्न आधारों पर राज्य सरकार द्वारा तुरन्त हस्तक्षेप करने के लिए यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

प्राचार्य, इंजीनियरिंग कालेज, बीकानेर, डाक्टर रणजीत सिंह का नियुक्ति पत्र दिनांक 12.5.2011 को जारी किया गया और दो दिन बाद उन्होंने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अपना पद तारीख 14.5.2011 को ग्रहण किया। प्राचार्य, इंजीनियरिंग कालेज, बीकानेर, डाक्टर रणजीत सिंह ने 14 दिन बाद अपना त्यागपत्र नोटिस दिनांक 28.5.2011 को राज्य सरकार को दिया जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। उक्त त्यागपत्र तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी ने स्वीकार किया और उक्त त्यागपत्र के सन्दर्भ में माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा ने दिनांक 13.6.2011 को बीकानेर के दोनों इंजीनियरिंग कालेजों में प्राचार्य के रिक्त पदों का चार्ज डिविजनल कमिशनर को दिये जाने के आदेश दिये।

डाक्टर रणजीत सिंह ने त्यागपत्र देने के बाद तत्काल इंडियन सोसायटी फार टेक्निकल एजुकेशन, दिल्ली में पदभार ग्रहण कर लिया। इंडियन सोसायटी फार टेक्निकल एजुकेशन ने सूचना के अधिकार के तहत सूचित किया है कि प्रोफेसर रणजीत सिंह उक्त संस्थान में कार्यकारी सचिव और प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। जुलाई-अगस्त, 2011, सितम्बर, 2011 में मात्र चार दिन बाहर थे और वह भी इंडियन सोसायटी फार टेक्निकल एजुकेशन के कार्य निर्णयों में विभिन्न स्थानों पर गये थे। इंडियन सोसायटी फार टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली ने प्रोफेसर रणजीत सिंह की अक्टूबर, 2011 की पे-स्लिप की कापी सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित की है, जिसमें उनका वेतन बढ़ा है, रुपये 1.17 लाख व कुल कटौतियां रुपये 41,461/- दर्शाते हुए नेट वेतन रुपये 76,434/- का चुकारा दिखाया गया है। स्पष्ट है कि प्रोफेसर रणजीत सिंह इंडियन सोसायटी फार टेक्निकल एजुकेशन की सेवा में जुलाई, 2011 से कार्यरत हो गये।

विभाग द्वारा प्राचार्य का पद खाली मानते हुए विज्ञापन क्रमांक फलां-फलां दिनांक 17.11.2011 व 29.3.2012 के द्वारा जारी किये गये थे। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उक्त विज्ञापनों पर तकनीकी शिक्षा विभाग ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की लेकिन डाक्टर रणजीत सिंह यादव ने बिना किसी सक्षम आदेश के दिनांक 27.2.2012 से प्राचार्य पद ग्रहण कर लिया तथा दिनांक 27.2.2012 से पूर्ण वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने लग गये।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्य सरकार ने प्राचार्य का पद खाली मानते हुए जब दिनांक 17.11.2011 को पहला विज्ञापन व दूसरा विज्ञापन दिनांक 29.3.2012 को जारी किया, तो डाक्टर रणजीत सिंह यादव द्वारा स्वयंभू तरीके से, बिना किसी सक्षम आदेश के दिनांक 27.2.2012 को प्राचार्य का पद

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ग्रहण कैसे कर लिया गया? और राज्य सरकार के तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा विभाग में मंत्री व तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव के उपस्थित रहते हुए, लोकतांत्रिक व प्रशासनिक मर्यादाओं व मान्यताओं को धता बताते हुए, प्राचार्य के पद को गैर-कानूनी तरीके से कैसे हस्तगत कर लिया? जो प्रथम दृष्टया राज्य सरकार के तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव की मिलावट के बिना सम्भव ही नहीं माना जा सकता। उक्त निष्कर्ष की पुष्टि माननीय मंत्रीजी, तत्कालीन मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 21.2.2013 से वित्त विभाग के माध्यम से करवाई गई विशेष जांच, जिसका विशेष जांच प्रतिवेदन आपको मई, 2013 में प्राप्त हो चुका है, से भी स्पष्ट रूप से होती है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब आ जाने दीजिये, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि डाक्टर रणजीत सिंह यादव के विरुद्ध वित्त विभाग से आये हुए विशेष जांच प्रतिवेदन संख्या 8/13-14, जो आठ माह से लम्बित है, को मद्देनजर रखते हुए, उनके द्वारा दिये हुए इस्तीफे को ध्यान में रखते हुए व इस्तीफे के ठीक बाद दिल्ली के इंडियन सोसाइटी फार टेक्निकल एजुकेशन संस्थान में सेवारत रहने के आधार पर व उनकी नई नियुक्ति के आदेश के अभाव में उनके द्वारा प्राचार्य पद को गैरकानूनी रूप से हस्तगत करने के कारण, तत्काल सक्षम आदेश जारी कर उन्हें पद से पदच्युत कर, प्राचार्य पद पर नई भर्ती के आदेश जारी करने की कृपा करें और प्राचार्य का चार्ज किसी सक्षम व्यक्ति को तत्काल सुपुर्द करने की मेरी मांग है। धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने गम्भीर अनियमितता की ओर जो ध्यान आकर्षित किया है, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके ध्यान आकर्षित करने के बाद, डाक्टर रणजीत सिंह यादव, प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर, जिनके पास कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, बीकानेर के प्राचार्य के पद का भी अतिरिक्त कार्य भार था, को विभाग के आदेश दिनांक 25.1.2014 के द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उसके क्रम में, डाक्टर एस.के. बंसल,

(श्री कालीचरण सराफ)

एसोसिएट प्रोफेसर, कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, बीकानेर ने प्राचार्य, कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, बीकानेर का कार्यभार दिनांक 25.1.2014 को ग्रहण कर लिया है एवं डाक्टर एच.पी. व्यास, कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर का कार्यभार दिनांक 27.1.2014 को ग्रहण कर लिया है।

आपने सी.एस. के द्वारा जो वित्त विभाग से जांच करवाने की बात कही, इसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वह विशेष जांच प्रतिवेदन मंगवा कर उस पर एक महीने के अन्दर-अन्दर हम कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैच फिक्स था यह तो। अध्यक्ष महोदय, मैच फिक्स था।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैच फिक्स था; आप गड़बड़ करोगे, अनियमितताएं करोगे, उनको हम सुधारेंगे नहीं? मैच फिक्स था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आर्डर पहले जारी कर दिये और इनसे उठवा लिया। वाह, साहब; वाह, साहब। सरकार, सुराज है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): गड़बड़ तो आपने की थी। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह गड़बड़ आपके द्वारा हुई है, आपके द्वारा। आपने ही किया है मैच फिक्स, आपने। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): उसके ऊपर हमने कार्यवाही कर दी है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उस समय विधान सभा में हमने मुद्दा भी उठाया था। यह है सुराज।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि प्रोफेसर रणजीत सिंह ने अपनी नियुक्ति के कार्यकाल में करीब 40-42 गैरकानूनी, असंवैधानिक नियुक्तियां बिना वित्त विभाग से परमिशन लिये, बिना राज्य सरकार के आदेश के जो की हैं, उसी सम्बन्ध में विशेष जांच प्रतिवेदन आपके पास आठ माह से लम्बित है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): वह मैंने बताया न, उसको जांच प्रतिवेदन का अध्ययन करके एक महीने के अन्दर-अन्दर, यदि उन्होंने गलत नियुक्तियां की हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: हो गया। हो गया, माननीय विधायक। वह बता देंगे आपका।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्य की, इस ध्यान आकर्षण के माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद दे दीजिये आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जो कार्य किये जाने चाहिए थे, वे कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक ने...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, 27 दिन से मेरे वहां पर किसान धरने पर बैठा हुआ है, नागौर कलेक्टरेट पर, सरकार अगर मदद नहीं करना चाहती, सरकार किसानों की मांगें नहीं मानना चाहती तो हमें 'ना' दे दे कि भई, हम नहीं करेंगे किसानों की मदद और दूसरा...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। देखिये, यह विषय आप बार-बार उठा रहे हैं। अभी यह उठा दिया, मैंने आपको इजाजत दी, यह सरकार के ध्यान में आ गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जो विदेशी महिला खींवसर किले के अन्दर मरी है, उसकी जांच, अध्यक्ष महोदय, कराने के आदेश इनको दें।

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड पर नहीं जायेगा। माननीय विधायक जो भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय विधायक, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: यहां पर लोगों को सम्बोधित करने का कायदा है, यहां पर

(श्री अध्यक्ष)

विधायकों को, सदन को सम्बोधित करने का कायदा है, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। (व्यवधान) स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक ने दो मिनट की अनुमति चाही है, मैं आपको इजाजत देता हूं।

सूचना

जहाजपुर के मंदिर में चोरी व चरागाह में अवैध खनन

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): महामना अध्यक्ष का बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद।

मैं जहाजपुर की दो समस्याओं पर, जिनमें से एक के ऊपर आंदोलन चल रहा है और दूसरी के ऊपर जनाक्रोश भड़कने वाला है, उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षण, सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। विगत दिनों राजस्थान में धार्मिक स्थलों में चोरियों की परम्परा बढ़ी है, जिसके अन्दर भीलवाड़ा जिले में आठ-दस चोरियां विगत दिनों के अन्दर धार्मिक मंदिरों के अन्दर हो चुकी हैं। खासकर के, जहाजपुर के अन्दर 16 दिसम्बर को नरसिंहद्वारा मंदिर के अन्दर जो चोरी हुई, उससे जनता ने उग्र होकर आंदोलन किया और 5 जनवरी को पूरा जहाजपुर स्वेच्छिक रूप से बंद रहा। इसी के साथ, जहाजपुर विधान सभा की तहसील कोटड़ी के देवतलाई गांव के अन्दर भी मंदिर में चोरी होने के कारण लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया है। इन दोनों चोरियों के नहीं खुलने से, जो जनता ने समय सीमा दे रखी थी, बंद के बाद में, वह समय सीमा पूरी हो चुकी है। नरसिंहद्वारा मंदिर की चोरी के नहीं खुलने से लोगों में भयंकर रोष है और जहाजपुर के अन्दर बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है।

इसी के द्वारा, जहाजपुर तहसील के अन्दर ही यू एम डी ए द्वारा, गोलछा ग्रुप की जो सोप-स्टोन्स की माइन्स है, उस माइन्स के द्वारा, सरकार की नहीं, ये जो खनन अधिकारी हैं, इन खनन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण चरागाह के ऊपर मलबे के पहाड़ खड़े कर दिये गये हैं। और तो और, बनास नदी के पेटे पर मलबे का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है कि नदी की धारा बदलने की स्थिति आ गई है।

(श्री धीरज गुर्जर)

मैं ध्यान सदन का चाहता हूं, सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह जो माइनिंग की जा रही है गोलछा माइंस की, और इसका जो चरागाह के अन्दर अवैध खनन किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष: आप ध्यान आकर्षित कर चुके, विराजिये। ध्यान आकर्षित हो गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अब बहस प्रारम्भ होगी। मैं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी से निवेदन करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं व्यवस्था का प्रश्न, अब अनुमति चाहता हूं, साहब, आपकी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस गरिमामय सदन की यह परम्परा रही है कि सत्रकाल के दौरान कोई भी माननीय मंत्री बाहर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेगा, कोई जानकारी नहीं देगा। अभी....

श्री अध्यक्ष: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): व्यवस्था का है।

श्री अध्यक्ष: आप बोल लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने, 23 तारीख को सवाल लगा था शिक्षा के सम्बन्ध में कि किस प्रकार से आप व्यवस्था करेंगे थर्ड ग्रेड की, टेट को रखेंगे कि आर.पी.एस.सी. से करायेंगे, काहे से करायेंगे; इन्होंने कहा, अभी नीतिगत निर्णय है, हमारा चल रहा है। 60 दिन की कार्य योजना में किया। लेकिन 25 तारीख को यहां सरकारी, सार्वजनिक समारोह में, ला कालेज में और राजस्थान कालेज में इन्होंने वहां वक्तव्य दिया है, वाइस रिकार्ड है मेरे पास में कि हम आर.पी.एस.सी. से एग्जाम कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड में। यह सभी माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार हनन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के मंत्रियों को, शिक्षा मंत्रीजी को तो प्रताड़ित करें ही करें, लेकिन शेष मंत्रियों को भी यह हिदायत दें कि कोई भी निर्णय...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): किस बात के लिए प्रताडि़त करें?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नीतिगत निर्णय जब सदन चल रहा है तो बाहर नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप कौनसी व्यवस्था पर बोल रहे हैं?... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस नीतिगत निर्णय को यहां सदन में नहीं कहा। सदन में इन्होंने यह कहा...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कि इस मामले में निर्णय नहीं हुआ है और वहां बाहर जाकर के इन्होंने वक्तव्य दिया है और सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार हनन किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप उठा ही नहीं सकते हाउस में। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन का विशेषाधिकार है... (व्यवधान) मैं मांग करता हूं...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): कोई प्रताड़ित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको प्रताड़ित किया जाय और भविष्य में कोई भी मंत्री, कोई भी मंत्री, शिक्षा मंत्रीजी को तो प्रताड़ित करें ही....(व्यवधान) शिक्षा मंत्रीजी को तो प्रताड़ित कीजिए, अध्यक्ष महोदय, सदन जब चल रहा हो तो बाहर घोषणा नहीं ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को प्रताड़ित कीजिए कि वे समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आपको, अलग से नियमों में प्रावधान हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं यह निर्णय देता हूं, और किसी प्रक्रिया से यह विषय उठाया जा सकता है, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप शांत रहें, आप भी शांत रहें।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बोलना प्रारम्भ करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...(व्यवधान) समय बरबाद करना है और कुछ नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको प्रताड़ित तो करें, साहब। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...(व्यवधान) समय बरबाद हो रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको प्रताड़ित करना चाहिए। आपको नियमों का पता नहीं है, आप गैर-नियमानुसार आ रहे हैं, इसलिए आपको प्रताड़ित करना चाहिए। आप नियम नहीं जानते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय तिवाड़ी साहब अगर कह देंगे, नहीं उठा सकते हैं, तो नहीं उठाएंगे। यह इनसे पूछो। ये शिक्षा मंत्री रहे हैं, माननीय तिवाड़ी साहब, अगर ये कह देंगे, नहीं उठा सकते, तो नहीं उठाएंगे। माननीय तिवाड़ी साहब शिक्षा मंत्री रहे हैं, यह नीतिगत निर्णय नहीं है तो बता दीजिए आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं जानते हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न आप जानते ही नहीं हैं, क्या होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, यह पूरे सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनको प्रताड़ित किया जाए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये माननीय सदस्य बार-बार समय नष्ट करते हैं ...(व्यवधान) समय बरबाद करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। एक वरिष्ठ विधायक अपने विचार रख रहे हैं, कृपया शांत रहिए आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं अध्यक्ष की अनुमति से बोला हूं। ऐसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, ज्यादा विद्वता बताने की जरूरत नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से खड़ा हुआ हूं और मेरी बात रखी है।

श्री अध्यक्ष: अब आप शांत रहिए। आप शांत रहिए।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो 23 जनवरी, 2014 को अभिभाषण दिया और उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव, राज्यपाल महोदय के लिए, राजपालजी ने पेश किया, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दो अभिभाषण हैं राज्यपाल के, एक अभिभाषण है 21 फरवरी, 2013 का और एक अभिभाषण है 23 जनवरी, 2014 का। अभिभाषण देने वाला एक ही आदमी है; कागज का रंग भी सफेद है; काले अक्षरों से, स्याही से इसमें लिखा हुआ है; लेकिन दोनों अभिभाषणों में बड़ा फर्क है। इस विषय पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आऊंगा।

मैं, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप इस पवित्र सदन, इस सदन ने, जिसने बहुत, नये आने वाले माननीय सदस्यों को बताऊंगा कि राजस्थान के इतिहास में ही नहीं, हिन्दुस्तान के इतिहास में इस सदन ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस सदन के 14वें में हमको आने का मौका मिला है, यह हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य में, अध्यक्ष महोदय, आप इसके अध्यक्ष बने, यह भी हमारा सौभाग्य है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कई बार यह बात आई कि आप अनुसूचित जाति से पैदा हुए हो और यहां पर विराजमान हैं। मैं मानता हूं कि यह ईश्वर की मर्जी है कि कौनसी जाति में कोई पैदा होता है, लेकिन यहां तक पहुंचने का जो आपका सफर है, वह केवल इस कारण से नहीं है कि केवल आप अनुसूचित जाति में पैदा हुए हों। आपका सफर बहुत लम्बा है और सफर में आप अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर यहां तक पहुंचे हों। यह हमारा सौभाग्य है। 1975 से लेकर 1977 तक आप आपातकाल में जेल में रहे। वहां से आपके संघर्ष की शुरुआत हुई है। फिर आप लोक सभा में, विधान सभा में, भिन्न-भिन्न विभागों में, भिन्न-भिन्न मंत्रियों के पद पर जिस प्रकार से आपने काम किया और उस परिणामस्वरूप आज यहां पर पहुंचे, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

उस समय मेरी एक गलती हो गई थी; उस समय जब आप जेल में थे, हम भी जेल में थे, गुलाबजी भी जेल में थे, आप और भाभड़ा साहब ने, दोनों ने दाढ़ी रखी और हमने दाढ़ी नहीं रखी, तो जिस-जिस ने दाढ़ी रखी, वह विधान सभा का अध्यक्ष बन गया।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने ऐसी गलती क्यों की?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह भी बताऊंगा अभी। तो, अध्यक्ष महोदय, आप यहां पर आये। आपने उस समय, बहुत से लोगों ने उस समय क्षमा मांगी, बहुत से लोगों ने उस समय, लेकिन आपका जो संघर्ष था उस समय का, जितनी जेलों में आपको स्थानान्तरित किया गया, उस समय आपने जो वाक्य कहा था, वह वाक्य आपके लिए कहता हूं, ''उसूलों पर जो आंच आए, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है'', वह आपने किया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा फिर हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम इस विधान सभा के सदस्य बनकर आये हैं। इस विधान सभा ने ऐसे-ऐसे काम किए राजस्थान के संसदीय और हिन्दुस्तान के संसदीय इतिहास में, जो हमेशा याद रखे जाएंगे और हम सब विधायकों को उन पर गर्व करना चाहिए। राजस्थान की विधान सभा पहली विधान सभा है जिसने हिन्दुस्तान में सबसे पहले स्वर्गीय श्री मोहन लालजी सुखाड़िया के नेतृत्व में गो-हत्या बंदी का कानून पास किया। हिन्दुस्तान में और किसी विधान सभा ने सबसे पहले नहीं किया। गो-हत्या बंदी की मांग हमारी थी; तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री मोहनलालजी सुखाड़िया थे, उन्होंने इसको पास किया; और स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत जब अध्यक्ष बने थे, तो उसमें सम्पूर्ण गो-वंश की हत्या पर प्रतिबंध का विधेयक इसी सदन में पारित किया था।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण इस विधान सभा का है, जो हिन्दुस्तान के इतिहास में जानकारी में रहेगा, कि भूमि सुधारों का जो कानून, जागीरदारी समाप्त करने का जो कानून सबसे पहले राजस्थान की विधान सभा ने पारित किया यहां पर और उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी थी, उससे पहले जन संघ। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, वह केवल राजनीतिक आधार पर काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जब जागीरदारी उन्मूलन का बिल आया, उस समय भारतीय जनसंघ के 11 एम एल ए सदन में थे, वे 11 के 11 राजपूत थे, जागीरदार थे। जागीरदारी उन्मूलन का जो बिल आया तो स्वर्गीय डा. श्यामा प्रसादजी मुखर्जी, जो जन संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने दिल्ली में घोषणा की कि हम जागीरदारी उन्मूलन के समर्थन में हैं। जब यह बात यहां पर आई, जन संघ की मीटिंग में, तो अधिकांश जो लोग

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समर्थक थे, जो समाज से जीत कर आये थे, जागीरदार वर्ग से थे, उन्होंने कहा कि हम तो जागीरदारी रखने के लिए आये हैं; उन्होंने कहा, नहीं, हम जागीरदारी उन्मूलन नहीं करना चाहते हैं और नौ लोगों ने कहा कि हम तो, अगर जन संघ जागीरदारी का समर्थन करेगा तो हम उसके खिलाफ चले जाएंगे। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहां पर आये, चौपड़ पर आम सभा की और आम सभा करके उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया। केवल स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत और जगत सिंहजी झाला, दो लोग बचे जिन्होंने विधान सभा में जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में वोट दिया। छह महीने तक लगातार, स्वर्गीय श्री भैरोंसिहजी शेखावत के घर पर, उन्हीं की जाति बिरादरी के लोगों ने, भू-स्वामी संघ के नाम से आंदोलन करके, रोज छह महीने तक उनका पुतला जलाया लेकिन वे जागीरदारी उन्मूलन के पक्ष में रहे। इस प्रकार के वृहद इतिहास के साथ, उस पृष्ठभूमि में हम यहां तक आये हैं।

इसलिए माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जब हम बात करें, यहां पर, तो हम केवल अपनी बात नहीं करें, हम केवल हमारी राजनीति की बात नहीं करें; कई बार हमको ऊपर उठकर भी, समाज के लिए, वर्ग के लिए काम करना पड़ता है और उसके उदाहरण हम वहां से देते आ रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी ने पार्टी की विचारधारा को कहा है, मैं घनश्यामजी से यह पूछना चाहता हूं कि उसके बाद, जितनी अनुशासनहीनता फैलाने वाले लोग हैं, जो ट्रैजरी बेंचेज पर मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कभी कार्यवाही करने की हिम्मत दिखाओगे?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): विचारधारा तो आपको भी ऐसी ही बताई थी, पर आप हैं न, चले गये।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कालू लालजी, मैं जवाब दे दूंगा। कुछ अंश तक तो किरोड़ी लालजी ने दिखाई है, आगे भी थोड़ी, आपका सहयोग रहेगा तो ठीक रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर यहां पर दो-तीन प्रश्न और उठे, अभी राज्यपाल के अभिभाषण के समय। वह प्रश्न यह उठा कि राज्यपाल महोदया आईं, आकर उन्होंने हिन्दी में भाषण पढ़ा। उसके पहले माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य ने एक प्रश्न उठाना चाहा। यह प्रश्न यहां से पैदा नहीं हुआ,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह प्रश्न पिछली बार 2013 में वे भाषण देने आई थीं, तब मैंने प्रश्न उठाया था और उसको उठाने का एक कारण है। इस पृष्ठभूमि को अगर हम समझ लेंगे, माननीय सदस्य, तो हमको पता लग जाएगा कि अध्यक्ष इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं।

यहां प्रश्न उठा था कि अध्यक्ष महोदय और सदन इस बात का फैसला करें कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कैसे हो, कैसे नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें अपना फैसला करने का अधिकार है ही नहीं। यहां परम्परा कहां से आई, यह हमने, संसदीय परम्परा का हमने इंग्लैंड से इसको लिया। पहले राजा सभासदों को बुलाकर वहां कहते थे कि आप इस सत्र में आये हो, आपको यह काम करना है। 1919 के इंडिया एक्ट के अन्तर्गत यह हमारे पास आया। 1935 में भी यह एक व्यवस्था रही और स्वतंत्रता के बाद, आर्टिकल 176, 174 के अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि वह काम करें। फिर इसमें पहला संशोधन हुआ। उस समय यह आप्शनल था कि जितनी बार सत्र होगा, उतनी बार आएंगे और उतनी बार बोल देंगे; बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे लेकिन 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें यह तय हुआ कि वर्ष के प्रारम्भ में अथवा चुनाव के बाद प्रथम सत्र में जब राज्यपाल आएंगे तो राज्यपाल अभिभाषण सदन में करेंगे।

उसके बाद, यह जो धन्यवाद प्रस्ताव है, वह किस बात का धन्यवाद प्रस्ताव है? राज्यपालजी आईं, राज्यपालजी चली गईं; गाड़ी में बैठ कर आयीं, गाड़ी में बैठ कर गयीं। सरकार की सुरक्षा में आईं, सरकार का बनाया हुआ भाषण पढ़ा, इस बात के लिए किस बात का धन्यवाद? यह धन्यवाद नहीं है, यह सरकार के प्रति विश्वास का प्रस्ताव है। सरकार ने जो बातें कही हैं, उन बातों के साथ सदन खड़ा है, इसके लिए हम प्रतीक के रूप में राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रेषित करते हैं और वहां से वह आता है। इसलिए सरकार का अभिकथन है। अगर यह सरकार का अभिकथन नहीं होता, अध्यक्ष महोदय, और अगर यह राज्यपाल महोदय के प्रति धन्यवाद होता, व्यक्तिगत रूप से, तो इसके दो अंश पढ़ता हूं मैं, आप देखिये, इन्हीं राज्यपाल महोदया ने इस बार कहा है, ''विगत पांच वर्षों में राजस्थान के माथे पर पिछड़ेपन व बीमारू होने का कलंक लगा तथा लम्बी-चौड़ी वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणाओं के उपरांत भी जो उपलब्धि प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई, जिससे राजस्थान पिछड़ कर बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया। यह हमारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए चिन्ता और चुनौती का विषय है।'' यह राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण में कहा और इन्हीं राज्यपाल महोदय ने 91 पैरा पर 21 फरवरी, 2013 को कहा, ''इस प्रकार राजस्थान में विकास और नवनिर्माण का नया दौर चल रहा है। राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किये गये अधिकांश वादों को पूरा किया है और जो बाकी हैं उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील है।''

हम सबको सोचना है कि राज्यपाल की व्यवस्था क्या है? एक साल पहले राज्यपाल महोदया आकर यह भाषण पढ़ती हैं और एक साल बाद में राज्यपाल महोदया आकर यह भाषण पढ़ती हैं। तो इसलिए यह तय किया गया कि यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है, वह सरकार का अभिकथन है। यह राज्य सरकार अपने मंत्रिमंडल में पास करके इसको भेजती है और वह राज्यपाल महोदया पढ़ती हैं। इसलिए यहां पर उस लैंग्वेज में पढ़ा जाएगा जिस लैंग्वेज में राज्य के मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास करके गवर्नर को भेजा है। राज्यपाल महोदया उसको ट्रांसलेट करके, उसकी कापी करके, ट्रांसलेशन करके इस सदन में नहीं दे सकते।

इसलिए हमने कहा था राज्यपाल महोदय को एक साल पहले कि हिन्दी में भाषण पढ़ना पड़ेगा और मैंने यह भी कहा था कि भाषण राज्य मंत्रिमंडल तो अंग्रेजी में लिख नहीं सकता है क्योंकि गहलोत साहब और घनश्याम तिवाड़ी को इतनी अंग्रेजी आती ही नहीं है, हमारे में तो ऐसी अंग्रेजी हमारे सर के ऊपर से ही निकल जाती है। इसलिए मंत्रिमंडल ने अंग्रेजी में पास नहीं किया और गहलोत साहब ने कह दिया कि हमने तो मंत्रिमंडल में पास नहीं किया था। मैंने मलिंगा साहब को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं। तो इसलिए हमने उठाया था। इसलिए, इसके बाद में यह प्रश्न उठाना, जो संसदीय कार्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा कि यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय, वह भी उचित है और वह काम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में केवल एक दिन ही आप अध्यक्षता नहीं करते हैं। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जिस दिन राज्यपाल महोदय आते हैं न, उस दिन सदन के अध्यक्ष आप नहीं होते हैं। केवल आपको तो उनके पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वे तो वैसे भी बैठना नहीं चाह रहे थे, मजबूरी में बैठ रहे हैं। अब क्या करें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, वे खदानों के बोझ से दबे हुए नहीं थे। अब कितनी खदान खोदते? ये तो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं।

मैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में दो उदाहरण देना चाहूंगा। एक उदाहरण तो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, श्री प्रद्युम्न सिंहजी को ध्यान होगा कि 1966 में राजस्थान की विधान सभा में राज्यपाल महोदय आये थे। राज्यपाल महोदय को टोका गया तो उन्होंने एक माननीय सदस्य को बाहर निकाल दिया। फिर राज्यपाल महोदय को टोका गया तो दूसरे को बाहर निकाल दिया। 12 माननीय सदस्यों को एक-एक कर के राज्यपाल महोदय ने बाहर निकाल दिया, उसके बाद अभिभाषण देकर चले गये। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि उस दिन राज्यपाल महोदय ही अध्यक्ष हैं, इसलिए वे जो कार्यवाही करते हैं वह सही है। न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अध्यक्ष भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

अगर कर सकता होता तो एक 1967 का उदाहरण है और आज भी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में वह अंकित है, उसे आप देखें। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उप-राष्ट्रपति भी बने, मजदूर नेता थे, पहलवान भी थे, तो 1967 में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भाषण देने के लिए आए और, चूंकि राजपाल सिंहजी ने प्रस्ताव पेश किया है और राज्यपाल आये हैं, तो उस समय भी एक राजपाल नाम के माननीय सदस्य थे, उन्होंने प्रश्न उठाया और प्रश्न उठा कर कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय आप हिन्दी में बोलें; तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं तो हिन्दी जानता ही नहीं; तो आप तेलुगू में बोले; तो वे बोलें कि तेलुगू में आप लोग नहीं समझोगे, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा; तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में बोलोगे तो हम नहीं सुनेंगे; उन्होंने विरोध किया; विरोध किया तो वराहगिरी वेंकटगिरीजी ने कहा, वह शब्द मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि वह शब्द ऐसे के ऐसे अभी उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही में अंकित हैं, उन्होंने कहा कि यदि आप गुंडे हो, राज्यपाल ने, तो मैं आपसे बड़ा गुंडा हूं, मैं आपको बाहर निकालने के लिए मार्शल को बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। इस पर सारे सदस्य चुप हो गये, बातचीत हो गई और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो गया। उसके बाद प्रश्न उठा कि इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए, तो उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही से नहीं निकलेगा, अध्यक्ष की व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आता है। अगर इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कभी कोई अध्यक्ष पूरे के पूरे अभिभाषण को उस दिन की कार्यवाही से निकाल देगा। इसलिए वह सदन की कार्यवाही का अंग बना हुआ है।

इसलिए राज्यपाल महोदय यहां आकर जो कुछ बोल गये, सदन में रख गये, वह सदन के पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गया, यह हमको मान कर चलना चाहिए और राज्यपाल महोदय के बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा था, व्यवस्था का प्रश्न उठा था कि कैसे बोलें, कैसे आयें, कैसे जाएं, उसकी व्यवस्था करने का अधिकार हमको प्राप्त नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये माननीय सदस्य अभी यहां कह रहे थे कि साहब, बार-बार आप ये गर्व नहीं करें कि आप 163 जीत कर आये हैं, मैं कहता हूं कि बिलकुल नहीं करना चाहिए। मुझे वह दिन याद है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय आज जहां माननीय प्रद्युम्न सिंहजी बैठे हैं, किरोड़ी लालजी बैठे हैं, वहां मैं और श्रीमान् गुलाब चन्दजी कटारिया बैठे थे। मेरा यह सौभाग्य है कि पहले मैं जहां राजेन्द्र सिंहजी बैठते हैं, वहां बैठ कर बोला करता था; फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं किरोड़ी लालजी की जगह बैठ कर बोला करता था और अब मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां खड़ा-खड़ा बोल रहा हूं। मैंने तीनों अनुभव एक साथ ले लिये। गुलाबजी, आप इस अनुभव से वंचित रह गये हों। गुलाबजी इस अनुभव से वंचित रह गये, मुझे इस बात का दु:ख है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी ये तो बतायें, गंगाजी का लौटा उठा था साथ रहने के लिए, तो गड़बड़ कहां हो गयी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय बहुत गाली सुनी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बातें कहीं, उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वे बातें सुनने में अच्छी भी नहीं लगतीं। बहुत प्रकार के चार्जेज लगाये थे, हम सुनते रहे, हमने कहा कि आपके पास राज है, आप कार्यवाही करें; क्यों चार्ज लगा रहे हो? मैंने उस समय चार लाइन पढ़ी थीं, वे लाइनें मैं फिर पढ़ देना चाहता हूं, वे हम सब जन-प्रतिनिधियों के लिए जरूरी हैं, मैंने उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहा था –

'बलि विक्रम वेणु दधीचि गयो और जिन पारथ ने महाभारत ठानी।

बालि गये बरु राम हने जिनकी कखरी दस सीस समाना।।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गये दुर्योधन जंग जुरे जिन, चौंसठि कोस को छत्र विताना।

धरा को प्रमाण यही तुलसी कि फरा सो झरा और बरा सो बुताना।।'

हमने कहा था कि बड़े से बड़ा आदमी अगर अहम में आ गया है तो तुलसीदासजी ने कहा है कि धरा का प्रमाण यही है कि जो फला सो नीचे जो बरा सो बुताई, इसलिए घमंड करने का कोई कारण नहीं। मैं आपको पुरानी याद दिला रहा हूं ...(व्यवधान) सार-सार को ग्रहण कर लो, जिसको करना है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो विधान सभा है, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि इसका जो स्वरूप है, वह 1952 से नहीं है; यह हमारा स्वरूप बना 1 नवम्बर, 1956 को। 7 बार में हमारे राजस्थान का यह स्वरूप बन कर आया। 22 देशी रियासतें, जो अलग-अलग राज्यों की मिलकर थीं, थोड़ा-थोड़ा विलय होकर के 1 नवम्बर, 1956 को यह हमारा स्वरूप आया। उस समय 160 हम मेम्बर हुआ करते थे, आज 200 मेम्बर हम इस विधान सभा के हैं।

अब यह राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, जिसके पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूं, अध्यक्ष महोदय, यह कई प्रकार की बातों में विभक्त हो गया है। पहले तो सरकारें एक ही दल की बनती थीं, कांग्रेस पार्टी की केन्द्र में सरकार, कांग्रेस की राज्य में सरकार, राज्यपाल आते और सरकार की बड़ाई करते-करते चले जाते। सरकारों का बदलने का क्रम शुरू हुआ। सरकारों के बदलने में राज्य में दूसरी सरकार, केन्द्र में दूसरी सरकार, राज्यपाल तीसरी का, ये मिलकर आते रहे और आने के बाद में यह बात शुरू हो गई कि राज्य सरकार जो लिख कर भेजे, तो राज्य सरकार भारत सरकार के खिलाफ ही लिखने लग गई, पिछली सरकारों के खिलाफ ही लिखने लग गई और उसमें विसंगति पैदा हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि राज्यपाल जो चाहे वह पढ दें और जो उनकी इच्छा न हो वह पैरा छोड दें, लेकिन वह पढ़ा हुआ माना जायेगा, क्योंकि वह राज्य सरकार ने लिखा है।

लेकिन आज के दिन राज्यपाल की जो व्यवस्था है, इस पर हमको विचार करना पडेगा। चुनाव आयोग ने इतना बढ़िया काम किया, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक संवैधानिक संस्था का आदमी कोई बात कहे, तो विधान सभा में सोचने की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको राज्यपालों की इन समस्याओं पर विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने अभी कहा कि हम तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

धराशायी हो गये हैं, उसके कारण हैं। प्रजातंत्र में सरकारें आती-जाती रहती हैं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन तेरहवीं विधान सभा में जो कुछ हुआ, मैं समझता हूं कि राजस्थान की जो चौदह विधान सभाएं हुई हैं, बारह के बजाय तेरहवीं विधान सभा के जो कार्यकलाप हैं, वे हमारे लिये शोभादायक नहीं हैं। उन पर हमको विचार करना चाहिये। तेरहवीं विधान सभा में कुल 119 बैठकें हुईं; पांच वर्ष में, सिर्फ 119 बैठकें हुईं और, अध्यक्ष महोदय, 119 बैठकों में से 50 बैठकों में हंगामे के बीच सारा कार्यक्रम पारित हुआ। केवल 69 दिन राजस्थान की विधान सभा में बहस हुई इससे बड़ा गलत काम कभी नहीं हुआ। सिर्फ 69 दिन हम यहां बैठे। हम राजस्थान के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जीत कर आये हैं, हमारी बात रखना चाहते हैं और एक महीने में दो दिन भी हमारे पाती नहीं आये। 60 महीने और 69 दिन मीटिंग। और उसमें हमने काम क्या-क्या किया, हमने काम किया, 150 बिल पारित किये; 119 बैठकें और 150 बिल पारित; ढाई सौ से ज्यादा हमने डिमांड्स पारित कीं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है, हम वहां खड़े-खड़े बार-बार कहते रहे, 'ना पक्ष जीता', 'ना पक्ष जीता', 'हमको मत विभाजन चाहिये', लेकिन प्रजातंत्र के इतिहास में यह गलत और धब्बा लगाने की बात थी कि पांच साल में एक भी बार मत विभाजन के लिये हमको अवसर नहीं दिया गया और मत विभाजन की हमारी बात मानी नहीं गई।

यह जो सरकार पांच साल चली, यह बिना बहुमत के चली। यह फैसला हो चुका था कि जो दूसरे दल से जीत कर आते हैं, उनका प्रांत स्तर पर विलय नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है। मैं बोला यहां पर, लेकिन वह अगर मतदान की बात स्वीकार करते तो हम यहां खडे होकर कहते कि ये जो छह सदस्य हैं, वे वोट नहीं दे सकते, और उनके वोट पर बहस होती और वह सरकार गिर जाती। यह जो सरकार चली, वह मैंने कहा, वैधानिक ढंग से अवैधानिक सरकार राजस्थान में पांच साल तक चली और उसका परिणाम राजस्थान की जनता को भोगना पड़ा। इस सदन में किसी मूलभूत समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी, भारत सरकार ने कानून बना दिया, भारत सरकार ने कहा कि इसको लागू करें; यहां पर बिल पेश हो गया और बार-बार उसको प्रवर समिति को भेज दिया गया। एक भी नहीं बता सकते। माननीय सदस्य, मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूं, हम हृदय से विचार कर रहे हैं कि जीत के आने के बाद में राज्य की जनता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के मूलभूत अधिकारों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, उनकी मूलभूत समस्याओं के समाधान का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हम किस प्रकार उस काम को करके आएंगे? वह योजना ही नहीं की।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक काम किया, मैं कहना चाहता हूं, आप इस पर गम्भीरता से विचार करें, मंत्रिमण्डल ने आते ही पहले दिन एक प्रस्ताव पास किया कि मीसा, डी आई आर बंदियों को जो पेंशन दी गई है, उस पेंशन को बंद किया जाये, और वह विचाराधीन है। हमने 20 लाख लोगों को पेंशन दी लेकिन उन 400 लोगों की पेंशन को राजनीतिक विद्वेष के कारण से बंद किया गया। कहते हैं कि हम बदले की कार्यवाही नहीं कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी जगह से बोल कर कहा था, गुलाबजी को ध्यान होगा, कि पांच साल बाद हमारी सरकार आयेगी और सरकार आयेगी तो जिस दिन से हमने चालू किया था, उसी दिन से इनको सम्मान पेंशन देंगे और मैं मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको वापस किया। मीसा, डी आई आर बंदी कोई पेंशन के लिये लड़े थे क्या?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मीसा या डी आई आर का पैसा लेना या तनख्वाह लेना, घनश्यामजी, राष्ट्रभक्तों के लिये यह शोभा नहीं देता। मैं भी मीसा में रहा हूं, मैं भी मीसा का पैसा नहीं लेता हूं। यह मुद्दा जो आपने दुबारा रिइंस्टेट किया है, यह आप विचारधारा को खतम करने के लिये चले हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डाक्टर साहब, मैं अभी आपको बताता हूं, इसी बात पर आता हूं। यह मीसा और डी आई आर वाले पैसे के लिये अगर करते तो 35 साल बाद यह बिल नहीं आता। ये 1975 में गिरफ्तार किये गये थे। उस समय, अध्यक्ष महोदय, आपके काले बाल थे, अब सफेद हो गये हैं। हम सब मीसा, डी आई आर में रहे हैं लेकिन आज कई बार जब उनकी हालत देखते हैं, जिनकी मीसा, डी आई आर में जाने से नौकरियां चली गईं, जिनके घरों में इस प्रकार की बातचीत हो गई, आप तो एम पी हों, आप तो एम एल ए हों, आप क्यों लोगे? आपको तो बहुत पेंशन मिलेगी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग इस बात के लिये जेल में नहीं गये थे, उन्होंने इसकी डिमांड भी नहीं की लेकिन हमने सम्मान के रूप में उनको पेंशन देने की बात की थी। यह आजादी की दूसरी लड़ाई थी, इसको आप मना नहीं कर सकते। अगर ये लोग उस समय जेल में नहीं जाते, सत्याग्रह नहीं करते तो सारा देश

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो काल-कोठरी हो गया था। हम तो मार खा-खाकर जेलों में पड़े हुए थे। स्वयं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिये राष्ट्र से क्षमा-याचना की है। उसको यहां पर करने का कोई कारण नहीं था। यह एक मुद्दा था।

दूसरा और बताता हूं, अभी बार-बार ये रिफाइनरी और मेट्रो की चर्चा कर रहे थे और बी जे पी वाले बार-बार इन योजनाओं को 'दुबारा देखेंगे', 'दुबारा देखेंगे' कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि रिफाइनरी लगे, मेट्रो जयपुर के लिये लाभदायक है लेकिन इस रिफाइनरी के दो पैकेज हैं, पहला पैकेज हमारी सरकार के समय आया था, दूसरा पैकेज अब आया है। इस पैकेज में और उस पैकेज में बहुत बड़ा फर्क है। राज्य के हित को गिरवी रखकर रिफाइनरी नहीं लाई जा सकती। इसलिए हम चाहेंगे माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि जिस समय वे वित्त सचिव थे, वे आज मुख्य सचिव हैं और इस समय के जो वित्त सचिव और मुख्य सचिव थे, वे भी सर्विसेज में हैं, इसलिए सरकार को उनको बुलाकर यह पूछना चाहिए कि यह लाभदायक है कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, बीसलपुर का पानी जयपुर के लिए आ रहा था, श्रीमान् भैरोसिंहजी शेखावत उस समय मुख्य मंत्री थे, तो यह विवाद आया कि यह अलग से ईसरदा में बांध बनाकर पानी लाया जाए या बीसलपुर से पाइपलाइन से सीधा पानी लाया जाए। मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें चीफ इंजीनियर थे, तीन आदमियों की कमेटी बनाई; उनको कहा, आप इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो पहले तो उन्होंने बीसलपुर की पाइपलाइन से जयपुर में पानी आए, इसकी रिपोर्ट दे दी; रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि यहीं से पानी आना लाभदायक है; कम खर्चा होगा, पूरा पानी आएगा और इससे बढ़िया कोई साधन नहीं हो सकता। फिर उसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि दूसरा और देख लो, ईसरदा जा सकता है क्या? फिर उन्होंने ईसरदा से दिया। तो उन्हीं अधिकारियों ने दूसरी रिपोर्ट दे दी कि बीसलपुर से लाना ठीक नहीं है, ईसरदा से आएगा तो रेलवे लाइन के साथ-साथ आ जाएगा, सीधा आ जाएगा, पूरा बन जाएगा। दोनों रिपोर्ट आ गईं। वही अधिकारी सरकार की इच्छा पर एक वह रिपोर्ट दे देते हैं, वही अधिकारी सरकार की इच्छा पर दूसरी रिपोर्ट दे देते हैं। इसलिए सरकार की इच्छा के आधार पर काम होता है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि रिफाइनरी लगे लेकिन राजस्थान पर बिना मतलब का 15 बरस तक लगातार 3,400 करोड़ रुपये का भार है, वह नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लगे। आज तक किसी पर नहीं लगा, राजस्थान पर क्यों लगे? इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा सरकार सही कर रही है। अगर सरकार समीक्षा सही नहीं कर रही है और सरकारें समीक्षा नहीं कर सकतीं तो मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने 14 योजनाओं को बिना समीक्षा किए, एक दिन में बंद कर दिया था। आज भी करोड़ों रुपये महिलाओं का जो सशक्तिकरण का था, वह बैंकों में पड़ा हुआ है। क्यों किया ऐसा? गलत आदत डाली क्यों? भामाशाह योजना पड़ी है, और भी योजनाएं पड़ी हैं। 14 योजनाओं को बंद कर दिया। दो योजनाओं को तो इसलिए बंद कर दिया गया था कि एक में तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिखा हुआ था, एक में गुरु गोलवलकर का नाम लिखा हुआ था। योजनाएं बहुत बढ़िया थीं लेकिन बंद कर दिया उनको।

गुरु गोलवलकर वे थे जिनके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोक सभा में कहा, जब उनका देहांत हुआ तब, केवल लोक सभा के मेम्बर नहीं थे लेकिन उन्होंने राष्ट्र की सेवाएं की हैं, इसलिए उनको लोक सभा में श्रद्धांजलि दी गई। जयप्रकाश नारायणजी, महात्मा गांधीजी, श्री गोलवलकरजी, पांच-दस लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें लोक सभा के मेम्बर नहीं होने के बावजूद वहां श्रद्धांजलि दी गई।

दीनदयालजी उपाध्याय ने, चौधरी चरणसिंहजी ने, डा. राममनोहर लोहिया ने भारत की आजादी के बाद एक नया राजनीतिक चिंतन करके हजारों पालिटिकल कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया। उनके नाम को भी अगर पसंद नहीं करेंगे तो बात उचित नहीं होगी। उसके कारण से बंद कर दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय, ये जो परम्पराएं चालू हुई हैं, उन सारी परम्पराओं में यह मामला गड़बड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप कितना समय और लेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अभी थोड़ी देर में, मेन पर तो आ जाने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप लोग यह कह रहे हैं कि हम हार क्यों गए, यह मैं माननीय सदस्यों आपको कहना चाहता हूं...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जीते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये सब जीते हैं, आप भी जीते हों, मैं भी जीता हुआ हूं लेकिन अपन को पता है कौन हारा और कौन जीता। दो साल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में 16 राज्यों के चुनाव हुए हैं, दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, किरोड़ी लालजी, आपकी भी राष्ट्रीय पार्टी है, आपका सम्मान है लेकिन कांग्रेस और बी जे पी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 16 राज्यों में चुनाव हुए हैं...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरी पार्टी को, आपकी पार्टी को, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आप 163 पर पहुंच गए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतना पुराना सम्बन्ध है, इतना तो आप निभाओगे ही, हमको पता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 16 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें 1,974 सीटें, उनमें कांग्रेस पार्टी 530 सीटों पर सिमटकर रह गई, दुख की बात है। भारत में दो राष्ट्रीय दल हैं, अगर ये दल इस प्रकार सिमटेंगे, 500 पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी की 701 सीटें बढ़ीं, और अब उस आधार पर लोक सभा का चुनाव होना है। तो यह कांग्रेस पार्टी का जो संकुचन है, वह सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, वह हिन्दुस्तान भर में संकुचन है। इसलिए जो नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस-मुक्त भारत, यह उनकी आवाज नहीं है, वह हिन्दुस्तान की जनता की आवाज है, यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। (व्यवधान) रमेशजी, सुनते रहो। सुन लो भइया, प्रेम की बात है; हमने भी बहुत सुनी है वहां बैठ-बैठकर।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हम तो आपके पक्ष में कह रहे हैं। हम तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, मंत्री बनाने के लिए। हम आपका विरोध कहां कर रहे हैं? हम तो आपका पक्ष ही कर रहे हैं। गुलाबजी ही तो आपका साथ छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखिये, ऐसा है, मैंने जब मेरे कार्यालय का उद्घाटन किया था, चुनाव का, तब मैंने यह कहा था कि मैं मंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं एम एल ए बनने के लिए लड़ रहा हूं। लोगों ने मुझे बना दिया, 65,350 वोटों से। वह मैं बन गया। अब हमारी इच्छा यह नहीं है, मंत्री बनें, मुख्य मंत्री बनें; है सबकी, बन जाएं, लेकिन मेरा तो यह है:-

चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं।
चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं।
चाह नहीं सम्राटों के शव पर, हे हरि, डाला जाऊं।
चाह नहीं देवों के ही सर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक।

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी यह नहीं गाया करते थे, घनश्यामजी यह गाया करते थे, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिये आगे है बढ़ते जाना।

श्री अध्यक्ष: आप भी इसी से सम्मिलित रहे हैं। आप भी हैं सम्मिलित। आपने भी यह बहुत गाया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): याद तो सभी को है, स्वार्थ थोड़ा इधर -उधर कर देता है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि सरकार राजस्थान में हार क्यों गई? बहुत काम किए; राज्यपाल महोदय के 13 के भाषण के बाद इतने काम कर दिए, इतनी घोषणाएं कर दीं, इतना खर्च कर दिया कि हम 11 से निकलकर 16वें पायदान पर चले गए, इसकी चार ही बात बताकर मैं समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमने राजस्थान में प्रोब्लम्स क्रिएट कीं। शिक्षा के ढांचे को ध्वस्त किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से हमने एक लाख से अधिक नियुक्तियां कीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "This is the way it should be", हम यहां विरोध करते रहे और आप उस ढांचे को तोड़ते रहे। सारी की सारी नौकरियों को कोर्ट के जंजाल में फंसा दिया। तीन लाख, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी को ध्यान है, जब मैंने कहा था, मैं बीस हजार लोगों को नौकरी लगाऊंगा, आप उस विधान में थे, आपने कहा था कि आप नहीं लगा पाओगे; मैंने भी कोशिश की, सारे रास्ते निकाले, 700 से अधिक याचिकाओं का निस्तारण कराकर हमने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। उस नियुक्ति की परम्परा को ध्वस्त करके आज आपने सारी स्कूलों को खाली कर दिया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पन्द्रह लाख को नौकरी, बड़ा असत्य बोल दिया।

श्री अध्यक्ष: लालसोट से आने वाले विधायक, बार-बार हस्तक्षेप न करें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अब के तो बड़ा असत्य बोल दिया।

श्री अध्यक्ष: लालसोट से आने वाले माननीय विधायक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखिये, वह बोली है तो वह करेंगे। आज नहीं कह सकते ना।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 15 लाख का तो बड़ा असत्य बोल दिया, साहब।

श्री अध्यक्ष: आगे-आगे देखिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कहकर क्या गलती की? चपरासी की भर्ती, सचिवालय में 236 चपरासियों की भर्ती, ढाई लाख लोगों को चपरासी की भर्ती के इन्टरव्यू के लिए बुलाया, ढाई लाख लोगों को। आठ महीने तक ओ टी एस में आर ए एस अधिकारियों का कैम्प लगाकर चपरासी की नौकरी के लिए आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया और एक की भी नौकरी नहीं लगी। ढाई लाख लोगों को क्यों बरबाद किया, उन गरीब आदमियों को आपने?

(14.00 बजे)

यह पाप थे आपके, जिन पापों का असर आपके राज में पड़ा। आज यह सोचने की बात है कि हमने ढाई लाख लोगों को बुलाया; आज भी आ रहे हैं कई लोग, चपरासी के इंटरव्यू के लिए। यह हमने काम किया है।

नगरीय विकास के ढांचे को ध्वस्त किया है। अध्यक्ष महोदय, जितने सर्कुलर नगरीय विकास डिपार्टमेंट में हैं, जो बिल्डर आया, उसने सर्कुलर निकलवा लिया, जो बिल्डर आया, उसका सर्कुलर निकाल दिया। लोगों ने इसका नाम बदल दिया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या रखा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सर्कुलर डिपार्टमेंट।

फिर आप सब लोग जानते हैं कि पी.डबल्यू.डी. जो डिपार्टमेंट था, उसमें जो संस्थागत, ढांचागत भ्रष्टाचार पैदा किया गया, वह इसी सरकार के समय किया गया। इसलिए उन मंत्रीजी को सरकार को हटाना भी पड़ा।

ये कुछ बातें ऐसी हुईं, 'सुशासन' के नाम पर 'स्वशासन', यह 'सुराज' और 'सुराराज' और 'स्वशासन' और 'स्वराज' में फर्क है। एक भी मंत्रिमण्डल की मीटिंग एक घण्टे पहले नहीं हुई।

अभी जो नारे पर विवाद चल रहा है ना कि हम कह रहे हैं, मोदीजी का है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुलजी का है, 'मैं नहीं, हम', 'मैं नहीं, हम', यह प्रजातंत्र का गुण है। मंत्री जब जवाब देता है तो मैं-मैं-मैं नहीं कर सकता है, मैं-मैं-मैं तो बकरी का मेमना करता है, तो 'मैं नहीं, हम', यह बात ठीक है। लेकिन क्या पांच साल में 'हम' था? क्या मुख्य मंत्रीजी के बिना कोई भी मंत्री

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सशक्त था, जो खड़ा होकर विधान सभा में कह सकता था कि मैं यह काम करूंगा?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज क्या हो रहा है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आज क्या हो रहा है, मैं आ रहा हूं ना।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): आज 'हम हैं', 'मैं' नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप समाप्त करने की ओर बढ़िये, समाप्त करने की ओर बढ़िये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपके पदचिह्नों पर चल रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि आज पर तो मैं तब आऊंगा जब पांच साल काम पूरा कर लेने देंगे। अभी तो आपने वह ढांचा ध्वस्त किया, कैबिनेट की मीटिंग का महत्व खतम हो गया, सर्कुलर के द्वारा; कैबिनेट के प्रस्ताव पर कैबिनेट में बहस ही नहीं होती थी। इसलिए सारा काम एक जगह केन्द्रित हो गया। अब एक जगह केन्द्रित होता है ना, तो हम किसी भी चीज को 'बाइबल' बना देते हैं। हम गये थे जनता के पास, हमने जनता की राय ली। हम उन अधिकारियों को लाकर सौंपते थे कि यह लो, यह मेरी 'बाइबल' है। इस 'बाइबल' को आप पूरा कर लेना।

फिर क्या परिवर्तन करती है सरकार? मेसेज, मेसेज दे रहे हैं; मेसेज क्या दिया, सी.एम.ओ. में सभी जातियों के लोग लगेंगे। मेसेज। इन मेसेजों से कोई जातियों पर असर पड़ेगा? किसी को चीफ सेक्रेटरी, किसी को डी.जी., किसी को एग्रीकल्चर। ये सारे वही तो हैं। एक को उठाकर एग्रीकल्चर से फूड में लगा दिया, फूड से एग्रीकल्चर में लगा दिया। जो एग्रीकल्चर में काम खराब कर रहा था, फूड में ठीक कर देगा? वह नहीं कर पायेगा। इसलिए वह काम तो जन-प्रतिनिधियों को ही करना पड़ेगा। जन-प्रतिनिधियों ने यह अगर काम नहीं किया तो जो स्थिति होगी, वह खराब ही होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं इन पर कह रहा था कि कुछ समस्याओं को उन्होंने ऐसा पैदा कर दिया, जिन समस्याओं के साथ सारा जयपुर त्रस्त है। मैं प्रमुख रूप से पृथ्वीराज नगर की बात कहना चाहता हूं। 25 साल से हम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस त्रासदी को झेल रहे हैं, पृथ्वीराज नगर की। यह समस्या क्रियेट की गयी है; सरकार ने समस्याएं क्रियेट करने का काम किया है। इस पृथ्वीराज नगर का एक ही समाधान है, 25 साल हो गये अब, बनते गये हैं, बनते गये हैं; जिस जगह, जिस स्थान पर जो लोग रह रहे हैं, उनको उस स्थान का मालिक मानकर, जैसे और लोगों को पट्टा दिया गया है, पृथ्वीराज नगर के लोगों को भी पट्टा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसमें गलती है तो अधिकारियों की है या सरकारों की है, वहां पर रहने वाले लोगों की नहीं है। मैं चाहता हूं कि 25 साल से जो त्रस्त लोग हैं, उनका समाधान किया जाना चाहिए।

समस्या हम पैदा नहीं करते, समस्या सरकार पैदा करती है। एक के बाद एक समस्या पैदा की। पांच समस्याएं मैं आपको गिनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद समाप्त कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं उसके बाद समाप्त करता हूं।

एक माननीय सदस्य: मेट्रो के बारे में बताइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक ही दिन में थोड़े ही सारी बात खतम कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, टैट की समस्या किसने पैदा की? समवर्ती सूची में है शिक्षा। यूनिवर्सेलाइजेशन आफ सैकण्डरी एजुकेशन कमेटी का मैं हिन्दुस्तान का चेयरमैन था, हमने रिपोर्ट दी थी। यहां बी.एड. का ढांचा बना हुआ है, यहां बी.एस.टी.सी. का ढांचा बना हुआ है। दिल्ली में कुछ लोग बैठ गये और बैठकर कह दिया टैट लागू कर दो। एक चीफ सेक्रेटरी बनने के लिये बी.एससी. पास करने के बाद में आई.ए.एस. की परीक्षा देता है, प्राथमिक देता है, फिर देता है और आई.ए.एस. बन जाता है। मास्टर बनने के लिये पहले दसवीं पास करो, फिर बी.एस.टी.सी. परीक्षा दो, फिर प्री-बी.एड. दो, फिर बी.एड. दो, फिर टैट करो, वैट करो। यह क्या है? क्यों बनाया है? यह समस्या उन्होंने क्रिऐट की, भारत सरकार ने। आज सारे राज्यों में उसके खिलाफ आन्दोलन चल रहा है।

मैं, माननीय कालीचरणजी, आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस काम को कर सकती है और बेधड़क रूप से भारत सरकार को लिखना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहिए कि टैट को खतम करो और बी.एड. के आधार पर आर.पी.एस.सी. से परीक्षा लेकर लोगों को भर्ती करने का काम आप करें। यह पैदा कर की।

डालर और रुपये की, महंगाई की, किसने पैदा की समस्या? आज पर्चेजिंग पावर के आधार पर एक डालर के बराबर 22 रुपये है, 22 रुपये है लेकिन 62 से लेकर 68 रुपये तक डालर की वेल्यू कर दी। कैसा मजाक हो गया है।

अभी कल टेलीविजन पर एक मजाक आया था, मैं उसको बोलना नहीं चाहता था, ओबामा, जो अमरीका के राष्ट्रपति हैं, उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सुबह से मेरे पास 20 बार फोन आ गया एक आदमी का; फोन बार-बार आता है लेकिन बोलता नहीं है। तो अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि वह मनमोहन सिंह जी का फोन होगा, भारत के प्रधान मंत्री का। हमने सत्ता का, इतना कमजोर प्रधान मंत्री का पद बना दिया कि समस्याएं क्रिएट होती गयीं।

इसलिए ही हमारे जो पूर्व मुख्य मंत्रीजी हैं, उन्होंने भाषण दिया है, मैं समाप्त कर रहा हूं, पूर्व मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने भाषण दिया कि राजस्थान में हम हारे हैं महंगाई के कारण से और बी.जे.पी. वालों ने यू.पी.ए. सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाया, मोदी फैक्टर भी आ गया, इसलिये हम हार गये। हम कहां कह रहे हैं? स्वयं गहलोत साहब ने ही स्वीकार कर लिया कि इन फैक्टर्स के कारण से हम हार गये। तो मिशन-25 में हमारे कहां समस्या आ रही है? वे समस्याएं तो अब हम उठाएंगे, इस देश में इस तरफ जा रहे हैं।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूं, एक बात कह कर समाप्त कर रहा हूं, 'आओ साथ चलें', हम पर हमने नारा दिया, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने नारा दिया, 'आओ साथ चलें', उसमें अटलजी की कविता की पांच पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 'कदम मिलाकर चलना होगा', आपके साथ। कदम मिलाकर चलना होगा।

बाधाएं आती हैं, आएं
घिरें प्रलय की घोर घटाएं
पांवों के नीचे अंगारे
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं
निज हाथों में हंसते-हंसते
आग लगाकर जलना होगा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कदम मिलाकर चलना होगा।
हास्य-रुदन में, तूफानों में
अगर असंख्यक बलिदानों में
उद्यानों में, वीरानों में
अपमानों में, सम्मानों में
उन्नत मस्तक, उभरा सीना
पीड़ाओं में पलना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वसुन्धरा राजेजी चलें आपके साथ।

श्री अध्यक्ष: नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी की श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

जब से राजस्थान विधान सभा की 14वीं विधान सभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ, तब से देखने को मिल रहा है कि पक्ष और विपक्ष का वाद-विवाद चल रहा है। मैंने पहले भी आपको अवगत करवाया था और आपसे पूछना चाहा था कि क्या इनके आपसी वाद-विवाद में, क्या इन गोधों-गोधों की लड़ाई में पौधे कुचले जा रहे हैं? क्या ऐसे में आम जनता जो कुचली गई है, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन कर रही हूं, क्या ऐसे में हमारे राजस्थान का विकास हो पाएगा?

(14.09 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि वसुन्धराजी के, कांग्रेस और बी.जे.पी. के ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, आपने वह शब्द क्या बोला था?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मैंने यह कहा कि गोधों-गोधों की लड़ाई में पौधे कुचले जा रहे हैं, मतलब, आम जनता कुचली जा रही है। 65

(श्रीमती सोनादेवी)

साल हो गए भारत आजाद हुए लेकिन हमारे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की मेन समस्या...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): हमारे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की मूलभूत समस्या, पीने के पानी की समस्या अब तक समस्या ही रही। दोनों पार्टियों ने राज किया। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बात नहीं करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 'गोधा' क्या होता है? 'गोधा', 'गोधा'?

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 'गोधा' क्या होता है? आप इसके लिए माफी मांगें।

श्री सभापति: पहली दफा माननीय सदस्या बोल रही हैं, मेडन स्पीच है, इस तरह से व्यवधान नहीं करें। प्लीज सहयोग करें आप। Have your seat, please. ...(व्यवधान)..

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): आपको बता दिया कि क्या होता है।

श्री हीरालाल (निवाई): 'गोधा' क्या होता है?

श्री सभापति: प्लीज। आप भी इधर देखिए, माननीय सदस्या। इधर देखकर बोलिए आप।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): 65 साल हो गए भारत को आजाद हुए, हमारे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत समस्या पीने के पानी की, पेयजल की समस्या आज तक पेयजल समस्या ही रही। सर्वे करवा कर देख लीजिए, माननीय सभापति महोदय, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम पंचायत में पीने के पानी की सुव्यवस्था नहीं है।

राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है सुंदर शब्दों में कि श्मशान भूमि के लिए 20 करोड़ रुपए, पूरे राज्य भर की श्मशान भूमियों की चारदीवारी के लिए लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा लगा पढ़कर, पर जिन गांवों में, जिन ग्राम-पंचायतों में श्मशान के लिए भूमि ही नहीं है, उसकी चारदीवारी, उसके लिए मैं जानना चाहती हूं कि वहां पर श्मशान भूमि की क्या व्यवस्था करवाई जाएगी? अगर करवाई जाएगी तो कब करवाई जाएगी? एग्जाम्प्ल के लिए बताना चाहूंगी कि गोमावाली ग्राम पंचायत के धांधड़ा गांव में श्मशान भूमि के लिए भूमि नहीं है।

(श्रीमती सोनादेवी)

मैं यह भी बताना चाहूंगी कि प्रशासन रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र का और गंगानगर विधान सभा क्षेत्र का यह कहता है कि राज तो बी.जे.पी. वालों का है और पार्टी जीती है जमीदारां, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जमीदारां पार्टी वालों के ऊपर, प्रशासन पर कोई दबाव नहीं रहेगा, हम मनमानी करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह तो गलत बात है।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मैं यह पूछना चाहती हूं कि सत्ता पक्ष, क्या वर्तमान की सरकार, जब से सत्र शुरू हुआ है, कहती आ रही है कि 'हमारी सरकार' आप यह बोलो; आप विपक्ष वालों को कह रहे हैं कि यह बोलो कि 'हमारी सरकार' आप यह मत कहो कि 'तुम्हारी सरकार' है। तो आपसे मैं यह कहना चाह रही हूं कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के प्रशासन को और श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र के प्रशासन को भी आप अवगत कराएं कि यह सरकार वसुन्धराजी की है, यहां पर मनमानी नहीं चलेगी। आप यह अवगत करवा दें।

भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मैं जानकारी देना चाह रही हूं कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। घटना की तारीख भी मैं अवगत करवाना चाहूंगी कि 65 एन.पी. गांव में रेप केस 27 दिसम्बर को हुआ साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ। उसके लिए, न्याय के लिए वर्तमान सरकार, वर्तमान सरकार को मैं यह भी कह सकती हूं कि वह 'हमारी सरकार', क्योंकि महात्मा गांधी को पूरी जनता बापू कह सकती है तो क्या इस सरकार को, अगर यह सरकार, वर्तमान सरकार रायसिंहनगर और श्रीगंगानगर जिले में विकास करे या फिर अपने पूरे राज्य में विकास करे तो मैं वर्तमान सरकार को मेरी मां की बहन, मतलब, वसुन्धरा गांधी को मासी भी कह सकती हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वसुन्धरा राजेजी हैं।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): वसुन्धराजी को, वसुन्धराजी को मैं मेरी मासी भी मान लूंगी, अगर, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के किसानों के लिए कोई आवाज उठाएं। किसानों के लिए कोई भी मुद्दा, किसानों के लिए कोई भी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मासी मानने के लिए शर्त है माननीय सदस्या की, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): दस मिनट का समय हमें दिया गया है, पार्टी के माध्यम से। इसलिए मैं बैठूंगी नहीं और आपके +++ से भी नहीं बैठूंगी। +++ हमें भी आता है। क्योंकि, महात्मा गांधी ने यह नहीं कहा था कि सत्य मत सुनो।

राज्यपाल के अभिभाषण में प्राथमिकता में दे रखा है- विकास की पांच मुख्य प्राथमिकताएं, जिसमें निवेश प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, आर्थिक ढांचे में सुधार तथा शिक्षा व कौशल विकास पर विशेष महत्व दिया जाएगा। तो क्या प्राथमिकता के लिए राजस्थान के किसानों के लिए कोई जगह नहीं है? आपके एजेंडे में स्पष्ट लिखा हुआ है, सुंदर शब्दों में, खूबसूरत वाक्यों में स्पष्ट लिखा हुआ था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ? उस एजेंडे में यह भी लिखा हुआ है कि श्रीगंगानगर में ग्वार-गम फैक्टरी लगायी जाएगी। कहां है वह? 60 दिन की अवधि की योजना में, प्राथमिकता कार्य-योजना में तो यह कहीं पर भी नहीं लिखा। किसानों के लिए कहीं पर भी नहीं लिखा। 65 साल हो गए भारत को आजाद हुए और रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की मूलभूत समस्या, पीने के पानी की समस्या भी अभी तक सुव्यवस्थित नहीं हुई, तो फिर आखिर क्या है सरकार? माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं।

इसके साथ-साथ, उस बच्ची के लिए मैं पूछना चाह रही हूं, साढ़े तीन साल की बच्ची, उसके लिए वर्तमान सरकार या 'हमारी सरकार' क्या करेगी? क्या न्याय करेगी? उस परिवार को कैसे आश्वासित करेगी? कैसे संतुष्ट करेगी? मैं यह जानना चाहती हूं। मंत्री महोदय बताएं कि उस परिवार को कैसे सहायता देंगे? कैसे संतुष्ट करेंगे उस परिवार को? दु:खी परिवार को कैसे संतुष्ट करेंगे? यह मैं जानना चाहती हूं। कृपया बतायें।

इसके साथ-साथ, इस सदन को मैं यह जानकारी देना चाहती हूं कि 9 जनवरी को खिचिया गांव में दस साल की बच्ची का मर्डर कर दिया गया। आज तक प्रशासन ने कोई भी उस बच्ची के लिए, जांच पड़ताल के लिए, कैसे मर्डर हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, अगर किया, जानकारी प्राप्त होने के बाद उसके ऊपर प्रशासन ने कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की। हम जानना चाहते हैं।

हम यह भी सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि सूरतगढ़ ब्रांच में 275 क्यूसेक्स पानी आज तक नहर में कम दिया जा रहा है। कृपया सर्वे करवा लें, 275 क्यूसेक्स पानी और अनूपगढ़ के टेल में बैठे पी.टी.डी., ए.पी.डी. वाले काश्तकार, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां पर हमेशा काश्तकार

(श्रीमती सोनादेवी)

पिटते हैं। वे बोर्डर पर बैठे हैं, विधान सभा क्षेत्र की बोर्डर पर भी आते हैं वे, जिले की भी बोर्डर पर आते हैं। ए.पी.डी. क्षेत्र, पी.टी.डी. क्षेत्र, जी.बी. एरिया, 275 क्यूसेक्स पानी सूरतगढ़ ब्रांच में कम दिया जा रहा है। कहा गया है कि 65 साल हो गए, आज तक किसी भी नहर को सिल्ट निकालने के लिए कोई बजट नहीं दिया गया। क्या यह सत्य है? चीफ साहब ने हमें यह मीटिंग में, जब चीफ साहब के यहां हनुमानगढ़ में मीटिंग हुई तो चीफ साहब ने हमको कहा कि सिल्ट निकालने के लिए या नहर की सफाई करवाने के लिए कोई भी बजट आज तक नहीं आया।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): धन्यवाद, सर।

श्री सभापति: भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने वाले 34 सदस्यों के नाम आज की सूची में दिये गये हैं, आसन को। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया समय का ध्यान रखें। मैं 5-7 मिनट से ज्यादा समय देने में असमर्थ रहूंगा। इसलिए अगर उसी समय सीमा में आप बोलें तो आपकी कृपा होगी।

श्री प्रहलाद गुंजलजी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के पहले सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदया का अभिभाषण और उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, हाल ही में राजस्थान विधान सभा के चुनाव सम्पन्न हुए और राजस्थान की जनता ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सभापति महोदय, मैं ऐतिहासिक फैसला इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास का यह अद्वितीय बहुमत जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया और यह ऐसे ही नहीं दिया। सभापति महोदय, लगातार पिछले पांच सालों तक, जब हम इसके अन्त:स्थ कारणों में जायेंगे, राजस्थान के नौजवान, राजस्थान के किसान और महिलाओं ने पिछले पांच साल के शासन की महंगाई, भ्रष्टाचार, हताशापूर्ण बेरोजगारी से त्रस्त होकर एक ऐतिहासिक जनादेश दिया।

सभापति महोदय, हर साल महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सदन में होता है और उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी सांगानेर से

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आने वाले माननीय सदस्य इस सदन की ऐतिहासिक परम्पराओं की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे, इस सदन का फैसले लेने में अपना एक ऐतिहासिक स्थान रहा है। कई उदाहरण उन्होंने इस सदन के फैसले और निर्णयों के दिये। सभापति महोदय, मैं दूसरी बार इस सदन में सदस्य चुनकर आया हूं, मैं बहुत ईमानदारी से आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं, इस ऐतिहासिक सदन में बैठकर सारे राजस्थान में जो लोक अनुशासन कायम करने का दायित्व हमारा है, कभी-कभी हमारी सीधी कार्यवाही राजस्थान की जनता देखती होगी तो जिन लोगों के जिम्मे राजस्थान में लोक अनुशासन कायम करने का काम है, वह स्वयं अनुशासन की सीमा में कितना है? इस सदन की परम्पराएं और मर्यादाएं ऐतिहासिक रही हैं, क्या हम उनको पीछे धकेल रहे हैं?

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का विजन डाक्यूमेंट है। सरकार आने वाले समय में क्या करने वाली है, निश्चित रूप से वसुन्धराजी ने नेतृत्व में, जो सुराज का संकल्प लेकर राजस्थान में निकलीं, राजस्थान के सर्वांगीण विकास का सपना, राजस्थान की जनता ने भरोसा दिया और जो अभिभाषण में उन्होंने इस संकल्प को दोहराया, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा :

''राज्य सरकार का लक्ष्य एक ऐसे नये राजस्थान का निर्माण करना है, जो पूर्ण रूप से सबल और स्वावलम्बी हो। खुशहाल और समृद्ध राजस्थान में सभी को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार मिले, नि:शक्त और निर्बल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा कवच मिले, महिलाओं को सुरक्षा के साथ सामाजिक और आर्थिक उत्थान के अवसर मिलें और युवा कौशल विकास से आत्मनिर्भर बनेंगे, तब ही हमारा सुराज संकल्प का सपना साकार होगा। इसके लिये राज्य सरकार कटिबद्ध है।''

सभापति महोदय, राजस्थान एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा है, लेकिन हमको आत्म-चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर हमने पिछले दिनों में क्या किया? सभापति महोदय, अभी एक दिन पहले सारे राजस्थान ने और समूचे भारतीय गणराज्य ने लोकतंत्र का उत्सव मनाया। सभापति महोदय, हम ईमानदारी से विचार करें कि हम 65वें लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं और संविधान की आत्मा में, जिसको लोक देवता कहा गया है, लोक देवता और

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जिस देवता की उपासना के लिये तंत्र विकसित किया गया, लोक तंत्र, क्या इस तंत्र ने, उपासक ने 65 सालों में लगातार ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्रतिपक्ष के माननीय नेता अकेले रह गये हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अकेला ही बहुत हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अकेले बहुत हैं, तब ठीक है। मुबारक हो आपको।

श्री सभापति: आप चिन्ता क्यों कर रहे हो? प्लीज, प्लीज बी सीटेड।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सदस्य, 65 सालों में इस गण देवता की उपासना कितनी की इस तंत्र में बैठे हुए लोगों ने? आज जब आंकड़े आते हैं, आजादी के 66 साल बाद हमको राइट-टू-फूड, सिक्योरिटी एक्ट लाना पड़े, क्या यह लोकतंत्र की सच्चाई है कि आजादी के 66 साल बाद नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन अपने आंकड़े दे कि इस हिन्दुस्तान की 48 करोड़ के लगभग आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है? क्या यह लोकतंत्र की असली सच्चाई है, सभापति महोदय, आजादी के 66 साल बाद इस देश के 48 करोड़ लोगों की यह स्थिति बन जाये? आजादी के समय हम 37 करोड़ थे, और आज उससे सवाया हिन्दुस्तान, 48 करोड़ का ऐसा बन गया, जो सुबह कमावे तो शाम को खावे, और दिन में रोजगार का प्रबन्ध न हो तो शाम को चूल्हा नहीं, बच्चों के पेट में भूख की आग जले। आखिर आत्म-चिंतन कब करेंगे? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

इसीलिए, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी उम्मीद के साथ जनता इस सदन में चुनकर भेजती है और अब बहुत अधिक लम्बा समय नहीं बचा, जब हमें आत्म-चिंतन की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहिये। हर पांच साल में हम राजस्थान की जनता को एक नया सपना दिखाते हैं और पांच साल बाद जनता अपने आपको ठगा-सा महसूस करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का और लोकतंत्र का कुछ हो नहीं सकता।

सभापति महोदय, मैं पांच साल में इस राजस्थान की सरकार ने क्या किया, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री सभापति: अब आप अपनी बात कहकर समाप्त करें। आपको आठ मिनट हो गये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत लम्बी लिस्ट है आज, माननीय गुंजल साहब।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आपके मुख्य सचेतक महोदय ने बहुत लम्बी लिस्ट दे दी। आज 34 आदमियों की लिस्ट है मेरे पास। आप समाप्त करें। शीघ्र समाप्त करें।

अनेक माननीय सदस्य: देर तक चला लेंगे, माननीय सभापति महोदय।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): थोड़ा देर तक चला लेंगे, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप कृपा करके समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपका आदेश है तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लें। दो-तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर लें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, पिछली सरकार की कुछ नीतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली सरकार गरीब को आवास के नाम पर अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम लेकर आई; हम जो गरीब परिवार हैं, उनको हम सस्ती दरों पर मकान देंगे, लेकिन, सभापति महोदय, गरीब के नाम पर लाई जाने वाली योजनाओं को भी भ्रष्टाचार का एक माध्यम बना दिया। सभापति महोदय, आज यह बहुत गम्भीर जांच का विषय है।

आपने कुछ शर्तें तय कर दीं कि जिनका वार्षिक टर्न-ओवर इतना होगा, प्राइवेट लोगों को हम अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में गरीबों को मकान बनाने के लिए भूखण्ड देंगे और किसी भी ट्रेड के आदमी को आपने, जिसको अनुभव नहीं, केवल उसके टर्न-ओवर के आधार पर इस योजना में काम करने का अधिकार दे दिया।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, एक प्राइवेट बिल्डर ने मकान बना दिए। जिस गरीब को आप मकान दे रहे हों, लागत के साथ आप भूमि का भी उससे चार्ज वसूल रहे हों। सभापति महोदय, आप पता करो कि राजस्थान में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कितने हजार करोड़ रुपये की जमीन दे दी। मैं अकेले कोटा का एक उदाहरण देना चाहता हूं, वहां पर दस हजार रुपये स्क्वायर फीट राजीव गांधी योजना के अन्दर जमीनें तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने सौ करोड़ रुपये की जमीन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम पर प्राइवेट बिल्डर को नि:शुल्क दे दी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने अगर नि:शुल्क दी तो आप तय करिये कि जिस गरीब को आज आप सस्ता आवास दे रहे हों, उससे भूमि की कीमत वसूली नहीं जाएगी। आप क्या करना चाहते हैं? गरीब को सस्ते आवास के नाम पर आप सौ-सौ करोड़ रुपये की जमीन प्राइवेट बिल्डर्स को दे दो और गरीब से पैसा वसूल लो।

इसका मतलब, आपने पर्दे के पीछे से भू-माफियाओं के साथ सांठ-गांठ की और ऐसा लग रहा था कि कहीं राजस्थान की सरकार भू-माफियाओं के साथ मिलकर गरीब के आवास का बन्दोबस्त नहीं कर रही। रीयल एस्टेट के कारोबार में संलग्न होकर राजस्थान के तत्कालीन मंत्री इस प्रकार का काम कर रहे हैं। सारे राजस्थान की बेशकीमती सौ-सौ करोड़ रुपये की जमीनें थीं, वे भू-माफियाओं के हाथों में हैण्डओवर कर दीं। कोटा में एक नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं कि सैकड़ों करोड़ की जमीनें दे दी गईं। आप करिये।

सभापति महोदय, मैं वर्तमान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भू-माफियाओं को करोड़ों रुपये की जमीनें नि:शुल्क दीं, उनकी सरकार समीक्षा करे कि गरीब से कैसे भूमि की कीमत वसूली जा रही है। या तो आप तय कर दो कि बिल्डर ने जो कास्ट लगायी है, उसका इंटरेस्ट लगा कर गरीब आदमी से वसूलें। भूमि की कीमत गरीब आदमी से किसी भी सूरत में नहीं वसूली जानी चाहिए। भूमि की कीमत यदि गरीब आदमी से वसूली जा रही है तो फिर आपको बिल्डर को नि:शुल्क भूमि देने का कोई अधिकार नहीं है। किस योजना के तहत, किस कानून के तहत, किस अधिकार के तहत आपने सरकार की बेशकीमती जमीनें बिल्डर्स को दीं? आप नौटंकी कर रहे थे कि हम गरीबों को सस्ता आवास देना चाहते हैं। आपने इसको भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया।

सभापति महोदय, दूसरी योजना लेकर आये, नि:शुल्क दवा योजना। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी सच्चाई कौन नहीं जानता? आप बड़ा व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहे हैं कि हमने राजस्थान 6 करोड़ 80 लाख रुपये की दवाई देकर 12 करोड़ लोगों का इलाज कर दिया, लेकिन आपने छह कम्पनियों को अधिकृत कर दिया। किस मानक की दवाई होगी? मजबूरन मरीजों को लेना पड़ेगा। आपने यह तय कर दिया कि किसी भी मरीज को पांच-

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सात दिन से ज्यादा की दवाई नहीं लिखी जाएगी। जो मरीज 15 दिन की दवाई लेकर जाता था, आप 15 दिन में मरीज को तीन-तीन बार बुलाते हों और इस प्रकार, आपने दो-तीन करोड़ लोगों का इलाज किया होगा और बता दिया कि हमने राजस्थान में 12 करोड़ लोगों का इलाज किया है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। सारी, आपको 15 मिनट हो गये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): एक व्यक्ति को आप तीन-तीन, चार-चार दिन में बुला रहे हों। सभापति महोदय, मैं राजस्थान के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

इस सदन में पिछले कई दिनों में बजरी का मुद्दा चर्चा में आया हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, आखिर यह खेल क्या है? बजरी, आजादी के 65 साल बाद भी, राजस्थान का गरीब आदमी कण-कण करके मन के सपने देखता है कि मैं दो कमरे, एक कमरा बना लूं, सिर ढकने के लिए, आज आपने उसके सपने को मात्र सपना बना दिया। जो बजरी का छह चक्के का ट्रक 600 रुपये में भरा जाता था बनास के अन्दर, आपने केवल, और केवल, मेघराज नाम के व्यक्ति को, जिसके नाम कई अलग-अलग और फर्में हो सकती हैं, सारे राजस्थान की खानें लीज पर देकर, राजस्थान की जनता के हक और अधिकारों को लूटने का एक पट्टा दे दिया, लाइसेंस दे दिया। आज बनास ही नहीं, सारे राजस्थान के अन्दर दस-दस हजार रुपये एक ट्रक के भरने के लिए लिये जा रहे हैं। क्या सरकार ने उसको अधिकृत कर दिया? सरकार ने उसको माइनिंग, बजरी की लीज देते समय क्यों नहीं रायल्टी लगाई? राजस्थान का गरीब आदमी अपना मकान बनाने के लिए किस तरीके से सपना देखेगा? आप राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाओ। जो बजरी आधारित निर्माण के काम राजस्थान सरकार के चल रहे थे और पुरानी बी एस आर रेट पर जो ठेकेदार काम कर रहे थे, आज तमाम ठेकेदारों ने काम करने से हाथ खड़े कर दिए। सारे राजस्थान का विकास रुक गया। सभापति महोदय, यह साधारण मुद्दा नहीं है। अगर सरकार ने इस विषय में सख्ती करके डी पी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का पुनरीक्षण करके फैसला नहीं किया तो सारे राजस्थान का विकास रुक जाएगा और राजस्थान का गरीब हाशिये पर जाकर खड़ा हो जाएगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछली सरकार जाते-जाते पता नहीं, किन-किन बजरी माफियाओं से...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, बड़े गम्भीर मामले को माननीय सदस्य उठा रहे हैं लेकिन सरकार के कोई मंत्री यहां नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: मंत्रीजी हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): भड़ानाजी और चतुर्वेदीजी तो आपस में पारीकजी से बात कर रहे हैं। इनको बजरी के भाव से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इनकी बात को सरकार बहुत गम्भीरता से सुन रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, आप सीनियर मेम्बर हैं, अनुभवी मेम्बर हैं, आप सब विराजें। आप समाप्त करें। मैं आपको एक मिनट और देता हूं। आपको 16 मिनट हो गये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। दो-तीन बिन्दु और हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): बोलने दो, साहब। अच्छा बोल रहे हैं। हमारा समय इनको दे दिया जाए। कांग्रेस के लिए थोड़ा बोलने दीजिए।

श्री सभापति: सभी अच्छा बोलते हैं। आप विराजें। आप बार-बार खड़े मत होइये, माननीय सदस्य। आप बार-बार खड़े हो जाते हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हमारी तो मत सुनो। सत्ताधारी दल के बजरी घोटाले को तो सुनो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): भड़ानाजी, आपने बजरी का घोटाला लिखा है क्या? मुख्य सचेतकजी, आपने लिख लिया?

श्री सभापति: आप अनुभवी सदस्य हैं, क्यों समय खराब कर रहे हैं? आप विराजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, मैं आरोप नहीं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लगाना चाहता लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव से चार महीने पहले जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के हक और अधिकारों को एक ठेकेदार के हाथों में सौंप दिया, चुनाव में कहीं काले धन के लेनदेन का मामला तो नहीं था? सभापति महोदय, आज सारी बजरी नीति की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं दूसरा विषय उठाना चाहता हूं पिछली सरकार राइट-टू-एजुकेशन एक्ट लेकर आयी थी। (व्यवधान) फर्म है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेघराज सिंह। यह पोंटी चड्ढा वाला है, वही है क्या? यह घोटालेबाज पोंटी चड्ढा के साथ था।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ये सारे के सारे पट्टे एक फर्म के हैं, मेघराज के, अलग-अलग नाम से। मेघराज और पिछली सरकार के क्या ताल्लुकात थे? सभापति महोदय, पूरा राजस्थान बाहर चर्चा कर रहा है कि एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए सरकार ने सारे राजस्थान के विकास और गरीब के हक को दांव पर लगा दिया। सभापति महोदय, राजस्थान माफ नहीं करेगा, उसका दण्ड दे दिया।

सभापति महोदय, पिछली सरकार राइट-टू-एजुकेशन एक्ट लेकर आयी, शिक्षा का अधिकार। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसा शिक्षा का अधिकार?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कैसा शिक्षा का अधिकार? जहां आज भी 15,853 विद्यालयों के अन्दर एक अध्यापक कार्यरत है; 3,121 स्कूल्स में एक भी कक्षा कक्ष नहीं है; सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के आठ प्रतिशत स्कूल्स में और जनजाति विभाग के 43 प्रतिशत स्कूल्स में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है।

सभापति महोदय, गम्भीर विषय है, इसलिए आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपने पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए राइट-टू-एजुकेशन एक्ट में कह दिया कि कोई फेल नहीं होगा। यह कौनसी पालिसी है, जो हम पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चे को फेल नहीं करेंगे? जब आपने यह निर्णय कर दिया, तब अध्यापकों में पढ़ाने के प्रति उदासीनता व्याप्त हो गई और उसका परिणाम यह होगा कि पहली से लेकर आठवीं तक जब बच्चे का मूल्यांकन नहीं होगा, जो पहले पांचवीं और आठवीं बोर्ड बनी थी, उसको समाप्त कर दिया...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, कृपया, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। बीस मिनट हो गये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान के हित का मुद्दा है।

श्री सभापति: बीस मिनट आप बोल लिये, अब आप समाप्त करिये।

श्री वासुदेव देवनानी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, राजस्थान के भविष्य को समाप्त करने का मुद्दा है, पहली से लेकर आठवीं तक, लगातार बिना परीक्षा के पास किया जाना हमारे भविष्य की नींव को कमजोर करने के बराबर है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजें अब। आप विराजें। वासुदेव देवनानीजी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, अगर हमने इस ओर गम्भीरता से विचार नहीं किया तो राजस्थान का जो आने वाला भविष्य है, उसकी नींव इतनी कमजोर हो जायेगी ...

श्री सभापति: विराजें अब आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, अंतिम बात कहूंगा।

हम सब लोगों को गम्भीरता से उत्तरदायित्व की भावना से विचार करने की जरूरत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य मंत्री बनने लायक हैं।

श्री सभापति: अब आप विराजें। कृपया विराजें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, हमें आज राजस्थान के बारे में, सम्पूर्ण जनता के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार के हालात राजस्थान में बने हुए हैं, अगर हम यह कह कर अपने काम की इतिश्री करेंगे कि हम लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, तो, माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र हमारे से नहीं चलता, लोकतंत्र जनता के विश्वास पर टिका हुआ है और हम हमारी उदासीनता का आचरण दिखाएंगे और जनता के साथ नाइंसाफी हो गयी और उस लोकतंत्र के देवता का भरोसा उठ गया, तो जिन चार खम्भों पर लोकतंत्र के टिका होने की बात करते हैं, वह सारी मंजिल भरभरा कर नीचे गिर जायेगी।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इसलिए, सभापति महोदय, लोकतंत्र जिसकी आस्था पर टिका हुआ है, उसकी भावना का सम्मान करते हुए राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाना है और जिसका संकल्प हमारी माननीया मुख्य मंत्री ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान करके राजस्थान को भरोसा दिया है, निश्चित राजस्थान विकास के नये आयाम प्राप्त करेगा।

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय देवनानीजी। कृपया, माननीय देवनानीजी, आप बहुत वरिष्ठ, अनुभवी सदस्य हैं, समय का ध्यान रखें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसलिए मुझे अधिक समय दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये जल्दी ही मंत्री बन जायेंगे, इसलिए काहे के लिए? इनका तो नम्बर कट कर दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप पूरा नाम तो पुकारें, देवनानीजी कह रहे हैं। (व्यवधान) समझ में नहीं आ रहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, काफी विद्वान हैं, आगे बनने ही वाले हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने देवनानी कहा है कि देवयानी कहा है?

श्री सभापति: वासुदेवजी देवनानी। अभिप्राय मेरा यह है, मैं उनको बहुत ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये मेरे पुराने मित्र हैं, पूरा नाम जानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की इस चौदहवीं विधान सभा के पहले सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं इसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

राजस्थान की नई सरकार ने अपने सुराज के संकल्प को पूरा करने की मंशा अपने पहले अभिभाषण में प्रकट की है। सर्वप्रथम मैं सदन की नेता और हमारी मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजे की दूर-दृष्टि और नयी सोच के लिए उनको बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूर्ववर्ती सरकार के कुशासन की पीड़ा को झेलते हुए प्रदेश की जनता को सुराज देने के लिए अपने इस अभिभाषण के माध्यम से दिशा दी है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अभिभाषण में विशेषता है कि अभिभाषण का प्रारम्भ व इसका समापन, दोनों ही विशेषता लिये हुए हैं। इसका प्रारम्भ स्वतंत्रता के महानायक सुभाषचन्द्र बोस के पुण्य स्मरण और समापन ऋग्वेद की एक ऋचा के साथ किया गया है, निश्चित रूप से यह अभिनन्दनीय है।

आज राजस्थान कांग्रेस के पिछले पांच वर्ष के कुशासन से पीड़ित नजर आ रहा है और पिछले पांच वर्षों में जिस प्रकार से राजस्थान 'बीमारू' राज्य के रूप में सामने आया, वह हर क्षेत्र में पिछड़ा, चाहे वह आर्थिक प्रबन्धन की बात हो, चाहे शिक्षा में अराजकता की बात हो, चाहे कानून-व्यवस्था की बात हो जिसमें कोई भी महिला उस समय अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी और भ्रष्टाचार के तो बहुत खुले खेल खेले जा रहे थे। वाड्रा का केस इसी विधान सभा में उठा कि किस तरह बीकानेर में जमीनों का आदान-प्रदान हुआ। और तो और, मुख्य मंत्री के गृह जिले के विश्वविद्यालय में, जोधपुर विश्वविद्यालय में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से नियुक्तियां की गयीं, मैं समझता हूं कि उसे इतिहास कभी माफ नहीं कर पायेगा। ऐसे विश्वविद्यालय और शिक्षा के जो सरस्वती के मन्दिर हैं, उन मन्दिरों की स्थिति यह ला दी कि वहां पर आज यह स्थिति बन गयी।

इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप तो यहां तक गये कि पुलिस के एस.पी. आज मन्थली प्रकरण के कारण जेल में बंद हो गये। यहां तक कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा का एफ.ओ. आज भी जेल में है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रकरण।

आर्थिक प्रबन्धन में तो जो स्थितियां पैदा की हैं, मैं समझता हूं, मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने उस पर बहुत कुछ कहा है, यहां तक, अपने इस वर्ष के वित्तीय वर्ष में उन्होंने ऐसी 14 हजार करोड़ की अधिस्वीकृतियां जारी कीं जिनका बजट में आज तक प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके कारण से राजस्थान का जो मामला है, उसमें जो आधिक्य एक हजार करोड़ का होना चाहिए था, वह आज सात हजार करोड़ के घाटे में जाने वाला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं? इनके मंत्री जेल में हैं। सरकार तो आपकी है, आपके जाने की कोई तैयार कर रहे हो क्या, मंत्रियों के जेल में जाने की? किसकी बात कर रहे हो?

एक माननीय सदस्य: सचेतक महोदय, आप बीच में बार-बार क्यों टोकते हो?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपकी पूर्ववर्ती सरकार के बारे में कहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो आज है क्या सरकार? आज मंत्री हैं क्या वे?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पूर्ववर्ती सरकार के बारे में कहना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके वर्तमान मंत्री भी तो जाकर आये हैं। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तो वे तो जायेंगे, पूर्ववर्ती सरकार के तो जायेंगे। आपको तकलीफ क्या हो रही है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जेल यात्रा कर के आये हैं। (व्यवधान) ए.के. जैन कहां है?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अपनी कमियां सुनना सीखो। जो कुछ कमियां थीं, जिसके कारण से आज आप 21 रह गये हो ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप जिसके कारण से 21 हो, वे बातें तो सुनो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बात मुद्दे की करो, अच्छी लगेगी। आप मंत्री रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं वह बात नहीं कहूंगा जो ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, ये मंत्री रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और कोई एक दर्जन पुलिस अधिकारी दारा एन्काउंटर मामले में जेल के अन्दर बंद हैं। वह आपकी सरकार के समय ही हुआ था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) आप विराजिये। आप बहुत खड़े होते हैं, माननीय सदस्य।

(श्री सभापति)

(व्यवधान) निवाई से आने वाले माननीय सदस्य, आप बार-बार खड़े होते हैं, प्लीज विराजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अभिभाषण में लिखा है ... (व्यवधान) आपके कागजों पर है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोलो न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नहीं, इनको समझा रहा हूं। गुस्सा कभी करता ही नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर से आसन को संबोधित करें। आप आपस में बात न करें, कृपया। (व्यवधान) सिट डाउन प्लीज। आप विराजें। विराजिये आप।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, डिस्टर्ब कर रहे हैं।(व्यवधान) हर वक्त डिस्टर्बेंस करते हैं।

श्री सभापति: आप विराजें। विराजें आप। आप भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं सब को। विराजें आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, पिछले शासन में विद्युत क्रय और इसकी आपूर्ति से होने वाली वसूली के अन्तर के कारण इन कम्पनियों को अब दस हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष घाटा हो रहा है। मैं इस स्थिति में वर्तमान ऊर्जा मंत्री, वर्तमान सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में इन कम्पनियों का आडिट कराया जा रहा है, राजस्थान में भी इन कम्पनियों का आडिट कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि जनता को सही मूल्यों पर बिजली उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

आज हमने सुराज की बात की, सुराज में हम अभिभाषण में 60 दिवसीय, एक वर्षीय, दो वर्षीय योजनाओं के साथ-साथ 2020 के अन्दर नये राजस्थान का किस प्रकार का स्वरूप होगा, उसकी शुरुआत का संकेत हमने अपने अभिभाषण में दिया है।

मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान की मुखिया, श्रीमती वसुन्धरा राजे को, जिन्होंने 'हर हाथ को हुनर और हर हुनर वाले को काम', इसकी वहां पर व्यवस्था की है, नहीं तो कई प्रकार के उद्योग हैं जिनको योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं और कई बार व्यक्ति के पास योग्यता नहीं है। यह जो गैप था, जिसके कारण से हमने कहा कि हम 15 लाख युवकों को रोजगार देंगे, तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

उसमें तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से आजीविका कौशल विकास परियोजना हम प्रारम्भ करेंगे। इस सरकार ने इस योजना को ठीक करने के लिए, पिछली सरकार ने जो प्रारम्भ किया था, राजस्थान स्किल डवलपमेंट इनिशिएटिव सोसायटी, जिसकी पांच साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई, उसकी अध्यक्षता आज माननीया वर्तमान मुख्य मंत्रीजी कर के 'हर हाथ को हुनर हो', इसकी व्यवस्था करने का हमने तय किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह एक कदम होगा। इससे एक ओर तो उद्योगों को धंधों में प्रशिक्षित श्रम-शक्ति वहां पर उपलब्ध होगी और जो आज इन उद्योगों को इसका अभाव खलता है, वह नहीं होगा और बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

मुझे याद है कि जब 2003 से 2008 तक हमारी सरकार थी, उस समय तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से हमने जब प्रस्ताव रखा तो आज अजमेर में महिला इंजीनियरिंग कालेज पूरे उत्तरी भारत में अजमेर में खोला। इस प्रकार की हमने व्यवस्था की। हमने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की कि हम घोषणा करते गये पालीटेक्निक की। आज पिछली सरकार ने विस्तार जरूर किया, पालीटेक्निक नये खोले, इंजीनियरिंग कालेज खोले, लेकिन स्टाफ की नियुक्ति के नाम पर शून्य है। आज वे लोग क्या सीखेंगे? आज 50 प्रतिशत से अधिक पद तकनीकी शिक्षा में खाली पड़े हैं; मेरे आई टी आई में साठ प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। आज उस बच्चे को आई टी आई में क्या सिखायेंगे, पालीटेक्निक में क्या पढ़ाएंगे, इसका कहीं नहीं है। इंजीनियरिंग कालेज जरूर खोले, इंजीनियरिंग कालेजेज में प्रिंसिपल्स की यह हालत है कि एक-एक प्रिंसिपल के पास चार-चार इंजीनियरिंग कालेज का चार्ज दे रखा था। एक बीकानेर का इंजीनियरिंग कालेज, जिसका आज मुद्दा उठा, उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज थी। मैंने ही वह मुद्दा विधान सभा में उठाया था। माननीय मंत्रीजी कहने लगे, अभी सिद्ध थोड़े ही हुआ है; इसलिए उनको एक और कालेज का चार्ज दे दिया था। इस प्रकार की अव्यवस्था पिछले शासन के अन्दर तकनीकी शिक्षा के अन्दर थी।

इसलिए मैं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि सारे इंजीनियरिंग कालेजों के अन्दर मनमानी समाप्त करने के लिए एक रेग्यूलेटरी बोर्ड बनाएं ताकि ये सारे इंजीनियरिंग कालेज व्यवस्थित चल सकें; नहीं तो,

(श्री वासुदेव देवनानी)

दस करोड़ से ज्यादा एक-एक इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल के पास बजट है, वह उसको मनमाने रूप से खर्च करता है। कहां क्या हो रहा है, पता नहीं।

प्राइवेट संस्थाएं बदहाल हैं। राजस्थान में पहले कहा करते थे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में दो-दो कमरों में पोलीटेक्निक खुलता है, इस सरकार ने पता नहीं, क्या किया कि दो-दो कमरों के पोलीटेक्निक को स्वीकृति दे दी, इंजीनियरिंग कालेज को स्वीकृति दे दी, आई टी आई को स्वीकृति दे दी। उन दिनों में मैं, मेरे भाई यदि बुरा नहीं मानें तो कहना चाहूंगा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार के, उन्होंने तकनीकी शिक्षा के अस्सी ट्रांसफर किये लेकिन तीन दिन के अन्दर अस्सी में से अस्सी रद्द कर दिये। यानी, इस प्रकार का तबादला उद्योग पिछली सरकार के समय चला।

इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल तो पता नहीं, कितने पद आएं, स्वीकृत करवाते गये। क्या-क्या चलता रहा, पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ उस समय शिक्षा का जगत था। शिक्षा की गुणवत्ता की ओर पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो तकनीकी लोग निकलें, उनको काम नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह था कि स्टाफ का वहां पर किसी प्रकार का कंसिडर नहीं किया गया, गुणवत्ता की कोई चर्चा नहीं की।

तो यह तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से आज जो हमारी सरकार ने 'हर हाथ को हुनर और हर हुनर वाले को काम' का जो संकल्प अपने अभिभाषण के द्वारा लिया है, मैं समझता हूं कि वह एक नया आयाम स्थापित करेगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में जनता ने सरकार को बदला है। इस बदलाव के पीछे जनता चाहती है कि किसी तरह से कुशासन से मुक्ति मिले। इसके लिए, आजादी के बाद स्वराज तो मिला, पर सुराज नहीं मिला। मेरे मित्रों ने कभी सुराज तो सोचा ही नहीं, केवल स्वराज की बात करते रहे, लेकिन सुराज क्या होता है, इनको किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं थी। इसीलिए हमारी वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने जब सुराज संकल्प यात्रा निकाली, उसको जो अभूतपूर्व समर्थन मिला और जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत बढ़ा, उसके कारण से आज 163 सीटें, भूतो न भविष्यति। इस प्रकार की जो सीटें मिलीं और आप लोग उन सीटों के कारण एक विपक्षी दल की जो मान्यता मिलनी चाहिए, उससे आप बच गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तोड़ लो ना आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हम तोड़-फोड़ में विश्वास नहीं

(श्री वासुदेव देवनानी)

करते; हमारा कोई तोड़-फोड़ का नहीं है। पिछली कांग्रेसी सरकार, जिन्होंने सिर्फ बी एस पी वालों को अपने साथ मिलाकर पांच साल राज चला लिया, हमारी सरकार इस पर विश्वास नहीं करती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, जनता की अपेक्षाओं का राज आए, इसलिए वसुन्धराजी के राज में हमने इस प्रकार की यात्रा निकाल करके अपने इस अभिभाषण के संकल्प में किया।

सभापति महोदय, मैं इस सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने पहले अभिभाषण में किसी तरह बदले की भावना प्रदर्शित नहीं की। पिछली सरकार तो पांच साल तक यही कहती रही कि इनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के आरोप हैं लेकिन हम कहते हैं कि जांच तो बैठाओ, जांच तक नहीं बैठा पाए। इस तरह से उन्होंने केवल बदले की भावना से काम किया और हमेशा एक ही गाली देते रहे ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बदले की भावना से मेरे यहां पर कार्यवाही हो रही है। दो हजार ...(व्यवधान) नागौर कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं।

श्री सभापति: अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकार का कोई नुमाइन्दा बाहर नहीं आया, कौनसी सरकार की बात कर रहे हैं, बदले की भावना की?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। रिकार्ड न हो; जो खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, रिकार्ड न हो। प्लीज सिट डाउन।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। बीच-बीच में व्यवधान डालना उचित नहीं है आपके लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जहां तक रिफाइनरी की बात है, हमारी सरकार ने...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, वह सही कह रहे हैं, पिछली सरकार ने ज्यादती तो की थी। मेरे जैसे को पांच बार जेल भेजा था, बदले की भावना से।

श्री सभापति: विराजें अब आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): रिफाइनरी और मेट्रो की बातें जरूर हमने की थीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चेयर तक तो टोकना बिलकुल ठीक है पर यह पूरे सदन को दो आदमी हाइजैक कर लें और पांच-पांच मिनट में खड़े हो जाएं और आप आसन पर विराजमान हैं। मैं समझता हूं, इतने वरिष्ठ आप हों, कितनी बार विधान सभा में आ चुके हों, कुछ तो गरिमा का ध्यान रखो न। एक-एक मिनट में खड़ा होना, एक-एक मिनट में टोकना, यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: आप भी विराजें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप विराज जाओ न। मंत्री पद छोड़कर कैलाशजी को बैठाया, उसके बजाय आप विराज जाओ। ठीक रहेगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, नये आने वाले माननीय सदस्य क्या शिक्षा लेंगे इनसे?

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, जहां तक रिफाइनरी का मुद्दा है, मुझे इसमें किसी बहुत बड़े खेल की गंध आती है। क्योंकि आज एक गरीब व्यक्ति किसी बैंक से दस-बीस हजार का लोन लेने भी जाता है, वह बैंक की शर्तों के आधार पर लोन लेता है, लेकिन वह कैसी सरकार, जिन्होंने रिफाइनरी के माध्यम से, आप 3,736 करोड़ का कर्जा भी दे रहे हों और कम्पनी की शर्तों को मान रहे हों। कम्पनी की शर्तें काहे के लिए मान रहे हों?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम है या कोई प्राइवेट ठेकेदार है ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कोई भी हो, रिफाइनरी शर्तों पर... (व्यवधान) राजस्थान के हितों की आप बलि चढ़ाओगे, ...(व्यवधान) यह कौन स्वीकार करेगा? यह राजस्थान का धन है, यह जनता के गाढ़े पसीने का धन है, यह किसी मुख्य मंत्री की जेब में से नहीं जाता है। इसलिए राजस्थान के हितों का संरक्षण किया जाए। हम रिफाइनरी के समर्थक हैं, रिफाइनरी लगनी चाहिए ...(व्यवधान) लेकिन यह राजस्थान के हित में, राजस्थान की जनता के हित में लगेगी तब ही जाकर के...। यह राजस्थान के हित में नहीं है, इसलिए कई हजार करोड़ों का...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समय का ध्यान रखें, देवनानीजी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरे को ध्यान है। बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी मैं अब तक शायद समाप्त ही कर देता।

श्री सभापति: अब आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं पांच मिनट आपसे लूंगा।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार चार वर्ष तो सोती रही, फिर भाजपा की सरकार पर बेतुके सवाल दागती रही; जब नींद खुली तो एक के बाद एक केवल घोषणाएं करती गयी और उन घोषणाओं में कह दिया गया कि टैबलेट ले जाओ, साड़ी ले जाओ, साइकिल ले जाओ ...(व्यवधान) पेंसिल ले जाओ। बता रहा हूं, मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, इनको कहिए डिस्टर्ब न करें।

यह तो पूर्ववर्ती सरकार ने किया, साड़ी, टैबलेट देना, निश्चित रूप से मैं इसका समर्थक हूं लेकिन इसमें नकद भुगतान करना और नकद उसने खरीदा या नहीं खरीदा, इसको देखने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी। बिल तो बन गये लेकिन चीज खरीदी गयी कि नहीं खरीदी गयी, इसका कहीं किसी प्रकार का हिसाब-किताब नहीं। और तो और, इस प्रकार की अव्यवस्थाओं ने सारी गड़बड़ियां पैदा कीं।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 65 वर्ष के बाद भी आज प्रदेश के सत्रह लाख घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, एक करोड़ से अधिक घरों में शौचालय नहीं हैं; 43 लाख परिवार पेयजल आपूर्ति कनेक्शन से आज वंचित हैं; इस पर हमको गम्भीरता से आज विचार करना चाहिए। हमारी सरकार ने इन मुद्दों को गम्भीरता से लिया है और इसलिए प्रदेश के 4.5 लाख बी पी एल परिवार और 1.12 लाख ए पी एल परिवारों को विद्युत कनेक्शन देकर, घरों को रोशन करने की दिशा में हमने काम करने के लिए कदम उठाए हैं। आज पचास हजार परिवारों में शौचालय और ढाई सौ ग्रामों को निर्मल ग्राम बनाए जाने का प्रयास करने के संकल्प के साथ ही इस सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। यह व्यापक योजना बनाकर काम करने की पहल निश्चित ही की है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैं अजमेर का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो गत सरकार थी, संवेदनहीन सरकार, उसका केवल एक उदाहरण दूंगा कि हमारे यहां 2003 से 2008 के बीच में पानी की टंकियां बनीं लेकिन वाल्व के अभाव में लोगों को पांच साल तक पीने का पानी नहीं मिल पाया और पाइप के अभाव में वहां कनेक्शन तक नहीं कर पाए। अब तो हो गया, वाल्व भी आ गया, उनको पीने का पानी भी मिला।

आप कहते हैं, सुराज किसे कहते हैं; सुराज उसे कहते हैं कि जयपुर में जिस दिन सरकार बदली, जयपुर की सफाई होने लग गयी। वही नगर निगम, वही आफिसर, होने लगी। अजमेर के अन्दर आपातकालीन जो हास्पिटल का वार्ड है, उसमें आप जाकर के देखिए, महीने भर के अन्दर क्या परिवर्तन आ गया। नये बेड आ गये, नये पलंग आ गये, सारा परिवर्तन हो गया, साफ सुथरा रहने लग गया। यह सारा परिवर्तन जो हुआ है, इसको कहते हैं सुराज। जरा अनुभूति तो करिए, सुराज की परिभाषा मानिए।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करिए। डा. किरोड़ीलालजी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश का विकास गांवों पर निर्भर करता है। इसलिए गांवों के विकास के बिना प्रदेश का विकास अधूरा है। इस हेतु सहकारी समितियों के और पशुधन और पशुपालकों के उत्थान की दिशा में लिया संकल्प अभिनंदनीय है।

(15.00 बजे)

केवल एक बात और कहता हुआ कि जिस वंशावलियों के संरक्षण और संवर्द्धन अकादमी की स्थापना का उल्लेख अभिभाषण में हमने किया है, यह शुरुआत आज भले ही छोटी दिखती हो परन्तु हमारी जड़ों को ढूंढने और जुड़ने का भागीरथी काम है। आज जो साम्प्रदायिक भेद दिखता है, उस भेद को पाटने का काम इन वंशावलियों के संरक्षण से सम्भव है।

इसमें टोपियां लगाने, उतारने, उछालने का तो दौर चल रहा है, भाजपा को मुस्लिम विरोधी बताने का एक रिवाज हो गया लेकिन आज राज्य की जनता ने इसको बेनकाब कर दिया। हमारे दो साथी आज अल्पसंख्यक समुदाय से जीतकर आये हैं और हमने अभिभाषण में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति अनेक घोषणाएं की हैं ताकि सारे समाज का हम एक साथ उत्थान करेंगे तो चीज आगे बढ़ेगी।

भाजपा किसी जाति और धर्म के नाम पर भेद नहीं करती। वे भारत

(श्री वासुदेव देवनानी)

के व राज्य के नागरिक होने के कारण हम सबके परिवार के हिस्से हैं। गरीब हैं, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो; अमीर हों, चाहे गरीब हों, समाज के सभी वर्गों के बारे में सोच-विचार कर प्रदेश को नये विकास के रास्ते पर ले जाने की यह शुरुआत है। राज्य सरकार ने अपने संकल्प के माध्यम से इस अभिभाषण में व्यक्त किया है।

मैं सुनहरे राजस्थान के लिये, संकल्पों से भरे और आमजन के स्वप्नों को पूरा करने के उद्देश्य से, नेकनीयती के साथ की जा रही शुरुआत के लिये राज्य सरकार का अभिनन्दन करता हूं और इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, आप अपनी बात तो कहें लेकिन ऐसा सुन्दर, अभिनन्दनीय जो अभिभाषण है, उसका विपक्ष भी समर्थन करके सर्व-सम्मति से इसको पारित करने का मैं अनुरोध करता हूं।

आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। आपने आसन को पत्र दिया है कि 273 के अन्दर आप कोई सूचना देंगे यहां पर। लेकिन जो आपने सदन को आश्वस्त किया है, कृपया उस बात पर आप स्ट्रिक्ट करेंगे, यह मेरा आपसे अनुरोध है। अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष पर चार्ज लगाया तो मुझे एक्सपंज करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापतिजी, आपने मुझे एक हिदायत के साथ...

श्री सभापति: नहीं, निवेदन के साथ, हिदायत के साथ नहीं। आपने लिखकर स्वयं दिया है, आसन के पास यह आपका पत्र है। मैंने आपको याद दिलाया है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): राज्यपाल के इस अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। अभिभाषण में जो गवर्नर से बुलवाया गया, वह सही है कि भयंकर बेरोजगारी फैली; बिजली की भारी कमी थी; बिजली से किसान त्रस्त था; कमर-तोड़ महंगाई थी; कानून के बद से बदतर हालात थे; महिलाओं पर अत्याचार बढ़े; बिजली कम्पनीज में भारी घाटा हुआ और विकास के दावे भी खोखले साबित हुए..

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, कृपया शांत रहें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ऐसा इनका कहना है। राजस्थान 16वें पायदान से खिसककर 20वें पायदान पर पहुंच गया। सड़क के निर्माण में भी गिरावट आ गयी और अब यह नया राजस्थान, समर्थ राजस्थान, सुनहरा राजस्थान बनायेंगे। मेरी शुभकामना है, ऐसा राजस्थान बने।

मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, इन्होंने घोषणा की कि किसानों को 6 घण्टे बिजली देंगे, 7 घण्टे रात में देंगे, बिलकुल बिजली किसानों को 4 घण्टे, साढ़े 3 घण्टे से ज्यादा मिल ही नहीं रही । पता कर लें।

आरटेट के बारे में मैं ही नहीं कह रहा, खुद घनश्यामजी तिवाड़ी आज अपने भाषण में कहकर गये हैं कि इसको खतम करना चाहिये। जिस किसी भी स्तर पर बात करने की आवश्यकता है, वहां पर बात करनी चाहिये सरकार को।

इन्होंने 15 लाख रोजगार देने की बात कही है, 15 लाख रोजगार का एक बयान, मैंने युनुस खानजी का बयान पढ़ा था जिसमें कहा था 15 लाख नहीं, हम तो 1 लाख रोजगार देंगे। अभी से ऐसी बातें चल रही हैं सरकार के मंत्री की तरफ से।

ला एण्ड आर्डर की स्थिति तो अभी से जैसी बिगड़ रही है, सभापतिजी, आपको ध्यान है, जोधपुर में एक ए एस आई की हत्या कर डाली; प्रतापगढ़ में दंगे हो गये; सीकर जेल में फायरिंग हो गयी।

श्री सभापति: प्लीज सिट डाउन। आप बार-बार खड़े होते हैं, निवाई से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) सदन में आर्डर कैसे रहेगा? (व्यवधान) अब आप बीच में... (व्यवधान) सदन आप चला लीजिए या आसन को चलाने दीजिए। (व्यवधान) आप पुराने सदस्य हैं। (व्यवधान) आप पुराने सदस्य हैं, माननीय। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन।

(15.37 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है। अभी आधा घण्टे तक जो आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये, वह सारा एक्सपंज किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 15.37 बजे 16.07 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(16.07 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (व्यवधान) हां, बोलिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य, लालसोट ने बात कही, यह सदन की परम्परा नहीं रही, हर सदस्य को बोलने का अधिकार है और जनता के हित की कहीं बात की जाती है, उस बात को अच्छी तरह से सुना जाए। सामने हमारे हां पक्ष बैठा है, सत्ता पक्ष है, हम मानते हैं, हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा जिस तरीके से हो-हल्ला करके एक माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसमें आपको कहीं न कहीं बैठ कर इनको निर्देश देना चाहिए, आदेश देना चाहिए।

अभी जो माननीय सदस्य, लालसोट द्वारा भ्रष्टाचार की बात आई, हमारे सामने भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस भ्रष्टाचार पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। उस भ्रष्टाचार पर हम सब का धर्म और कर्तव्य बनता है कि उस पर कहीं न कहीं हम सब, आपस में मिलकर रोक लगाने की जरूरत है। माननीय सदस्य ने बताया, कांग्रेस में जब जो है, हमने जो राज किया, उस राज के अन्दर जो एलीगेशन लगाये, भ्रष्टाचार की बातें हुईं, तब तो सामने बैठे हुए सदस्यगण अच्छी तरह से सुन रहे थे; जब इन पर बात आई तो इन्होंने सुनने से मना कर दिया, बीच में हो-हल्ला करके उस बात को दबाने की कोशिश की, उस सदस्य के अधिकारों का हनन किया। यह गलत बात है।

मेरा निवेदन यह है, मैं आपसे विशेष अनुरोध करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इस बात को, माननीय सदस्यों को समय कम है, हम हमारा समय आपको देंगे और आप उनको अच्छी तरह से बुलवाएं; उनके अधिकारों का हनन नहीं हो। (व्यवधान) मैं विशेष आपसे निवेदन करूं ...(व्यवधान) कहां हमने सुना है? हमारे प्रति उन्होंने एलीगेशन लगाये, उस वक्त में कार्यवाही में आया और जब सत्ता पक्ष पर कोई एलीगेशन लगा, उस वक्त में कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तो या तो हमारे ऊपर जो एलीगेशन लगा, वह कार्यवाही से निकालो या इनको कार्यवाही में लेओ। तो उसमें कहीं न कहीं तो व्यवस्था आप देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं आपका ध्यान नियम और प्रक्रिया के नियम 269 की ओर दिलवाना चाहता हूं, "सदन में उपस्थित रहते समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम-...(1) ...समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं हो,;..." मैं रिलेवेंट पढ़ रहा हूं...''(9) कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, चीत्कार नहीं करेगा या बाधा नहीं डालेगा...''। नियम 272 में, "...किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो;..." अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना आधार पर एक व्यक्ति का नाम लेकर उस प्रकरण को यहां उद्धृत किया जिस पर अभी न्यायालय में विनिश्चय लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो पालनीय नियम हैं, जो हमारे सब के लिए हैं, समाचार पत्र की कतरन से बार-बार उद्धृत करते रहे और उसके बाद, जिस गुस्से के अन्दर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके स्वास्थ्य के बारे में भी मुझे चिंता रहती है, जिस गुस्से के अन्दर इन्होंने आसन के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की और जिस गुस्से के अन्दर हमारे छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की ओर बढ़े, छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य घबरा गये, इनके भी हृदयाघात हो सकता था।

मैं समझता हूं कि यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। पहला सत्र है, हमारे नये माननीय सदस्य कुछ हमसे सीखना चाहते हैं...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घबराया नहीं, डाक्टर साहब मेरे से बड़े हैं, इसलिए मैंने उनकी इज्जत की है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, इस विधान सभा में हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन नियमों की पालना करते हुए अगर रखा जाए तो किसी को कोई एतराज नहीं है। अगर आप किसी पर कोई आक्षेप लगाते हों तो आप उसको प्रोपर नोटिस दो, अगर वह सदन का मेम्बर है, ताकि वह अपनी बात रख सके। जो सदन का मेम्बर ही नहीं है, उसके नाम के उद्धरण का यहां कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है; उस विषय को आप बिना नाम लिये कह सकते हैं। आप किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उसके नाम का उद्धरण किये बिना, अपने डाक्यूमेंट के आधार पर कोई बात रखना चाहें तो रखिये।

मैं सोचता हूं कि अगर अपन नियमों का पालन करते हुए जितनी भी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कठोर से कठोर बात कहना चाहें, वह कहने का अधिकार सदन में है, लेकिन नियमों की अवहेलना करते हुए। केवल आरोप-प्रत्यारोप लगाकर हाइलाइट होना अगर मकसद हो, तो यह हाइलाइट कोई स्वीकार नहीं करेगा। केवल इसलिए कि मेरा न्यूज में कैसे जाए, यह कोई तरीका नहीं होता है। आप कहो न, आरोप लगाओ लेकिन नोटिस देकर करो, डंके की चोट करो। हर चीज का जवाब देंगे। ऐसी क्या बात है?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, शायद गुलाबजी को जानकारी नहीं है, मैंने 273 का नोटिस दिया था और मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मैंने जो एफ.आई.आर. थी, जो कोर्ट की सर्टिफाइड कापी थी, वह एफ.आई.आर. पढ़ रहा था। (व्यवधान) अब आप क्यों बोल रहे हों? मैंने केवल एफ.आई.आर. पढ़ी थी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): एफ.आई.आर. में माननीय सदस्य आरोप होते हैं और आरोप बिना नोटिस के नहीं लगाये जा सकते। एफ.आई.आर. में भी वे ही आरोप होते हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): जो मैं पेपर लहरा रहा था, जो मैं यह कागज लहरा रहा था, यह पेपर नहीं था, यह विज्ञापन था। अब विज्ञापन में 22 हजार करोड़ का घोटाला, मैं लहरा रहा हूं, विज्ञापन में लिखा है तो उसका खण्डन इनको देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक सैकण्ड। आप किसी भी एफ.आई.आर. या किसी को भी पढ़ें, अगर वह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो उसका उद्धरण यहां नहीं दिया जा सकता। जैसे मैं सोहराबुद्दीन का अभियुक्त हूं लेकिन अगर आप में से कोई उसको निकालकर मेरी एफ.आई.आर. पढ़ना शुरू कर दे, जो कोर्ट में चल रहा है, तो वह न्याय को प्रभावित करने का काम होता है। उसका आप यहां उद्धरण नहीं कर सकते। यह आपका अधिकार नहीं है। कृपा करके आप नियमों की पालना करते हुए आएं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप स्पीकर बन गये क्या? वे व्यवस्था देंगे या आप व्यवस्था दे रहे हों? आप कौन हों व्यवस्था देने वाले? मेरे पर आप कौन हों व्यवस्था देने वाले? व्यवस्था वे देंगे, आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ऐसा है, डाक्टर साहब, जितने जोर से बोल सकते हो न, यह हेलिकाप्टर फोकट का नहीं लाया हूं। मैं गुलाब चन्द कटारिया हूं। (व्यवधान) क्या बात करते हो? (व्यवधान) मैं किसी दूसरे के आधार पर... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं भी किरोड़ी लाल हूं, आप जांच करवा लो। (व्यवधान) राजनीति छोड़कर चला जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): +++ सारे मेवाड़ में घूमकर क्या कमाकर लाये हो? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अब मंत्री बन गये तो दूध की धुली बता रहे हो। इन्होंने कहा था...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेवाड़ में घूमते-घूमते एक साल बरबाद किया, एक साल बरबाद किया। (व्यवधान) यह हेलिकाप्टर..

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अब मंत्री बन गये तो दूध की धुली हो गई। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेवाड़ के जैसी मार खाई तो पता ही नहीं चलेगा। (व्यवधान) मेवाड़ में जैसी मार खाकर लौटे न...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): जांच करा लो। (व्यवधान) भूल जाते हैं। जांच करा लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): +++ (व्यवधान) सदन दादागिरी से नहीं चलता, सदन नियमों से चलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ....+++ मेरे फेफड़े इतने कमजोर नहीं हैं, किसी और को डराया होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, कृपया आसन ग्रहण करें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कमजोर हो तब ही तो गंगाजी का लोटा सारा पी गये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ये फोकट के हेलिकाप्टर से नहीं आये हैं, जनता के बीच जाकर वोट लेकर आये हैं। हेलिकाप्टर से नहीं लाये हैं वोट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मंत्रीजी, स्थान ग्रहण कीजिये। सभी सदस्यगण स्थान ग्रहण कीजिये।

माननीय सदस्यगण, जिस तरह का आवेश और क्रोध पैदा हो जाता है, उसमें कई बातें हम ऐसी बोल देते हैं जो सामान्यतया नियमों के विरुद्ध होती हैं। मैं प्रतिपक्ष के नेता ने जो विचार रखे, उनका हृदय से आभारी भी हूं, स्वागत भी करता हूं लेकिन यहां पर जो कुछ हो रहा था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप तो यहां प्रत्यक्ष थे, मैं मेरे चैम्बर में बैठा...(व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ये क्यों कुर्सी लेना चाहते हैं? ये क्यों कुर्सी लेना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर फेफड़े में दम है तो एक घंटे तक +++ एक घंटे तक +++ फेफड़े में जितना दम है न उससे ज्यादा दम मेरे फेफड़ों में है। +++ (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): तभी तो पी गये गंगाजी को। गंगाजी को पी गये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जैसे सरकार का, कहा कि मैं मुख्य मंत्री बनूंगा, हेलिकाप्टर उड़ा-उड़ा कर चार पर आकर टिक गये। उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): शर्म तो क्या, अपराधी, लुटेरे बिठा रखे हैं। तब तो शर्म भी आती। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): जनता ने निपटा दिया फिर तो शर्म करो। जनता ने निपटा दिया। मुख्य मंत्री बनना चाहते थे और चार पर सिमट गये। चार जीते हो। दो-दो जगह लड़ना पड़ा। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय डाक्टर साहब, आपको बी.पी. की शिकायत है, ज्यादा उत्तेजना नहीं करें। आप वैसे भी बी.पी. के मरीज हैं। हम आपके प्रति बड़ी संवेदना रखते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बड़ी सहानुभूति रखते हैं कि कहीं गड़बड़ न हो जाए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं आपकी व्यवस्था मानने के लिए तैयार हूं पर गुलाब कटारिया की व्यवस्था नहीं मानूंगा। ये कौन होते हैं धमकाने वाले? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मेरी व्यवस्था मान लीजिये; मेरी व्यवस्था मान लीजिये।

माननीय सदस्यगण, मैं चैम्बर में था, एक बहस चल रही थी, बहस में कभी-कभी आवेश में भी बोला जाता है, जोर से भी बोला जाता है, कभी-कभी क्रोधित होकर भी बोला जाता है, वहां तक तो ठीक है लेकिन भाषा में आक्रामकता आ जाए और उसके साथ बाडी लैंग्वेज में भी आक्रामकता आ जाए और हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ नेता, राजाखेड़ा से आने वाले आदरणीय प्रद्युम्न सिंहजी आसन पर आसीन थे और उनकी रूलिंग का, उनके आदेश की भी लगातार अवहेलना हो रही थी। यह सारा देखने के बाद मैंने उचित समझा कि इस सारे सदन के वातावरण को एक बार ठण्डा करने के लिए, आपके बीच में आकर मैंने आधा घंटे के लिए इस सदन को स्थगित किया।

मैं अभी भी चाहता हूं कि आपस में हम एक-दूसरे का आदर करें; एक-दूसरे की भाषा में अगर आवेश आ गया है, क्रोध आ गया है, कोई आक्रामकता हो गई तो उसको हम भूलें। इस सदन को हमें चलाना है और इस विश्वास के साथ चलाना है कि राजस्थान की जनता यह माने कि यह सदन उसकी सेवा के लिए है, उसके भले के लिए है। यहां पर व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप को कम किया जाना चाहिए और जो एक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उस सारे चैप्टर को खत्म करके हम अपनी अगली कार्यवाही चालू करें।

यह जो आपने एक विषय रखा है कि साथ बैठकर अपन चर्चा करें तो इसका मैं स्वागत करता हूं। जो वरिष्ठ यहां के सदस्गण हैं, उनके साथ बैठकर हम ऐसी एक समझ विकसित करें जिसके आधार पर यह सदन बिल्कुल ठीक ढंग से चले और राजस्थान की जनता में इस सदन का संदेश ठीक जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब भूल जाइये, हम अगली कार्यवाही चालू करें।

मिस्टर गोविन्द सिंह डोटासरा। आप बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरा भाषण कितना एक्सपंज किया, कितना छोड़ा, यह तो बता दो।

श्री अध्यक्ष: यह मैं देख लूंगा; मैं देख लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने पहले रूलिंग दे दी थी, आपने रूलिंग दे दी थी, एक्सपंज कर दिया था माननीय सदस्य का भाषण, तो वह अब तो एक्सपंज ही माना जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मैं एक बात कह रहा हूं कि उसको मैं देख लूंगा, अगर पुनर्विचार करना होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। आपकी बार-बार यही आदत है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरा नहीं हो सकता, पूरा कैसे होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं एक बार उसको देख लूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो उसमें ऐसी बात होगी, जो नियमों के विरुद्ध...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी प्रार्थना है, आपने पहले हाउस स्थगित किया था, उसके बाद एक्सपंज बोला था। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना आप एक्सपंज करोगे, कितना रखोगे? पहले आपने हाउस स्थगित किया है, फिर एक्सपंज किया है।

श्री अध्यक्ष: मैंने तो सोचा कि मैंने एक्सपंज कराने के बाद हाउस को स्थगित किया है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने एक्सपंज पहले किया है, सदन बाद में स्थगित किया है। आप बैठिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब इस बात को ड्राप करिये ना। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दे दी थी, जब आपने एक्सपंज करने का आदेश कर दिया, उसके बाद आपने हाउस को स्थगित किया था।

श्री अध्यक्ष: वही बात थी, और क्या बात थी? कुछ व्यावहारिक होइये, कभी लचीलापन भी आना चाहिए। हम बिलकुल स्ट्रिक्टली रूल्स के आधार पर चलेंगे या स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करेंगे तो सदन का चलाना ही मुश्किल हो जायेगा। हमारे सदन को चलाने के जो नियम हैं और जो उप-नियम हैं, वे तो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर हम सब उनका अध्ययन करके बिलकुल उनका स्ट्रिक्टली पालन करेंगे तो कई बार सदन चलाना भी मुश्किल हो जायेगा। पग-पग पर हमको थोड़ा लचीला होना चाहिए और अपने आचरण में भी, व्यवहार में भी, भाषा में और उसमें हम सब एक सही बात यहां बोलते हैं, एक सही समझ विकसित कर रहे हैं। तो उस सही समझ को विकसित करने में मुझे आप सब का सहयोग चाहिए। मैं आपका चुना हुआ हूं और इस सहयोग की

(श्री अध्यक्ष)

आकांक्षा और अपेक्षा रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अब कोई इस मामले पर नहीं बोलेगा।

श्री डोटासराजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि हमारी पूर्व सरकार, उनके मुख्य मंत्रीजी और उनके परिवार के ऊपर जो आरोप लगाये, उनको एक्सपंज करने के लिए आपसे निवेदन किया है। वह व्यवस्था आप फरमायें। उसके बाद में मैं मेरा भाषण शुरू करूंगा।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए मैंने कहा कि मैं अध्ययन कर लूंगा। कोई ऐसी चीज होगी, जो यहां नहीं कहने जैसी है, उसको मैं एक्सपंज करने का आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ओके, धन्यवाद, संतुष्ट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा जो अभिभाषण किया गया, जिसका प्रस्ताव माननीय सदस्य, राजपालसिंहजी द्वारा किया गया और जिसका अनुमोदन माननीय सदस्य, राव राजेन्द्रसिंहजी द्वारा किया गया था, उसका मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं क्योंकि उस अभिभाषण में एक भी ऐसा वाक्य नहीं था जिससे इनकी जो कैम्पेनिंग में, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जो वादे किये गये थे, जो बातें कही गईं, जिस प्रकार की घोषणाएं की गईं, उसका कहीं लेश-मात्र भी परिलक्षित नहीं हो रहा था कि ये इनके ऊपर खरा उतरेंगे। इन्होंने लाखों-लाखों बेरोजगार युवकों को, जो टीचर बनने की आस में थे, यह कहकर आये थे कि हम टैट को खतम कर देंगे, हम एग्जाम जिला परिषदों से नहीं करवाकर आर पी एस सी से करा देंगे, हम विद्यार्थी मित्रों को नियमित कर देंगे, हम एन आर एच एम कर्मियों को नियमित कर देंगे; जो प्रतिबंधित जिलों के अध्यापक हैं, हम उनको उनके गृह जिले में ला देंगे; एक शब्द भी महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कहीं भी नहीं कहा गया। यहां तक ही नहीं, इन्होंने जो 60 दिन की कार्ययोजना बनाई, उसमें भी एक शब्द इस बात का नहीं कहा कि हम जो असत्य घोषणाएं कर-करके जनता का इतना भारी बहुमत लेकर आये हैं, उन घोषणाओं को किस प्रकार से हम पूरा करेंगे।

हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम 163 हैं, इनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यह 163 का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मतलब क्या है। 163 में एक यानी एक राज करेगा, और छक्का और तीया, 63 आमने-सामने रहेंगे। तो यह समझना पड़ेगा आपको। इतना ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। 2008 से पहले भी तो आप सत्ता में थे ना, क्या हुआ था? यही सदन की नेता थीं, इन्हीं में से अधिकांश मंत्री थे, यही योजनाएं ला रहे थे, क्या हुआ? वापस कैसे चले गये सरकार से आप? इसलिए इनको देखना पड़ेगा।

इन्होंने अपने चुनाव के दौरान कैम्पेनिंग में 15 लाख बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, ऐसा कहा था। इतनी असत्य बात जो हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुई, इस प्रकार की असत्य बात की। दे दी क्या इन्होंने 15 लाख लोगों को सरकारी नौकरी? माननीय मंत्री गुलाबचन्दजी कटारिया ने यह कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकायदा, हमने सुना था, वाइस रिकार्ड भी है कि हम 60 दिन में एक लाख बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी देंगे। दे दी इन्होंने एक लाख को? कहां गईं एक लाख लोगों की नौकरियां? आज जो नौकरी लगे हुए हैं, जो 4,743 नौकरी लगे हुए हैं, उन्होंने आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरकर रखा है और आपको वहां घुसने नहीं दे रहे हैं। जो लगे हुए हैं, उनकी परवाह नहीं, तो बेरोजगारों के साथ आपने जिस प्रकार का छलावा किया, जिस प्रकार की असत्य बातें आपने कहीं...।

आपने कहा, प्रशासन-शहरों-के-संग में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वे भू-माफियाओं को सरकार द्वारा दी जा रही हैं। अब आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, वही प्रशासन-शहरों-के-संग, आपने लोक सभा की आचार संहिता लगने तक बढ़ाने का काम किया है। इससे यह पता लगता है कि आपकी नीयती क्या है, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

आपने कहा था, किसानों को 24 घंटे बिजली दे देंगे, किसानों को आठ घंटे बिजली दे देंगे कृषि की, 24 घंटे घरेलू दे देंगे। दे दी ना 24 घंटे और आठ घंटे? आपको पता है, नहीं दी। आप जब फील्ड में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फील्ड में जायेंगे तब पता चलेगा। कपड़े फाड़ेगी जनता कि तुमने टैट खतम कर दिया क्या? तुमने बेरोजगारों को नौकरी दे दी क्या? तुमने वी सी आर भरना बंद कर दिया क्या? तुमने प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान बंद कर दिया क्या?

माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, श्री गुलाबचन्दजी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कटारिया साहब जब प्रतिपक्ष में थे तो जोर-जोर से भाषण देते थे, जैसी उनकी शैली है कि इस पंचायती राज का भट्ठा बैठा दिया; अब आप ही मंत्री बन गये, 60 दिन में इस भट्ठे को सुधारने का काम तो करो। कैसा भट्ठा बैठाया है, उसको ठीक किस प्रकार से करोगे? न इनके पास बिजली है, न कोई काम है।

जो कांग्रेस की सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोक गहलोतजी की सरकार ने जो काम चालू किये थे, उनको समीक्षा के नाम पर, सब कामों को बंद करने का काम इस सत्ता पक्ष ने अपने घमंड में चूर होकर किया है। यह जनता बरदाश्त नहीं करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना नीरस वातावरण सदन में है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है, इतने वरिष्ठ लोग चुनाव जीतकर आयें, सबके मन में थी कि मंत्री बनूंगा, मंत्री बनूंगा, मंत्री बनूंगा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कई तो पूर्व मंत्री दुबारा पूर्व होकर ही चले जायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतना ज्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज्यादा घमंड करने की आवश्यकता नहीं है... (व्यवधान) आप विराज जाओ, विराज जाओ। एक दिन भी नहीं बोलने दूंगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपके मन में था ना, नेता प्रतिपक्ष बनने की?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं कह रहा हूं, एक दिन भी नहीं बोलने दूंगा, जो बीच में खड़ा होगा।

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय की तरफ आप मुखातिब होकर बोलिये। अध्यक्ष महोदय की तरफ मुखातिब होकर बोलें। (व्यवधान) इधर नहीं करें मुंह।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, नहीं, आपके मन में था ना, नेता प्रतिपक्ष बनने का? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हीरालालजी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इनकी हालत देखिये, माननीय सदन की नेता ने एक घोषणा की है, हमने पढ़ा है, सुना है कि इनको, 163 को सात दिन में केवल एक दिन चार घंटे मिलने का मौका दिया जायेगा। इससे ज्यादा दुर्गति राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई, माननीय सदस्यों के जीतने के बाद भी। क्यों, भाई? सदन की नेता हैं, चाहे जब मिलें, माननीय सदस्य है; हमसे मिलें कि नहीं मिलें, उनकी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मर्जी की बात है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, उनको तो रोजाना मिलना चाहिए। जब सदस्य चाहें, तब मिले, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

इन्होंने कहा था सुराज यात्रा में, रेवड़ियां बांट रहे हैं, पेंशन बंद कर देंगे, अपात्र लोगों को पेंशन दे रहे हैं; माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के मंत्रीजी ने कहा कि हम पेंशन बंद नहीं कर सकते, हम पेंशन बंद नहीं करेंगे। क्या हुआ? कर रहे थे ना। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जितना खर्चा, जितना पैसा पूर्व सरकार, माननीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया, इन्होंने तो पांच साल राज किया, कहीं सामाजिक सुरक्षा के नाम से एक पैसा नहीं दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बी जे पी में जहां वृद्धावस्था, एकल नारी विशेष योजना और सम्मान पेंशन जहां 6.57 लाख व्यक्तियों को दी गई, वहीं पर कांग्रेस ने 49.40 लाख व्यक्तियों को दी। यह सामाजिक सुरक्षा ये जानते ही नहीं; ये सामंती लोग हैं, ये नहीं जानते और अब इनमें घमंड आ गया, हम जीत गये, 163 आ गये।

आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक महिला को, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री नहीं बनाया इन्होंने। सारी महिलाएं बातें करती रहती हैं, माननीय सदस्या, कि हमारा कब नम्बर आयेगा, हमारा कब नम्बर आयेगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे तो मुख्य मंत्री भी महिला ही हैं। आपके शहजादे को घोषणा करनी पड़ी है...(व्यवधान) कि हम महिला मुख्य मंत्री बनायेंगे। क्यों घोषणा की, मुख्य मंत्री बनायेंगे? महिला मुख्य मंत्री बनायेंगे आप तो अब, हमने पहले से ही महिला मुख्य मंत्री बना दी। तो वहां जाकर के सिखाओ आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहूंगा, माननीय सदस्या का ही नम्बर आ जाये, लोक सभा के पहले।

श्री अध्यक्ष: आपसे किसी ने शिकायत नहीं की है। आप गलत बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये इतने डरपोक लोग हैं, ये +++ लोग हैं कि लोक सभा का बहाना बना करके...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बहादुर लोग आप ही आ गये। आप आ गये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या बात कर रहे हो? आप बहादुर हो क्या? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): यह +++ और डरपोक के शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): डरपोक हैं आप सब के सब। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): आप सचेतक होकर, कांग्रेस के माननीय सचेतक, किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? +++ डरपोक...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान की महिलाएं +++ नहीं होतीं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस वर्ड को आप वापस लीजिये, जो शब्द का प्रयोग किया है। इसको तुरन्त प्रभाव से सदन की कार्यवाही से हटाया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। हां, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ): भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी +++ डरपोक है कि लोक सभा को ध्यान में रखते हुए...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, जो महिलाओं के लिए इन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, उनको पहले, इस शब्द को एक्सपंज किया जाय और ये माफी मांगें। माननीय सदस्य माफी मांगें, महिलाओं के बारे में जो शब्द, जो टिप्पणी की है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: महिलाओं के प्रति +++ कह कर...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप जवाब दो। माफी मांगो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनको सदन से बाहर निकालो। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पहले माफी मांगो, महिलाओं के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके हित की बात की है, फिर भी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: राजस्थान की उन वीरांगनाओं ने तो इस देश के लिए अपनी आहूति दी है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, पहले सदन की कार्यवाही से इसे एक्सपंज किया जाय, जो इन्होंने कहा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं ही तो आपको मंत्री बनवा रहा हूं; मैं ही तो आपको मंत्री बनाने की बात कर रहा हूं और आप ही... (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से ये महिलाओं के प्रति बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। इस शब्द के बारे में मुझे व्यवस्था देने के बारे में मजबूर मत कीजिये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये महिलाओं को +++ कैसे कह सकते हैं? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह माफी मांगें।

एक माननीय सदस्य: यह वीरांगनाओं का देश और प्रदेश है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): राजस्थान की जनता को +++ कहा है आपने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वीरता कूट-कूट कर भरी हुई है राजस्थान की महिलाओं में। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने तो सरकार को कहा था। ये लोक सभा के आगामी डर के कारण से अपना पूरा मंत्रिमण्डल ही नहीं बना पा रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पहले माफी मांग लो, उसके बाद...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पहले माफी मांगें, पहले। (व्यवधान) पहले माफी मांगो सदन से। सदन से पहले माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, माफी मांग लीजिये, इसी में आपका...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सदन से पहले माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): महिलाओं का अपमान है यह।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या महिलाओं ने वोट नहीं दिया आपको? उन महिलाओं को, नारियों को आप +++ बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। मैं यहां की संसदीय भाषा देख लूंगा, उस संसदीय भाषा में अगर यह शब्द असंसदीय होगा तो मैं एक्सपंज करवा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने सरकार के लिए कहा है, अध्यक्ष महोदय। मैंने सरकार के लिए कहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, महिलाओं के लिए कहा है, महिलाओं के लिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपने महिलाओं के लिए कहा है। महिलाओं के लिए कहा है आपने। माफी मांगो सदन से। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो सरकार को डरपोक, +++ बता रहा हूं और आपकी पैरवी कर रहा हूं कि आपको मंत्री बनायें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मैंने रूलिंग दे दी, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान) यह डरपोक और +++ के शब्दों पर अभी कोई रूलिंग नहीं दूंगा। आप क्षमा करें। आप बैठिये। हां, आप बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल सरकार...

श्री अध्यक्ष: आप आगे बढ़िये। (व्यवधान) क्या कहा, आगे बढ़िये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): महिलाओं की मैंने पैरवी की है कि इनको भी मंत्री बनाया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हीरालालजी, आपके क्या हो रहा है? हीरालालजी, आप बैठिये। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपके क्या हो रहा है? हर बार आप खड़े हो जाते हैं। मैं आपको निवेदन करता हूं कि बार-बार मत खड़े होइये। इनको बोलने दीजिये, इनको हस्तक्षेप मत करिये। (व्यवधान) बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पालनहार जो एक ऐसी योजना है, जिसके मां-बाप नहीं हैं, केवल बच्चे हैं, तो इन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल में, अध्यक्ष महोदय, केवल 20 हजार व्यक्तियों को लाभ दिया और हमारी सरकार ने, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने ढाई लाख व्यक्तियों को इसका लाभ दिया।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पालनहार योजना माननीय वसुंधराजी ने अपने कार्यकाल में चालू की थी। मैं आपको जानकारी दे दूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर भी लाभ नहीं दिया। (व्यवधान) फिर भी लाभ नहीं दिया। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 20 हजार व्यक्तियों को दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह नया, अभिनव प्रयोग हमारे द्वारा किया गया है। माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह अभिनव प्रयोग हमारी सरकार में किया गया था। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह पांच साल की सरकार थी, पांच साल के इनके आंकड़े बता रहे हैं...(व्यवधान) यह योजना ही बाद में शुरू हुई थी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक भी नहीं बोल पायेंगे। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार बीच में बोल कर हमारे माननीय सदस्य का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान) सत्ता पक्ष कार्यवाही में बाधा डालना चाहता है। इनकी आदत पड़ी हुई है विपक्ष की।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक को...(व्यवधान) माननीय पाली के विधायक महोदय, पाली के विधायक महोदय, अगर ये गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप अपने वक्तव्य में सही आंकड़े प्रस्तुत कर दीजिये लेकिन इस तरह हस्तक्षेप मत कीजिये। विराजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह क्या बात हुई? (व्यवधान) नहीं, यह असत्य कैसे बोलेंगे सदन में? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कितनी देर बोलेंगे? कितनी देर में? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल सरकार के आंकड़े दो ही तो नहीं दिये, अभी तक तो दे ही रहा हूं ना।

श्री अध्यक्ष: तो कोई बात नहीं, जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, जल्दी तो, इतना डर काहे का है? 163 हैं ये तो। ये तो 163 हैं, डर काहे का है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उकसाने वाली भाषा प्रयोग नहीं करें।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका समय पूरा हो रहा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार में माननीय सदस्यों ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, इसलिए हमारे दो जीत करके आ गये। मैं मानता हूं कि हमारे पक्ष से अल्पसंख्यक नहीं जीत कर आये, लेकिन अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, बी जे पी के शासन में जहां जीरो था, वहां दो लाख छब्बीस हजार आठ सौ चौहत्तर व्यक्तियों को हमने लाभ दिया। यह कांग्रेस शासन की देन है। (व्यवधान) इसका क्या इलाज है?

श्री अध्यक्ष: शांत रहो। शांत रहो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने बार-बार आरोप लगाये थे, पूर्व सरकार, हमारी सरकार के ऊपर कि जो दवाइयां नि:शुल्क दी जा रही हैं, उनमें जहर बांटा जा रहा है, जहर दिया जा रहा है; मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं इनसे कि कितनी दवाओं में जहर मिला और आपने कितनी दवाएं बंद कीं, यह बताने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा दिन असत्य बातें चलती नहीं हैं। यह लोक सभा चुनाव बता देगा इनको।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 21 पर लेकर आ गये। (व्यवधान) क्या बात करते हैं ये बार-बार?

श्री अध्यक्ष: आप बार-बार खड़े हो जाते हैं, क्या हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी दवाइयां बंद कीं इन्होंने? कितनी जांचें बंद कीं?

ये बार-बार कहते थे यहां पिछले पांच साल में, सारे जितने मंत्री बने हुए हैं, चाहे राठौड़ साहब हों, चाहे कटारिया साहब हों, सब यह कहते थे पेट्रोल पर, डीजल पर वैट कम करो, किसान को फायदा हो, गरीब को फायदा दो; ले लिया क्या 60 दिन की कार्ययोजना में? सारा पेट्रोल और डीजल कम करा लिया क्या आप सब ने? अपनी-अपनी गाड़ियों में तो कम करा लिया क्या?

कुछ नहीं करने वाली है यह सरकार, यह असत्य बोलने वालों की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार है। बेरोजगार छात्रों को ठगा; आपने गरीबों को ठगा; हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे; पंचायती राज को मजबूत बना देंगे; वी.सी.आर. बंद कर देंगे; बिजली दे देंगे; कानून-व्यवस्था में सुराज ला देंगे; ला दिया ना सुराज? कल ही जेल में, राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार की कभी घटना नहीं हुई जैसी आपके भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक कैदी ने जेल के अन्दर दूसरे कैदी को गोली मारी। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। (व्यवधान) ये बार-बार कह रहे हैं कि पांच साल में...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जेल में हत्या हुई है। (व्यवधान) वह किसके राज के अन्दर हुई थी? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह आप विधान सभा में नहीं कहेंगे। जोधपुर की जेल में क्या हुआ था? आपको याद नहीं है क्या? जेलर को ही मार दिया था वहां तो। याद रखो ना, उन चीजों को भी याद रखो आप। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय मुख्य मंत्री सदन में नहीं, इनकी परफोर्मेंस कोई नहीं देख रहा है। लोक सभा बाद बनायेंगी मंत्री। बोलने दो सदस्य को।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर को भी याद रखो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल में अशोक गहलोत की सरकार ने केन्द्र में कम से कम राज्य को 20 दफा इनाम दिलाने का काम किया, 20 योजनाओं में इनाम दिलाने का काम किया है। (व्यवधान) यह क्या बात हुई? (व्यवधान) एक दिन ही नहीं बोलने दूंगा, ध्यान से सुन लेना। हां, इतने कमजोर नहीं हैं हम। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप मत बोलने देना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक भी बोल लें आप में से, मेरा नाम बदल देना। यह कौन सा तरीका है? अध्यक्ष महोदय, यह कौन सा तरीका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपा करके आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप ही हो क्या ज्यादा? धीमी गति के समाचार हो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप धीमी गति के समाचार हो।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, आसन पैरों पर है, आप बैठिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): या तो इसको एक्सपंज करवाओ...

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है, आप बैठिये। आसन पैरों पर है, आप एक मिनट बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्यों, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि जो भी वक्ता बोले, अगर संसदीय भाषा में वह बोल रहा है, सत्य या असत्य है, उसका आपके वक्तव्य के वक्त आप खंडन कर सकते हैं, लेकिन उसके बोलते वक्त इस तरह का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वह सत्य है या असत्य है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): थैंक यू। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब बैठिये आप। हर बार आप काउंटर मत कीजिये। इनके फिगर हैं, वे ये दे रहे हैं। आपका वक्तव्य हो, तब आप अपने फिगर दे देना, उस समय। हर बार में आप खड़े होकर उन फिगर्स को काउंटर कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है, लेकिन संसदीय भाषा में वे प्रयोग किये जा रहे हैं तो उसको आपको सुनना पड़ेगा और बार-बार हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सब से। अब आप चालू कीजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे यह लिखा हुआ है, "सभा में या तो प्रवेश न किया जाय और यदि प्रवेश किया जाता है तो..."...(व्यवधान) यह सदन में लिखा हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सारे अनपढ़ हैं क्या? आप ही क्या पढे लिखे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। यह लिखा हुआ है, 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है, सबके लिए है वह, एक के लिए नहीं है, सबके लिए है, 'सत्यमेव जयते'। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय विधायक, आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो रूलिंग दी सर्वमाथे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता ही यही है, लेकिन हाउस को मिस्लीड करने का अधिकार विपक्ष को भी नहीं है और माननीय दूसरे सदस्यों को भी नहीं है। मिस्लीडिंग फैक्ट्स

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हों तो आपकी नालेज में लाएंगे कि इस तरह के फैक्ट्स रिकार्ड में नहीं आने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: जब आपका वक्तव्य हो, आप ले आना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ऐसा ही अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष के रूप में चाहती थी। आपने अच्छी व्यवस्था दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि कृमण पुरस्कार कौन लाये?

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी समाप्त कीजिए। दूसरे भी बोलने वाले बहुत हैं। आपकी बात आ गई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार को 2010-11 में डेढ़ करोड़ रुपये का इनाम मिला। आप देखिए, राष्ट्रीय पंचायती समारोह में पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तर तक की निधियां और गतिविधियां, स्टाफ के मय स्थानान्तरण करने पर डेढ़ करोड़ रुपये की राशि का प्रथम पुरस्कार राजस्थान को मिला। प्रशासन-गांवों-के-संग में 95 हजार 702 आवासीय पट्टे देने पर 346 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाड़मेर में 44 हजार टांके 'मनरेगा' में बने तो बाड़मेर के जिला प्रमुख को भारत सरकार ने सम्मानित किया। पर्यटन के क्षेत्र में भी, नेशनल ट्यूरिज्म अवार्ड जो है, वह हमारे शासन के दौरान माननीय हमारे मुख्य मंत्रीजी, श्री अशोकजी गहलोत नेतृत्व की सरकार को मिला। एन आर एच एम के अन्दर देश में प्रथम स्थान का पुरस्कार हमारी सरकार को मिला। ये नकार सकते हैं क्या इन बातों को?

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिए। एक सेकण्ड में समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक सेकण्ड में, ये कहते हैं, वित्तीय प्रबंधन; इन्होंने कहा, वित्तीय प्रबंधन आपका गड़बड़ था, इसलिए आप चुनाव हार गये। मैं वित्तीय प्रबंधन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: हो गई है, अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए। समय बहुत ले लिया है, बहुत समय ले लिया है। पहले ही कांग्रेस पार्टी का जो समय है, समाप्त हो चुका था। मैंने आपको अवसर दिया। आप अब समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने एक-डेढ़ घंटे बोला है, मैं दो मिनट समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वित्तीय प्रबंधन में इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें कही हैं, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो 2 लाख 49 हजार करोड़ रुपये था; वह बढ़कर के, 260 परसेंट बढ़कर के 4 लाख 78 हजार 160 करोड़ रुपये हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति आय जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में 31 हजार 279 थी, वह 194 प्रतिशत बढ़कर के 60 हजार 652 रुपये हो गई और राज्य योजना जो बी जे पी के शासन में 15 हजार 674 करोड़ की थी, वह 208 प्रतिशत बढ़कर के 40 हजार 500 करोड़ रुपये हो गई। कुल राजस्व संग्रहण जो बी जे पी के शासन में 33 हजार 459 करोड़ रुपये का था, वह 77 हजार 221 करोड़, यानी, वृद्धि जो है, 230 परसेंट हो गई और ऋण भार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कांग्रेस का 2012-13 में 26.64 था, वह बी जे पी के शासन में 36.4 प्रतिशत था, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, एक मिनट। ऐसे नहीं, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपने दो मिनट के बजाय चार मिनट ले लिए हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके पास जो करने को है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों को ये नौकरी दें? लेकिन ये तो क्या कर रहे हैं, बेरोज़गारों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, किसान को बिजली नहीं दे रहे हैं, इनके वेटिंग-टू-पी एम जो है, उनको राज़ी करने के लिए होटलों में चाय पी रहे हैं। इससे राजस्थान के किसान का भला नहीं होने वाला, गरीब का भला नहीं होने वाला। इनको काम करना पड़ेगा। 163 का घमण्ड इस लोक सभा चुनाव में टूट जाएगा। सारे लोग, गांव में किसान हाथ में लट्ठ लिये बैठा है, बेरोजगार युवा बैठा है, लोगों से जो झूठे वादे किए गए, उन झूठे वादों का सबक सिखाने के वक्त का इंतजार कर रहा है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं लेकिन, एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। बस, अब आप विराजो। आप स्थान ग्रहण करें। नहीं, अब बहुत हो गया है। श्री शंकरसिंहजी राजपुरोहित।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक ही मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, अब आप बैठ जाएं, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है, आप विराजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के लिए मैं पक्ष में खड़ा हुआ हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

महामहिम महोदया ने जो अभिभाषण पेश किया, उसका एक पैराग्राफ पढ़कर के मेरी बात प्रारम्भ करूंगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सत्र का समय एक घंटे के लिए?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साहब, पांच-चार घंटे के लिए बढ़ाओ। 133-133 आदमी बोलने वाले हैं। क्या कर रहे हो ऐसे?

श्री अध्यक्ष: दो घंटे के लिए?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हां, दो घंटे के लिए और बढ़ा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाता है, सत्र का समय। मैं उलटा बोल गया था, समय का सत्र नहीं, सत्र का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए, आपकी सहमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अध्यक्ष महोदय, गत पांच वर्ष के

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

शासन की यदि हम समीक्षा करते हैं, तो इस दौरान जन-साधारण को सिवाय घोर निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगा। राजस्थान का नौजवान बेरोजगारी के कारण हताशा के वातावरण में रहा। राजस्थान का किसान बिजली की कमी, डीज़ल, खाद के दामों में बढ़ोतरी की वजह से अपने आपको ठगा सा महसूस करता रहा। बढ़ती हुई महंगाई के कारण आमजन का जीवनयापन कठिन हो गया तथा जर्जर कानून-व्यवस्था के कारण जन-साधारण भयाक्रान्त रहा। महिलाएं असुरक्षित रहीं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं नित्य-प्रतिदिन घटती रहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह था पिछली सरकार का लेखे-जोखे का एक पैराग्राफ। बहुत लम्बा-चौड़ा है और समय बहुत लिमिटेड है। सारे बिन्दुओं को न छूते हुए, आज जो राजस्थान की स्थिति बनी हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता।

जिस प्रकार से, सुराज संकल्प के माध्यम से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश के गांव के चप्पे-चप्पे को छाना, एक-एक व्यक्ति की समस्या, एक-एक गांव की समस्या, हर किसान की समस्या, हर मजदूर की समस्या को लेते हुए यह जो सरकार का ढांचा बनाया है...(व्यवधान) हम करेंगे, आप धैर्य रखिये, हर बात को साठ दिवस में मत तौलिये; हम करेंगे, आपने जो नहीं किया है। 2003 से 2008 में हमारा शासन रहा, उसमें क्या नहीं किया? इतना बढ़िया शासन रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा के मामले में अगर लें, तो स्कूलें तो बढ़ा दीं लेकिन उन स्कूलों में अध्यापक नहीं; स्कूलों में अगर विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बिल्डिंग नहीं हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां पर इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी हुई है।

शिक्षा के मामले में, अभी जैसा कहा, जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार के कारण, जो आठवीं तक बच्चों को बिना कुछ परीक्षा के पास करने का नियम; मतलब यह है कि राजस्थान के वास्तव में जो बच्चों की नींव है, कमजोर करने का नुमाइंदा इस कांग्रेस सरकार ने दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे कारण भी यही है कि उनकी इस देश की संस्कृति और सभ्यता से कितना प्यार है, यह दिखता है। यह देश वह है जहां नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से छात्र पढ़ने आया करते थे; यह देश वह है जहां आज विश्व के मानचित्र पर, चाहे वह अमरीका हो या इंग्लैंड हो, हर दूसरा, तीसरा इंजीनियर हिन्दुस्तानी है। यह दशा, यह स्थिति हमारे इस नौजवान की है यहां पर और इस कांग्रेस सरकार ने इसलिए बना दी।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता हैं, जो दस-बारह, एक कैटेगरी, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, उनमें से अधिकतर तो कोई-न-कोई विदेशी धर्म से ग्रसित हैं; या तो उनके आगे वाले विदेशी हैं या उनके पीछे वाले विदेशी हैं। यह दुर्भाग्य है। अब वे इस देश की संस्कृति और सभ्यता को कैसे समझ सकते हैं? यह हमारा इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के मामले में आज मुफ्त दवाइयां, वह दिन आएगा जो एक-एक नेता की हम सारी कुण्डलियां गिना देंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज मुफ्त दवाइयों का पिटारा खोला, दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट की, विज्ञापनों की बौछार कर दी, हर बस पर, हर कहीं सरकारी अड्डे पर विज्ञापन, मुफ्त दवाइयां। क्या है मुफ्त में? कौन बांटेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ऐसे चार पी एच सी सेंटर हैं जहां पर डाक्टर नहीं, नर्स नहीं, ए एन एम नहीं और कम्पाउंडर नहीं। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, एक मिनट। वे नहीं हैं, अब वे मुफ्त दवाइयां किससे बंटवाओगे? उन इमारतों से? यह जंगलराज था। मतलब, कितना स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, कितने संवेदनशील हैं। चार अस्पताल ऐसे थे, जिन पर एक भी डाक्टर नहीं, एक भी कम्पाउंडर नहीं, सिर्फ एक फोर्थ ग्रेड का चपरासी वहां पर था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब तो ठीक हो गया न?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हो जाएगा। हो जाएगा।

बिजली के मामले में, एक वास्तव में कहना चाहिए...

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, इशारेबाजी नहीं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 2003 से 2008 में, उस समय के बिजली मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, यह राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ कि शहरों में अगर चौबीस घंटे बिजली हो सकती है तो गांवों में क्यों नहीं हो सकती है? और यह पहली बार फीडर रिनोवेशन के माध्यम से गांवों में चौबीस घंटे बिजली दी। जैसे ही 2008 के बाद हमारी सरकार गयी, बिजली न मालूम, यह कांग्रेस की सरकार कहां खा गई, कहां खा गये, कहां बेच दी। मैं यह कह रहा हूं कि यह लीकेज सिर्फ ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों के घर चला गया; ये राजस्थान के गांवों की बिजली इनके बड़े-बड़े उद्योगपतियों की सेवा में चली गई; माननीय अध्यक्ष महोदय, जेबों में चली गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बोल रहे हैं? जेबों में भी बिजली जाती है क्या? इनको पता ही नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हां जाती है। वह हम तरीका बता देंगे, कैसे जाती है। आप अगर तरीका पूछोगे तो बता देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा, वह बी जे पी में होगा तरीका। माफी चाहता हूं, मुझे पता नहीं था, बी जे पी में है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): पानी के मामले में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इतनी अव्यवस्था है, मैं जालोर जिले की बात करूं; माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2007 में नर्मदा का प्रोजेक्ट, जालोर जिला अपने आप में एकदम 80 प्रतिशत फ्लोराइड-युक्त जिला है और यह पहली बार वसुन्धराजी ने जालोर जिले पर बड़ा अहसान किया और गुजरात के द्वारा नर्मदा का पानी सांचोर होते हुए जालोर जिले में लायीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सांचोर में पानी बहुत है, जमीन खराब हो रही है और बाकी का जालोर जिला प्यासा है। 2008 के बाद, हमने जो पाइप लगाये, उन पाइपों की धूल तक ये नहीं उड़ा सके और आज वह स्थिति वहां की वहां है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ में जो प्रोजेक्ट बना था, आहौर की जनता को पानी पिलाना था, आज वह प्रोजेक्ट 503 करोड़ पर चला गया। ये दो सौ करोड़ का अधिक भार कांग्रेस की सरकार के कारण है। सिर्फ इसलिए कि वसुन्धराजी यह योजना लाई है, कांग्रेस को उस योजना को रोकना था। आज जालोर जिले में अब वापस काम चालू हुआ है। मैं मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि साठ दिनों में उन्होंने इस बात को भी लिया है और वह काम बहुत प्रगति पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 1,200 करोड़ की ग्रामीण पेयजल योजना के लिए केन्द्र सरकार से एक मदद आती है; 2011-12 में 1,200 करोड़ आये इनके समय में और उसमें से 900 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें आर ओ प्लांट लगाने पड़ते हैं। अब जालोर जिले में 44 आर ओ प्लांट लगने थे लेकिन एक भी आर ओ प्लांट नहीं लगा। मतलब, पैसा खर्च कर दिया गया। 900 करोड़ रुपये कहां खर्च किये, इनका भगवान यह जानता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह नर्मदा का विषय कहना चाहता हूं कि यह जालोर जिले की बहुत बड़ी जान बनेगी, आत्मा बनेगी, बहुत बड़ा आशीर्वाद बनेगा। अब यह काम स्पीड से होगा। इस महामहिम के अभिभाषण में भी लिया है, पेयजल के विषय में।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई वाले विषय में एक बहुत बड़ा अच्छा विषय लेकर बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। आप मेरे सामने देख रहे हों, मुझे मालूम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से साठ वर्ष पहले राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था और वह समझौता यह हुआ था कि जिस दिन खेड़ा जिले को नर्मदा का पानी मिल जाएगा, उस दिन माही-बजाज का पानी, जो बांसवाड़ा से गुजरात को जाता है, वह पानी जालौर, पाली और बाड़मेर जिले के लिए मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, 2008 के बाद नर्मदा का पानी खेड़ा जिले को पहुंच गया और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा मैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक भी पत्र गुजरात सरकार या केन्द्र सरकार को नहीं लिखा। जालौर जिले के लिए, बाड़मेर जिले के लिए, सिरोही जिले के लिए, पाली जिले के लिए यह बहुत बड़ा अपराध किया है और उस अपराध का जनता ने तो संदेश दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पानी है, वह पानी इतना है कि उस पानी के द्वारा जालौर, सिरोही, पाली और बाड़मेर, इन जिलों के लिए जवाई बांध का पुनर्भरण करके एक-एक गांव को नहरों से सिंचित किया जा सकता है। इतना पानी नहरों से वेस्ट जा रहा है और पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्री ने एक भी पत्र नहीं लिखा। उस जनता के ऊपर बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जैसा हमने घोषणा पत्र में भी लिया है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अब समाप्त कीजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं, मैं समाप्त कर देता हूं।

अब आपके माध्यम से मैं ये जो पेंशन, पंचायती और जो सारी बंदरबांट इन्होंने की, उस बंदरबांट के जरिये राजस्थान के खजाने को खाली कर दिया। आज राजस्थान की जनता के उपयोग का पैसा इन लोगों ने, अब जैसे ये लैपटाप और पेंशन, ये क्या हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं पैसे रोकड़ उठा लिये, कहीं चाइनीज लैपटाप लाकर दे दिये। मतलब, इन सारी बातों की वास्तव में कोई न कोई विधान सभा के लेवल पर एक जांच कमेटी बननी चाहिए जिससे सही विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कह कर मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। मैं आज एक आपको बताना चाहता हूं, यह पूरे देश का विषय है, आज अनुसूचित जाति से अध्यक्ष बने हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है लेकिन इस सरकार ने हमेशा अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ, ये जो कह रहे हैं न, बहुत बड़ा अन्याय किया। यह अन्याय किया था, जिस तरह, इस देश के संविधान को बनाने वाले, डा. भीमराव अम्बेडकर को इस सरकार में नहीं आने देने के लिए अगर सबसे बड़े कोई गुनहगार हैं तो ये कांग्रेस के नेता गुनहगार हैं। नहीं तो आज हमारे देश की हालत कुछ और होती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के ऊपर बहुत बड़ा अपराध हुआ था, चार महीने पहले, खाली वह एक बात कहूंगा और समाप्त करूंगा; माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन को क्या, पूरे राजस्थान को उस पर विचार करना होगा; बहुत बड़ा अपराध हुआ था, घिनौना अपराध हुआ था और वह अपराध हुआ था, भारत-पाकिस्तान की सीमा पर चार-चार सैनिकों के सर, कत्लेआम करके नालायक पाकिस्तान ले गया और हिन्दुस्तान की सरकार देखती रह गयी। मैं आज आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उस अपराध का बदला उस सरकार ने नहीं लिया, उस अपराध का बदला लेने का समय आ गया है। मैं आज सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अपराध का बदला लेने का समय आ गया है, वह हमें लेना है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जो अभिभाषण दिया गया था, उसके धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति दिन दैनिक दिनचर्या में घर की सफाई के लिए मातृ-शक्ति सुबह उठते ही अपने घर की सफाई करती है। गत सरकार के जो कार्यकलाप गन्दगी के रूप में राजस्थान में दिये गये थे और हर जगह

(17.00 बजे)

(श्री अर्जुन लाल)

से, जिला मुख्यालय से, सम्भागीय मुख्यालय से, नगर निगम, नगरपालिकाओं के द्वारा, कई बार जयपुर की मेयर भी इस बात के लिये जोर देती रहीं कि हमारे यहां से गंदगी हटे, हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी ने 13 जनवरी को ही सबसे पहले यह कदम उठाया था कि सम्भागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगरपालिकाओं में सबसे पहले सफाई की जाये तथा जितने भी अस्पताल हैं, स्कूल हैं, उनकी सफाई की जाये। यह जो सोच का अभियान चला, नगर निगम, नगरपालिका में जो प्रकाश की व्यवस्था चली है, इसके लिए सबसे पहले मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजेजी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने गत सरकार के गंदगी रूप कार्यकलाप को खतम करके नई सरकार के शुभ आगमन का संदेश दिया है।

दूसरा मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, गत सरकार में जो अनियमित रूप से, कहीं तीन घंटे, कहीं चार घंटे, कहीं पाँच घंटे और कई झटकों के साथ कृषि विद्युत दी जा रही थी, उसमें उन्होंने पहली यह घोषणा की थी कि दिन में साढ़े छह घंटे और सात घंटे रात में कृषि विद्युत दी जायेगी और 24 घंटे निर्बाध रूप से घरेलू विद्युत दी जायेगी, उसके लिये भी मैं स्वागत करता हूं और वह उसी दिन से शुरू हो गई, जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी।

गत सरकार की कई ढपोर-शंख घोषणाएं थीं, ढपोर-शंख का मतलब होता है कि हमें जो यह काम करवाना है, उसकी एक घोषणा की जगह वह कहते हैं कि दो ले जाओ; ऐसी घोषणाएं, जो अविवेकपूर्ण वादे थे, ऐसी की हैं जिससे इस सरकार के लिये भी, और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को यह पता था कि मेरी सरकार वापस नहीं आयेगी, इसलिए ऐसे अविवेकपूर्ण वादे किये थे। अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमने ऐसा किया, ये घोषणाएं कीं, आप बंद कर दों, लेकिन जब कोई जन-कल्याणकारी सरकार आती है तो वह पूर्ववर्ती सरकार की घोषणाएं, जैसे पूर्व में आपने बंद की थीं, वह हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपने जो भी अपात्र, लोगों को पेंशन देने का काम, अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का एक मामला बताऊं तो आपको खुद को ऐसा अहसास होगा कि वास्तव में क्या हुआ। एक मिडल स्कूल थी, उसमें 8वीं कक्षा में मात्र तीन बच्चे थे। इनकी घोषणा थी कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आयेगा, उसे हम लैपटाप देंगे। उन तीन बच्चों में से दो बच्चे अर्धवार्षिक में कमजोर थे, वे चले गये, बैंगलोर चले गये, कोई बाहर चला गया। अब उस कक्षा में एक बच्चा ही रहा और इनको तीन

(श्री अर्जुन लाल)

इनाम देने थे, तो बैंगलोर से उन बच्चों को बुला बुला कर लैपटाप दिये, जबकि वे पास ही नहीं हुए। आपने तो उनको दिला दिये और आप कह रहे हो कि अच्छा हुआ। फिर तो बहुत अच्छी सरकार थी आपकी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आना था, उन्होंने तो एग्जाम भी नहीं दिया, उन लोगों को लैपटाप मिल गये। ऐसे अविवेकपूर्ण निर्णय जो इन्होंने किये हैं, उससे इस सरकार को भुगतना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी जो घोषणा की है, किसानों से नियम-विरुद्ध वसूल की गई राशि आगामी बिलों में समायोजित किये जाने का जो प्रस्ताव किया है, इसके लिये भी मैं स्वागत करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह पहले वाली सरकार आदेश कर गई थी, अब तो केवल उसको रिपीटिशन कर रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं। आपने तो लोगों को, किसानों को तंग किया था, जिसका पांच एचपी का पम्प लगा हुआ है उनसे वी सी आर के नाम पर आपने 40-40 हजार, 45-45 हजार रुपये की वसूली की है। अब हमारी सरकार उनको आगामी बिलों में समायोजित करेगी। यह घोषणाएं उस समय की गई थीं।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए, माननीय विधायक, बोलने वाले बहुत हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): पांच मिनट ।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट और नहीं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): दूसरा, आपदा प्रबन्धन में मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बेमौसम बरसात के कारण खरीफ की फसल में जबरदस्त खराबा हो गया था। उस समय कृषि अनुदान के भुगतान के लिये वहां से प्रस्ताव आये थे। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको देख कर उनके कृषि अनुदान का भुगतान करावें।

तीसरा, उत्तरखण्ड की त्रासदी में मेरे गांव से और मेरे क्षेत्र से करीब तीन-चार लोगों की मृत्यु हो गई थी; तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी उनके घर पर भी आये थे और उनको 10-10 लाख रुपये देने की घोषणा की लेकिन आज तक उन मृतक परिवारों को, उन लापता परिवारों को एक रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपके मार्फत माननीया मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजेजी से निवेदन करूंगा कि उन मृतक परिवारों को जो राशि राज्य सरकार ने तय की है, वह उन परिवारों को दिलावें।

(श्री अर्जुन लाल)

इसके अलावा, मेरे क्षेत्र में माणकलाल दांतिवाड़ा एक परियोजना थी, जिसमें 119 गांव और 2 नगरपालिका क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराना था, 30 अगस्त, 2008 को वर्तमान मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजेजी ने उसका शिलान्यास किया था। उसके बाद 2008 का वह कार्य 27 सितम्बर, 2011 को पूर्ण हो जाना था, लेकिन दुर्भावना-वश, राजनीति से प्रेरित होकर मुख्य मंत्रीजी ने उस कार्य को लटकाये रखा। आज तक उस कार्य पर कोई प्रगति नहीं हुई है, जबकि वह कार्य 2011 में पूर्ण हो जाना चाहिये था। मैं माननीय पी एच ई डी मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि अब उस कार्य को शुरू करवा कर मेरे विधान सभा क्षेत्र के 119 गांव और 2 नगरपालिका क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें।

दूसरा, अभी सड़क के लिये ग्रामीण गौरव पथ योजना लागू की है, इसमें मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में 10 हजार से भी ज्यादा की आबादी का एक बोरुंदा गांव है और वह पंचायत समिति मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसमें इसको स्वीकृत करके मुझे सूचित करावें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ले लिया ना 60 दिन की कार्ययोजना में, आ गया आपका।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): नहीं, वह भेजा है, आ जायेगा। आप निश्चित रहो, आपको भी मिलेगा। आप भी प्रस्ताव भिजवा दो, आपको भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, 1961 में रिन्यूअल तय किया गया था, तब ट्रैफिक ग्रोथ साढ़े चार परसेंट थी। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की रिपेयर के लिये जो रिन्यूअल होता है, उसका ग्रामीण सड़कों पर 10 साल तक वापस रिन्यूअल नहीं होता है। यह नियम बनाया गया था 1961 में और 1961 में ट्रैफिक ग्रोथ साढ़े चार परसेंट थी, आज व्हिकल्स की इतनी संख्या बढ़ गई है कि ट्रैफिक की ग्रोथ साढ़े बारह परसेंट हो गई है। आज भी, 10 साल बाद वह रिन्यूअल किया जाता है, जबकि उसका वीयर एण्ड टीयर साढ़े चार परसेंट के हिसाब से निकाल कर 10 साल के लिये रिन्यूअल का किया गया था।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए। हो गया आपका समय, पांच मिनट और पूरे हो गये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय वक्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, समय की सीमा को देखते हुए, मुझे आपके बोलने के समय को भी सीमित करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है। इसलिए स्वयं अपने आप कम बोलें, यह उचित रहेगा। मेरे पास वक्ताओं की बहुत लम्बी सूची है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ये तो वैसे भी ज्यादा बोलते हैं, मेरी तरह, इनको तो दो मिनट का ही समय दे दो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री राजपालसिंहजी शेखावत द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बात कही गई कि देश आजाद हुआ 1947 में, तब स्वराज तो आ गया लेकिन सुराज नहीं आया। अब सुराज क्यों नहीं आया, इसके पीछे भी कई कारण हैं। दो प्रकार की संस्कृतियां विशेष रूप से राजनीति में हैं, एक तो वह जो सेवा की भावना से राजनीति में आते हैं और जिनके मन में यह दर्द होता है कि इस देश की गरीबी मिटनी चाहिए, इस देश का आम नागरिक सुखी रहना चाहिए, देश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और दुनिया के दूसरे देशों के समकक्ष और विकसित होकर आगे आना चाहिए; एक दूसरी संस्कृति वह होती है, जो साम, दाम, दंड, भेद, हर किसी परिस्थिति में राज चाहिए और राज प्राप्त करके, अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण, सुख-समृद्धि कैसे कर सकें, इसकी चिंता करते हैं। बीच में एक ऐसी संस्कृति और है जो संस्कार तो लेती है हमारे साथ में, जो संस्कार तो लेती है सेवा की भावना के लेकर के और उसी कारखाने के पोडक्ट है लेकिन वे बदल जाते हैं। (व्यवधान) मैं आपके लिए कह रहा था।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 2009 में तो जीतकर नहीं आए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय खींवसर से आने वाले विधायक, अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय खींवसर के विधायक।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनने दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। मैंने तो इनका नाम लिया नहीं, पता नहीं, क्यों इनको अपने वे पुराने संस्कार ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप मेरे को धन्यवाद दो कि मेरे हेलिकाप्टर के कारण आप जीत गए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जीत गए, और क्या-क्या बातें करते थे बाहर। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में दो लोग बोले...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब हो गए शुरू, पहले क्या-क्या बातें करते थे।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में जब मैंने दूसरी संस्कृति के अलावा, तीसरी संस्कृति की बात की तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। दो माननीय सदस्य भी वे बोले, जो पथ-भ्रष्ट हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूं लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य, भागो मत, आप विराजो, मैं आप ही के लिए कहने वाला हूं, आप इधर-उधर भागकर बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं आपको जानता हूं।

श्री अध्यक्ष: आसन को संबोधित कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, हां, आपकी तरफ देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आसन को संबोधित कीजिए। (व्यवधान) वे आसन को संबोधित कर रहे हैं, आपको नहीं। ये मेरे कारखाने में पैदा हुए..

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह देखो ना आप, संस्कृति यही है क्या आपकी?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): संस्कार भी वही लिए थे लेकिन इनको भी चाहिए राज और इनको बहुत जल्दी बनना था मुख्य मंत्री, इसलिए उन सब संस्कारों को इन्होंने भुला दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण में नहीं है यह बात। यह अभिभाषण से सम्बन्धित नहीं है।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): जैसे आसारामजी बापू प्रवचन दे रहे हों।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको क्यों भय लग रहा है, यह समझ में नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खींवसर के माननीय विधायक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): संस्कृति दिखा रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): संस्कृति दिखा रहा हूं आप लोगों की।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): संस्कृति दिखा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह बताना चाह रहा हूं, संस्कृति की बात करें तो वास्तव में, मैं नाम की बात भी कर लूं तो यह देखिये, इनके माता -पिता ने नाम तो बहुत बढ़िया रखा, किरोड़ी लाल और बन गए +++ यह ठीक बात नहीं है, थोड़ा संस्कारों का ध्यान रखो। इधर बेनीवाल और बन गए +++ मतलब, यह क्या बात हो गई? ऐसे संस्कार मत बिगाड़ो। कृपया करके जो संस्कार आपके पूर्वजों ने...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इधर से ही सीखे हैं, इधर से ही, और हमें अच्छे नहीं लगे, इसलिए आपको छोड़ दिया, हाथों-हाथ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): चलो, ठीक है, अब विराजो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन को संबोधित कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो संस्कारों की बात कर रहा था, संस्कार भूलने पर यह स्थिति बनती है और ऐसी दुर्गति होती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यक्तिगत आरोप लगे हैं ना, वे एक्सपंज कर दें। ये व्यक्तिगत आरोप हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ये व्यक्तिगत आरोप नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या थे, क्या बन गए, यह असंसदीय है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपके बारे में भी, गोविंदजी, बोलने वाला हूं, अभी आप विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसीलिए कह रहा हूं, आपके पास अभिभाषण में कुछ है ही नहीं, इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणियां करोगे आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, संस्कारों की बात करें, देश में जब अटलबिहारीजी वाजपेयी प्रधान मंत्री बने, उन्होंने चिंता की और मेट्रो सिटीज को जोड़ने के लिए फोरलेन और रोड्स बनाने का काम किया। यही नहीं, जब हिन्दुस्तान माथा नीचे किए हुए था, अटलजी जब प्रधान मंत्री बने तो हिन्दुस्तान का मस्तक ऊंचा करने के लिए उन्होंने पोकरण में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। यह है संस्कार, इन संस्कारों को इनको भूलना नहीं चाहिए।

यही नहीं, मैं आपको बताऊं, नदियों को जोड़ने की भी योजना बनाई थी लेकिन वह संस्कारों वाली सरकार चली गई, बाद में इनकी सरकार आ गई, उस योजना को इन्होंने ठण्डे बस्ते में डाल दिया। यदि वे संस्कार नहीं भूलते तो आज नदियां जुड़ गई होतीं। यह देश भी सम्पन्न होता और विकसित देशों की श्रेणी में अपना देश भी आ सकता था।

अध्यक्ष महोदय, जब भैरोंसिंहजी शेखावत अपने राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, उन्होंने भी एक योजना चलाई थी, अन्त्योदय योजना; जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उस व्यक्ति को हम कैसे हमारे समकक्ष ला सकते हैं, इस प्रकार की योजना उन्होंने बनाई। आप भूलो मत। आप भी उसके गुणगान किया करते थे लेकिन आप भटक गए, आप भटकते गए। यही कारण है, यह कह रहे हैं ना कि 2009 में क्यों नहीं आए, क्योंकि ऐसे संस्कारवान व्यक्ति भटक गए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, समय पूरा हो गया। मेरे को इतना ही नहीं दिया। इतना भी नहीं दिया था मेरे को तो।

श्री अध्यक्ष: आपको बहुत ज्यादा दिया था।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। इनको, पता नहीं, ऐसा क्या लग रहा है, इनमें नैतिक पतन इतना हो गया अध्यक्ष महोदय, देखिये, इन्होंने कितने ऐसे मुकदमे वापस लिए, 137 मुकदमे ऐसे वापस लिये जो आपराधिक मामलों से लगे हुए थे, हत्या के, डकैती के, 137 मुकदमे, जिनमें इनके एम एल एज भी, वे भी अपराधी थे, ऐसे मुकदमे इन्होंने वापस लिये हैं। अब बताइये आप, कैसे नैतिक चरित्र संवरेगा?

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी शुरू ही नहीं किया। मैं तो अभी यह बताऊं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भूमिका बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भूमिका हो गई, भाषण हो गया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जे डी ए में सारे भ्रष्ट; यह कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह राजस्थान के हाई कोर्ट ने कहा और इनका चले तो पूरा जयपुर बेच दें। इस प्रकार की बात हाई कोर्ट ने कही है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे थोड़ा बोलने दें। यह देखिये, अध्यक्ष महोदय, वकीलों की पिटाई की।

श्री अध्यक्ष: समय की सीमा है, मेरी मजबूरी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बेचारे सरपंच यहां पर आएं, अपनी मांग रखने के लिए, कि पंचायत के माध्यम से हम कुछ विकास के काम कर सकेंगे, हमको कुछ सहयोग करें; इन्होंने सरपंचों की ऐसी पिटाई की कि उन्होंने तय कर लिया कि अब यह सरपंचाई करनी ही नहीं है। वकील आए थे मांग लेकर और उन वकीलों की जो इन्होंने दुर्गति की है, यहां पर सदन के बाहर इन्होंने वकीलों को पीटा, इनका सरकार का फर्जीवाड़ा हाई कोर्ट ने पकड़ा। यह स्थिति बनी कि मेडिकल कालेज के निरीक्षण के दौरान इसमें भ्रष्टाचार साबित हुआ।

अभी जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, उन्हीं महामहिम राज्यपाल ने खुद ने कहा कि राजस्थान की महिलाएं असुरक्षित हैं। यह महामहिम राज्यपाल ने खुद ने यह बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, इन्होंने रोडवेज की दस बसें खरीदी थीं और दस बसों में, आपको आश्चर्य होगा, चार बसें दो साल पुरानी खरीद लीं। चार बसें दो साल पुरानी। अब कैसे यह सुराज आएगा? यह सुराज तो लाना ही नहीं चाहते। यह आश्चर्यजनक बात है।

श्री अध्यक्ष: आपने बोलने की अच्छी तैयारी की है, इसका मैं स्वागत करता हूं; मेरी मजबूरी है कि आपको स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। अगला वक्ता।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं नकली दवाइयों की बात कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान को ऐसा अध्यक्ष चाहिए, न्यायप्रिय अध्यक्ष मिला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन को क्या मजाक बना रखा है? क्या दिखा रहे हैं बार-बार वे? आपकी अनुमति लेकर दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, आवेश में मत आइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन की भी कोई गरिमा होगी।

श्री अध्यक्ष: आवेश में मत आइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई भी चीज उठाकर यहां दिखाना प्रारम्भ कर दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री स्पीकर को धमका रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मुझे वे नहीं धमका रहे हैं। यह मेरा अपना कहता है, इसलिए आप विराज जाइये।

अगला वक्ता। श्री अमराराम।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, दो बात कहकर मैं अपनी बात को खतम करूंगा ।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, बोलिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): केवल दो बात कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जलमहल की बात यहां बहुत करते थे, गोविंदजी, मैं जलमहल की बात इनको बताना चाहूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, कभी जलमहल की कोई बात ही नहीं की, ये काहे को मेरे को कोट कर रहे हैं? इनको पता ही नहीं है, नालेज ही नहीं है इनको। इनको बिठाओ, साहब। अब आपने फरमा दिया, फिर भी नहीं बैठ रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अमरारामजी, एक मिनट विराजो, मेरी बात पूरी करने दो। मैं यह निवेदन करूंगा कि निविदा की शर्त, निविदा की शर्त...

श्री अध्यक्ष: एक बात कहने दो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): निविदा की शर्त करने वाली के जी के एंटरप्राइजेज के पक्ष में, 2003 में चुनाव नतीजों से एक दिन पहले वित्तीय निविदा खोलने पर कोर्ट ने कहा कि सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी, जो पात्र नहीं पाये जाने पर भी निविदा पुन: जारी कर दी गई? यह इनके ध्यान में लाना चाहूंगा। ये आरोप लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात। इनके विधायक ने, जहां न घर है, न वहां आबादी है, वहां अपने एम एल ए लोड से पैसा देकर बिजली पहुंचा दी। अब ये कैसे सुराज की बात कर सकते हैं? इसलिए इनके राज में सुराज आ नहीं सकता था, आदरणीया वसुन्धराजी सुराज लाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे बोलने दिया...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): फिर भी मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अमरारामजी, आप प्रारम्भ करें।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का आदेश दिया, उसके लिये धन्यवाद।

मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आया हूं, उसका नाम पूर्व में था 'पचभदरा'। 'भदरा' कहते हैं नदी को और 'पच' अर्थात् पांच; यानी, पांच नदियों का संगम। उस विधान सभा क्षेत्र का नाम, वहां से मैं आया हूं। यहां जो नदियां लुप्त हो गयीं और उनको वापस शुरू करने के लिये अटलजी की जो योजना थी, लेकिन इन्होंने प्रारम्भ नहीं की। अब जो हमारी तेल की नदी, जो बाड़मेर के अण्डर-ग्राउण्ड चल रही है और वही पचभदरा जहां पर रिफाइनरी लगेगी लेकिन इस पूर्ववर्ती सरकार ने उस रिफाइनरी को ऐसी राजनीतिक रिफाइनरी बनाई कि इलेक्शन की आचार-संहिता लागू होने से सिर्फ चार दिन पहले लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके वहां आयोजन किया गया और उस आयोजन के अन्दर उन गरीब, जो हमारे कृषक, जो नमक पैदा करते हैं, उनकी 188 खानों को इन्होंने बिना अवाप्त किये और आनन-फानन में अधिकारियों ने देखा, सरकार जाने वाली नहीं होगी, हमें इनाम मिलेगा, बिना अवाप्त किए उन्होंने जमीन का एक्विजिशन किया। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप क्या करेंगे? (व्यवधान) आप इतना बता दो।

श्री अमराराम (पचपदरा): आप ठहरिये, आप बहुत बोल लिये। इस प्रकार, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब, जो आदिवासी से भी कम हैं, सहरिया जैसे लोग थे, उनकी खानें; उनको एक ही कास्ट, खारवाल कम्युनिटी है, वे नमक निकालने का काम करते हैं। आज पचपदरा का नमक, मैं अर्ज करूं, एडिबल नमक, जो कहना चाहिए, 98 डिग्री से बनता है और इतना फाइन नमक है, चांदी के जैसा, आज 246 खानें तो ऐसी हैं जो हीराघर खानें कहलाती हैं। ऐसे काश्तकारों पर, जो हमारे नमक पैदा करने वाले हैं, उन्होंने तलवार चलाई और 188 खानें बिना मुआवजा दिये हुए, बिना नोटिस दिये, उन्होंने आनन-फानन में वहां रिफाइनरी लगाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ला-एण्ड-आर्डर की धज्जियां उड़ाई। अभी कह रहे थे, जेल के अन्दर, हमारे यहां जो भट्ट जेलर था, जोधपुर जेल के अन्दर हत्या हुई। हमारे यहां जो ला-एण्ड-आर्डर था, हमारे समय में और उसके बाद में जो आपका ला-एण्ड-आर्डर आया, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अपना राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो कह रहा है कि आपके समय महिला असुरक्षित हैं। कितने काण्ड हुए?

आपने खाद्य सुरक्षा के लिये क्या किया? कभी हम तेल दे रहे हैं, कभी हम दाल दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। वह शुद्ध-से-युद्ध, कहां हैं आज शुद्ध-से-युद्ध करने वाले? इस प्रकार से, आज जो हमारे बीच में बोल नहीं सकते, महिलाओं के लिये कहते हैं कि सुरक्षित, हमारे समय जो सुरक्षित थीं वे आपके समय महिलाएं असुरक्षित थीं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारे आंकड़े, भारत सरकार के द्वारा जो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार ही...।

आप हर विभाग के अन्दर पीछे रहे हों। ठीक है, कृषि विभाग के अन्दर आपने काम किया, जो इनाम दे दिया, इनाम तो काश्तकारों ने लिया है। हमारे समय भी, पहले भी इनाम देते थे; जब मैं कृषि मंत्री था, उस समय भी करोड़-करोड़, लाख-लाख रुपये इनाम देते थे; इस साल भी दिया है। मैं मानता हूं, वह हमारे पूर्व कृषि मंत्री, हरजीरामजी, उसके लिये तो उनको धन्यवाद देता हूं, उनकी सोच थी। मेरे पचपदरा क्षेत्र के अन्दर आज 2,200 बीघों के अन्दर दारम की खेती होती है और वह दारम पूरे हिन्दुस्तान में अच्छी क्वालिटी के पैदा हो रहे हैं। यह हमारे समय से ही यह काम हुआ था और जिसके कारण से आज पचपदरा के अन्दर इस प्रकार की खेती में आगे

(श्री अमराराम)

हैं। अब रिफाइनरी के अन्दर, हमारी जो आई है, तो मुझे जरूर आशा है कि रिफाइनरी हमारे यहां होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का भट्ठा बैठाया। बाड़मेर की उस मरुभूमि के अन्दर ऐसे-ऐसे हीरे पैदा हुए, हमारे राजस्थान में उनको गौरव कहा जाए, कई आई.ए.एस. लड़के पैदा हो गये। इस सरकार ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रीजी एक बार अमरीका गये; वे ऐसे प्रान्त के अन्दर गये जहां पर लोग अनपढ़ थे, वहां पर आठवीं पास वैसे ही कर देते थे। तो आकर के वह नीति अपने यहां लागू कर दी। आठवीं पास को, बिना फेल किये हुए, यह सोची-समझी चाल थी कि गांवों के बच्चे आगे नहीं बढ़ें। कई आई.ए.एस. आगे बढ़ गये और हर साल 2-3 आई.ए.एस. बाड़मेर से निकलते हैं, आज हमारे वे बच्चे गायें चराते हैं। आठवीं तक वे कोई परवाह ही नहीं करते और अध्यापक भी क्यों करेंगे? कोई अध्यापक इनके समय के अन्दर, जो इन्होंने अभी 2-3 महीने पहले स्कूलें खोली थीं, राज से पहले एक भी अध्यापक इन्होंने नहीं लगाया, वहां, उस जगह, न सेकण्ड ग्रेड का, न फर्स्ट ग्रेड का। इन्होंने विज्ञान की कोई फैकल्टी नहीं खोली। इस प्रकार से शिक्षा का जो भट्ठा बैठा है, इनके समय में बैठा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना, आज जनता जल योजना में, स्वर्गीय रामसिंहजी हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने एक हजार रुपया उनको मानदेय देना तय किया था, लेकिन इस सरकार ने पांच सौ रुपये दिये। पांच सौ रुपये एक दिन की मजदूरी होती है। वह जनता जल योजना के लिए जहां साधन, ट्यूबवेल खराब हो जाएं, मोटर खराब हो जाएं, तो चाहे हम प्यासे मरें; इस प्रकार के कई उदाहरण हमारे बाड़मेर जिले में जो जनता जल योजनाओं के हैं, उन कुओं को इन्होंने चालू नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए।

श्री अमराराम (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: समय की सीमा है।

श्री अमराराम (पचपदरा): जोधपुर यूनिवर्सिटी का मामला, यह आप सबको मालूम है, किस प्रकार से धांधली हुई है, यह सरकार से, किसी से छिपा हुआ नहीं है; पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि किस प्रकार से उनकी भर्तियां की

(श्री अमराराम)

गयीं। आज हमारे बच्चों का, जो टेलेण्टेड बच्चे आते हैं, उनका मनोबल गिर रहा है। आज एक आदमी 75 प्रतिशत वाला पीछे रहता है और 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत वाले प्रोफेसर, लेक्चरर बन जाते हैं। तो क्या इन्होंने कमी कोई कम रखी है?

मेरा निवेदन है, जो भी इन्होंने आवासीय योजना के तहत मकान बनाये हैं, वे ऐसी जर्जर अवस्था के अन्दर हैं, वह एक दिन बड़ा हादसा होगा, चाहे कितनी ही कालोनियों में, जो बनायी हुई हों। हमने इतने मकान बना दिये, गरीबों को यह दे दिया और गरीबों का आबंटन लाटरी से नहीं किया, राजनीतिक तरीके से किया। इसलिये गरीब आदमी, बी.पी.एल. आदमी महरूम रह गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती संतोष अहलावत।

श्रीमती संतोष अहलावत (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।

मैं सदन में पहली बार आई हूं, इसलिए आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरा फेवर करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रभावी दस्तावेज को पढ़कर मैं अपनी सरकार के निर्णयों पर गर्व करती हूं। राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो, इस हेतु जो प्रयास किये हैं, मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दृष्टि-पत्र में विकास की पांच प्रमुख धारणाएं जो तय की हैं, बताना चाहूंगी, निवेश में प्रोत्साहन, रोजगार के अवसरों का सृजन, आर्थिक ढांचे में सुधार, शिक्षा व कौशल पर विशेष महत्व दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं सहित सम्पूर्ण मातृ-शक्ति की तरफ से अपनी सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले को सेल्यूट करती हूं, जिसमें महिलाओं तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नई सोच के साथ प्रभावी उपाय भी सम्मिलित किए गए हैं, जैसे लेबर रूम को संक्रमण रहित बनाने, 24 घंटे चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, विशेष स्क्रीनिंग अभियान संचालित कर टीकाकरण करने तथा एन.टी.एस. भिजवाने, आदि।

(श्रीमती संतोष अहलावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। महिला चिकित्सकों के सभी पद लगभग खाली रहे। मेरे जिले में, ग्रामीण क्षेत्र में 10 महिला चिकित्सकों के पद हैं, जिनमें से 6 खाली हैं। अस्पतालों में चिकित्सकों का ठहराव नहीं रहा। परिणामस्वरूप, संस्थागत प्रसवों में भारी कमी आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम भुगतना पड़ा कि शिशु मृत्यु दर और कुपोषण अत्यधिक बढ़ गया और मरीज प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटते रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दृष्टि-पात अगर आप करें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि 9 सी.एच.सीज. हैं; जो पी.एच.सीज. में चल रही हैं, 110 पी.एच.सीज. हैं जो 44 सब-सेंटर्स में चल रही हैं; 641 सब-सेंटर्स हैं, और उनमें 313 के भवन नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर चिकित्सकों की बात करेंगे आप, तो एम.ओ. के 15 पद हैं, सभी के सब खाली; दो आर्थो के पद हैं, दोनों खाली। इस तरह से, मेरे पास लम्बी फेहरिस्त है पर क्योंकि, थोड़ी देर बाद आप मुझे समय का हवाला देंगे, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए, वोट बटोरने के लिए, सब-सेंटर्स, सी.एच.सीज., पी.एच.सीज. बड़ी संख्या में खोलीं लेकिन वित्त का प्रावधान नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वोट बटोरने के लिए ए.एन.एम. और जी.एन.एम., ऐसे स्वास्थ्य-कर्मियों को एक पद पर एक से अधिक को बैठाकर वोट का एग्रीमेंट किया। आज वे स्वास्थ्य-कर्मी बिना तनख्वाह के बैठे हैं। न काम हुआ, न पैसा मिला, दोनों ही नुकसान हुए। पी.एच.सीज. खोली गईं, भवन नहीं बनाए गए, समुचित व्यवस्थाएं नहीं की गईं। फलस्वरूप, हमारी सरकार ने प्रदेश के गांव-ढाणियों में बेहतर स्वास्थ्य-सेवाओं को सुलभ कराने के लिए, स्वास्थ्य-सेवाओं का सुदृढ़ीकरण कर शीघ्र ही रिक्त पदों को भरने की बात कही है। यह सुखद अहसास है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में बैठे मेरे मित्र जोर-जोर से आवेश में बोल रहे थे, आरटैट-आरटैट; वे शायद भूल गए कि पिछले पांच वर्ष उन्होंने सरकार चलाई और यह आरटैट उन्हीं की देन थी। राजस्थान के पढ़े-लिखे नौजवान के भविष्य को न्यून करना, यह कांग्रेसियों ने किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पिछली सरकार के समय में अवैध खनन, भू-माफिया, शराब-माफियाओं की ग्रोथ बहुत बढ़ गई थी। ओवर-लोड डम्परों ने न केवल सड़कें तोड़ीं, मेरे क्षेत्र में अनेक

(श्रीमती संतोष अहलावत)

जिंदगियों को भी लील लिया। बार-बार हमने प्रदर्शन किया, भूख-हड़ताल की लेकिन कांग्रेस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पचेरी, भसावता, इश्कपुरा, डुमोली, पुहानिया गांव की पहाड़ियों में अवैध खनन हुआ और मैं कहना चाहती हूं कि इनकी पहाड़ियों की तलहटियों में गांव बसे हुए हैं आबादी है, उनके घर टूट गए हैं, दरारें आ गई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि अवैध खनन के खिलाफ जिसने याचिका दायर की, वह स्वतंत्रता-सेनानी, माननीय ताड़केश्वर और दुर्गा देवी का पोता था और कुछ समय के बाद उसने जो पी. आई. एल. लगाई थी, उसकी मृत-देह पहाड़ियों में मिली और उस संदेहास्पद मृत्यु का आज तक खुलासा कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नौ महीने तक, पचेरी के ही नहीं, पूरी विधान सभा के ...(व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बोलना जानती हूं। आप बीच में नहीं बोलेंगे मेरे। मैं अध्यक्षजी की अनुमति से खड़ी हुई हूं। स्त्री हूं, इसलिए आप धमकाना चाहते हैं मुझे? मेरा बोलने का राइट है। लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य, यह इनका प्रथम भाषण है, इसलिए आप हस्तक्षेप नहीं करें।

श्रीमती संतोष अहलावत (सूरजगढ़): मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप मेरे बीच में टोका-टोकी नहीं करें। नहीं, मुझे मेरा पक्ष खुद रखना आता है। मेहरबानी करके, मुझे आपसे सहायता नहीं चाहिए कि आप मेरा पक्ष रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के तमाम लोगों ने 9 महीने तक भूख-हड़ताल की लेकिन यह तक पता नहीं लगा कि मरा अथवा मारा। क्योंकि जो लोग लीज चलाते थे, वे ऊंचे रसूखदार लोग थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उदार रहिए।

श्रीमती संतोष अहलावत (सूरजगढ़): हमारी सरकार ने गौरव-पथ प्रारम्भ करके राजस्थान सड़क सुरक्षा प्राधिकरण एक्ट का प्रारूप तैयार किया; पूर्वी-पश्चिमी गलियारों को विकसित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया, उनकी मैं प्रशंसा करती हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती संतोष अहलावत (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा।

डार्क-जोन होने के कारण मेरे क्षेत्र की जनता पानी के लिए तरस रही है। मैं हरियाणा के बोर्डर से आई हूं और वहां के लोग पानी हरियाणा से टैंकर से लेकर आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि नहर की बात करते-करते कांग्रेस ने बहुत सालों तक शासन किया लेकिन जनता को पानी नहीं पिलाया। जलदाय विभाग के माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहती हूं, कुम्भा लिफ्ट परियोजना की जो वृहत् योजना लागू हुई है, उसमें उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ को झुन्झुनूं से पहले जोड़ा जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्रों से आखिर में मैं पूछती हूं कि मित्रों, इटली से नकली बीज मिलाकर किसान को क्यों लूटा? किसान के खेत के लिए बिजली क्यों नहीं दी? आम जनता को पीने का पानी क्यों नहीं दिया? महिलाओं की दुर्दशा क्यों हुई? क्या आपको सीकर और अन्य स्थानों की घटनाएं याद नहीं? क्या दिल्ली की वह घटना, महिलाओं की व्यथा और रुदन आपको सुनाई नहीं दिया?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मित्रों से कहती हूं कि अगर आपने 'बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए?', ये बार-बार कहते हैं कि हम 21 जीतकर आए, यह तो 'जैसी करनी वैसी भरनी' मिली। आप शिकायत कर रहे हैं, आपका राज था, आप 21 हो गए। मैं कहती हूं कि इसी तरह आप सदन में व्यवधान डालते रहेंगे, कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति नहीं करने दी, तो आप, मित्रों, 21 भी नहीं बचेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती संतोष अहलावत (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगी कि राजस्थान की जनता ने अभूतपूर्व फैसला किया है और इसके खिलाफ में कभी वेल में आकर बैठ जाते हैं, कहीं बहिर्गमन करते हैं, मैं इन दोस्तों से कहना चाहती हूं कि-

'हमने एक शाम चिराग़ों से सज़ा रखी है।

लोगों ने शर्त हवाओं से लगा रखी है।।'

श्री अध्यक्ष: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा अभिभाषण सदन में प्रस्तुत किया गया, मैं पैरा एक से लेकर 81 तक जो इबारत इस अभिभाषण में है, उसका समर्थन करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि इस अभिभाषण में सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने, पिछड़े और 'बीमारू' राजस्थान को ठीक करने, विकास की पांच प्राथमिकताएं, बेरोजगारों के लिए व्यवस्था करना, ये सारी बातें इसमें कही हैं; यह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए, बेरोजगारों और सभी के लिए, विकास के लिए एक बहुत बड़ी, अच्छी सोच और समझ है और अच्छा शासन देने की एक पहल है।

मैं, खास तौर से, हमारा परिवहन विभाग जो है, सरकार ने परिवहन विभाग में, आवागमन की सुविधाओं को देखते हुए, 1,500 परिचालकों की भर्ती के लिए वादा, इस घोषणा-पत्र, इस अभिभाषण में दे रखा है और इस निमित्त सरकार ने कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी है। मैं पिछली सरकार के बारे में कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जो रोडवेज की व्यवस्था थी, पिछले पांच साल में एक भी कंडक्टर की भर्ती नहीं हुई; बसें आगारों में खड़ी रहीं। और कहीं स्थितियां ऐसी बनीं कि रास्ते में ही रोडवेज की बसें खराब होकर वही खड़ी रहीं और पैसेंजर्स को जाने के लिये अपनी दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर जिले की बात कहना चाहूंगा कि पिछले लम्बे समय से, हमारा टी.एस.पी. का क्षेत्र आज भी गुजरात पर आश्रित है। पिछली सरकार ने उस क्षेत्र के लिए न तो पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था की, न पलायन को रोकने का प्रयास किया, न वहां के बेरोजगारों को रोजगार की कोई अन्य व्यवस्था की। डूंगरपुर जिले में केवल एक प्राइवेट सिंटेक्स मिल के अलावा कोई उद्योग नहीं है। हमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जहां पर कपास का उत्पादन अभी पिछले 5-7 साल से शुरू हुआ है। राजस्थान की पिछली सरकार ने वादा तो किया कि कपास के उत्पादन के लिये बिजली देंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, लेकिन आज भी वहां पर पहाड़ों पर खेती होती है, वहां का काश्तकार सिर पर पानी ढोकर के पहाड़ पर जाता है और लोटे से एक-एक पौधे को पानी पिलाता है। उन्होंने वादा किया था कि वहां के क्षेत्र में कपास के उत्पादन को बढ़ाया जायेगा और वहां पर क्षेत्रीय कृषि विभाग के माध्यम से जो बीज उत्पादन इकाई है, उसके माध्यम से काश्तकार को सुविधाएं दी जायेंगी, लेकिन 1,020 काश्तकार आज भी तड़प रहे हैं अपने उत्पादन का पैसा लेने के लिये। कोई सुविधा नहीं की। वहां का कृषि विभाग भी आज अन्नोन है। लेकिन इस

(श्री देवेन्द्र कटारा)

अभिभाषण में इस बात को प्राथमिकता दी गयी है कि किसानों के साथ में किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा, मैं अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

साथ ही निवेदन कानून-व्यवस्था के बारे में करना चाहता हूं कि पिछले पांच साल में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन अब सत्ता ज्यों ही बदली, निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगा है।

शिक्षा के क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा का क्षेत्र पूरी तरह से, पिछले पांच साल में बिलकुल, बल्कि यह कह सकते हैं कि एक से लेकर आठ तक विद्यार्थी को फेल नहीं करना और स्कूल आये या ना आये, गुजरात में कपास का काम करे, चाहे होटल में काम करे, उसकी उपस्थिति स्कूल में दर्ज कराई जाती थी। हालात ये हो गये थे। शिक्षा में सुधार के लिए उन्होंने जो प्रयास किये, वे प्रयास, 20 साल बाद, हम एक अकुशल श्रमिक पैदा करने की ओर ले जा रहे हैं। वहां पर कोई पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने ठीक करने का जो प्रयास किया है, जो संकल्प लिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सदन का समय नाजायज तरीके से खराब किया, उसके लिये कोई पाबन्दी नहीं, कोई क्रिया नहीं और मैं अपनी जायज बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट और हैं। मेरी मजबूरी है।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने साइकिल और टैबलेट के लिए चैक वितरित किये, लेकिन एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर 50 साइकिलें होती हैं। कोई अंकुश नहीं लगाया। हालात इतने खराब हो गये कि चैक गया और खाते से निकला और इसका दुरुपयोग हुआ। जिस क्षेत्र में जिन सुविधाओं के लिए जो राशि खर्च होनी चाहिये, वहां पर मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा। अधिकारियों की पकड़ नहीं, सरकार की पकड़ नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि इस खजाने का दुरुपयोग हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाया है, वह कदम सही लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का जो लक्ष्य है, 2020 का, निश्चित है, अच्छा राज लाने के लिए, और पिछले शासन ने जितनी बड़ी

(श्री देवेन्द्र कटारा)

गड़बड़ियां की हैं, जितना बड़ा इस राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, जितना बेरोजगारों को परेशान किया है; आज बेरोजगारों के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले सालों में कोई भर्तियां ही नहीं हुईं लोग इन्तजार करते-करते ओवर-एज हो गये। ओवर-एज होने के साथ-साथ में, कई ऐसे परिवार हैं जिनमें आत्महत्या कर चुके हैं; कई बेरोजगार ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार का जो लक्ष्य है, वास्तव में उस आत्महत्या की रोक की ओर बढ़ेगा।

साथ ही, जो 'बीमारू' राज्य की व्यवस्था पिछली सरकार ने की है, यह निश्चित है और मैं कहना चाहता हूं कि अभिभाषण के जो अंग हैं, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीया वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने जो समस्याएं सुनी थीं, वे पूरी की पूरी अभिभाषण में आ चुकी हैं और निश्चित ही राजस्थान में एक अच्छी व्यवस्था के लिए, राजस्थान की जनता की अच्छी व्यवस्था के लिए निश्चित एक कारगर साबित होंगी।

मैं पुन: इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आपने चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में महामहिम राज्यपालजी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का जो मुझे मौका दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इस सदन में पहली बार आये हैं, तो ऐसा लग रहा है, जैसे पहली कक्षा में स्कूल में जाते थे, उस समय के दिन याद आते हैं। स्कूल में आते हैं, रजिस्टर में हाजिरी भरते हैं और उसके बाद में अन्दर आते हैं और उसके बाद में प्रधानाध्यापकजी एक डण्डा लेकर आते हैं, सारा वैसा ही वातावरण लग रहा है। जब नहीं आते हैं तो उसको नोटिस भी थमाते हैं। इसके अन्दर कुछ सीनियर होते हैं, जो पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी में पहुंच जाते हैं, वे अपनी दादागिरी भी दिखाते हैं। तो ऐसा हमारे को यहां पर देखने को मिल रहा है। यह एक नया ही नजारा है।

लेकिन इस समय बात चर्चा की है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसे काम किये, जिनकी वजह से आज उनको सामने बैठना

(श्री कैलाश चौधरी)

पड़ा; उनकी वजह से आज वे सामने बैठे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ गुमराह किया और झूठे वादे किये, जिनकी वजह से आज उनको सामने बैठना पड़ रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में, जैसे मैं बायतू विधान सभा क्षेत्र से आ रहा हूं, तो बायतू विधान सभा क्षेत्र में समस्याओं का अम्बार है और विकास की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में अगर कोई सबसे पिछड़ा हुआ कोई विधान सभा क्षेत्र है तो वह बायतू विधान सभा क्षेत्र है। हम पाकिस्तान के बार्डर पर हैं, वहां पर धोरे हैं और रेगिस्तान है और वहां पर पानी की बहुत समस्या है। पूर्ववर्ती सरकार ने पांच साल के अन्दर, वहां पर पानी के नाम पर कई ऐसी होदियां हैं जहां पर बिलकुल पांच साल में पानी तक नहीं आया। स्कूल हैं, लेकिन स्कूल में अध्यापक नहीं हैं; हास्पिटल हैं, तो हास्पिटल में ए.एन.एम. नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार सी.एच.सी. हैं, पर चारों में एक-एक डाक्टर हैं। पूर्ववर्ती सरकार में कभी हमने आन्दोलन किये, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन कभी इन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।

हमारे क्षेत्र के लिये इन्होंने घोषणाएं भी कीं। मेरे क्षेत्र में रिफाइनरी भी आती है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कह रहे हैं, एक भी डाक्टर नहीं है; दे दो ना डाक्टर। आपके पास हैं।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): यह पूर्ववर्ती सरकार की बातें हैं, अब आ जायेंगे।

एक माननीय सदस्य: आप क्यों कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: पहली बार बोल रहे हैं, माननीय विधायक।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो आपके कर्म बता रहे हैं, आपकी जन्म-पत्री पढ़ रहे हैं पूरी, कहां से शुरू हुई और कहां तक गयी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, अब तो सुराज आ गया ना, इसलिए डाक्टर चाहिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आयेगा ना समय, सुराज का समय आयेगा। आप निश्चित रहें, सुराज आयेगा।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): हमारे बायतू विधान सभा क्षेत्र में, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय में सिर्फ झूठे वादे किये गये

(श्री कैलाश चौधरी)

और एक लोक-लुभावना, जिसको सारे राजस्थान और भारत में कहते हैं कि रिफाइनरी; रिफाइनरी पूर्ववर्ती सरकार, वसुन्धरा राजे के टाइम के अन्दर एम.ओ.यू. हो गया था, सारा कुछ तैयार था, लेकिन उसके बाद में इन पांच सालों के अन्दर आपने क्या किया, सिर्फ चुनाव तक आपने इन्तजार किया, सिर्फ वोट लेने के लिए आपने इनको देखा और कहा कि हम तो वोट लेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिए। सूची लम्बी है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): दो मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, दो मिनट।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, चुनाव नजदीक आने पर, रिफाइनरी के नाम पर, आचार संहिता से एक दिन पहले आकर वहां पर शिलान्यास करना, सिर्फ चुनावी प्रलोभन था।

दूसरा, आनन-फानन में, पेंशन ले जाओ; पेंशन के फार्म भरवा लिए; विद्युत के फार्म भरवा लिये। आज तक न तो कोई पेंशन मिली और न उनको विद्युत के कनेक्शन दिए गए। सिर्फ चुनाव के समय यह किया गया।

मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि हमारे वहां पर बायतू विधान सभा क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है; हास्पिटल्स के अन्दर डाक्टर नहीं हैं; 86 ऐसे पद हैं जहां पर ए एन एम नहीं हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है, चिकित्सा के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है।

हमारा बाड़मेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। बड़े क्षेत्रफल की वजह से, व्यक्ति को जिला मुख्यालय पर जाने के लिए 25 किलोमीटर तक जाना पड़ता है और 250 किलोमीटर चलने के बाद, जब अधिकारी नहीं मिलते हैं तो उनको परेशान होकर वापस आना पड़ता है। तो हमारी काफी समय से मांग चल रही है और पूर्व सरकार ने कई घोषणाएं भी कीं; बालोतरा यदि जिला बन जाता है तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी। बालोतरा जिला बने, यह हमारी मांग है।

आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं। आज मैं इस सदन में राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

सबसे पहले मैं सदन में बधाई देना चाहूंगी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को, जिनके नेतृत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी को अपार और ऐतिहासिक सफलता इस विधान सभा चुनाव में प्राप्त हुई।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 60 दिवसीय कार्ययोजना चालू की है, इस सम्बन्ध में बार-बार प्रतिपक्ष की तरफ से टोकाटाकी की जाती रही है, इस सम्बन्ध में मैं चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगी :-

हवा का रुख अब बदलने तो लगा है,
मौसम का मिज़ाज भी अब बदलने तो लगा है,
बार-बार टीका टिप्पणी करने वाले लोगों,
जरा गौर से देखो, विकास का रथ अब चलने तो लगा है।'

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हमारी भाभी हैं ये, इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपका स्वागत कर रहे हैं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, यहां सभी माननीय सदस्य हैं। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारी भाभी हैं, इसलिए इनका स्वागत करते हैं; हम सब स्वागत इसलिए करते हैं कि हमारी माननीय सदस्य हैं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों चार रिकार्ड टूटे हैं, एक रिकार्ड हम लोगों के नाम है और बाकी तीन रिकार्ड इधर हैं। पहला रिकार्ड भारतीय जनता पार्टी को इस विधान सभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है, 163 सीटें; न भूतो न भविष्यति। दूसरा रिकार्ड टूटा है, यहां जो तत्कालीन सत्ताधारी दल एक कोने में सिमट कर रह गया है, केवल 21 सीटें। तीसरा रिकार्ड भी इन्हीं के नाम है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने किसी भी चुनी हुई सरकार के बारे में टिप्पणी की है तो वह पूर्ववर्ती सरकार के बारे में की थीं और इनको अभी तक की निकम्मी और

(श्रीमती अलका सिंह)

कमजोर सरकार बताया था। यह भी एक रिकार्ड है। चौथा रिकार्ड है, पिछले दिनों पूर्व मुख्य मंत्री महोदय को अठारह मंत्रियों को हटाना पड़ा था, तेरह मंत्रियों के विभाग बदले थे। हालांकि विभाग बदलना मुख्य मंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन पांच मंत्रियों को हटाया गया था, उन पर भ्रष्टाचार और अनैतिकता के आरोप थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो मंत्री बना ही नहीं सके।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अभी तो बहुत समय है, माननीय सदस्य। प्लीज डिस्टर्ब मत करिये। पांच साल पड़े हैं, बहुत दो-दो हाथ करेंगे।

पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान की आर्थिक स्थिति डांवाडोल कर दी थी, 44 हजार करोड़ रुपये का कर्जा लिया था। यह बहुत गहन विषय है। इसके बारे में चर्चा करूंगी तो आप मुझे बैठने के लिए बोल देंगे। इसलिए मैं दूसरे विषय बोलना चाहूंगी।

पूर्ववर्ती सरकार के समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था; महंगाई चरम सीमा पर थी; करीब सौ घोटाले हुए। मैं ही नहीं कह रही हूं 'कैग' की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि खनन, बजरी और परिवहन के जो ठेकेदार थे, उनके ऊपर पांच सौ करोड़ रुपये बकाया थे लेकिन सरकार की मिलीभगत के कारण वे रुपये वसूल नहीं किये जा सके। इसके अतिरिक्त, इस सरकार ने दिल्ली के एक प्रभावशाली परिवार के व्यक्ति को जमीन की लूट करने की खुली छूट दे दी थी।

हरित क्रांति घोटाला भी इनकी सरकार के समय हुआ था। करौली में 36 लाख रुपये पौधे लगाने के नाम पर वसूल कर लिये गये थे। इस बारे में विधान सभा में प्रश्न भी उठा था, उसमें यह जवाब आया था कि घोटाला पाया गया। तत्कालीन कलक्टर को दोषी पाया गया। माननीय भरत सिंहजी पंचायत मंत्री थे, उन्होंने निर्देश दिए कि जांच की जाए लेकिन बड़े दुख की बात है कि पूर्व मुख्य मंत्रीजी के नजदीकी अधिकारी होने के कारण आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पायी।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तीन लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा अपने घोषणा पत्र में की थी; इन्होंने जो गरीब लोग थे, उनसे फार्म भरवा लिए लेकिन वैधानिक कमियां उसमें इस तरह से छोड़ दीं कि लोग न्यायालय में चले गये और वे आज तक भर्ती का इन्तजार कर रहे हैं।

(श्रीमती अलका सिंह)

(17.57 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, नरेगा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है इनकी, उसमें डूंगरपुर, बाड़मेर, टोंक, दौसा, करौली, हनुमानगढ़ और झालावाड़ जिलों में करोड़ों का घोटाला हुआ। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनी और उस कमेटी ने जांच में पाया कि घोटाला हुआ है। माननीय भरत सिंहजी तब पंचायत मंत्री थे, उन्होंने 22 अक्टूबर, 2010 और 11 अप्रैल, 2011 को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए लेकिन कार्यवाही होना तो दूर, मंत्रीजी का विभाग ही बदल दिया गया।

सभापति महोदया, पानी और बिजली के बारे में मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि बिजली के बारे में पूर्व सरकार ने घोषणा की थी कि बिजली की दरें नहीं बढ़ायी जाएंगी लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने पांच बार बिजली की दरें बढ़ायीं।

सभापति महोदया, अब मैं फ्लैगशिप योजनाओं की बात करना चाहूंगी। इन्होंने मुफ्त दवाई का बहुत प्रचार किया था; 14,737 दवा वितरण केन्द्र थे, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया का यह नियम है कि दवाओं का वितरण वही कर सकता है जो ट्रेन्ड फार्मासिस्ट हो, तो क्या पूर्व सरकार के पास ट्रेन्ड फार्मासिस्ट थे? निश्चित रूप से नहीं थे और यही कारण था कि ट्रेन्ड फार्मासिस्ट नहीं होने की वजह से बाजार में दवाइयां बिकीं, नकली दवाइयां आयीं। परिवार कल्याण में राज्य के 30 कार्यालयों में 200 घोटाले हुए। 2008 में सूरतगढ़ में बायोटेक कम्पनी की दवाओं के इंफेक्शन से बारह मरीजों की आंखें चली गयी थीं। तीन वर्ष बाद राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल, एस एम एस अस्पताल में उसी कम्पनी की दवाओं का वितरण चालू किया गया। यह थी पारदर्शी और संवेदनशील सरकार।

सभापति महोदया, योजना आयोग में राजस्थान के प्रभारी जो सईदा सईद हैं, उन्होंने 23.01.2012 को कहा था कि राजस्थान में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति निम्नतर स्तर पर है। बिहार से भी घटिया स्थिति हमारे राजस्थान में थी उस समय। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का आंकड़ा चिन्ताजनक था।

चुनाव आते-आते पूर्ववर्ती सरकार ने मुफ्त में बहुत सारी चीजें बांटना आरम्भ कर दीं; लैपटाप बांटे; जब लैपटाप घटिया हुए तो नकद में पैसा देना

(श्रीमती अलका सिंह)

चालू कर दिया। साड़ियां बांटीं, कम्बल बांटें, पेंशन दी। पेंशन देना अच्छी बात है, जो पात्र हैं उनको दी जाएं, लेकिन जिनके एक-एक, दो-दो मंजिल मकान थे, उनको भी पेंशन दे दी गई। उनका तो एक ही नारा था, कम्बल लो, साड़ी लो, पेंशन लो, लेकिन वोट दे दो। जनता ने भी उसका एक जवाब दिया कि चाहे कुछ भी दो, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो।

(18.00 बजे)

सभापति महोदया, ये और इनके युवराज कहते हैं कि हमारी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, हम गंजों को भी कंघे बेच देते हैं, तो इनकी मार्केटिंग की स्थिति बतानी चाहूंगी। जनवरी, 2009 से लेकर मार्च, 2012 तक इन्होंने अपने विज्ञापनों पर, मार्केटिंग पर खर्चा किया 50.75 करोड़। यह जनता का पैसा था, जनता के पैसों को इन्होंने विज्ञापनों में, मार्केटिंग में खर्च कर दिया। जयपुर में कांग्रेस का चिन्तन शिविर हुआ था, तीन करोड़ रुपये तो उसी के विज्ञापन पर खर्च कर दिये; 48 लाख इन्होंने पोज देने में खर्च कर दिये फोटो सेशन में, मुस्कुराते हुए अपने फोटो लगवाये, कट-आउट्स लगवाये लेकिन जनता ने इनको बिलकुल नकार दिया क्योंकि यह पब्लिक है, यह सब जानती है।

सभापति महोदया, मैं दौसा जिले के विधान सभा क्षेत्र से आती हूं और उस दौसा जिले में पूर्ववर्ती सरकार के समय कांग्रेस और उसके समर्थित जो विधायक थे, पांच थे, पांचों मंत्री थे लेकिन फिर भी जिले की यह स्थिति थी कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो छह महीने तक गांव अंधेरे में डूबे रहते थे; डी.पी. खराब हो जाए तो बदली नहीं जाती थी। संसाधनों का पूरी तरह अभाव था। मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ही यह स्थिति है कि 72 घंटे में पानी की आपूर्ति होती है। वहां के जो विधायक थे, वे पांच साल मंत्री थे लेकिन कोई ठोस योजना वहां के बारे में नहीं बनायी गयी। वहां पर जो सिंगल पाइंट्स खोदे गये, वे लोगों के घरों में खोद दिये गये। भ्रष्टाचार का यह आलम था, अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से लोगों के घरों में ये खोद दिये गये, खेतों में सिंचाई के लिए खोद दिये गये।

हास्पिटल्स में डाक्टर नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं और सबसे खराब स्थिति है, मेरे यहां महाविद्यालय एक ही है, वहां पर पिछले 1993 से विज्ञान संकाय सेल्फ-फाइनेंस स्कीम के अन्तर्गत चलता है, अगर कोई विज्ञान पढ़ना चाहे तो पांच हजार रुपया वहां पर गरीब विद्यार्थी को देना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी कि अगर वहां विज्ञान

(श्रीमती अलका सिंह)

विषय खोल दिया जाए तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वह हजार रुपये की फीस में शिक्षा ग्रहण कर सकेगा।

अंत में, मैं प्रतिपक्ष के मेरे भाइयों को यही सुझाव देना चाहूंगी कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने एक नारा दिया है, 'आओ साथ चलें'; हमारा नजरिया एक होता है, आपका नजरिया अलग होता है, लेकिन राजस्थान के विकास के लिए मैं आपका आह्वान करना चाहती हूं कि 'आओ साथ चलें'। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमान हरिसिंहजी रावत।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदया, बहुत अच्छा बोली हैं बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या। लड्डू बनते हैं, लड्डू सदन को खिलाएं।

श्री सभापति: आप बांट रहे हैं?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): और आपके द्वारा मैं मेरी एक रिक्वेस्ट मुख्य मंत्रीजी को भिजवाना चाहूंगा, इनको मंत्री जरूर बनाएं। यह मेरी कम से कम एक मांग तो मानें। राठौड़ साहब, हमारी एक मांग तो मनवा देना, क्योंकि नाथू सिंहजी मेरे बहुत अजीज मित्र रहे, मित्रता बराबर रही है। इसलिए आप मेरी बात पर गौर करना।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): डाक्टर साहब, मित्रता आपने चुनाव में बहुत निभाई थी। धन्यवाद।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल के इस चौदहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र के इस अभिभाषण का मैं स्वागत करता हूं और इस प्रस्ताव का मैं समर्थन भी करता हूं।

सभापति महोदया, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और परसों हमने 65वां गणतंत्र दिवस मनाया है और हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं हैं। आज हम आजादी की बात करते हैं लेकिन आज गांव में जाकर देखें कि हमारे हालात क्या हैं? मैं समझता हूं कि शायद 1947 से पहले से भी हमारी बदतर हालत है। आज स्वतंत्र भारत का नागरिक कहलाने के लिए मैं हर गांव-ढाणी में पांच चीजों को महत्व देता हूं, हर गांव-ढाणी में शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य होना चाहिए; क्या ये सब हैं? मैं बोलता हूं, नहीं।

(श्री हरिसिंह रावत)

सभापति महोदया, देश आजाद हुआ, उसके बाद 65 साल में से 50, 52 साल तक केवल कांग्रेस ने राज किया और इस राज में इस देश की क्या दुर्गति की, वह सब जग-जाहिर है। आज इस देश में भूख, भय, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंक, बलात्कार, क्या-क्या इस देश में नहीं हो रहे हैं?

हमें बड़ा अफसोस होता है, कांग्रेस सरकार ने जो राज किया, इन्होंने केवल अपने लिए राज किया, जनता के लिए राज नहीं किया। जनता को तो ऐसे अंधे कुएं में धकेला कि शायद देश को आजाद कराने वाले शहीद भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, जो शहीद हुए, वे तो शायद स्वर्ग में भी आंसू बहाते होंगे कि हमने स्वतंत्रता के लिए हमारा बलिदान इसलिए नहीं दिया कि हमारी गांव की जनता भूखी मरे, बलात्कार हों या व्यभिचार हों, महंगाई हो, भय हो और क्या-क्या आतंक न हो।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास इस राजतंत्र को चलाने के लिए केवल एक महिला, वह भी +++ मिली, क्या भारत में भारतीय नारी नहीं थी? मैं सोचता हूं +++ वह आप सब भलीभांति जान गये होंगे कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं।

सभापति महोदया, मैं चाहता हूं कि हमारा देश वापस से विकसित भारत बने, विकसित राज्य बने। इसके लिए ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदया, ये क्या बोल रहे हैं? +++ कोई देशी महिला। इसको तो करें। (व्यवधान) वे इस सदन की सदस्य नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिये, बीच में टोकाटाकी नहीं करें। बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान) सभापति महोदया, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं बोला है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जो इस सदन की सदस्य नहीं हैं ... (व्यवधान) क्यों पुकारा जा रहा है? (व्यवधान) यहां पर ही बोल लो; यहां पर ही बहुत हैं बोलने के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सदस्य, इस प्रकार की टिप्पणी न करें। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक +++ देशी महिला; इससे क्या मतलब है?

एक माननीय सदस्य: +++ से क्या मतलब है?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): वह तो जो है, जो बतायेंगे न।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। बैठिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आज भी कांग्रेस +++ है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): देखो।

श्री सभापति: आप बैठिये न। आप बैठिये। बीच में टोकाटाकी नहीं, उनको उनकी बात कहने दें। आप जब अपनी बात कहें ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): यह क्या बोल रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहा हूं। टोकाटाकी क्या है?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ...(व्यवधान) इसलिए कह रहे हैं ये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदया, बताना चाहता हूं, जो +++ की बात कर रहा हूं मैं, जो अपनी भाषा नहीं समझे, संस्कृति का पता नहीं है और अगर वह आपकी बागडोर संभालेगी तो इससे बड़ी +++ की बात हो नहीं सकती।

मैं इसका एक जीता-जागता उदाहरण बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले बिहार में कोई प्रोग्राम था, उप-चुनाव था, वहां इनकी +++ गयी थीं और उनको कुछ महिलाओं का समूह मिला और उस समूह ने पूछा, उनके बीच में गुजरीं तो उन महिलाओं ने बोला, मैडम, हमारे यहां पर गुसलखाने नहीं हैं, हमारे यहां श्मशान घाट नहीं हैं, हमारे यह व्यवस्था नहीं है, वह व्यवस्था नहीं है; तो उस महिला को यह पता नहीं कि भाषा-संस्कृति क्या होती है, जब भाषण देनी लगीं, भाषण देते-देते जब महिलाओं पर नजर पड़ी तो ध्यान आया, अरे, उन महिलाओं ने मुझे कुछ बोला था, तो उन्होंने बोला कि, माताओं-बहनों मुझे ध्यान है कि आप लोगों की क्या समस्या है ...(व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह क्यों करवा रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदया, जो सदन की सदस्य नहीं हैं, उसका नाम क्यों बार-बार बोला जा रहा है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): लेकिन उनको श्मशान घाट याद रह गया और श्मशान घाट याद रह गया ...(व्यवधान) मुझे ध्यान है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ...(व्यवधान) तो मैं आपके घर-घर में श्मशान खोल दूंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हम तो बैठने के लिए तैयार हैं...

श्री सभापति: किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कैसे नहीं लिया? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): तो, सभापति महोदया, भाषा का पता नहीं हो और अगर ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कैसे नहीं लिया? +++ ...(व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सदस्य इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपकी मां कौन है, यह बता दो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये अपने स्थान पर। (व्यवधान) आप क्यों बिना बात ...(व्यवधान) किसी का भी नाम नहीं लिया है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ये मुझे क्यों विघ्न डाल रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को थोड़ा जल्दी-जल्दी बताएं क्योंकि बहुत लम्बी सारी लिस्ट है। इसलिए थोड़ा शोर्ट में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बोल किस पर रहे हैं माननीय सदस्य? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मैं तो मेरी भूमिका बना रहा हूं, निन्दा पर पहुंचा ही नहीं हूं।

श्री सभापति: चलिये, अब आ जाइये, विषय पर आ जाइये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह किस पर बोल रहे हो, आप? यह तो बताओ। बोल किस पर रहे हो?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदया, आज राजस्थान में तो जनता ने सुराज का संदेश दे दिया। हमारी सेंसिटिव मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने सुराज संकल्प करके पूरे राजस्थान का भ्रमण किया, जिसका जीता-जागता उदाहरण है कि 200 में से 163 पर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया और कांग्रेस को सीधा 21 पर

(श्री हरिसिंह रावत)

लाकर डाल दिया। उसी का नतीजा है और आने वाला समय भी है कि जिस प्रकार से सुराज संकल्प के माध्यम से जनता ने हमें 163 का जो कांटों भरा ताज पहनाया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी मुख्य मंत्री, श्रीमती सिंधियाजी उस पर खरी उतरेंगी और साठ दिन की कार्य योजना जो बनाई है, उसको द्रुत गति से हम क्रियान्वित करेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदया, आज शिक्षा की बात करूं मैं, किसी जमाने में कहा करते थे कि भारत एक विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया थी, अगर 'थी' को 'है' में परिवर्तन करना है तो वापस गांव की जनता पर ध्यान देना पड़ेगा और शिक्षा नीति पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा नीति की बात करूं मैं, शिक्षा में, जब हमारा कार्यकाल था, सम्माननीय गुलाबजी भाई साहब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदया, यहां भाई साहब कोई होता ही नहीं है; यहां सदन में भाई साहब कोई होता ही नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उन्होंने, हमारे गांव के बच्चे पढ़-लिखकर होशियार हो जाएं, उसके लिए नीति लागू की थी कि आठवीं बोर्ड लागू करें ताकि बच्चों में काम्पीटिशन की भावना पैदा हो सके और हमारा बच्चा आगे पढ़कर कोई कलक्टर, आई. ए. एस., आई. पी. एस, कोई एस. पी. बड़े पद पर जाएं, लेकिन यह सरकार नहीं चाहती थी, इन्होंने क्या सोचा ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अब तो सबको आई. ए. एस., आई. पी. एस. बना देंगे आप। पूरे राजस्थान में एक भी नहीं बचेगा, सभी आई ए एस, आई पी एस बन जायेंगे। (व्यवधान) एक भी नहीं बचेगा, सभी को बना देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में किसी भी सदस्य को डिस्टर्ब न करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उसके लिए क्या किया उन्होंने, ऐसी नीति लागू की कि चाहे बच्चा पढ़े या न पढ़े, उसको पास कर दो। वह बच्चा क्या करेगा, आठवीं पास तो होगा लेकिन नवीं में जाकर फेल हो जाएगा, ताकि वह हमारा वोट बैंक बना रहेगा। लेकिन जनता ने इसका जवाब दे दिया।

मैं शिक्षा की बात करूं, खूब प्रलोभन देने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने लैपटाप दिए, टैबलेट दिए। गहलोत सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आपकी नीयत सही होती, तो कम से कम बच्चों को लैपटाप और टैबलेट देने के पहले उनको सुशिक्षित करते। कम्प्यूटर आपरेटर

(श्री हरिसिंह रावत)

को भर्ती करके उन बच्चों को पढ़ाते-लिखाते, तब तो मैं समझता कि इनकी नीयत सही थी, लेकिन इनकी नीयत में खोट था। आज मैं बताना चाहता हूं कि जो लैपटाप, जो टैबलेट दिए, छह हजार के लैपटाप, टैबलेट दो-ढाई हजार में बिक गये। कई हमारी माता-बहनें मेरे पास आयीं कि एम एल ए साहब, म्हाकां छोरा न ओ कांई दे दयो; मैंने कहा, क्यूं; कह, म्हाकों छोरो तो कांई न देखें, इमें अश्लील फोटूं देखे हैं। मतलब, कितनी हमारे लिए शर्म की बात है। अगर बच्चे को शिक्षित करके लैपटाप या टैबलेट दिया जाता तो हम समझते कि वास्तव में बच्चों का भला चाहते हैं; लेकिन यह गहलोत नहीं चाहता था, यह गहलोत चाहता था कि यह देश डूबे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदया, माननीय सदस्य के हिसाब से तो लैपटाप बिकने ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए लैपटाप। क्या बात कर रहे हो? बंद कराओ ना सब लैपटाप को। ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): देना था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वे अपनी बात कह रहे हैं, आप सुनिए आराम से।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): लेकिन उनको शिक्षित करते, उनको पढ़ाते-लिखाते, इस काबिल बनाते, उसके बाद लैपटाप टैबलेट देते तो मैं समझता कि उनका सही ...(व्यवधान)

स्कूलें खूब खुलीं, 2008 से लेकर 2013 तक एक स्कूल में मास्टरों की भर्ती नहीं की। उसमें भी भाई-भतीजावाद किया; जहां उनके कोई चहेते थे, वहां स्कूलें खोल दीं। आज प्राइमरी स्कूलें देखो, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, हमारी पूर्ववर्ती, वसुन्धराजी की सरकार ने मेरे क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलें खोली थीं; यह सरकार आते ही 18 स्कूलें मेरी बंद कर दीं। शिक्षकों की भर्ती नहीं की। जो हमारे कार्यकाल में सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी स्कूलें खुली थीं, उनमें अभी तक प्रिंसिपल्स और सब्जेक्ट टीचर्स नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो इन्होंने गलती की, वह हम ना दोहराएं और हमें तत्काल शिक्षकों की जहां कमी है, वह पूरी करनी है।

इन्होंने जाते-जाते मेरे देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा कर दी; 4 तारीख को घोषणा की और 4 तारीख को ही उन्होंने प्रिंसिपल की भर्ती कर दी, व्याख्याताओं की भर्ती कर दी और चालीस बच्चों को भर्ती भी करवा

(श्री हरिसिंह रावत)

दिया। बड़ा अफसोस हुआ, दूसरे दिन पता चला कि आचार संहिता लग गयी है। वह सब टांय-टांय फिस्स हो गया।

इन्होंने केवल रेवड़ी बांटने का ही काम किया। ये साढ़े चार साल तक तो कुम्भकरण की नींद सोए और छह महीने हुए और लग गये रेवड़ियां बांटने, और रेवड़ी इतनी बांटी कि पन्द्रह महीने पहले तो उनको पेंशन नहीं मिली। इन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अलख जगाया कि हम विधवाओं को और सबको पेंशन देंगे, उनको पेंशन कुछ नहीं, केवल घोषणाएं रह गयीं।

तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि साठ दिन की योजना में हम यह सब जोड़कर आगे तक गति दें ताकि इनको अच्छा सबक मिल सके।

सभापति महोदया, मैं विद्युत के बारे में बात करना चाहूंगा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको अपनी बात को शार्ट करना होगा क्योंकि बहुत लम्बी लिस्ट है। बिलकुल एकदम शार्ट में, प्रिसाइस।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदया, मैं मेरे कुछ पाइंट्स पर आ जाता हूं, मैं मेरी बात नहीं करता बल्कि सबकी बात करता हूं। हमारी एक छोटी कृषक जोत है और छोटे कृषक होने की वजह से हम थ्री फेज कनेक्शन की जो बात करते हैं, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सिंगल फेज कनेक्शन हमें दिलवाए जाएं क्योंकि हमारे गांवों में करीब दो बीघा, तीन बीघा जमीन होती है और पांच या दस हार्स पावर की मोटर हमारे यहां लगती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करके सिंगल फेज की दो या तीन हार्स पावर की मोटर की अगर व्यवस्था करेंगे तो हमारे छोटे किसानों के लिए फायदेमंद बात होगी।

दूसरा, हमारे क्षेत्र में रोजडों की बहुतायत होने से फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें नरेगा के अन्तर्गत अगर बाड़बंदी या पत्थरों की दीवार अगर चुनवा दें तो हमारे किसानों के लिए फायदेमंद चीज होगी।

बारिश से मेरे क्षेत्र में कई रोड क्षतिग्रस्त हो गये, उनको ठीक कराने का भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत 250 की जनसंख्या वाले जो भी गांव जुडे हैं, लेकिन उसके बाद जो जुडने वाले हैं, उनको भी तुरन्त गति से यदि लेंगे तो मेरे क्षेत्र की सड़कों का विकास होगा। पूर्ववर्ती जो हमारी सरकार थी, धार्मिक भावना के अन्तर्गत हर विधायक को पांच-पांच किलोमीटर रोड दिया करते थे, तो मैं चाहता हूं कि वापस धार्मिक

(श्री हरिसिंह रावत)

भावना के अन्तर्गत पांच-पांच किलोमीटर रोड को जोड़ने का कार्य करेंगे तो यह भी हमारे लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदया, पांच किलोमीटर सड़क से सुराज आ जाएगा क्या? मांगो तो ज्यादा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बीस मांगो, बीस मांगो, हम भी आपके साथ हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मांगो तो ज्यादा, आप डरो मत। मेरिट के आधार पर मंत्री आप ही बनोगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): पांच हैं, पचास करेंगे, चिन्ता मत करिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बीस किलोमीटर मांगो, हम भी चाहते हैं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आदरणीय सभापति महोदया, इनको कहो, ये सुनने की भी आदत डालें। जो भी बोलता है, हरेक आदमी को टोकने का इन्होंने प्रावधान बना दिया। इनको कहो, जो सुनने की आदत डालें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरे क्षेत्र में ब्यावर से लेकर गोमती तक नेशनल हाइवे नम्बर-1 को मेगा हाइवे से ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, यही कहा है कि पांच किलोमीटर से सुराज आ जाएगा क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बार-बार उठने का क्रम छोड़ दीजिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरा हाइवे से फोर ट्रैक में क्रमोन्नत किया जा रहा है, नागौर से वाया भीम होकर वापस जो हमारा रोड बन रहा है शाहपुरा, उस रोड के अन्तर्गत जो जमीनें अवाप्त की जा रही हैं, उन जमीनों का मुआवजा 2008 के आधार पर दिया जा रहा है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मुआवजा 2013-14 का तय किया है, उस रेट से अगर हमारे गरीबों को मुआवजा मिलेगा तो जनता को इसका फायदा मिलेगा।

सभापति महोदया, पेयजल समस्या में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत जो योजना हमारी ग्राम पंचायतों को दी जाती है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायतें उसका बिल नहीं भर सकती हैं; कोई मोटर जल जाए तो उसको रिपेयर नहीं करा सकती हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनता जल योजना, ग्रामीण पेयजल योजना जो है, उसको वापस पी एच ई डी के माध्यम

(श्री हरिसिंह रावत)

से कराया जाए ताकि जिस गांव में यह योजना लागू है, वह सही ढंग से क्रियान्वित हो सके, अदरवाइज तो वह वापस वहीं की वहीं रह जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि इस योजना को जोड़ा जाए।

दूसरा, नगरपालिका, देवगढ़ की मैं बात करना चाहता हूं। मेरी नगरपालिका, देवगढ़ 1952 में बनी थी लेकिन आज तक पाइपलाइन का रिनोवेशन ही नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिनोवेशन करके मेरे क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से कराई जाए।

नरेगा के अन्तर्गत पेमेण्ट की बहुत समस्या आती है। पेमेण्ट के लिए, छोटी-छोटी पंचायतों के अन्तर्गत, जिस प्रकार हमारी वसुन्धराजी का सपना था, वसुन्धराजी ने बोला भी था कि जिस प्रकार ए. टी. एम. हैं, उसी प्रकार मैं हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बी. टी. एम. खोलूंगी; अगर वह योजना लागू हो जाए तो मैं समझता हूं हमारे ग्रामवासियों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। यह बी टी एम अगर होगा तो अनपढ़ लोग भी, या जो भी गांव के लोग होंगे, वे उसका अच्छा फायदा उठाएंगे, चौबीस घंटे कोई भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। इनको बैंक या और अन्य जगह चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस पर भी अपन ध्यान देंगे तो बहुत फायदा होगा।

दूसरा, इंदिरा गांधी आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 50 हजार रुपये जो राशि देते हैं, वह राशि अपर्याप्त है। उसके ऊपर मेरा सजेशन है कि जिस भी गांव में हम बी पी एल परिवार को यह आवास योजना अगर देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर एक ग्राम पंचायत हैडक्वॉटर पर सामूहिक रूप से सरकार द्वारा ही यह आवास योजना को लागू करके बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा, क्योंकि सामूहिक रूप से बनेगा तो वहां पर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की सब व्यवस्था हो सकती है। लेकिन इस वक्त हालत यह है, बंदरबांट होती है। 50 हजार रुपये जो हम देते हैं, न तो उनके पास पट्टा होता है, न पर्याप्त कोई मजदूरी मिलती है। 50 हजार में से 20-30 हजार रुपये तो रास्ते में ही खा जाते हैं और उनका घर भी नहीं बन पाता। 50 हजार रुपये से कुछ भी नहीं होता। इसलिये, सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार या तो उसकी रेट बढ़ाये, कम से कम डेढ़-दो लाख रुपये तो होना ही चाहिये, 2 लाख तो कम से कम होना चाहिये, क्योंकि आज महंगाई के जमाने में 50 हजार से घर नहीं बनता। मेरा सुझाव है, इस पर भी थोड़ा सोच किया जाये।

(श्री हरिसिंह रावत)

प्रशासन-गांवों-के-संग का जो प्रोग्राम बना, उसमें बी पी एल, विकलांग महिलाओं का जो था, उसका भी लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम को संचालित करके भी आप जनता को फायदा दिलायेंगे तो इससे एक अच्छा संदेश जायेगा।

हमारी छोटी जोत होने से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदया, मैं 2 मिनट में खतम करूंगा।

श्री सभापति: बिलकुल 2 मिनट, यानी 2 मिनट।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): हमारी खेती-बाड़ी, छोटे-छोटे हमारे कृषक लोग हैं। जिस प्रकार पूर्व में हमारे कृषि मंत्री डेलीगेशन ले गये थे इजरायल, इजरायल पद्धति पर, बूंद-बूंद सिंचाई पर हमारे इस अभिभाषण में बोला है, अगर हमारी छोटी-छोटी जोत के लोगों को ग्रीन हाउस सब्जियां उगाने के लिये प्रोत्साहित करेंगे तो इन लोगों को काफी फायदा मिलेगा।

यातायात के बारे में बताना चाहूंगा कि आये-दिन हमारे क्षेत्र में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से अकाल ही हमारे युवाजन मृत्यु की ओर चले जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यातायात के अन्तर्गत भी कड़े नियम बनाये जायें। हाईवे पर हम देखते हैं कि हमारी सिक्स-लेन रोड होते हुए भी फाइव ट्रैक्स पर केवल कार को चलना चाहिये, लेकिन तीनों ट्रैक्स पर केवल ट्रक ही चलते हैं जिससे हमें बड़ी असुविधा होती है और कई बार एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। यातायात मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी थोड़ा सख्ती से पेश आयें और जो ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाता है, या इस तरह की कोई...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यातायात मंत्री बनाया ही नहीं है आपने। बनाया ही नहीं यातायात मंत्री।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): तो करेंगे ना व्यवस्था अभी। करवायेंगे, साहब। डोटासराजी, आप चिन्ता मत करिये। अब आप चिन्ता नहीं करें। हमारी सरकार आयी है, हम करेंगे। इसकी चिन्ता आप मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको ही बनाते हम तो। हम तो आपको ही बनाते।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): बन जायेंगे, चिन्ता मत करो। आप टैंशन मत पालिये।

वन विभाग, वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में 11 पंचायतें हैं जो वाइल्डलाइफ में आ गयी हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कम से कम दो सौ वर्षों से गांवों के लोग रह रहे हैं लेकिन वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में आने की वजह से न तो वे जमीन बेच सकते हैं, न वे खरीद सकते हैं, न कोई लोन ले सकते हैं। उस क्षेत्र को मुक्त किया जाये, या उनको राइट्स दिलाये जायें, जो उनके राइट्स हैं, बेचना, खरीदना, लोन लेना। अगर ये राइट्स इनको मिल जायेंगे तो समझता हूं कि जनता के लिये फायदा होगा।

मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बहुत लम्बी सूची है, इसलिए थोड़ा अपन समय सीमा को लागू करेंगे, हम सब लोग, अपने-अपने ऊपर, तो ठीक होगा।

माननीय श्री सुरेन्द्रजी गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदया, आज लगातार 3 दिन से महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, हम समर्थन में बोल रहे हैं; प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इसके विरोध में बोल रहे हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह सदन राजस्थान का सर्वोच्च सदन है। 7 करोड़ जनता 2 सौ व्यक्तियों को इसलिये चुनकर भेजती है कि हम लोग उनके हितों की रक्षा के लिए, उनकी इच्छा और आकांक्षा पर खरा उतरकर, कुछ ऐसा करके बतायें जिससे उनको लगे कि हमारे जन-प्रतिनिधि हमारे लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करूं, मैं इस सदन में पिछले 20-25 साल से देख रहा हूं, हम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी बोलते हैं, हम बजट भाषण पर भी बोलते हैं, हम डिमांड्स पर भी बोलते हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदया, चीफ व्हिप साहब ने कैसे झुण्ड बना रखा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): अब आप बैठिये, सचेतक महोदय।

हम एप्रोप्रिएशन बिल पर भी बोलते हैं, हम फाइनेंस बिल पर भी बोलते हैं परन्तु यह आत्म-चिन्तन करने का विषय है और आत्म-विश्लेषण करने का भी विषय है कि आज देश को 65 साल से ज्यादा आजादी को हो गये, जिसमें 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया और 15 साल तक हमारी बी जे पी ने राज किया, इस बात का चिन्तन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आज देश के हालात क्या हैं, प्रदेश के हालात क्या हैं और नीचे धरातल पर क्या हैं? जब तक हम धरातल का ध्यान नहीं करेंगे और इस प्रकार से भाषण देकर इतिश्री कर लेंगे, इससे देश और प्रदेश का भला नहीं हो सकता।

मैं बहुत भारी मन से निवेदन करता हूं, सभापति महोदया, आज प्रदेश के अन्दर गांवों में आप चले जाइये, गांवों के अन्दर गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर होता जा रहा है। गांव का गरीब...

श्री सभापति: एक मिनट। माननीय सदस्य, दोनों ही...

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय सभापति महोदया, आज हालात ये हैं कि गांव के अन्दर गरीब के पास अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के अलावा कोई साधन नहीं है। गांव के स्कूल में गरीब का बच्चा जाता है तो स्कूल का प्रिंसिपल होता नहीं, मास्टर होते नहीं। जो भी मास्टर हैं, कोई विद्यार्थी मित्र लगा दिये, कोई पैराटीचर लगा दिये, किसी को डेपुटेशन पर लगा दिया, कोई अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं। मानव संसाधन मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर यह देख लिया कि हमारे देश के वोटर्स होशियार कैसे हो रहे हैं, तो उनके लिये एक न्यायालय में आदेश पारित कर दिया कि 8वीं तक के बच्चे को फेल ही नहीं करेंगे। अब आप सोचिये, 8वीं तक का बच्चा क्या समझता है? उसको पूछोगे कि मास्टर साहब कौन से अच्छे हैं, तो यही कहेगा कि जो मास्टर साहब नहीं पढ़ाते, वही अच्छे हैं। दूसरा, इससे भी अच्छे कौन से हैं, जो मास्टरजी नहीं ठोकते, वे अच्छे हैं। उससे भी अच्छे कौन से हैं मास्टरजी, जो स्कूल ही नहीं आते हैं। तो हालात ये हो गये हैं कि 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना और 9वीं में वह बच्चा कभी पास नहीं होना।

गांव के हालात ऐसे हैं कि गरीब का बच्चा, अपन तो जीवन-स्तर ऊपर उठाने की बात करते हैं, पर आज 65 साल की आजादी के बाद भी उसका जीवन-स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। गांव का बच्चा, न तो वह कामयाब हो सकता और आज तो पता नहीं लगता, पर आने वाले 5-10 साल बाद में हालात ये होंगे कि ये नेता जो नीति-निर्धारक हैं, अगर वे जिन्दा होंगे तो उनको

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जूतों से मारेगी यह जनता; और मर गये तो कब्र में से निकाल-निकालकर जूतों से मारेगी, क्योंकि उनके बच्चों का जीवन-स्तर खराब कर दिया, उनके परिवारों का जीवन-स्तर खराब कर दिया।

आज यह नरेगा है, यह नरेगा क्या है? न तो जीने देगा और न मरने देगा। गांव के अन्दर हालात ये हैं कि आज नरेगा में मजदूरी मिलती नहीं और वे तो आज भी यही समझते हैं कि यह फेमिन का काम है। वे फेमिन समझकर ही जाते हैं और महीने में 20, 30, 40 रुपये की मजदूरी उनको मिलती है; वह भी 6-6 महीने, 12-12 महीने नहीं मिलती।

तो ये जो दो फैसले गांवों के लिए किये हैं, ये आत्मघाती फैसले हैं और जनता के हितों के साथ कुठाराघात है।

मैं, माननीय सभापति महोदया, निवेदन करता हूं कि आज देश में ज्यों-ज्यों प्रजातंत्र मैच्योर होने लगा, 65 साल हुए हैं, तो ज्यों-ज्यों मैच्योर हुआ, उसके बाद जनता गर्त में जा रही है। 70 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। क्या देश का भला करेंगे? क्या प्रदेश का भला करेंगे? क्या होगा? यह सोचने और आत्म-चिन्तन का विषय है।

मैं आप लोगों को बताऊं, आज पंचायत राज है, हम जैसे सदन में आ गये; आज गांवों के अन्दर ग्रामीण विकास में सरपंचों के पद, प्रधानों के पद, जिला परिषद् के पद, जिला प्रमुखों के पद, यह जन-प्रतिनिधियों के साथ मजाक है। आज सरपंच का प्रधान के साथ काम्बिनेशन नहीं; प्रधान का प्रमुख के साथ काम्बिनेशन नहीं। जो सदस्य चुन गया, उसको प्रधान बना दिया, प्रधान बनाने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं। जनता उसको पूछती है कि आप हमारे जन-प्रतिनिधि, आप क्या कर रहे हो? तो वह कुछ नहीं कर सकता, उसको पंगु बना दिया। यह 73वां, 74वां ऐसा संशोधन हुआ कि इस देश को डुबो कर रख दिया है।

मैं, माननीय सभापति महोदया, निवेदन करता हूं, अपन पूरे सदन में इस प्रकार का संकल्प लेकर केन्द्र सरकार को भेजें और दूसरे स्टेट्स में यह मेसेज जाये कि जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी, सरपंचों की और प्रधानों की, उसी प्रणाली से उनका चुनाव हो, जिससे कि प्रजातंत्र बच सके और जो विधायक चुनकर आते हैं, उनका भी सम्मान हो सके।

सभापति महोदया, आज देश का दुर्भाग्य है कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, जो हिप्पोक्रेट की चिकित्सा पद्धति है, जो लार्ड कर्जन की डिवाइड-एंड-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

रूल की राजनीति है, वह आज तक देश के ऊपर हावी है। आज देश का कोई धणी-धोरी नहीं है।

सभापति महोदया, माननीय अशोकजी गहलोत, जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने देखा कि जैसे ही माननीया वसुंधरा राजेजी को अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बनते ही वे दिल्ली से जयपुर आ रही हैं तो रास्ते में इतना जबरदस्त समर्थन मिला है। लोगों का जबरदस्त हुजूम उमड़ा है, पूरी जनता उन पर लट्टू हो गयी है और वे वापस सी.एम. बन जायेंगी, उन्होंने आनन-फानन में ऐसी-ऐसी योजनाएं लागू कीं जिनमें उन्होंने ना तो बजट का ध्यान रखा, ना ही उन्होंने प्रदेश के आर्थिक तंत्र का ध्यान रखा। उन्होंने एक झटके में ऐसी-ऐसी नीतियां बना दीं, ऐसे-ऐसे काम कर दिये, जो आने वाले 5 सालों में इस प्रदेश को भुगतने पड़ेंगे।

सभापति महोदया, मैं आपको आज भारी मन से कहता हूं कि जो दवा योजना लागू की है, यह क्या है? यह जनता के साथ मजाक है। जनता को चाहिए 'ए' गोली और उनको दी जाती है 'बी' गोली। डाक्टर क्या करते हैं, डाक्टर यह करते हैं कि 'बी' गोली तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वह नार्म्स में नहीं है, मुझे तो 'ए' गोली ही लिखनी है, यही गोली देनी पड़ेगी। जब वह 'ए' गोली लिखता है तो उससे वह मरीज ठीक नहीं होता है। वह 10 दिन तक भुगतता है, उसके बाद में जाकर के प्राइवेट डाक्टरों से इलाज कराता है। उसके साथ उलटा यह अन्याय हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज आप इस योजना को बंद कर रहे हो क्या?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): ऐसा है, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं करता हूं। सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि जब मैं बोलूं तो कम से कम आप ध्यानपूर्वक सुनें। मेरा किसी से कोई राग-द्वेष नहीं है, ना मैं किसी की काट करता हूं, ना मैं फालतू बोलता हूं, ना मुझे फालतू बोलने की आदत है। इसलिए आप मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें।

सभापति महोदया, मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, उसमें वसुंधराजी का जो विजन है वह स्पष्ट झलकता है। आप 21 आये हो; हमें हराया नहीं था जनता ने, कोई छोटी-मोटी गलती के कारण 5-10 सीटें कम हो गयी थीं, वरना पिछली बार भी हमारी सरकार ही बनती। इस बार जो समर्थन दिया है, पहली

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बार देश आजाद होने के बाद, पहले तो शुरू से कांग्रेस का ही राज चलता रहा, एक परिपाटी थी, परन्तु भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, तब से पाजिटिव वोट इस राजस्थान में पहली बार मिला है और 163 सीटें इस राजस्थान की जनता ने दी हैं।

सभापति महोदया, हम इस जनता को पूरे सदन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि आपकी इच्छा और आकांक्षाओं पर वसुंधराजी खरी उतरेंगी। जो विजन लेकर वे चली हैं, चाहे आर्थिक रूप से प्रदेश को सुदृढ़ करना, चाहे रोजगार के अवसर सृजन करना, निवेश को प्रोत्साहित करना, चाहे लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये काम वसुंधराजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि करेंगी और इस प्रदेश के आम गरीब को राहत प्रदान करके उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठायेंगी।

सभापति महोदया, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में है कि 2003-04 में राजकोषीय घाटा जो 6.6 प्रतिशत था, उसको घटाकर के 1.75 किया है; राज्य का जो राजस्व घाटा है, जो कि 3 प्रतिशत ज्यादा था, उसको अधिशेष में परिवर्तित किया है। यह 2003 से 2008 तक का रिजल्ट था। इन लोगों ने 40 हजार करोड़ की योजना बनाई लेकिन आप मुझे एक असेट तो बताइये, जहां पर आपने असेट्स बनाई हों और प्रदेश को खुशहाल किया हो। जो असेट बनी हुई थीं, वे आज खुर्द-बुर्द हो रही हैं। इस प्रदेश को आपने गर्त में पहुंचाने का काम किया है।

सभापति महोदया, मैं राज्यपाल महोदय के समर्थन में बोलते हुए, पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि हम सबका उद्देश्य एक है कि इस राजस्थान को किस प्रकार से ऊंचा उठायें और राजस्थान की जनता के जीवन-स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठायें। हम किस प्रकार के सुझाव दें, यहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं हैं, यह सबको पता है कि आज हालात 65 साल के बाद में भी खराब हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से सुधार सकें, किस प्रकार से इस प्रजातंत्र को हम स्थायी रूप से साधन उपलब्ध करवा सकें, इस प्रकार की सोच रखकर के हम चलेंगे, तभी जाकर के राजस्थान का भला होगा।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य ने समय-सीमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा।

माननीय श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदया, चौदहवीं विधान सभा के सत्र में राज्यपाल महोदया द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, मेरा मानना है कि यह अभिभाषण आने वाले 5 साल में सरकार का विजन, सरकार का डाक्यूमेंट और कुछ हद तक, पूर्ववर्ती सरकार के जो भी निर्णय थे, जो भी बड़े फैसले थे, जिनकी वजह से आज कांग्रेस इस हाशिये पर आ गयी, उनका भी उसमें जिक्र है, अभिलेख है।

यह भी सत्य है, सभी सदस्य जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में यह चुनाव सर्वाधिक मतदान और सबसे अधिक सीटें देने वाला रहा है। सभापति महोदया, मेरा खुद का गृह जिला हनुमानगढ़ सम्पूर्ण राजस्थान में, मेरा विधान सभा क्षेत्र नोहर पूरे संभाग में, सबसे ज्यादा मतदान देने वाले विधान सभा क्षेत्रों और जिलों में से रहे हैं। इस अधिक मतदान को, इस अधिक उत्साह को सरकार बनने के उपरांत हम, किस प्रकार पुरानी गलतियों को भूलकर, एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत के साथ, राजस्थान की आम जनता जो हमसे आस लगाये बैठी है, राजस्थान का आम किसान, व्यापारी, मजदूर, सभी भाई-बिरादरी, 36 कौम के लोगों ने जो भारी प्रचण्ड बहुमत हमें दिया है, हम आगामी 5 साल तक उसे कैसे सम्भालकर रख सकते हैं, यह अति आवश्यक है।

सभापति महोदया, यह प्रथम सत्र है, इसलिए शायद प्रत्येक सदस्य विपक्ष के लोगों को 21 सीटें याद दिलायेगा और विपक्ष के लोग हमें बार-बार 163 के भारी बहुमत की याद दिलायेंगे। लेकिन यह समय बड़ी जल्दी बीत जायेगा और उसके बाद जब बजट सत्र आयेगा, वोट-आन-अकाउंट होगा, तब खाली वोट-आन-अकाउंट नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। Accountability and responsibility will go hand in hand.

सभापति महोदया, इसलिए मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार बनने के उपरांत, सत्ता संभालते ही सदन की नेता ने लक्ष्य 2020, मिशन 2020, जिसमें 2020 तक एक नया, खुशहाल, सर्वांगीण विकास सम्पूर्ण राजस्थान में किस प्रकार हो, उसी के तहत 11 सूत्री कार्यक्रम 60 दिवस की कार्ययोजना में अमल में लाने के लिए सम्पूर्ण मंत्रिमंडल को निर्देश दे दिये और उस पर कार्य योजना भी बन गयी।

सभापति महोदया, आम तौर पर विपक्ष के लोग यह चाहेंगे कि सारा 5 साल का काम 60 दिन के अन्दर हो जाये; हमारे लोगों का भी यह मत रहेगा कि आपने 5 साल तक कुछ नहीं किया, आप 60 दिन के अन्दर क्या

(श्री अभिषेक मटोरिया)

करवाना चाहते हैं? यह एक बड़ी जद्दोजहद है। लेकिन मैं मानता हूं कि इन 60 दिवसों के अन्दर सरकार के पुराने फैसलों की समीक्षा, गलत निर्णयों की समीक्षा, अगर सरकार ने कोई सही फैसले लिये हैं, जो जनता चाहती है, उनको वित्तीय प्रबंधन के मद्देनजर यथावत रखने का भी एक कांटों भरा ताज हमें मिला है।

सभापति महोदया, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, बड़ा सम्भलकर हमें आगे आने वाले 60 दिनों में कार्ययोजना बनानी पड़ेगी। क्योंकि यह एक कटु सत्य है कि दोनों हाथों से लुटाने के बावजूद, कांग्रेस के लोगों की यह दुर्दशा हो गयी कि वे 21 सीटों पर सिमटकर रह गये।

सभापति महोदया, इससे पूर्व भी हमारी सरकार थी और वसुंधराजी ने रिकार्ड तोड़ विकास कार्य किये। शायद कुछ गलतियां हमसे रह गयी थीं, कुछ कमियां हमसे रह गयीं, इसलिए हम 120 से 80 पर आये, लेकिन सबसे बड़ा विपक्षी दल था वह। कांग्रेस के लोगों ने बेतहाशा योजनाएं चलाकर, वित्तीय कुप्रबंधन करके, कुराज को राजस्थान में स्थापित करके, 21 सीटों पर जो हाशिये पर आये हैं, वह मैं मानता हूं कि आम राजस्थानी ने सुराज पर मोहर लगायी है। वह सुराज लोगों के मन में बैठ गया और मन में बैठने के बाद, वह मतदान में परिवर्तित हो गया। अब इस मतदान को हम विकास में कैसे परिवर्तित करें, यह अति आवश्यक है।

सभापति महोदया, मेरी समझ में कुछ कारण रहे हैं; राज्यपाल के अभिभाषण तक मैं सीमित रहूं, दायें-बायें ना भटकूं और बड़े कम समय में अपनी बात कहूं, इसलिए आपके आदेशानुसार, कुछ कारण आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। अभी मेरे साथी सदस्य बता रहे थे कि 30 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए किया; यह 30 करोड़ का नहीं, 281 करोड़ का बजट था। आज तक की राजस्थान की सरकारों का सर्वाधिक और सिर्फ राष्ट्रीयकृत अखबारों में अपने विज्ञापन लगाने के लिए।

सभापति महोदया, हमारी सरकार भी बनी है, हम भी विज्ञापन लगायेंगे, क्योंकि जनता तक किसी भी योजना का प्रचार-प्रसार करना अति आवश्यक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत क्या था कि पूर्ववर्ती सरकार ने 192 योजनाएं ऐसी चला दीं जिनका उनको स्वयं को ज्ञान नहीं था, अधिकारी को ज्ञान नहीं था, मंत्री को ज्ञान नहीं था, लाभार्थी को ज्ञान नहीं था,

(श्री अभिषेक मटोरिया)

आम व्यक्ति को ज्ञान नहीं था। 192 योजनाएं और उससे पहले 217 योजनाएं राजस्थान में आलरैडी चल रही थीं, साढ़े 4 सौ से ऊपर योजनाएं, फिर भी कांग्रेस 21 पर क्यों आती है? क्योंकि हरेक विज्ञापन पर लिखा होता था, 'राजस्थान में पहली बार', 'राजस्थान में पहली बार'; अगले दिन का अख़बार, 'राजस्थान में पहली बार'; अगले दिन का अख़बार, 'राजस्थान में पहली बार'; दो दिन बाद का अख़बार, 'राजस्थान में पहली बार'। किस-किस को नहीं छोड़ा इन्होंने? प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक विभाग में इन्होंने योजना निकाली परन्तु उनकी क्रियान्विति नहीं हुई। (व्यवधान) 'राजस्थान में पहली बार', इक्कीस।

माननीय सभापति महोदया, मेरा मानना है कि योजनाओं की बजाय योजनाओं की क्रियान्विति पर अगर हम ज्यादा जोर देंगे तो निश्चित रूप से आम जनता को इनका लाभ मिलेगा।

आपने भी जिक्र किया बाड़मेर का; मेरा मानना है कि अगर राजस्थान सरकार सच्चे मन से बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना करने का प्रयास करती तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिलता, परन्तु ऐसा हुआ नहीं। सभापति महोदया, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने वहां पर बाड़मेर में रिफाइनरी नहीं स्थापित की, आपने वहां रोजगार के अवसर पैदा नहीं किये; आपने वहां रिफाइनरी नहीं खड़ी करके वहां विवाद खड़े कर दिये। स्थान का विवाद, तीन बार स्थान बदला गया, भूमि का विवाद। आये-दिन आपके तत्कालीन विधायक का और मंत्री का, राजस्व मंत्री को इस्तीफा देना पडा इस रिफाइनरी की वजह से। वह स्थान बदला गया, वह भूमि बदली गई, रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए। एच पी सी एल को 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए, 3,760 करोड़ रुपये का वाएबिलिटी गैप केन्द्र सरकार को देने के लिए, आप उस पत्र में राज़ी हो गये, जबकि आज तक के इतिहास में, न बड़ोदरा में और न भटिण्डा में, दोनों रिफाइनरी में ऐसा किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ था। 4 हजार करोड़ रुपये किस प्रकार आप प्रत्येक साल ब्याज-मुक्त ऋण केन्द्र सरकार को देंगे? और 15 साल बाद, तब आपको कितना रोजगार पैदा होगा? घाटा आयेगा, तब तक नहीं होगा। 4.5 एम टी, मिलियन टन क्रूड आयल, वहां पर उसको भी उसके साथ जोड़ दिया; पेट्रो-केमिकल्स जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी आपने उसके साथ जोड़ दिया।

बात रिफाइनरी की नहीं है, सभापति महोदया, बात रिफाइनरी की शर्तों

(श्री अभिषेक मटोरिया)

की है; बात रिफाइनरी के साथ भू-माफियाओं की है। मैं मानता हूं कि रिफाइनरी लगना, रिफाइनरी लगना राजस्थान के इतिहास में अपने आप में एक अलग कदम होगा। रिफाइनरी अगर लगती है, कांग्रेस के लोग रिफाइनरी लगाते, तो यह बहुत बढ़िया बात होती परन्तु ये रिफाइनरी लगाने में नाकाम रहे। हमारी सरकार ...(व्यवधान) मैं बात वही कर रहा हूं, मैं कोई गलत बात थोड़े कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि यह सत्ता परिवर्तन...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक बात बताओ, बाड़मेर से बायतू, पचपदरा; कहां आ गई यह रिफाइनरी? बाड़मेर से पचपदरा कहां आ गई, वह बता दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप लोग आपस में नहीं बोलें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): लगेगी तो पचपदरा में। दूसरी जगह आप लगा नहीं पाओगे क्योंकि और जगह आपके जमीन भी नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह कारण तो बता दो, आपको पता लगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कोई कारण नहीं है। क्या कारण है, आप बता दो। कोई कारण नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर बैठें। आप लोग आपस में न बोलें। मैंने जिनको अनुमति दी है, वही बोलें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपके नजदीक लगा लीजिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदया, आप अंदाजा लगा लीजिये, जब सदन में इस प्रकार भूमि को लेकर, स्थान को लेकर इतना विवाद है, इस रिफाइनरी को लेकर, तो स्थानीय जनता में कितने विवाद हुए होंगे? (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई विवाद नहीं है तो रिफाइनरी निश्चित रूप से हमारी मुख्य मंत्री, जिस प्रकार से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, केन्द्र में सत्ता परिवर्तन होगा और इन शर्तों को बदल कर, राजस्थान के लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, जनता को रोजगार देने के लिए बाड़मेर में रिफाइनरी लगेगी और राजस्थान के हितों की शर्तों को देखते हुए लगेगी।

निश्चित रूप से आप मेट्रो लेकर आये, यह भी अच्छा प्रोजेक्ट है, मेट्रो

(श्री अभिषेक मटोरिया)

रेल लाना कोई गलत कार्य नहीं है परन्तु डिसिजन मेकिंग, decision making at the right time is important. माननीय सभापति महोदय, आज दिल्ली जैसे प्रदेश में, जहां हमसे चार गुना ज्यादा जनसंख्या है, वहां 2.5 करोड़ लोग रहते हैं; हमारे यहां 50 लाख को छुआ है। आप मेट्रो रेल लेकर आये, आपने 11 किलोमीटर के लिए 3,400 करोड़ रुपये और दूसरे फेज के लिए आपने रखे हैं, सीतापुरा से अम्बाबाड़ी, 8 हजार करोड़ रुपये। आप उस समय मेट्रो लेकर आ रहे हैं, जिस समय आपको मेट्रो लाने की बजाय यहां की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, सड़कों को मजबूत करना चाहिए था। सड़कों को मजबूत करने के साथ-साथ, लोकल ट्रांसपोर्ट को इतना सशक्त करना चाहिए था कि आम जयपुरवासी को उसका लाभ मिले। आप मेट्रो उस समय लेकर आ रहे हैं समय से पहले लाने से अगर आम जयपुरवासी को नुकसान पहुंचा है तो this is not the right time for Metro.

माननीय सभापति महोदया, हमारे समय में भी, हमने भी बी आर टी एस का जो निर्णय लिया था, वह गलत निर्णय नहीं था, वह समय गलत था; हमने उसका परिणाम भुगता। बी आर टी एस गलत समय पर आ गई। पूर्व में भी अन्य सदस्यों ने, खाचरियावास साहब ने इस बात के बारे में जिक्र किया था, timing that timing was not right. तो, माननीय सभापति महोदया, मेट्रो रेल में जो जल्दबाजी आपने बरती और 12 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार डाला, उसके बजाय आप लोकल जयपुर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत करते तो आपको लाभ मिलता।

माननीय सभापति महोदया, अंतिम वर्ष में, 6 महीनों में 26,962 करोड़ रुपये की योजनाओं की आपने घोषणा की, 26,962 करोड़ की। इससे राजकोषीय घाटा 13,020 करोड़ रुपये से बढ़कर 27,980 करोड़ रुपये हो गया, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.2 परसेंट कर्जा था, आज तक का सर्वाधिक कर्जा। घोषणाएं कर, क्रियान्विति कर लोगों के हितों के लिए काम करना, कोई गलत नहीं होता, परन्तु राजस्थान की परिसम्पत्तियों को गिरवी रख कर, बजट प्रावधान को एफ आर बी एम एक्ट का उल्लंघन करके, अगर 5.2 परसेंट जी एस डी पी का कर्जा आप राजस्थान की जनता पर डालना चाहते हैं, यह अनुचित है।

माननीय सभापति महोदया, आज भी चर्चा हुई, महंगाई और बेरोजगारी से आप लोग डील नहीं कर पाये, रोक नहीं पाये। मैं मानता हूं कि

(श्री अभिषेक मटोरिया)

राजस्थान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं हमारी सदन की नेता से पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि महंगाई को रोका जायेगा और बेरोजगारी के मामले में पूरी चिंता होगी कि इस प्रकार के फैसले करके बेरोजगारी दर को घटाया जाये।

माननीय सभापति महोदया, एक खास बात पूर्ववर्ती सरकार में देखने को मिली, जनता और सरकार के फैसलों की जो कड़ी होती है, जो एक्जीक्यूशन पावर होती है वह कर्मचारी और अधिकारी के द्वारा प्रशासन के पास होती है, एडमिनस्ट्रेशन के पास होती है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, पूर्ववर्ती सरकार में एक विभाग के बहुत बड़े एम डी के ऊपर यहां पर एक दिन पूरे दिन सदन का समय गया, एक बहुत बड़े मंत्री की यह पीड़ा आई कि कर्मचारी, अधिकारी उसकी सुनते नहीं हैं; दो-तीन अधिकारियों ने मुख्य मंत्री से मिलकर पीड़ा यह व्यक्त की कि उनके सचिव उनसे ऊपर होकर निर्णय लेते हैं।

कहने का तात्पर्य यह है, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य यह कहते हैं कि लोकतंत्र में हमारा काम योजनाओं को बनाना, रीति-नीति को बनाना है, उसको लागू करने का काम प्रशासन का है। आपकी सरकार की प्रशासन पर पकड़ अगर कमजोर होगी तो वह सरकार चल नहीं सकती। एक समय ऐसा आ गया था कांग्रेस के राज में, जब ऐसा लगता था, आपको मानना चाहिए कि प्रशासन सरकार पर हावी है; प्रशासन सरकार को चलाता है, न कि सरकार प्रशासन को। इस बात को आज भी कांग्रेस के लोग भुगत रहे हैं।

आज इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जब मंत्री और विधायकों की पीड़ा अधिकारी नहीं सुनते, तो जनता की उन्होंने सुनी नहीं। हमें प्रशासन को हमारे राज में उचित व्यवस्था करके वे सारे कार्य जो जनता से जुडे हुए हैं, वे करवाने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम वहां बैठते थे तो हम भी अकसर यह चाहते थे कि जिन अधिकारियों ने गलत किया, उनको लटका दिया जाये और अब ये लोग चाहते हैं कि जो अधिकारी गलत करते हैं, उनको लटका दिया जाये। अगर यह आरोप लगाते थे कि मुख्य मंत्री फलानां-फलानां कलक्टर, फलानां-फलानां सचिव को बचाना चाहते हैं, यहां किसी कर्मचारी को मारने के लिए या किसी कर्मचारी को बचाने के लिए प्रयास नहीं करके, सारा केन्द्र बिन्दु इस बात पर फोकस होना चाहिए कि जो कर्मचारी–अधिकारी, वह कितना ही बड़ा

(श्री अभिषेक मटोरिया)

हो, अगर वह अच्छा काम करता है तो सम्मानित हो; अगर वह अच्छा काम नहीं करता है तो he should be sacked. क्योंकि हमारी योजनाओं को जनता तक कर्मचारी नहीं पहुंचायें, सही कार्यवाही नहीं करें, खाली ए सी दफ्तर में बैठकर अफसरगीरी करें, जनता का सुख-दु:ख न समझें, तो ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से प्रताड़ित भी किया जाये और जो कर्मचारी-अधिकारी जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार की रीति-नीति के अनुरूप कार्य करके, आम गरीब और किसान को लाभ देने की मंशा रखता है, उसको हमें सम्मानित भी करना चाहिये।

मैं मानता हूं, माननीय सभापति महोदया, एक और मुख्य कारण रहा कि सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

माननीय सदस्य, थोड़ा शोर्ट करें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): दो-तीन बिन्दु और रह गये।

राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया, राजस्थान का बजट सम्पूर्ण राजस्थान को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और प्रत्येक वर्ग को, राजस्थान के प्रत्येक जिले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है; प्रत्येक संभाग, सातों संभागों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है; मुझे यह कहते हुए बड़ा दु:ख हुआ कि इससे पहले के दो बजट थे, उनमें कहीं न कहीं असमानता और असंतुलन दिखा। उसके मेरे पास तथ्य हैं। अगर जोधपुर डिविजन में पूर्व मुख्य मंत्री की जो मंशा थी, उसके अनुरूप कार्य होता तो शायद इनकी यह दुर्दशा नहीं होती, दस में से नौ सीटें ये हारे।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

इन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में घोषणा की थी कि जोधपुर में सोलर पार्क लगेगा, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, परन्तु अगर जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों की गर्मी वाले इलाकों में भी साथ लाते तो बढ़िया होता। यह सोलर पावर आज तक वहां स्थापित नहीं हुआ। जोधपुर शहर की विस्तार परियोजनाओं के लिए इन्होंने 550 करोड़ रुपये लिये, लेकिन एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से, बीकानेर, उदयपुर में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, तीनों संभाग मुख्यालयों पर, एक भी नहीं खुली। आयुर्वेद की दृष्टि से, आपने आयुर्वेद विश्वविद्यालय और जोधपुर में यूनानी मेडिकल कालेज की घोषणा की थी, सिवाय जमीन खरीदने के आज तक कोई काम नहीं हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर में वृद्ध आश्रम; वह हम आज देख चुके हैं कि किस प्रकार से विवादों में घिर गये। उसके बाद कृषि में आपने कहा था कि जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन में भी जोधपुर में पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र ले गये, हमें आपत्ति नहीं है पर धरातल में योजनाएं जोधपुर की जनता को मिलीं नहीं। आपने जोधपुर की जनता को गुमराह किया, उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से तौला। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, आपने एक भी नहीं खोली। शिक्षा की दृष्टि से आपने कहा था...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब इसको सम-अप कर दीजिए और अगले मेम्बर को बुलाती हूं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आपने मुख्य रूप से अलग-अलग विभागों में घोषणाएं कीं, पी पी पी माडल द्वारा प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को बसों से जोड़ने की घोषणा अच्छी थी, लेकिन कार्यान्वित नहीं हुई। राजस्थान जल प्रबंधन नियामक प्राधिकरण व भूजल नियंत्रण कानून बनाना, ताकि राजस्थान में अच्छी जल व्यवस्था हो, आप उसमें नाकाम रहे। बीकानेर संभाग में वाटर रिसोर्सेज हाइड्रोलोजी मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट की आपने घोषणा की थी, आज तक हमारा संभाग मुख्यालय उसको तरस रहा है। 60-40 का मनरेगा का परिसम्पत्ति निर्माण निधि बनाकर, उन विसंगतियों को केन्द्र से मिलकर दूर करना था, वे आज तक नहीं हुईं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 1.68 करोड़ रुपया खर्च करना था सी डब्ल्यू सी से आपको केन्द्र सरकार द्वारा परमिशन लेकर 402 करोड़ रुपया खर्च करना था; आज हमारे अधिकारी-कर्मचारी डीजल को भी तरसते हैं। भरतपुर में आपने कुश्ती एकेडमी की घोषणा

(श्री अभिषेक मटोरिया)

की थी, खेल की दृष्टि से आपने झुंझुनूं में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, राज्य में दो मेगा फूड-पार्क बनाने की घोषणा की थी, सारी की सारी थोथी घोषणाएं। 'रिडकोर' के माध्यम से 2,630 किलोमीटर मेगा हाईवे निर्माण करना था, वह नहीं हुआ; आधा हो गया, आधा रह गया। 100 से 250 की आबादी वाले गांव जोड़ने थे, ज्यादा से ज्यादा गांव आज भी वंचित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 57 हजार पद आज भी रिक्त हैं; एक लाख 18 हजार कक्षाकक्षों के निर्माण की घोषणा की थी, मात्र 18 हजार बने, एक लाख रह गये। अंत में, आपने प्रत्येक गांव में मास्टर-प्लान बनाने का वादा किया था, वह मास्टर-प्लान आज तक नहीं बना। स्वास्थ्य की दृष्टि से राजस्थान में वर्तमान में 8,936 व्यक्ति...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. फूलचन्दजी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, यह डिबेट राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भिण्डा साहब, आपको सुनने के लिए बैठे हैं हम सब। इसलिए बैठे हैं कि आज आप यहां से ऐतिहासिक उद्बोधन दोगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति महोदया, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की दिशा और नीति तय करने वाला अभिभाषण होता है, मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद आता है। कई माननीय सदस्यों ने यह उठाया कि 60 दिन में क्या किया? 60 दिन में हमने जो पाप के कांटे बिछाये थे आपने, 5 साल तक, उनको साफ करने की आवश्यकता महसूस की, वैसे हम कर रहे हैं।

बड़ा दुर्भाग्य इस प्रांत का है, जब मैं पहली बार आया और पहले ही सत्र में मैंने एक बात देखी, श्री अशोकाय नमः, 50-50 बार; ये डोटासरा जी मुख्य सचेतक बन गये, लेकिन 50 बार इन्होंने अशोक जी का नाम लिया, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, वे लेक्चरार हट गये क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्यों बीच में टोकते हो इनको?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह खोलूंगा, अभी बता रहा हूं। 23 लोग 11 महीने से जयपुर में रहते थे, एक दिन दस्तखत कर देते थे और जिस दिन मैं बोला, माननीय शिक्षा मंत्रीजी के चैम्बर में उस दिन 11 लोगों ने जोइन कर लिया। यह मेरे पास आदेश हैं। इस अव्यवस्था के कारण से मैं बोला था। वह गलत लिखा गया, उस पत्रकार की चालाकी के कारण से। मैंने यह कहा था, 23 लोग कहां हैं मेरी कालेज के? गवर्नमेंट कालेज है। आपके पाप को ढंकने के लिए गया था। 11 ने उसी दिन जोइन कर लिया। आप चुप रहे, इस कारण से मैं निवेदन कर रहा हूं, वरना मेरे पास बहुत कुछ है इस पर कहने के लिए।

मैं इस बात पर आ रहा हूं, आपकी सरकार थी, केन्द्र में सरकार थी, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, 6-6 मंत्री केन्द्र में थे, 1000-1000 करोड़ भी लाते तो 6 हजार करोड़ लाते, लेकिन, सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 11वीं योजना के दो वर्ष तो हमने निकाले और 3 वर्ष इन्होंने निकाले; हमने 1,292 करोड़ 2007-08 में ज्यादा खर्च किये और 2008-09 में 752 करोड़ प्लान से ज्यादा हमने खर्च किये और इन्होंने पहले वर्ष में, 2009-10 में 1,112 करोड़ कम खर्च किये, अगले वर्ष 2,703 करोड़ रुपये खर्च किये और चौथे वर्ष में तो इन्होंने 4,222 करोड़ रुपये कम खर्च किये।

राजस्थान की गरीब जनता ने इस कारण से आपको नकारा है कि जो केन्द्र से पैसा आया, स्वत: आया, उसको भी आपने बरबाद किया, उसको भी खर्च नहीं किया। इस कारण से आपको हरा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है, कार्यकर्ताओं को नहीं सुना जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा, एक मिनी बस जितने रह जाओगे; यह राजकुमार के सामने कहा और वही हो गया, भविष्यवाणी पूरी हो गई। यह आपको मैं बता रहा हूं, ऐसी स्थिति हो गई।

ग्यारहवीं योजना की जो स्थिति है, उस पर मैंने क्वेश्चन पूछा था; माननीय वित्त मंत्रीजी से अगस्त में जवाब आया कि अगर मूल्य स्थिर होते तो जो खर्चा हुआ है, आप कहते हो, तीन गुना कर लेते, 33 हजार करोड़ से 99 हजार करोड़ पर प्लान को ले गये; आपके मंत्री जवाब दे रहे हैं अगर मूल्य स्थिर होते तो केवल 94 परसेंट की वृद्धि हुई है। आप कह रहे हो, 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्य की बात कर रहे हो, मूल्य अगर आपने स्थिर रखे होते तो यह स्थिति बनती कि जो योगदान है वह दुगना भी नहीं हुआ।

उसके बाद एक बिन्दु और बता रहा हूं, जब भैरोंसिंहजी शेखावत इस

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सदन के नेता हुआ करते थे उस समय पैसा नहीं हुआ करता था, अब तो शराब और रिफाइनरी के तेल से 10 हजार करोड़ रूपया आपको मिला है, फिर भी भैरोंसिंहजी ने 13400 किलोमीटर सड़कें बनायीं, 3,920 गांव जोड़े। आप उसके बाद आये, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा मिलना शुरू हो गया, उस समय आपने 1,537 गांव जोड़े और 9 हजार किलोमीटर सड़कें बनायीं। जब हम आये और अटलजी केन्द्र में थे, उस समय हमने 40 हजार किलोमीटर सड़कें बनायीं, आपने 9 हजार किलोमीटर बनायीं, और 10,222 गांव जोड़े। उसके बाद आप फिर हमारी गलती से आ गये, आने नहीं चाहिए थे, आपने केवल 9 हजार किलोमीटर सड़क बनायीं, 5 साल में और केवल 1,500 गांव जोड़े। हमने जोड़े 10 हजार गांव, आपने 1,500 गांव जोड़े।

इतना ही नहीं, माननीय जसवंत सिंहजी कुछ दिनों के लिए वित्त मंत्री बने, 9 हाईवे दे गये। उसका सारा का सारा बजट केन्द्र से हमें मिलता है, एक नया पैसा हमारा खर्च नहीं होता। आपने क्या किया? आपने कोई हाईवे किया? मेगा हाईवे बनाया क्या? 6-6 मंत्री आपके हैं। यह दिग्दर्शन क्या है? पहली बार हुआ, जब 8 हजार करोड़ रुपये प्लान के लेप्स हो गये।

सभापतिजी, मैं इनके द्वारा भेजा हुआ पत्र, याचिका समिति का पत्र है, उक्त 5 विद्यालय बजट घोषणा के सीमित साधनों के कारण से नहीं हुए। यह 13 जनवरी का पत्र है। अभी इन्होंने स्कूल खोले हैं, उसमें इनके शिक्षा मंत्री मुझे लिख रहे हैं, आपके विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है, छात्र संख्या, ज्यादा कक्षा-कक्ष वाले 8 विद्यालय रह गये और 8 विद्यालय नहीं रह गये। एक विद्यालय तो 1972 का रह गया। यह भी पहली बार हुआ। आपके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद में, आपने 5 विद्यालय खोले, उनकी क्या स्थिति है? 2012 में छठी क्लास खुली और 2013 में नौवीं क्लास खुल गई। ऐसा पहली बार हुआ, कभी नहीं हुआ। आठवीं के बाद नौवीं आती है, लेकिन गहलोत साहब ने और आपके दबाव में ऐसा किया कि तालवा की आबादी 1,600 है और वहां सातवीं, आठवीं आयी नहीं और नौवीं आ गयी। मिडल तक दो कमरे और जब दसवीं हुई तो तीन कमरे। दसवीं क्लास तीन कमरों में चल रही है, आपकी यह स्थिति है। यह स्थिति पहली बार हुई है। आप कहते हो, गांव, गरीब की हम चिन्ता करते हैं; ये 8 विद्यालय उन्होंने बताए, 8 विद्यालय ऐसे हैं जहां कमरे ज्यादा हैं, 5 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले हैं और सारे ओ बी सी, एस सी, एस टी के हैं। गोविन्द सिंहजी बताएं, क्या स्थिति गहलोत साहब ने कर दी?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मैं निवेदन कर रहा हूं, जो बजट था, कर्जा लिया जाता है सम्पदा निर्माण के लिए; यह सामान्य सिद्धान्त है, सम्पदा निर्माण के लिए कर्जा लेना चाहिए, लेकिन आपने कर्जा लिया बेचने के लिए। आपने खर्चा ही नहीं किया। वित्तीय अवहेलना की और वित्तीय अवहेलना इतनी की कि आपने हमारे सीलिंग एक्ट को बदल दिया, एक आदमी के लिए। दामाद की जमीन के लिए सीलिंग एक्ट ही बदल दिया। 3 हजार में जमीन खरीदी और 30 लाख रुपये में बेच दी। यह भी आपने ही किया। यह वित्तीय अनियमितता नहीं थी तो क्या थी?

इसी प्रकार से, आपने 4 साल तक केवल 2,100 स्कूलें खोलीं, हमने 5 साल में 37 हजार स्कूल खोलीं। तुलना करें। एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं खोला। भैरोंसिंहजी के टाइम में हमने बजट बढ़ाया और उसमें 44 परसेंट

(19.00 बजे)

से 61 परसेंट शिक्षा को लेकर गये, दस साल में। अब आप आंकड़े निकाल कर देख लेना, आपने क्या किया दस साल में। आपने घोर भेदभाव किया, यह तो मैंने अभी बता ही दिया आपको।

बजट में जमाना माफ नहीं करता; डवलपमेंट के पैसे को नान-डवलपमेंट में खर्च करोगे, जमाना माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी पकड़ कर हमसे पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे? जिस समय बरबाद हो रहा था देश का पैसा, उस समय आप क्या कर रहे थे? यह आने वाली पीढ़ी पूछेगी आपसे। आपने क्या किया इस मामले में, कभी सोचा?

किसान के हितैषी हैं, गरीब के, जैसे बी पी एल का हम एक साल का ठेका देकर गये थे, बी पी एल के कनेक्शन के लिए, आपने चार बार अवधि बढ़ाई, तीन साल की अवधि में एक साल तो बढ़ाते लेकिन आपने चार साल बढ़ाया। क्या लेनदेन किया उसमें? कितना हुआ? 4 लाख 60 हजार कनेक्शन हैं बी पी एल के, जिनके बाकी हैं। आपने स्कीमें भी बंद कर दीं।

जो चीज थी नहीं, जैसे जो 60 साल में गांव हुए विद्युतीकृत, अब पहली बार हुआ यह कि गांव तो विद्युतीकृत है, ढाणी विद्युतीकृत नहीं है। मैं गया ए.ईएन. के पास, एक्स.ईएन के पास, कि, साहब, है ही नहीं; मैंने कहा, भाई, विद्युतीकृत गांव होता तो गांव की जमीन काउंट होती है, आबादी काउंट होती है। एक बात बताइए आप, जिस गांव को वसुंधराजी ने तीन हजार मान कर के उसको विद्युतीकृत मान लिया और सिटीलाइन दे दी, तो ढाणियां काउंट नहीं हुई

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

क्या? लेकिन कांग्रेस सरकार के अधिकारी ने क्या किया, आबादी भूमि में नहीं है, इसलिए ढाणी में कनेक्शन नहीं होगा और जो सेटलमेंट हुआ, उसमें एक खसरा नम्बर है खेत पर, कुएं के पास वाले खेत का खसरा नम्बर है, आबादी भूमि में कटा हुआ, उसको नहीं माना।

अब बिजली बोर्ड के जो लोग हैं न, ठेकेदार, वह ठेकेदार इसलिए कहता हूं मैं, आपने फीडर सुधार किया, वह सामान कहां है, जो फीडर सुधार में चार साल तक काम आया? वह जमा नहीं हुआ क्या कहीं? कहीं गोदाम में जमा नहीं हुआ क्या? खा गये ठेकेदार और आपके अधिकारी भी खा गये। कभी तो कहते हैं...।

आपने कहा, बी पी एल का परिवार, उसको निःशुल्क दे रहे हैं, निःशुल्क जब दे रहे हैं आप, तो उसका अंदाजा तो लगाओ। आपने 20 रुपये से 320 रुपये कर दिये स्थायी सेवा शुल्क के। जो बेचारा गरीब 50 यूनिट जलाता है, उसके 6 रुपये 10 पैसे तो आपने स्थायी सेवा शुल्क पर-यूनिट कर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शार्ट करिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बहुत बड़े पाप किये हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 12 रुपये में, गरीब को 12 रुपये में बिजली दे रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शार्ट करें इसको।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): शार्ट ही कर रहा हूं।

श्री सभापति: सम-अप करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): शार्ट ही कर रहा हूं।

श्री सभापति: आपका समय पूरा हो गया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसी प्रकार, किसानों पर सिविल लाइबिलिटी, मर्डर करेगा तो मेरे पावटा में चलेगा केस और किसान अगर चोरी में पकड़ा गया तो केस चलेगा जयपुर के थाने में!

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदया, ये अच्छा बोल रहे हैं, हमारा समय भी दे देना। बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सिविल लाइबिलिटी, आप लोगों ने वसूल की, विधवाओं से की, गरीबों से की, इस कारण से आपकी स्थिति यह बनी है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, वैसे बोलने के लिए बहुत कुछ है,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लेकिन आपने किसानों के साथ अच्छा नहीं किया, गरीबों के साथ नहीं किया, बेरोजगारों के साथ अच्छा नहीं किया। आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंहजी सरकार है, जो गरीब बालक चाहता है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको जो सुझाव देने हैं, वे दो मिनट में दे दीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, दे रहा हूं।

श्री सभापति: अब आप और बात मत कीजिए, सुझाव दीजिए। अब आपका समय समाप्त हो गया है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं यह कह रहा हूं, बेरोजगार व्यक्ति जब ड्राफ्ट बनवाने जाता है तो 12 रुपये 60 पैसे सौ रुपये पर वह सर्विस टैक्स देता है। यह अन्याय नहीं तो क्या है इस देश में? एक गरीब आदमी जब फार्म भरने जाता है सौ रुपये का, तो 12 रुपये 60 पैसे आप लेते हो उससे।

अब मैं सुझाव के बारे में कह रहा हूं। एक तो इस प्रांत में कुछ आवश्यकताएं हैं, एक तो केन्द्र के संसाधनों का विदोहन ज्यादा करना चाहिए और उसका एक उदाहरण दूंगा, अगर हमने गांव बनाए तो सारी की सारी सड़कों का पैसा केन्द्र से मिलेगा। इस कारण से, आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं, मेरी सरकार से कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक राजस्व गांव बनाए जाएं जिससे अगले पांच वर्षों में काफी पैसा वहां से मिल जाए।

एक पांच सौ की आबादी में ड्राप-आउट होते हैं। बड़े गांवों में तो स्कूल खुल गये प्राइवेट, पांच सौ की आबादी के छोटे गांवों में जो बालक-बालिकाएं पढ़ते हैं, पांचवीं तक का स्कूल है, कोई भी मां-बाप दस साल की बच्ची को पगडंडी से दूसरे गांव में नहीं भेजना चाहता, इसलिए ड्राप आउट की समस्या है। इस कारण से पांच सौ की आबादी वाले सभी गांवों में मिडल स्कूल कर दी जाए।

एक दूसरी प्रार्थना यह है, जिससे ड्राप-आउट नहीं हो, सभी उप-खण्डों में कालेज खोले जाएं। एक पांच हजार की आबादी के जितने गांव हैं, उन सभी में लड़कियों के अलग से स्कूल खोले जाएं, जिससे हमारी लड़कियों की शिक्षा को और बढ़ावा मिले।

इसी प्रकार से, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, वह इससे सम्बन्धित है, जो भी केन्द्र से पैसा आए, उसकी यू सी टाइम पर जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषद्

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बनी, घनश्यामजी तिवाड़ी के नेतृत्व में कमेटी बनी, वह किया कि भवनों के लिए पैसा मिलेगा केन्द्र से। 250 करोड़ रुपये मिले 2010 में, 750 करोड़ रुपये मिले 2011-12 में और 2012-13 में जीरो इसलिए हो गया कि ढाई सौ करोड़ की यू सी नहीं गई। दो जवाब। यह भी पहली बार हुआ कि ढाई सौ करोड़ के बाद, जीरो हो गया बजट आपका। सर्व शिक्षा का बजट जीरो हो गया, यह भी पहली बार हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक मिनट, एक ही वाक्य बोलूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, अच्छा बोल रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मेरा विराट नगर पांडवों के अज्ञातवास का स्थान है, वहां पौराणिक नगरी है; वहां इस्लाम की दृष्टि से अकबर का मकबरा है; जैनियों का मंदिर है; बौद्ध का स्तूप है और गणेश मंदिर है। इस कारण से उसको पर्यटक सर्किट बनाया जाए। यह अंतिम निवेदन मेरा है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, चौदहवीं विधान सभा के पहले सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

हाल ही में राज्य में चौदहवीं विधान सभा में प्रदेश की जनता प्रचण्ड बहुमत और जनादेश के साथ में भारी समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी का सुराज लाई और वसुंधरा जी को राजस्थान का मुख्य मंत्री बना कर राजस्थान की कमान पुन: इनके हाथों में सौंपी, इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देती हूं।

वसुंधराजी के पूर्व के शासनकाल में राजस्थान एक विकसित और विकासशील राजस्थान था और पिछले पांच सालों में हम भी, जब पहली बार विधायक चुन कर यहां विधान सभा में आए, तो पिछले पांच सालों के बाद में, आज हमने यह स्थिति देखी कि जो राजस्थान वसुंधराजी के समय में प्राथमिकता के आधार पर पहले नम्बर पर था, आज वह सोलहवें नम्बर पर है। राजस्थान की जनता ने वसुंधरा जी के सुराज का सपना जो था, उसको साकार करके दिखाया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। मैं जिस मेहंदी नगरी,

(श्रीमती संजना आगरी)

सोजत विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आती हूं, उस मेहंदी को हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजे सिंधियाजी ने अपने हाथों में कमल का फूल बना कर पूरे राजस्थान में जो मेहंदी का संदेश दिया, मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देती हूं कि सोजत की वह मेहंदी पूरे राजस्थान में रंग लाई। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

हमारी सरकार के 60 दिन की जो योजना है, उस योजना की सराहना करते हुए, सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से सत्ता में जो परिवर्तन हुआ है, उससे राजस्थान निश्चित रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना अधिकार और न्याय मिलेगा। हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी की सोच और उनका लक्ष्य है कि पूर्व में पिछड़ा राजस्थान विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग में प्रवेश करे और 2020 में नया राजस्थान कैसा हो, इसके लिए आपने अपने दृष्टि पत्र में विकास की 5 प्राथमिकताएं तय कीं, निवेश को प्रोत्साहन मिले; रोजगार के अवसर उपलब्ध हों; आर्थिक ढांचे में सुधार हो; शिक्षा व कौशल विकास पर विशेष महत्व दिया जाएगा।

हमने यहां सदन में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार का शासन भी देखा है और सरकार की विभिन्न ऐसी योजनाएं, जो एक थोथी घोषणाएं उनकी होकर, जनता के सामने जो झूठी वाहवाही करके सरकार ने जो योजनाएं निकाली थीं, हम लोगों ने देखा है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का मामला रहा हो, चाहे महंगाई और भ्रष्टाचार की बात रही हो, सरकार की ऐसी योजनाएं, सारी की सारी योजनाएं, सारी विफल रहीं और एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसका प्रदेश की जनता को लाभ मिला हो। चूंकि इस सरकार ने आनन-फानन में योजनाएं तो बहुत सारी निकालीं लेकिन इन योजनाओं का, ये योजनाएं हैं, जो इनके अधिकारी व सरकार के जो नेता हैं, इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाये।

मैं मानती हूं कि बढ़ती महंगाई और जो भ्रष्टाचार है, इससे आमजन प्रभावित हुआ है। हमारे महान् विचारक, पण्डित दीनदयाल उपाध्यायजी ने अन्त्योदय को प्रभावित करते हुए यह कहा था कि समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अगर अपना अधिकार नहीं मिलता है तो यह हमारे असली लोकतंत्र के साथ में हम लोगों का अन्याय है। पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस सरकार के शासन में जिस तरह की महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है, मैं मानती हूं

(श्रीमती संजना आगरी)

कि प्रदेश की आम जनता और विशेष तौर से निम्न स्तर पर जीने वाले परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को देखते हुए, 2014 की इस विधान सभा के चुनाव में यह देखा है कि इस प्रदेश के नौजवान और युवा साथियों में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है, जिसका परिणाम हमारे सामने है।

मुझे खुशी इस बात की है कि अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है, वह कांग्रेस का परम्परागत वोट था। मैं भी अनुसूचित जाति से विधायक बनकर आई हूं, आज मुझे इस बात का गर्व है कि कांग्रेस का जो अनुसूचित जाति का परम्परागत वोट है, उसमें इस बार अनुसूचित जाति के हमारे समाज बन्धुओं ने एकजुटता से निर्णय करके, आजादी के बाद 65 सालों तक इस कांग्रेस सरकार ने ज्यादा समय तक राज किया है, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूं मेरे समाज बन्धुओं को कि उन्होंने अपने परम्परागत वोटों को, 2014 के चुनावों में कांग्रेस को नकार कर, उन्होंने वसुंधराजी के, भारतीय जनता पार्टी के सुराज को लक्ष्य बनाकर अपने वोटों से कांग्रेस को नकारा और भारतीय जनता पार्टी और सुराज के लक्ष्य के साथ में खड़े रहे। उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। उसका साक्षात् परिणाम यह है कि इस बार एक भी अनुसूचित जाति का इनका परम्परागत जो नेता है, वह जीतकर विपक्ष में नहीं बैठा, यह हमारे लिए गर्व की बात है।

कानून-व्यवस्था के बारे में भी पिछले दो दिनों से चर्चा हो रही है, हम लोगों ने यह देखा है कि जिस तरीके से, कांग्रेस सरकार में इनकी कानून-व्यवस्था इतनी लचीली थी कि इनके राज में न तो महिलाएं सुरक्षित रह सकीं, न आमजन सुरक्षित रह सका; आगजनी, चोरी, डकैती की इतनी वारदातें बढ़ीं। यहां तक कि पुलिस प्रशासन ने भी सरकार के दबाव में आकर गरीब आदमी की एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की। महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी आये दिन बढ़ीं। यह कांग्रेस सरकार जो महिलाओं की इज्जत, आबरू और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकी तो यह कांग्रेस की सरकार राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनता की क्या रक्षा करेगी? लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक कल बात कर रहे थे कि बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, हमें सुरक्षा चाहिए; मैं आपको बताना चाहती हूं कि विपक्ष में रहकर हम लोगों ने भी यहां पर पांच साल तक देखा है और बहुत कुछ सीखा है, मुझे यह जानकारी है कि किशनगढ़ से जब

(श्रीमती संजना आगरी)

पिछली बार हमारे साथ में विधायक जीतकर आये थे, उनके बेटे का बोलेरो में अपहरण करके मर्डर कर दिया गया था। यह कांग्रेस सरकार है।

उस समय आपको चिंता नहीं थी और पिछले एक महीने के अन्दर कानून-व्यवस्था की, शिक्षा की, सारी बातों की, इस राजस्थान प्रदेश की जनता की चिंता का चिंतन और मनन आप लोग करने लगे, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? चलो, समय रहते आप चिंतन करते हैं तो हमें इस बात की भी खुशी होती है।

दिल्ली में भी आप लोगों का राज था, राजस्थान में भी आप लोगों की सरकार थी....

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब इसको थोड़ा सम-अप करें। सिर्फ दो मिनट में करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): दिल्ली और राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी और दामिनी जैसा कांड हुआ, जिसके लिए पूरा देश महिला शक्ति और उनके हक के लिए खड़ा होकर सड़कों पर उतर आया और यह दिल्ली और राजस्थान की सरकार बैठे-बैठे देखती रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजे सिंधियाजी को, जिन्होंने महिला सुरक्षा और छात्राओं के हितों को देखते हुए 60 दिन की कार्ययोजना में छात्राओं की सुरक्षा के लिए कालेज और स्कूलों के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को लगाया। मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

चिकित्सा के बारे में मैं बताना चाहती हूं कि पिछले पांच वर्षों में, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वहां पर राजकीय चिकित्सालय बना हुआ है, वह मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जैतारण, तीन विधान सभा क्षेत्रों का सबसे बड़ा अस्पताल है; वसुंधराजी की जब 2003 से 2008 तक सरकार थी, तब उस समय उस चिकित्सालय के अन्दर, चूंकि वह नेशनल हाईवे 14 के ऊपर बसा हुआ है और आये-दिन एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं वहां होती रहती हैं, तो उस समय वहां पर 36 डाक्टर कार्यरत थे; हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि पिछले पांच सालों में हम यहां जनता की समस्या को चिल्ला-चिल्ला कर उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने धीरे-धीरे करके पांच सालों के अन्दर ऐसा किया कि आज उस अस्पताल के अन्दर मात्र 9 डाक्टर लगे हुए हैं। मैं माननीय वसुंधराजी से और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करना

(श्रीमती संजना आगरी)

चाहूंगी कि आप जनता के हित को देखते हुए 36 डाक्टरों की नियुक्तियां करके वहां पर अतिशीघ्र डाक्टरों की व्यवस्था करावें। स्पेशयली महिलाओं के हितों को देखते हुए, वहां पर दो गायनिक डाक्टरों की भी आप व्यवस्था करायेंगे। वसुंधराजी के समय में, 2003 से 2008 तक, उस हास्पिटल में जो सी टी स्कैन मशीन स्वीकृत हुई थी, वह सी टी स्कैन मशीन आज लग चुकी है लेकिन आज भी वह सी टी स्कैन मशीन डाक्टर नहीं होने के बन्द पड़ी है। वसुंधराजी के समय में सोजत में ट्रोमा वार्ड की स्वीकृति हो चुकी थी पर कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के राज में स्वीकृत योजनाओं को बन्द कर दिया; हमारा दुर्भाग्य है कि 150 बेड का वह ट्रोमा वार्ड आज भी बन नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, इस सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं निकाली थीं और इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाये, जिसका जवाब जनता ने इन चुनावों के अन्दर इनको दे दिया।

शिक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिक्षा के अन्दर माननीय वसुंधराजी ने एक किलोमीटर की दूरी के ऊपर जितनी भी ढाणियां बसी हुई हैं, वहां पर नये प्राथमिक विद्यालय खोले थे, पर इस कांग्रेस सरकार ने आते ही, चूंकि इनके पास में शिक्षकों की कमी थी और ये नई नियुक्तियां नहीं कर पाये, पांच साल में पूरे प्रदेश भर के अन्दर जिन बच्चों की, देश के आने वाले उज्ज्वल भविष्य की बात करते हैं, उन छात्र-छात्राओं के हितों को देखते हुए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी सुधार नहीं किया। आज भी जितने भी स्कूल इन्होंने, एक-एक, दो-दो स्कूल क्रमोन्नत किये, वहां 10वीं, 12वीं की स्कूलों में 8वीं और 10वीं के टीचर लगे हुए हैं। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। वसुंधराजी ने जो स्कूलें खोली थीं, उन स्कूलों का एकीकरण कर उन स्कूलों को इन्होंने आनन-फानन में बंद कर दिया। हम आंखों से यहां देखा करते थे कि जो संविदाकर्मी लगे हुए हैं, जो विद्यार्थी मित्र हमारे वसुंधराजी के शासन में लगे हुए थे, जो प्रबोधक लगे हुए थे, वे आज भी दर-दर की ठोकरें खाते हैं और न जाने कितनी बार राजस्थान की इस महा-पंचायत के बाहर धरने पर बैठे हैं। इन विद्यार्थी मित्र, संविदाकर्मी और प्रबोधकों को, जब वे धरने पर बैठे थे, तो रात्रि के 9 बजे उन पर लाठी-चार्ज करके यहां से खदेड़ कर निकाला। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है?

सड़कों के निर्माण की मैं आपको बात बताना चाहती हूं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारीजी वाजपेयीजी को,

(श्रीमती संजना आगरी)

जिन्होंने हिन्दुस्तान में प्रधान मंत्री सड़क योजना के नाम से, हिन्दुस्तान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी को जोड़ने का जो उनका प्रयास था, वह सफल रहा। हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि इस कांग्रेस सरकार ने नई सड़कें बनाना तो बहुत दूर की बात है, वसुंधराजी ने जो देव-स्थलों को जोड़ने के लिए सड़कों की योजना निकाली थी, इन्होंने सड़कों की उन सारी योजनाओं को बन्द कर दिया। नई सड़कें बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो सड़कें उस समय बनी हुई थीं, पांच साल में उन सड़कों पर पेचवर्क का कार्य भी यह सरकार नहीं करा पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश की जनता का और क्या होगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आपका समय बहुत हो गया है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाली जिले में पानी के मामले में सोजत सबसे क्रिटिकल एरिया है...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब मात्र एक मिनट; सिर्फ एक मिनट।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): एक मिनट, प्लीज। मैं वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि 2003 से 2008 के कार्यकाल में पाली-सोजत को जवाई बांध से जोड़ने के लिए उन्होंने जवाई पाइपलाइन परियोजना निकाली थी और उसके तीसरे पैकेज में, चूंकि सोजत में स्थायी पानी का स्रोत कोई भी नहीं है, तो वहां की आम जन की दुविधा को देखते हुए उन्होंने जवाई पाइप लाइन परियोजना स्वीकृत की थी। मैंने विपक्ष में रहते हुए, चूंकि सोजत में 2,800 से 3,200 टी डी एस फ्लोराइडयुक्त खारा पानी जनता पी रही है, उस योजना को मैंने विपक्ष में रहते हुए हमेशा प्रयास किया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि वसुन्धराजी द्वारा स्वीकृत 2003 की जो योजना है, वह पिछले पांच साल में कांग्रेस के राज में रही हुई और आज भी वह कार्य अधूरा पड़ा है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि हमारी जनता के हित को देखते हुए, वह जो अधूरा कार्य पड़ा है, उसको आप अतिशीघ्र पूरा करेंगी तो हमारी जनता को राहत मिलेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हो चुका है। माननीय सदस्या।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ...इसके साथ ही, आर यू आई डी पी की जो योजना है, उसमें सोजत शहर को भी शामिल किया गया था। तो इसमें

(श्रीमती संजना आगरी)

भी आप, यह कम से कम 30 करोड़ रुपये की योजना थी, तो सोजत शहर के अन्दर पानी की अनियमित सप्लाई को देखते हुए आप आर यू आई डी पी की योजना अगर लागू करेंगे तो हमारी जनता को इसका लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही, मैं बताऊंगी कि 2003-04 में जो खेल स्टेडियम स्वीकृत हुआ, उसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो रखी है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वहां 21 लाख की जगह, मात्र दो लाख रुपये का काम किया और आज भी वह खेल भवन अधूरा पड़ा है।

मैं माननीय वसुन्धराजी से निवेदन करूंगी, इस 60 दिन की कार्ययोजना की सराहना करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान की जनता, यहां का नौजवान, यहां का किसान, यहां की महिला-शक्ति और यहां की आम जनता, इस पांच साल में पीड़ित, कांग्रेस सरकार के राज में, वसुन्धराजी के ऊपर टकटकी नजर लगाये हुए है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुराज को संकल्प बनाकर, राजस्थान के अन्दर प्रदेश की जनता ने भारी, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर आम आदमी की आवाज को आप आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगी और जन हित की जितनी भी योजनाएं, सरकार लागू करेगी। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इन योजनाओं को हम सही तरीके से क्रियान्वित करके, आम जनता को कैसे इनका लाभ मिल सकता है, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे।

श्री सभापति: ठीक है, बैठिये, माननीय सदस्या। अब आप बैठें।

श्री पूरणमलजी सैनी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदया, मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या-3 के बिन्दु संख्या-6 में यह उल्लेख किया गया है कि ''हमारा लक्ष्य नया राजस्थान 2020 में कैसा हो। हमने अपने दृष्टिपत्र में विकास की पांच मुख्य प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें निवेश प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, आर्थिक ढांचे में सुधार तथा शिक्षा व कौशल विकास पर विशेष महत्व दिया है।'' लेकिन, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के गांवों में पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, अर्थात् मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव, चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही होगी,

(श्री पूरणमल सैनी)

चाहे उससे पूर्ववर्ती बी जे पी की सरकार रही होगी और मैं कहूं, निवर्तमान सरकार में पानी और बिजली के तो मंत्री भी रहे, उसके बावजूद भी विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की जनता टी डी एस का खारा पानी, जो बहुत दूर-दराज से मिलता है, लाती है और पीती है। योजना बनी है, उसके लिए काम भी चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा अभियांत्रिकी मंत्रीजी से कि यथाशीघ्र, जल्दी ही उस काम को पूरा करने का श्रम करवायें।

माननीय सभापति महोदया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता की बात की गई, वह चाहे इस प्रदेश की सरकार कांग्रेस की रही हो और चाहे बी जे पी की रही हो, पिछले 66-67 वर्ष की आजादी के बाद, प्रस्तावना में जिन तीन चीजों का उल्लेख किया गया है, आज भी, मेरे ख्याल में, हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वह राजनैतिक समानता हो, चाहे सामाजिक समानता हो, और आर्थिक समानता की तो बात ही कहीं और की है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता, राजस्थान के गांव का गरीब नहीं, गांव का किसान नहीं है। आजादी के 67 वर्ष के बाद भी आज राजस्थान के अनेक गांव प्यासे मरते हैं। इसके लिए मैं ज्यादा गुनाहगार कांग्रेस पार्टी की सरकार को मानूंगा, महज इसलिए कि आजादी के 67 वर्ष में ज्यादा वर्षों तक राज कांग्रेस पार्टी ने किया है; उसके बाद बी जे पी भी गुनाहगार है, वैसे कांग्रेस से कम नहीं होगी।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा, इन सब बातों को दूर करने के लिए, जब-जब कांग्रेस और भा ज पा की सरकारें सत्ता में रहीं, इन्होंने, जैसे एक उदाहरण दूं, बी पी एल का सर्वे करवाया और बी पी एल के सर्वे के बाद जिन-जिन परिवारों का चयन कर लिया गया, उन परिवारों को केवल जीवित रखने के लिए और अपने वोट के रूप में उपयोग करने के लिए केवल उनको सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करवाया और अगर कोई जीरो कोड में रहा होगा तो 180 वर्ग फीट की छत उपलब्ध करवा दी गई होगी। इसके विपरीत, दोनों ही दलों की सरकारों से मैं अपील और निवेदन करूं, अगर ये व्यक्ति, समूह और समाज के उन बी पी एल परिवारों के लिए, अगर आज तक बी पी एल परिवार के रूप में नहीं देखना चाहते थे तो हर हाथ को रोजगार देने की बात करते हुए, मैं नहीं कहता कि पूरे प्रदेश के सभी वर्गों के लिए काम की होती, लेकिन जिसके लिए हमारी सरकारें, चाहे वह कांग्रेस की रही, चाहे वह बी जे पी की रही, उन्होंने सर्वे इसलिए करवाया कि उनको कोई प्रोत्साहन दिया

(श्री पूरणमल सैनी)

जा सके; प्रोत्साहन के रूप में अगर उन परिवारों के पढ़े-लिखे बेटाें-बेटियों को संख्या में बांट-बांटकर रोजगार दिया जाता तो निश्चित रूप से आज इस प्रदेश और देश में गरीबों की संख्या कम हो पाती। इसके बाद, ये व्यवस्थाएं इन सरकारों ने नहीं कीं। सरकार की मानसिकता के लिए मैंने कह दिया।

तीसरा, झोटवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि गत सरकार ने बाड़मेर में रिफाइनरी व जयपुर में मेट्रो का कार्य शुरू किया, वह घाटे का सौदा है; मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक घर का मुखिया अपना परिवार चलाता है और अगर उनके किसी सोच की गलतियों से किसी कार्य में घाटे का सौदा दिखाई देता है तो वह मुखिया अपने परिवार के साथ बैठकर तुरन्त फैसला ले लेता है कि घाटे वाला काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए, तो मैं पूछना चाहूंगा सदन की नेता से भी और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद में जब भी सदन की नेता कहें, बोलें, तो हमें इस बात का जवाब दें कि वह जयपुर की मेट्रो योजना और इस बाड़मेर की रिफाइनरी को चालू रखेंगे या बंद करना चाहेंगे?

मान्यवर, वैसे आज मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी कुछ कहा है, शिक्षा के जो हालात हैं, इस पर गौर फरमायें। आज सम्पूर्ण देश में आठवीं तक के विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाता है। महज उन गांव के गरीब किसान और मजदूर के बेटों के साथ यह खिलवाड़ नहीं, तो और क्या है? अगर उन आठवीं तक के बेटों-बेटियों को फेल नहीं करने के निर्देश फरमाये गये हैं, तो उन पैसे वाले शहर के बेटे-बेटियों की तुलना में वह गरीब किसान का बेटा, गरीब मजदूर का बेटा, कभी भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पायेगा और न ही वह डाक्टर और इंजीनियर बनने की लाइन में आ पायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, इस नीति का दूसरा परिणाम यह भी होगा कि प्राइमरी और मिडल स्कूलों में हजारों शिक्षक बच्चों को पूर्ण लगन से नहीं पढ़ायेंगे। अत: इस नीति पर विचार किया जाना चाहिए तथा पूर्व की तरह ही विद्यार्थियों को उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर और उनकी परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर फेल और पास करने की नीति लागू की जानी चाहिए।

(19.30 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुराज

(श्री पूरणमल सैनी)

यात्रा के दौरान भाजपा ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में टैट की अनिवार्यता को समाप्त करने का वादा किया था, इस सदन में प्रश्न काल के दौरान जब इसकी मांग की गई तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि यह टैट पूर्ववर्ती सरकार ने लागू किया है, पर मैं यह कहना चाहूंगा कि एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी मात्र कर लेने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता; टीका-टिप्पणी करने के बजाय सरकार अपने जवाब में इसका उत्तर भी दे कि क्या अपने वादे के मुताबिक सरकार टैट की अनिवार्यता समाप्त करना चाहेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें, आठ मिनट हो चुके हैं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): दो मिनट मात्र, सर। मेरी मांगें रहेंगी, केवल। दो मिनट मात्र, सर।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट दिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): और, सर, वैसे भी बी एस पी के लिए कहां, हम तो, दो लोग तो मात्र हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले भी बोल चुके हैं। आपका समय तो पहले ही पूरा हो चुका है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): दो ही मिनट हुए हैं, सर।

श्री अध्यक्ष: समय पहले ही पूरा हो चुका है लेकिन...

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): चलो, सर, मैं जल्दी कह देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: दो मिनट।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): कि खेतड़ी में निवर्तमान ऊर्जा मंत्री ने गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जलदाय, अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से कुएं खुदवाये और वित्त व्यवस्था के अभाव में, पेयजल विभाग द्वारा बिजली विभाग को अंडरटेकिंग देकर के उस समय कनेक्शन करवा दिये गये लेकिन चार-छह महीने बाद, गांव की जनता के द्वारा पानी पी लेने के बाद, उनकी अंडरटेकिंग का समय खतम हुआ और बिजली विभाग गांवों से उन पेयजल व्यवस्थाओं की डी.पी. को उठा-उठा कर अपने वहां डाल रहा है। तो मैं चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, हो गये दो मिनट। एक मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): चलो, सर। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे ही पूर्ववर्ती सरकार ने, 20 अगस्त 2010 को अतिवृष्टि के कारण कालाभुजा बांध टूटा था, वह प्रश्न के रूप में आ गया सुबह, तो नहीं कहना चाहूंगा उससे आगे।

निवर्तमान सरकार के मंत्री ने आनन-फानन में, चुनाव के कुछ समय पूर्व 30.9.2013 को सहायक अभियंता, पी एच ई डी के कार्यालय उप-खण्ड (ग्रामीण) का उद्‌घाटन किया, लेकिन न तो आज तक वहां सहायक अभियंता का पदस्थापन किया गया है और न ही कार्यालय का निर्माण किया गया है। अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार स्थानीय जनता के हितों की रक्षा के लिए पद पर स्थापन करे, निवेदन करूंगा और कार्यालय का निर्माण भी करवाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण में सरकार का जो विजन पेश किया है, धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहूंगा और इस सदन में सबसे पहले तो मैं इस चौदहवीं विधान सभा में सभी नव-निर्वाचित माननीय सदस्यों का अभिनंदन भी करूंगा, चूंकि कई सारे माननीय सदस्य पहली बार सम्पर्क में और हम सबसे इस सदन में मुखातिब हुए हैं।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे उदयपुर सम्भाग के, यद्यपि आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन आप उदयपुर डिविजन के हैं, आप उदयपुर डिविजन की एक-एक ढाणी और मजरों की हालात से बड़े वाकिफ हैं। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं सरकार के खुशहाल राजस्थान के बारे में, माननीय मुख्य मंत्री, वसुंधराजी राजे ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जिस तरीके से राजस्थान का भ्रमण किया और पूरे राजस्थान के हालातों को उन्होंने जाना और समझा, उसके बाद में राजस्थान की जनता ने जिस तरीके का जनादेश दिया, उस जनादेश का आज यह जीता-जागता उदाहरण है कि पूरे राजस्थान की 200 सीटों में से 163 सीटें जीत करके, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जनादेश

(श्री जीतमल खांट)

मिला है, निश्चित रूप से यह राजस्थान की जनता के उस जनादेश पर आप और हमारी सरकार को खरा उतरने के लिए, हमें अग्नि परीक्षा में जिस तरीके से सोना तपता है, ठीक उसी तरीके से हमें तपना पड़ेगा और राज्य में हमें हमारी आम जनता की जो समस्याएं हैं, दर्द है, पीड़ा है, सुख और दुख में हमें भागीदार होना पड़ेगा।

यहां पर माननीय सदस्य जो भी निर्वाचित होकर के आये हैं, पूरा राजस्थान चूंकि बहुत बड़ा वृहद राजस्थान है और इस राजस्थान में सभी क्षेत्रों की अपनी-अपनी, अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक, राजनैतिक विषमताएं हैं, ऐसे हालात में इस सदन में माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव, तर्क-वितर्क यहां पेश किये हैं। मैं भी अपनी बात को जोड़ते हुए, आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान, जिसमें हमारा सम्पूर्ण रूप से टी एस पी क्षेत्र, जहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ और अरनोद का यह हिस्सा आता है, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह बात कहना चाहूंगा कि अभी 65वां हमारा गणतंत्र दिवस हमने मनाया, हम सब ने, पूरे राष्ट्र ने बड़े गर्व के साथ में इस उत्सव को मनाया; आज स्थिति यह है कि टी एस पी क्षेत्र में हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, हम सब का यह पहला दायित्व बनता है कि मूलभूत आवश्यकताएं, सबको शिक्षा हो, सब को अच्छे स्वास्थ्य का लाभ, डाक्टर उपलब्ध हो, स्वच्छ पेयजल हो और रोजगार के अवसर मिलें, खाद्य सुरक्षा हो, हमारे बिजली की व्यवस्था हो, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू रोड का जो इलाका है, जो जन-जाति उपयोजना क्षेत्र है, इन 65 सालों की आजादी में हमने पिछले 98 से लगाकर 2008 तक इस विधान सभा के अन्दर तर्क-वितर्क, अपने कई तरह से ध्यानाकर्षण, कई तरह के अपने प्रश्न, तारांकित, अतारांकित के माध्यम से हमने कई बातें और वाद-विवाद सुने, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 65 साल की आजादी में आज भी उस गरीब की झोंपड़ी में बिजली का लट्टू नहीं जल रहा है। कितनी बड़ी तकलीफ का विषय है, आज हमारे घर में बिजली का बल्ब नहीं जलना। 65 साल की आजादी में बिजली का बल्ब नहीं जलना, कितनी बड़ी तकलीफ का विषय है। यह हम सब को, पक्ष और विपक्ष, हम सब को सोचने की बात है।

पिछली बार राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना शुरू की थी, हमने सोचा

(श्री जीतमल खांट)

था, आरोप-प्रत्यारोप लगाने का विषय नहीं आता है, लेकिन हमने सोचा था कि राजीव गांधी के नाम पर विद्युतीकरण योजना शुरू की है, निश्चित रूप से गांव के आम गरीब आदमी को, इसका निश्चित रूप से एक बिजली का लट्टू जलेगा, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मात्र जिन बड़े-बड़े ठेकेदारों ने अपनी वहां की निविदा प्रस्तुत की और निविदाओं में अपने ठेके लिये और गांव के उस आखिरी छोर पर एक अपना बड़ा-सा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वहां पर पांच या दस घरों में लाइट लगा दी और पूरे के पूरे गांव को छोड़ दिया। आज भी बिजली से वे महरूम हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम से नि:शुल्क जितने भी मीटर आये थे, वे सारे के सारे ठेकेदारों ने बेच दिये और मिलीभगत करके, उसमें अफसरों ने भी उसका प्रोफिट उठाया और आज गांव का आम आदमी बिजली से वंचित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो चूंकि इस पूरे क्षेत्र के गांव, ढाणी, मजरों के हालात को जानते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने एक नारा दिया था, 'कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ', यानी कि स्थिति यह थी कि कांग्रेस का आम अवाम, जो कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाएं हैं, आम आदमी तक वे पहुंचेंगी; मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस ढंग से गरीब आदमी के साथ में पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में मजाक किया, हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालियाजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यह महंगाई क्यों बढ़ी है, महंगाई इसलिए बढ़ी है कि हमारे देश के गरीब लोगों ने हरी सब्जी, दाल, इस तरह की पहले नहीं खाते थे, अब खाना शुरू कर दिया है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। इस तरह गरीबों के साथ में उस समय भी बहुत बड़ा मजाक किया गया था।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ दो ही बातें कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब वह कह लीजिए आप।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिला, यह हमारा टी एस पी क्षेत्र है, आपके माध्यम से मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे हर आदमी को, हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। हमारा माही डैम हमारी बहुद्देशीय

(श्री जीतमल खांट)

परियोजना है और कांग्रेस का राज आने के बाद में माही डैम का हमारा मुख्य अभियंता का पद समाप्त कर दिया। माही डैम के मुख्य अभियंता के पद को समाप्त करने से हमारे जे ईएन, ए ईएन और एक्स ईएन के सब पद समाप्त हो गये। आज स्थिति यह है कि हमारे माही डेम का पानी बांसवाड़ा के अलावा, जालौर जाए, डूंगरपुर जाए, उदयपुर जाए, जहां भी ले जाएं, लेकिन कम से कम बांसवाड़ा ज़िले के अन्दर आज भी साठ फीसदी भूमि असिंचित है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा ज़िले के अन्दर, आने वाले समय में हमारा लोक सभा का चुनाव भी होने वाला है, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि सबसे पहले यह संदेश जाए कि नहीं, कांग्रेस के राज में माही डैम का जो मुख्य अभियंता का पद था वह खतम कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी के राज में यह पद सृजित हो गया है।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें आप।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): यह हमारी जीवन रेखा का सवाल है। माही डैम के माध्यम से सम्पूर्ण बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। दस मिनट दे दिये हैं मैंने आपको।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी गरीबी का कलंक मिटाने के लिए माही डैम हमारी जीवन रेखा है, इस जीवन रेखा को, इस माही डैम के जितने भी पद रिक्त हैं, इनको सृजित कर देंगे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर का भला होगा। कडाना का बैकवाटर, जब राजसमंद झील का पानी उदयपुर आ सकता है तो हमारा कडाना और माही का बैकवाटर का पानी असिंचित क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकता?

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि गरीबी के जो हालात हैं, घायल की गत तो घायल ही जानता है, इसलिए इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जो हालात हैं, आपने इस पूरे इलाके को नाप रखा है, इसलिए मैं ज्यादा बात तो कहना नहीं चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): लेकिन एक बात मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में कम से कम ऐसे सौ डाक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी निःशुल्क दवा

(श्री जीतमल खांट)

योजना किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचती होगी, उनकी क्या स्थिति बनती होगी। वह किसके पास में जाकर पर्ची लिखवाएगा?

मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे बांसवाड़ा ज़िले में साढ़े तीन हजार पद व्याख्याताओं के, एच एम के, प्राचार्य के और थर्ड ग्रेड अध्यापकों के पद रिक्त हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहां साढ़े तीन हजार पद रिक्त हैं तो गांव के उस गरीब आदमी के बालक के साथ में क्या व्यवस्था होती होगी। मात्र मिड-डे मील खाने के लिए उस बालक को विद्यालय में बिठाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का यह ढर्रा अगर नहीं बदला गया तो उदयपुर संभाग के जो बालक-बालिकाएं आने वाले हैं, वे पिछड़ जाएंगे। यहां पर कई लोग यह संदेह व्यक्त कर चुके हैं कि यह पूरा, आने वाले समय में कहीं न कहीं असामाजिक गतिविधियां यहां फैलाने वाले हैं। इस तरह की संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं और पुलिस की ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह की रिपोर्ट आ चुकी है।

मैं चाहूंगा कि हमारा उदयपुर सम्भाग मामा बालेश्वर दयाल और गोविन्द गुरुजी का आदर्श लेकर के डूंगरपुर आगे बढ़ा है...

श्री अध्यक्ष: आपने जोरदार तरीके से बांसवाड़ा की पैरवी कर दी है; जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है आपने।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): मैं चाहूंगा कि हम उन आदर्शों पर चलें और हमारी मांग को आप सदन में ध्यान से लें। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदयजी, सदन में निर्दलीय को भी बोलने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: निर्दलीय बोले हैं कई, आज भी दे देंगे।

श्री कैलाश वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया।

मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प पत्र को पहली कैबिनेट की मीटिंग में नीति पत्र के रूप में लेकर, राजस्थान को अंधकार से प्रकाश में और राजस्थान को खुशहाल, समृद्धिशाली बनाने और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, रोजगार और भय-मुक्त वातावरण देने का पूरा भरोसा दिलाया और अपने मजबूत इरादों को यहां जाहिर किया। मैं आपके द्वारा यह बताना चाहूंगा कि यदि हम समीक्षा करें तो राजस्थान में चारों तरफ निराशा का वातावरण बना हुआ था। अस्पतालों में जाए तो डाक्टर नहीं; डाक्टर है तो दवा नहीं; और दवा मिलती है तो वह सिर दर्द की और वही दवा पेट दर्द की और वही दवा घुटनों के दर्द की। आज हालात ये हैं कि अस्पताल के अन्दर मशीनें नहीं हैं; जो मशीनें आयात की गईं वे धूल चाट रही हैं।

आज मैं दौसा क्षेत्र के ऐसे बेल्ट से चुनकर के आया हूं, जहां से पांच मंत्री और एक हमारे यहां राजस्थान सरकार को चलाने वाले, पी टी आई के रूप में इस सरकार को चलाने वाले मंत्री भी थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा क्षेत्र वह क्षेत्र है, जहां से चार मंत्री राजस्थान के हमारी पिछली सरकार को चलाने वाले थे और एक उस सरकार को पी टी आई के रूप में हांकने वाले हमारे दौसा के बाबा के रूप में प्रख्यात राजनेता और जन-प्रतिनिधि थे। आदरणीय, मैं उन्हीं की बदौलत दौसा क्षेत्र के हालात बताना चाहूंगा। आज दौसा क्षेत्र के अन्दर हमारे जन-प्रतिनिधियों ने केवल मात्र काम किया, अस्पताल बनाया, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाईं लेकिन उसके अन्दर कोई भी मशीनरी का काम नहीं किया और न डाक्टरों को लाने का काम किया। क्योंकि उनको राजस्थान सरकार का सहयोग चलाना था और राजस्थान सरकार के पहिये बनकर के और काम करने थे, उनको केवल मात्र जो जरूरत थी तो उन ठेकेदारों को और उस सरकार के कर्मचारियों के द्वारा भत्ते लेने की। हमारे यहां दौसा के अन्दर एक मशहूर था कि जब तक 'बाबा टैक्स' नहीं, तब तक न कोई कर्मचारी रहेगा, न कोई व्यापार चलेगा, और न कोई और काम होगा। अगर शांति से रहना है तो 'बाबा टैक्स' देना ही होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी दौसा क्षेत्र से चुनकर के आया हूं। यह तो चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसके कारण इस बार जो वोटिंग हुई, उसके अन्दर आमजन वोट देने के लिए अपने आपको भयमुक्त वातावरण में भी यह महसूस कर सका कि मैं वोट दे सकता हूं और उसके वोट देने के कारण आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दौसा के अन्दर एक बहुत बड़ी कहावत है कि दौसा से चिड़ी का बासा, अन्न घणो पर पानी को त्यासा; आज उसी दौसा में पचास साल से पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उसके अन्दर चारों तरफ नलकूप जितने बनाये गये थे, जितने हैंडपंप लगाये गये थे, उनकी हालत यह है कि सारे सूखे पड़े हुए हैं। पानी की टंकियां बनीं लेकिन आज तक उनके अन्दर पानी नहीं जा पाया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): मैं, हुकुम, पहली बार आया हूं और आपने आशीर्वाद दिया था कि नये सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। आदरणीय, मैं असली बात पर तो अभी आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में खतम करें।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्योंकि दौसा क्षेत्र ऐसा भयग्रस्त, आतंकवाद में जीने वाला क्षेत्र है जहां कि अपने आप में दादागीरी से हर आदमी को धमकाया जाता है, हर आदमी को डराया जाता है, हर आदमी से बिना टैक्स के बात नहीं की जाती। आज सदन में बात आ रही थी, आदरणीय, आप पुराने आदमी हो लेकिन मुझे भी थोड़ा सा बोलने का मौका दो; मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में दौसा कितना भयग्रस्त था। इसका एक जीता-जागता, छोटा-सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जन-प्रतिनिधि के संरक्षण में सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट और राजकार्य में बाधा के 267 मुक़दमे दर्ज हुए। दौसा में केवल मात्र राजकार्य में बाधा डालने के और कर्मचारियों को धमकाने के 267 मुकदमे; शायद राजस्थान में इतनी संख्या कहीं भी नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दौसा में उन्हीं जन-प्रतिनिधियों के द्वारा राजकार्य में बाधा के बारह मुकदमे, रोड जाम में पांच, हत्या के प्रयास में चार, बलवा के सात और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का एक और सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

चलिये। अब आप समाप्त कीजिये।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नये सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से दौसा के हालात के बारे में बता रहा था, दौसा में अधिकांश जो ये मुकदमे हैं, सी आई डी में चले गये और आज तक उन मुकदमों पर कोई फैसला नहीं हो पाया। केवल मात्र इसलिए, क्योंकि वे सरकार चला रहे थे, सरकार को चलाने में सहयोग कर रहे थे। सरकार का पूरा आशीर्वाद था। इस साल भी, चौदहवीं विधान सभा में भी वे यह ही कहते थे, हमारे दौसा में कि अगर विधान सभा में जाना है तो उसकी चाबी दौसा के हमारे बाबा के पास है।

श्री अध्यक्ष: बस, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): हुकुम, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा।

दौसा में हमारे एक थाने को जला दिया गया लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आदरणीय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ही अपने भड़काऊ भाषण के कारण दौसा में पुन: अराजकता फैलायी और दौसा में जिनको भाषण दिया, रात को 11.00 बजे तक कार्यक्रम चलाया और गुलाबो के डांस और कार्यक्रम..., आदरणीय, मैं जानता हूं कि आप माहिर हो लेकिन मेरे को भी दो मिनट...

श्री अध्यक्ष: दो मिनट हो गये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय अध्यक्षजी, सारी, मैं दो मिनट और बोलना चाहता हूं।

हमारे दौसा में जब वह कार्यक्रम रात को चालू किया तो 11.00 बजे तक कार्यक्रम चलाया और बेचारे एक लाउड स्पीकर वाले, गार्डन वाले के ऊपर केस बना, जबकि उनकी क्या औकात थी? उन्होंने सरेराह, जितनी भी कांच की दुकानें थीं, कांच के मकान थे, जितनी भी गाड़ियां मिलीं, उन सबके शीशे तोड़ दिये गये।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय, मैं आपको दो मिनट और बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस अभिभाषण के पक्ष में मैं बोल रहा हूं।

हमारी सुराज संकल्प यात्रा में जो सुराज संकल्प का नीति पत्र था, उसको नीतिपत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके लिए मैं हमारी आदरणीया मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजेजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके आधार पर और नीतियां और कार्यक्रम बनाने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

विगत पांच साल, कांग्रेस के शासन की अगर हम समीक्षा करें तो चारों ओर पूरे राजस्थान में घोर निराशा है, जनता में। हमारा नौजवान बेरोजगार आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राजस्थान के किसानों की बिजली को लेकर जो हालत हुई है, किसान विगत पांच सालों में बहुत ही परेशान रहा। डीजल और खाद के दामों की बढ़ोतरी देखें तो इससे आम आदमी उस सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण पूरे राजस्थान में पांच साल में जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही थी। महिलाएं पांच साल में असुरक्षित रहीं। महिला उत्पीड़न की विगत पांच साल में घटनाएं बढ़ी हैं। विकास की दृष्टि से राजस्थान विगत पांच साल में सोलहवें स्थान पर आ गया, जबकि हमारी लोकप्रिय नेता, श्रीमती वसुन्धरा राजेजी थीं, तब राजस्थान ग्यारहवें स्थान पर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनदेखी की गई।

विगत सरकार ने घोषणाएं बड़ी-बड़ी कीं और घोषणाओं का क्रियान्वयन कुछ भी नहीं रहा। कांग्रेस की यह सरकार जाते-जाते भी घोषणाएं करती रही और आज दिन तक पूरे राजस्थान में घोषणाएं खाली घोषणाएं ही बन कर रह गयीं। शिशु मृत्यु दर की राजस्थान में बढ़ोतरी हुई और पांच साल में राजस्थान के माथे पर पिछड़ेपन और बीमारू राज्य का कलंक लगाने वाली यह कांग्रेस की सरकार है।

हमारी जब सरकार थी तो किसानों को आठ घंटे बिजली मिलती थी

(श्री नारायण सिंह देवल)

और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, किसानों को आठ घंटे बिजली देंगे, हमारे जालौर जिले में साढ़े चार या पांच घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली और बिजली मिली वह भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार ट्रिपिंग के माध्यम से बिजली मिली। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पूरे राजस्थान के गांवों को सिंगल फेज से जोड़ा, जबकि कांग्रेस की सरकार में सिंगल फेज से जुड़ने के बाद में पूरा राजस्थान अंधेरे में डूबा रहा।

कृषि कनेक्शन के बारे में मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार में जालौर जिले में 1989 से लगा कर 2003 तक जितने कनेक्शन हुए, चौदह साल के और विगत पांच साल में, मात्र 2003 से लगा कर 2008 तक के कनेक्शन हुए। मतलब, छह साल के कनेक्शन में हमारी सरकार ने चौदह साल के कनेक्शन दिये और पिछली सरकार में पांच साल में एक भी ढाणी का कनेक्शन नहीं दिया।

बिजली विभाग का जो घाटा था, 1,500 करोड़ से कांग्रेस की सरकार 61 हजार करोड़ तक यह घाटा ले गयी। अभी सरकार बदलते ही हमारी लोकप्रिय नेता, आदरणीया श्रीमती वसुन्धरा राजेजी द्वारा सात घंटे किसानों को बिना ट्रिपिंग बिजली मिल रही है, घरों में चौबीस घंटे मिल रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे...

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप 6 मिनट ले चुके हैं, कृपया समाप्ति की ओर बढ़ें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): ...विपक्ष के जो सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि टैट का क्या हुआ, टैट का क्या हुआ, तो टैट लगाने वाली भी आपकी सरकार थी और शिक्षकों के खाली पदों को भरने की थोथी घोषणाएं हुईं। हजारों रिक्त पद हैं और जान-बूझकर वैधानिक कमियां छोड दीं।

(20.00 बजे)

मिड-डे मील में विगत पांच साल की सरकार में कई घोटाले हुए। अध्यक्ष महोदय, हमारे जालौर जिले में कम्प्यूटर के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला हुआ, जिसके लिये मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच होवे।

इस सरकार ने जाते-जाते पेंशन के नाम से रेवड़ियां बांटीं; उनके पी पी ओ जारी नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी भवन के पेमेंट दो-दो साल से यह सरकार नहीं कर पा रही है। पिछले 6-7 महीने से नरेगा का भुगतान बाकी

(श्री नारायण सिंह देवल)

पड़ा है और हमारे पूरे जालौर जिले में ग्राम पंचायतों के जो काम हुए हैं, उनकी यू सी, सी सी और एम बी अभी तक नहीं भर पा रहे हैं। मजदूर बार-बार इनके भुगतान के लिए सरकारी कार्यालय में ...

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, अब समाप्त करें। मेरा निवेदन है कि आप समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर

(अनुपस्थित)

श्री शैतान सिंह।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय...

श्री बंशीधर (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष तो नदारद है; विपक्ष तो है ही नहीं, एक भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जनता ने यही हालत की है, तो आप और हम क्या करें? बोलिए।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): हम विधान सभा के उस क्षेत्र से आये हैं जिसका नाम लेने से सबका सर गर्व से ऊंचा उठता है; मैं उस पोकरण विधान सभा क्षेत्र से आया हूं जो भारत का शक्ति स्थल है। इस पोकरण की धरती पर ....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा चुनाव के बाद में आप में से ही आ जायेंगे।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): वाजपेयीजी ने परमाणु परीक्षण किया था, आज वह पूरे विश्व में विख्यात है।

आज हमें माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का जो आपने मौका दिया, उसके लिये हम आपके आभारी हैं। मैं 'हम' शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि 85,066 मतदाताओं का विश्वास लेकर मैं हाजिर हुआ हूं।

पिछली सरकार के कारनामे मैं आपके सामने बताऊंगा। हम जिस क्षेत्र से आये हैं, वह सीमा क्षेत्र है और वहां राष्ट्र सुरक्षा पहला काम है। जिस सीमा के लोग राष्ट्र सुरक्षा के लिये संवेदनशील होंगे, तो ही देश बचेगा। चूंकि मैं उस क्षेत्र से आया हूं, जहां विगत पांच सालों में क्या-क्या कारनामे हुए हैं, वे भारत

(श्री शैतानसिंह)

के दृष्टिपटल पर सभी के सामने आये हैं। वहां हेरोइन की तस्करी होती है, राजनीतिक लोगों के घरों में वह हेरोइन पकड़ी जाती है और उसको बाहर ले जाकर मुरबों में बताई जाती है। यह उस सरकार के अख़बार बोलते हैं। ये पिछली सरकार के कारनामे थे।

उसके बाद, उसी क्षेत्र में, सीमा क्षेत्र में मुखबिरी होती है और वे पकड़े जाते हैं और वह भी राजनीतिक संरक्षण के लोगों को ही पकड़ा जाता है, जिसमें भी भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

आपने विगत पांच-छह महीने में सुना होगा, शायद भारत के इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में किसी पुलिस अफसर के पक्ष में आम जन खड़ा हो जाता है तो वह जिला जैसलमेर है जिसके एस पी, पंकज चौधरी के पक्ष में पूरा का पूरा जिला, पूरे जिले को बंद कर के खड़ा हुआ था। आम जन पुलिस के विरोध में आता है, पक्ष में कभी नहीं आया, वह उस क्षेत्र में हुआ है। ये पिछली सरकार के कारनामे थे। जो देश सुरक्षित नहीं है तो वहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए पहला ध्येय राष्ट्र होना चाहिये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

यहां जो हम लोग चुन कर आये हैं, वह राजस्थान की 7 करोड़ जनता की आस्था का स्थान है। इसलिए पहले तो पवित्र भाव से यहां बैठने वालों से यह विनम्र निवेदन है कि अपने किसी भी आचरण में यह नहीं झलकना चाहिये कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो पहली बार सदन में आया हूं पर अपन लोगों का विश्वास लेकर प्रकट हुए हैं। यह निजी जीवन नहीं है, आम जन का जीवन है। अपन अपने संबोधन में 'मैं' नहीं लगा कर 'हम' लगायें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): मैं आपको सिर्फ एक छोटा-सा उदाहरण बताऊंगा। यह जो विकास के कार्य होते हैं, वह पहुंच वाले लोगों के और पैसे वाले लोगों के तो सदा हो जाते हैं, गरीब के घर से विकास की यात्रा शुरू होनी चाहिये, जो आज तक, आजाद भारत के 66 वर्ष पूरे हो गये हैं, 67वां चल रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। इसका जीता-जागता उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में मेघवाल समाज के और भील समाज की ऐसी असंख्य ढाणियां बताऊंगा, जहां न तो पानी की व्यवस्था है और न लाइट की व्यवस्था है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): साहब, यह पोकरण देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जरूरी है।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): यह हकीकत है, मैं वास्तविकता से आपको यह बात बताता हूं। वह पिछले 67 सालों से कांग्रेस का वोट बैंक था। उसी मेघवाल समाज से हम 80 प्रतिशत से ज्यादा वोट लेकर और 90-95 प्रतिशत भील समाज के वोट लेकर, मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के कैसे कारनामे थे। मेडिकल पर मैं बात करूं, सरकार ने दवाइयां फ्री कर दीं; माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 रुपये की दवाई फ्री करने से आम जन को फायदा नहीं होता। यही विचार यदि राष्ट्र के ध्येय को, आम जन के विश्वास को रखकर किया होता, उस मरीज को सुविधा दें जो जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो, पर चूंकि उससे कम लोग प्रभावित होते हैं, वोट बैंक की राजनीति में यह देश डूब रहा है, यह नहीं डूबना चाहिये, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): इसलिए आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर बालू राम चौधरी।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, चौदहवीं विधान सभा के इस प्रथम सत्र में महामहिम के अभिभाषण पर आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

जो पिछला चुनाव हुआ, राजस्थान के इतिहास में यह बहुत ऐतिहासिक चुनाव हुआ है और इसने अपने आप में एक हिस्ट्री रच दी है। अभी तक की जितनी भी सरकारें चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले अपने प्रचार-प्रसार में जनता का इतना पैसा अखबारों के माध्यम से और जितना मीडिया में खर्च किया है, आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। अपन रोज अख़बार उठा कर देखते हैं गहलोत साहब का फोटो, राजस्थान में पहली बार', 'राजस्थान में पहली बार', 'राजस्थान में पहली बार'; लगातार कई महीनों तक यह आया था। जनता गले तक भर गई और उसने ऐतिहासिक फैसला दिया कि यह बहुत कह दिया है, बहुत कह दिया है, इसका जवाब भी ऐसा दो; उन्होंने मतदान करके ऐसा बम फोड़ा कि सरकार वहीं भस्म हो गई। इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली हैं और उनके चार निर्दलीय समर्थक भी जीत कर आये हैं। राजस्थान के इतिहास में किसी भी पार्टी को इतना जनादेश

(श्री बालू राम चौधरी)

पहली बार मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस इतनी सीमित संख्या में सिमट कर रह गई है; पहली बार ऐसा हुआ कि इनका एक भी अल्प-संख्यक नहीं जीता; पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी अनुसूचित जाति का आदमी इनका नहीं जीता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 32 विधायक अनुसूचित जाति से भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आये हैं। यह सारा क्यों हुआ, इसका इनको मंथन करने की जरूरत है।

इनके कार्यकाल में जनता को जो तकलीफें हुई हैं, उनको सहन करते-करते इतनी परेशान हो गई कि मौका आते ही उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो इतिहास बन गया है। पांच साल का इनका जो कार्यकाल था, उसमें महंगाई से बहुत त्रस्त थे। महंगाई में अगर अपन किसान की तरफ फोकस करें, पहली बात काश्तकार ने अगर एप्लाई किया तो उसे बिजली नहीं मिली; पांच साल बाद अगर बिजली मिल गई तो वह दो घंटे, चार घंटे की बिजली मिली, आई तो ट्रिपिंग करके आई है; जो पानी चलता है, वह खेत तक नहीं पहुंचता है। फिर आये तो बिजली का बिल इतना भारी आता है। इतना सब हो गया तो खाद महंगा हो गया, 400 का कट्टा 1,200 में मिल रहा है; डीजल महंगा हो गया; हर चीज। काश्तकार का जो लागत मूल्य है, वह तो सारा का सारा चार गुणा हो गया, जो उसकी सेल कास्ट है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। जो फसल लेकर मण्डी में जाता है तो उसको उतना ही पैसा मिलता है। लागत कास्ट तो बढ़ती जा रही है और उसका रिटर्न उसको कुछ नहीं मिल रहा है।

सारा काश्तकार दुःखी था, सारा गरीब आदमी दुःखी था। नमक महंगा था, प्याज महंगा था, डीजल महंगा था, सिलेण्डर महंगा था, हर चीज। जनता इतनी दुःखी होती है। गांव में जाएं तो न तो टीचर है, स्कूल में और न अस्पताल में डाक्टर है; न कोई नर्सिंग स्टाफ है, न कोई ए एन एम है। संख्याओं की इतनी कमी है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदयजी, दूसरा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस जिले से मैं जीतकर आया हूं, भीलवाड़ा में बहुत बड़ी एक मिल थी, जिस तरह से घोटाला करके, जिस तरह से व्यवस्थाएं करके, उसको जिस तरह से रफा- दफा किया गया, वह सारे सदन को और पूरे राजस्थान को सर्वविदित है। वहां एक जिंदल मिल लगाई थी, उस जिंदल मिल में जो भ्रष्टाचार हुआ, आसपास की सारी पंचायतों की चरागाह की जमीन इसी एम ओ यू के साथ लीं कि आप चरागाह की जमीन हमें दे दो, उतनी ही जमीन हम खरीद कर गांव को

(श्री बालू राम चौधरी)

उपलब्ध कराएंगे, जो आज तक तो उपलब्ध नहीं कराईं। यू आई टी के पेरिफेरी के एरिये में माइनिंग की परमिशन दे दी, जो कानूनी रूप से बिलकुल गलत है। ऐसे-ऐसे काण्ड किए हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, चिकित्सा शिक्षा की और चिकित्सा की ऐसी दुर्गति हो रही है, नर्सिंग कालेज खुलते जा रहे हैं, मेडिकल कालेज खुलते जा रहे हैं, गली-गली में नर्सिंग सेंटर खुलते जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट के मेडिकल कालेज हैं, उनमें डाक्टर्स की, प्रोफेसर की पोस्ट खाली हैं, रीडर्स की पोस्ट खाली हैं, लेक्चरर्स की पोस्ट खाली हैं। एक-एक आदमी, दो-दो आदमी पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं, नान क्लीनिकल ब्रांचेज में तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट एक-एक आदमी, रिटायर्ड होने के बाद डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। जब भी एम सी आई का इन्स्पेक्शन होता है तो उस इन्स्पेक्शन में एक कालेज का स्टाफ दूसरी जगह भेज दिया जाता है, दूसरे कालेज का तीसरी जगह। एक बार अटेंडेंस लगाकर वापस अपनी-अपनी जगह भेज देते हैं। ऐसी दुर्गति शिक्षा की हो रही है। जो मेडिकल कालेज वर्षों से चलते आ रहे हैं, 60-60 साल से, 100-100 साल से, उनका तो धीरे-धीरे स्तर गिराया जा रहा है; जो नये कालेज खोल रहे हैं, छोटी-छोटी जगह में, उनको 100-100 सीटें, 150-150 सीटें, 200-200 सीटें मेडीकल कालेज में दी जा रही हैं। एक तरह से यह धन्धा बन गया है। अनाप-शनाप कैपिटेशन फीस ली जा रही है।

ऐसे राज में जनता यह उम्मीद करती है कि जनता को न्याय मिले, उनको सस्ता इलाज मिले, उनको सस्ती शिक्षा मिले, गरीब को पीने का पानी मिले, बिजली मिले। मैं उम्मीद करता हूं...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): दो मिनट। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि वसुन्धराजी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वसुन्धराजी बहुत सक्षम हैं, कुशल प्रशासक हैं, मजबूत इरादे वाली हैं और उनके दिमाग में विकास का विजन है; वे गरीब, किसान और मजदूर के दर्द को समझती हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले पांच साल में हम राजस्थान को काफी अग्रणी स्थान और विकास की राह में काफी आगे पहुंचाएंगे।

आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री हमीरसिंह भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्षजी, आदरणीय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस हेतु आपका आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा सदन में जो अभिभाषण दिया, उनके हम आभारी हैं। यह अभिभाषण एक प्रकार का हमारा नीति पत्र भी है।

खुशहाल राजस्थान हो, इसी सोच और कल्पना से और गत सरकार की अराजकता से परेशान होकर, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी विचारधारा और हमारी यशस्वी एवं कुशल नेता पर विश्वास कर, प्रदेश की अवाम ने हमें 200 में से 163 सीटों का प्रचण्ड बहुमत देकर शासन करने का आदेश दिया, हम प्रदेश की जनता के आभारी भी हैं एवं उत्तरदायी भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनता के अनुरूप, राम राज्य की तरह, प्रदेश की जनता को सुरक्षा एवं सुराज का अहसास कराएंगी।

यह सही है कि पिछले पांच वर्षो में प्रदेश में एक प्रकार से अराजकता का माहौल था। जर्जर कानून-व्यवस्था; युवाओं में बेरोजगारी; किसानों को बिजली नहीं, बीज नहीं; डीजल के दाम आसमान पर; गांवों एवं शहरों में पेयजल की व्यवस्था नहीं; यदि गांवों में जाएं तो वहां स्कूल में टीचर नहीं; अस्पतालों में डाक्टर नहीं, नर्स नहीं। संस्कृत विभाग, आयुर्वेद, पशुपालन विभाग के तो हालत यह थे कि आधे से ज्यादा संस्थाएं बंद थीं। अब 'ए' श्रेणी के चिकित्सालय चपरासी के भरोसे चल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में आयुर्वेद के, सिंदरिका 'ए' श्रेणी का अस्पताल पिछले आठ महीने से बंद; बानसीन एवं कुण्डल तो दो साल से बंद।

इसका मतलब था कि सरकार को मानिटरिंग करने की फुर्सत ही नहीं थी। भर्तियां की ही नहीं। कोई वैकेन्सी निकाली तो उसमें कोई न कोई तकनीकी कमी रखी, ताकि भर्ती नहीं हो सके। तकनीकी विसंगतियों के कारण सारी भर्तियां माननीय न्यायालय की शरण में चली गयीं। नहीं जातीं तो, क्यों उन्होंने नियम-भर्ती ही भाई-भतीजे वाद के आधार पर बनाये थे।

वास्तविकाता तो यह है कि सरकार की युवाओं को रोजगार देने की मंशा ही नहीं थी, बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा था। रोज नई प्रकार की भर्तियां, मात्र विज्ञापन जारी कर युवा वर्ग को गुमराह किया गया। युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर नहीं दिए गए। चारो तरफ लूट खसोट और अराजकता का माहौल था।

हमारे बाड़मेर जिले में स्थिति यह है कि विद्यालयों में मात्र 34

(श्री हमीरसिंह भायल)

प्रतिशत ही अध्यापक हैं, 66 प्रतिशत पद रिक्त हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, शिक्षा विभाग के आंकड़े कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति तो इससे भी ज्यादा खराब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में 20 प्रतिशत अध्यापक। हमारे बच्चे प्रतियोगिता के युग में कैसे टिक पाएंगे? क्या उनको अच्छी शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है?

महोदयजी, मेरे क्षेत्र की सी एच सी, सिवाना, विधान सभा क्षेत्र और उप-खण्ड मुख्यालय है, जिसकी जनसंख्या 30 हजार से ज्यादा है, उसमें पिछले तीन साल से एक भी डाक्टर का पदस्थापन नहीं है। जो दो डाक्टर लगा रखे हैं, डेपुटेशन पर हैं, वे भी फ्रेश पोस्टिंग के हैं। सी एच सी, सिंदरी एवं समदडी में भी दो-दो डाक्टर हैं। मेरे क्षेत्र में तीस सब-सेंटर ऐसे हैं जो ए एन एम के अभाव में बंद पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): पी एच सी, राकी, डाक्टर नहीं; नया सेवीकूर; ऐसे ही करमावास और खारामेचान में कोई स्टाफ नहीं। भवन नहीं बनाया, थोथी घोषणाएं करके बोर्ड लगा दिए; अखबारों में विज्ञापन देकर वाह-वाही लूट ली; जनता को भ्रमित किया; क्या यह संवेदनशील सरकार थी?

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्षजी, पहली बार आया हूं, थोड़ा समय दें, हुकुम।

श्री अध्यक्ष: सही है, प्रथम बार आएं, बहुत आएं। समय की कमी है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, ऊर्जावान चिकित्सा मंत्रीजी को, जिन्होंने मेरे एवं जनता के दर्द को सुना और उक्त दोनों अस्पतालों में चिकित्सकों को लगाया और अस्पतालों को अस्तित्व में लाए। इसे कहते हैं, कार्य करने की इच्छाशक्ति; इसे कहते हैं, जिम्मेदारी; संवेदनशीलता इसे ही कहते हैं।

महोदयजी, सिवाना विधान सभा क्षेत्र के साथ तो पिछले पांच सालों में ऐसा व्यवहार किया गया कि शायद यह प्रदेश का हिस्सा ही नहीं है, इस क्षेत्र में तो लोग बसते ही नहीं है। क्षेत्र की स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें एवं अन्य समकक्ष सड़कों की स्थिति यदि आप देखोगे तो आश्चर्य करोगे, वहां वाहनों का चलना तो क्या, पैदल चलना ही मुश्किल है। महोदयजी, मेरे सिवाना क्षेत्र की जीवन रेखा मानो या शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा के लिहाज

(श्री हमीरसिंह भायल)

से सबसे महत्वपूर्ण सड़क, सिवाना से समधणी वाया कल्याणपुर, जोधपुर की स्थिति तो भगवान भरोसे ही थी। पूरी क्षतिग्रस्त, पटरियां टूटी हुईं और जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं। यात्री आते-जाते जन-प्रतिनिधियों को कोसते रहते हैं। आये-दिन दुर्घटनाएं होती हैं। हमने कई बार ज्ञापनों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। इसी प्रकार स्टेट हाई-वे 67 के हालात थे। ग्रामीण सड़कों की बात कौन पूछे?

हमारी सरकार आने पर, जनता की महती मांग को ध्यान में रखते हुए, मैंने हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे युवा, जोशीले मंत्रीजी के सामने उनकी मरम्मत की मांग रखी तो उन्होंने 60 दिवसीय योजना में, गौरव-पथ योजना में लेकर, उसकी मरम्मत की नई चौड़ाई 3.66 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर करने की स्वीकृति का आश्वासन दिया और विभाग से प्रस्ताव मंगवा लिया। इस हेतु मैं ही नहीं, सिवाना की जनता इनकी आभारी है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): यह लास्ट दो मिनट, हुकुम।

मैंने 26 जनवरी को इसी विश्वास में जनता से वादा भी कर दिया।

महोदयजी, 2003 से 2008, जब हमारी सरकार थी, तो माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धरा राजेजी द्वारा उस समय जो विकास की गंगा बहाई गई थी, उस समय सभी ग्राम पंचायतों को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा गया था; पादरु में 132 के.वी. जी.एस.एस. और 33 के.वी. के 19 जी.एस.एस. स्वीकृत हुए और बने भी; स्टेट हाई-वे में और अन्य सड़कों का निर्माण करवाया गया। उनका रख-रखाव भी पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पाई, जबकि 2-2 राज्य मंत्री दर्जे के जन-प्रतिनिधि इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): दो मिनट, हुकुम।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट से ज्यादा मैंने आपको दे दिया, बहुत ज्यादा।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): दो मिनट, हुकुम, दो मिनट।

कार्यवाही नहीं की गई। हमारी सरकार आने के बाद मैंने ऊर्जा मंत्रीजी से किसानों की मांग रखी। उन्होंने एम.डी., जोधपुर को तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। मुझे विश्वास है कि वे भी शीघ्र स्वीकृत हो जाएंगे। इस हेतु मैं मंत्रीजी का आभारी हूं।

(श्री हमीरसिंह भायल)

महोदयजी, सिवाना क्षेत्र, बरसाती पानी का, यह एक खास बात है, पानी की कम आवक के कारण जमीन में पानी का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है, जिससे विभागीय योजनाओं से पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर। अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो दिन से आज नम्बर आया है उसके लिये, माननीय अध्यक्षजी,...

श्री अध्यक्ष: सात मिनट आपको दिये जाते हैं।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): अभी से; अभी तो बोलना ही शुरू नहीं किया, माननीय अध्यक्षजी, उसके पहले तो आप मेरे को पाबन्द कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप 163 आ गये, कम आते।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में यह दूसरी ऐसी सरकार है, 2003 में परिवर्तन यात्रा के माध्यम, राजस्थान के 200 विधान सभा क्षेत्रों में, परिवर्तन के लिए हर विधान सभा क्षेत्र में दौरे किये; वहां की समस्याओं को नजदीकी से देखा और उसी के अनुरूप 2003 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी। उस कार्यकाल, 2003 से 2008 तक, जिस प्रकार सरकार ने काम किया, और बिजली के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व वास्तव में काम किया, फीडर सुधार के नाम से, जिस प्रकार से किसानों को समस्या थी, एक-एक ट्रांसफार्मर पर, कहीं 100 के.वी. का ट्रांसफार्मर, कहीं 63 के.वी. का ट्रांसफार्मर, जिस पर इस प्रकार का जाल कि 15-15 आदमियों के कनेक्शन हुआ करते थे; ट्रांसफार्मर जलने के बाद यदि दो काश्तकारों के बिल जमा नहीं होते थे तो ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था; और 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर किसानों को नहीं मिलते थे; फीडर सुधार के नाम से जिस प्रकार से एक-एक काश्तकार को ट्रांसफार्मर दिया गया और गांव में 24 घण्टे बिजली मिले, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार के द्वारा वास्तव में की गई, उस समय के मंत्री को जितना धन्यवाद दूं, वास्तव में उतना कम है। पहली बार, राजस्थान में ट्रांसफार्मर बदलने के नाम से जो 72 घण्टे की योजना बनाई, वह 2003 से 2008 में माननीया वसुन्धरा राजेजी की सरकार ने बनाई।

(श्री नरेन्द्र नागर)

उसके बाद, यह जो पांच साल का कांग्रेस का कुशासन निकला है, उसमें 72 दिन तक ट्रांसफार्मर लोगों को नहीं मिले। काश्तकार इधर से उधर भटकते रहे। लोगों से, मीटर जलने के बाद उनसे मीटर के पैसे जमा करा लिये गये और उनको एवरेज बिल दिया गया। किसानों के मुश्किल से साल में चार महीने की आवश्यकता पड़ती है, चार महीने की बिजली की आवश्यकता किसानों के पड़ती है, उसको 12 महीने तक के लिए एवरेज बिल देना पड़ा। यह एवरेज बिल इतना ज्यादा होता है, वास्तव में कि वह चार गुना उसको वास्तव में भुगतान करना पड़ता है।

आज भी स्थिति ऐसी है कि अभी भी ट्रांसफार्मर तो तुरन्त बदले जाते हैं पर मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्मय से कहना चाहता हूं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि किसानों के मीटर जलने के बाद यदि उनका ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो उनको बहुत भारी नुकसान होता है। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि या तो एवरेज बिल के आधार पर उनसे पैसा वसूल किया जाए, या तुरन्त मीटर बदले जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए।

2003 से 2008 तक, पिछली वसुन्धरा राजेजी की सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए छबड़ा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झालावाड़ में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की व्यवस्था की। इन पिछले पांच साल में पिछली सरकार ने शिलान्यास किया और लग रहा था कि यह सरकार, जो अभी चली गई, उन्होंने आनन-फानन में उसका लोकार्पण किया, जबकि अभी भी वे चालू नहीं हैं। माननीय अध्यक्षजी, जाते-जाते भी सरकार ने लोकार्पण करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के लोकार्पण करने से क्या फायदा, जब तक ऐसी योजना का लाभ जनता को नहीं मिले? ऐसे सरकार को लोकार्पण नहीं करना चाहिए था।

साथ ही सिंचाई के क्षेत्र में, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हाड़ौती में वृहद् सिंचाई परियोजना, जो परवन के नाम से लम्बे समय से लम्बित है, जो 2006 में माननीया वसुन्धरा राजेजी की सरकार ने बजट में 650 करोड़ रुपये का प्रावधान देकर उसका सर्वे का काम शुरू किया था और उस समय सरकार जाने के बाद, जब कांग्रेस की सरकार बनी और केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार बनी, तो वहां की जनता को लग रहा था कि पहली बार राजस्थान में और केन्द्र में एक ही सरकार है, निश्चित रूप से इसकी जल्दी स्वीकृति होगी, पर सरकार के जाते-जाते, जो राजस्थान की

(श्री नरेन्द्र नागर)

सरकार है, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत साहब ने, जो केन्द्र में ये नेता मानते हैं, माननीय राहुल गांधीजी द्वारा उसका शिलान्यास कराया, जबकि अभी भी वह योजना है, उसकी एन.ओ.सी. अभी भी वन विभाग से नहीं मिली है। उस समय जब इन्होंने शिलान्यास किया, वन विभाग वालों ने इनको शिलान्यास नहीं करने दिया। इन्होंने चरागाह जमीन पर, वहां पर बोर्ड लगाया गया। तो इस प्रकार के शिलान्यास इस सरकार ने किये।

सरकार का सब जनता को पता था, माननीय अध्यक्षजी, कि यह सरकार थोथी घोषणा करना चाहती है, झूठी वाह-वाही लूटना चाहती है, इसलिए आज सरकार की यह दुर्दशा हुई। सड़कों के क्षेत्र में, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। समय की मेरे पास भी बहुत कमी है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): दो मिनट में मैं कन्क्लूड करता हूं।

सड़कों के क्षेत्र में, मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार हाड़ौती में दो-दो मंत्री, चाहे वे प्रमोद जैन 'भाया' हों या दूसरे मंत्री भरतसिंहजी हों और केन्द्र में भी राजस्थान के मंत्री हों, पर किस प्रकार की दुर्दशा हाड़ौती की हुई; झालावाड़ से कोटा पहुंचने के लिये, माननीय अध्यक्षजी, 85 किलोमीटर की दूरी और उसको पार करने के लिये 5-5, 6-6 घण्टे लगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका भी जाना वहां पर हुआ होगा। इस प्रकार की दुर्दशा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अभी सरकार बनने के बाद तुरन्त मंत्रीजी ने आदेश दिये हैं कि उसके लिए चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े, पर इसको मैं तुरन्त सैंक्शन करवाऊंगा। तो आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही, उम्मीद करता हूं कि पिछली सरकार ने 500 की आबादी की सारी सड़कें बनाई थीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पर यह जो सरकार ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री विश्वनाथ मेघवाल। सात मिनट आपके लिए हैं।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का आपने जो अवसर दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं।

माननीया वसुन्धरा जी ने 'सुराज' संकल्प यात्रा चार-भुजा से शुरू की, उस दिन से ही लग गया था कि राजस्थान में 'सुराज' कायम होगा और जनता ने एक ऐतिहासिक जीत, 163 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को, माननीया वसुन्धराजी राजे में जो विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए मैं राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि राजस्थान में एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी के वोटों पर जब कांग्रेस सरकार अपना अधिकार समझती थी, वे भी समझ गए इस बार और कांग्रेस को एक भी सीट एस.सी. में और माइनोरिटी में नहीं दी। माननीय वसुन्धराजी पर इन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए भी मैं, अनुसूचित जाति का विधायक होने के नाते, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार की एक नीति रहती है, वह जिस तरीके से राज करती है, गरीब को और गरीब बनाती है, चार साल तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती और लास्ट में जब एक साल बचता है तो बहुत सारी घोषणाएं करती है। हमने पिछले पांच सालों में देखा, विपक्ष में हम थे, हमने देखा कि चार साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। हर बजट में सिर्फ घोषणाएं करते थे, घोषणा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। लास्ट वर्ष इन्होंने जिस प्रकार से घोषणाएं कीं, चाहे कुछ भी देना पड़े, चाहे नकद देना पड़े, लेकिन जनता ने उनको भी नकार दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया वसुन्धराजी राजे, जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री बनी हैं, इनका लक्ष्य है कि नया राजस्थान बने। 2020 तक नया राजस्थान कैसा हो, इसके लिए माननीया वसुन्धराजी ने अपनी कार्ययोजना शुरू कर दी है। 60 दिवस की जो कार्य योजना माननीया वसुन्धराजी ने शुरू की है, इसमें 11-सूत्री कार्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विभाग को अपना-अपना लक्ष्य दे दिया गया है और सरकार की यह इच्छा भी है कि प्रदेश प्रगति करे और माननीया वसुन्धराजी की यह सोच भी है।

गत पांच वर्षों के कार्यकाल में जिस तरीके से जनता को निराशा मिली, नौजवान बेरोजगारी के कारण, किसान बिजली के कारण, आम जन

(श्री विश्वनाथ)

महंगाई के कारण, महिला असुरक्षा के कारण; आम जन ने अपने आपको ठगा सा महसूस किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के सांख्यिकी विभाग के सर्वेक्षण में भी विकास की दृष्टि से राजस्थान 20 बड़े राज्यों में से 11वें स्थान पर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे जन्म मृत्यु दर हो, इस क्षेत्र में भी राजस्थान पिछड़ रहा है। गत सरकार की योजनाएं, जैसे लैपटाप वितरण हो, चाहे साड़ी हो, चाहे कम्बल हो, साइकल हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे लास्ट में इन्होंने नकद देने की भी घोषणा की, लेकिन पूरा खजाना लुटाने के बावजूद भी सरकार को इसमें सफलता नहीं मिल पाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बिजली की बात करें तो मैं पांच साल मेरे क्षेत्र में रहा, हमने देखा कि माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी राजे जब वर्ष 2003 से 2008 में थीं तो उन्होंने मुख्य मंत्री विद्युतीकरण योजना शुरू की थी लेकिन पिछली सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने किसी भी प्रकार से ढाणियों का विद्युतीकरण नहीं किया और अंत में जाते-जाते इन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री विद्युतीकरण योजना शुरू करेंगे, लेकिन इन्होंने उसमें भी अभी तक किसी प्रकार के कोई कनेक्शन नहीं दिए। चाहे घरेलू कनेक्शन हो, चाहे कृषि कनेक्शन हो, चाहे एस.सी., एस.टी. कनेक्शन हो, हर क्षेत्र में सरकार विफल रही। माननीया वसुन्धरा जी ने अब किसानों को छह से सात घंटे बिजली देने का जो वादा किया है और 24 घंटे आम जन को बिजली देने का वादा किया है, मैं सरकार के इस फैसले के लिए स्वागत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-विरुद्ध की गई वसूली को भी हमारी सरकार, किसानों से जो नियम-विरुद्ध वसूली की गई है, उसको आगामी बिलों में समायोजित करने का प्रावधान रखा है, इसके लिए भी मैं इनका सम्मान करता हूं। आने वाले समय में जो 12 हजार कृषि कनेक्शन और 60 हजार घरेलू कनेक्शन मुख्य मंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत दिए जाएंगे, इसके लिए भी मैं माननीया वसुन्धरा जी राजे को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से निजी विद्यालयों में मनमानी चल रही है, जिस तरीके से हमारे जो शिक्षा मंत्रीजी हैं, उन्होंने कहा है, दो लाख पचास हजार विद्यार्थियों की जो फीस का पुनर्भरण का फैसला किया है, वह स्वागत-योग्य है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे बीकानेर, जो पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत बड़ा, पी.बी.एम. हास्पिटल है, उसमें माननीया वसुन्धराजी ने अपने पिछले कार्यकाल में ट्रोमा सेंटर, यूरो सेंटर और कार्डियोलाजी सेंटर का वहां पर शिलान्यास किया था, लेकिन पांच साल गुजर जाने के बाद भी आज तक वे सेंटर चालू नहीं हुए हैं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सेंटर चालू करें और जो स्टाफ की कमी है, उनको पूरा करें। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहूंगा कि पी.एच.सीज., सी.एच.सीज. की जरूरत है, जनसंख्या अनुपात में उनको भी चालू करें।

नहरों की जो स्थिति है, पिछले बजट में 1,400 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान किया था, लेकिन लगातार तीन बार बजट में प्रावधान करने के बावजूद भी नहरों की किसी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी की जो मूल भावना है, 'सुराज' संकल्प से नए राजस्थान का निर्माण करना, जिससे सभी को शिक्षा, चिकित्सा और युवाओं को रोजगार, बिजली-पानी, महिलाओं को सुरक्षा और भ्रष्टाचार-मुक्त राजस्थान हो, इसके लिए माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी कृत संकल्प हैं, कटिबद्ध हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अंत में, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आपको भी धन्यवाद।

श्री छोटू सिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, 14वीं विधान सभा में महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर पक्ष में मेरा वक्तव्य देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं कीं और हमने भी, पूर्व में भी हम यहां पर एम.एल.ए. थे और बहुत सारे जनता के सामने वादे करके आए लेकिन सरकार ने केवल अपने बुढापे में, वर्ष 2013-14 में केवल घोषणाएं कीं और वे घोषणाएं कीं कि कैसे राजस्थान की सात करोड़ जनता को ठगा जाए, लेकिन जनता नहीं ठगी गयी। आज रिजल्ट इस सदन के सामने है कि हम इधर 163 हैं और कांग्रेस केवल 21 सदस्यों मात्र पर रह गई है।

(श्री छोटू सिंह)

मान्यवर, किसी भी प्रदेश को यदि समृद्ध बनना है तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए, वहां का नौजवान तंदुरुस्त होना चाहिए, वहां की चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और वहां की आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अन्दर कमी नहीं है खनिज की, कमी नहीं है नौ जवानों की, कमी नहीं है जमीन की, यहां तक कि पूर्ववर्ती सरकार के समय इन्द्र-देव की भी बहुत बड़ी मेहरबानी रही, फिर भी इस सरकार की जो विकास दर थी, वह पांच प्रतिशत रह गई। इस चीज का अफसोस रहा। उस सरकार में कमी रही तो बेरोजगारी की, कमी रही तो भ्रष्टाचार की, कमी रही तो रोजगार की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से जनता के सामने जो वादे किए थे सरकार ने, उसमें हमेशा यह अकुशल और अविवेकशील रही।

जिस हिसाब से इनकी घोषणाएं थीं, मैं एक सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर से आता हूं, जिसमें 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और 80 प्रतिशत लोग किसान और पशुपालक हैं; आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के अन्दर यदि जरूरत है तो वहां के लोगों को शिक्षा का कैसे लाभ दिया जाय, मगर पूर्व अविवेकशील सरकार ने घोषणाएं करके स्कूलों को क्रमोन्नत तो जरूर कर दिया, लेकिन जितने शिक्षक सेवा-निवृत्त हुए, उतने शिक्षक भी नहीं लगा पाये।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब चिकित्सा का क्षेत्र है, तो पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा कर दी कि मेडिसिन फ्री कर देंगे और जांच भी फ्री कर देंगे। सरकार की घोषणा पर बहुत सारी तालियां बजीं। मैं भी उस हास्पिटल में गया और हमारे उस समय के आदरणीय रेवेन्यू मंत्री, हेमारामजी भी आये और मैंने एक ही बात कही माननीय मंत्रीजी, आपने घोषणाएं कर दीं। मेडिकल जेनेरिक दवाइयां 400 तरह की लगायीं; लेकिन पर्ची लिखने वाला डाक्टर आपने नहीं भेजा। तो जनमानस यह समझता है कि मलेरिया की दवाई कौनसी है, बुखार की दवाई कौनसी है, पेट-दर्द की दवाई कौनसी है। जैसे भी कम्पाउंडर ने दी, मेडिकल वाले ने दी कि आपका मलेरिया, बुखार ठीक हो जायेगा; नहीं ठीक हो पाया तो हमारे को मजबूरन होकर डाक्टर के घर जाना पड़ा और पर्ची लिखवानी पड़ी। हम किस प्रकार से भुगत रहे हैं दवाई में। कुछ लोगों को राहत मिली।

अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से हमारे जिले का ढर्रा हुआ है, आज हमारे जिले में सीमांत क्षेत्र पर नहर आ रही है और उस नहर से जोधपुर जिले

(श्री छोटू सिंह)

को, बाड़मेर जिले को और नागौर जिले को पेयजल की व्यवस्था हो रही है मगर हमारे जिले के गांव आज भी फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार की सोच और घोषणाएं पता नहीं, क्या थीं? हमने भी बहुत सारी बार हमारी जनता की आवाज को बुलन्द किया लेकिन एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी और यहां तक, इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं, आने वाली सुराज संकल्प यात्रा, हमारी यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री, जिनकी सोच और जिनकी परिकल्पना, जिनकी पैनी नजर है, जैसलमेर की जनता को कैसे पानी पिलाया जाये? पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार कुठाराघात किया, हम पेयजल के बारे में एक ही निवेदन करना चाहते हैं, यहां मंत्रीजी तो नहीं हैं लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे जिलों को पाइपलाइन के द्वारा पानी पिलाया जा रहा है, उसी प्रकार हमारे जिले में जो दूरदराज के इलाके के गांव हैं, उनको पानी पिलाने की पहली वरीयता ली जाये।

दूसरी चीज है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह उजाला हो रहा है, यह इसमें देखा जाये, सबसे बड़ा देखा जाये तो जैसलमेर की धरती से यह बिजली पैदा हो रही है, जैसलमेर में 2,500 मेगावाट बिजली पैदा होती है लेकिन हमारे जैसलमेर के निवासियों को केवल 80 मेगावाट बिजली दी जा रही है। पता नहीं, क्यों पूर्ववर्ती सरकार ने यह सोच रखी। इन्होंने यह सोचा होगा कि ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं और डेजर्ट में रहते हैं, तो ये चांद के उजाले में भी रह सकते हैं। खूब सारे समय रह गये लेकिन जब हम बिजली पैदा कर रहे हैं तो हमारी वरीयता बनती है कि हमें पहले 24 घंटे बिजली दी जाये और 8 घंटे से 10 घंटे हमारे कृषि कनेक्शन को दी जाये। मैं धन्यवाद देता हूं कि इस सरकार के आते ही इन 20-25 दिनों के अन्दर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने 8 घंटे लाइट की। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि कुछ राहत हमें इसमें मिली।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर एक ऐसा जिला है जो लाभकारी योजनाओं का बेनिफिट नहीं ले पाता है। चाहे सड़क के मामले में देखा जाये, चाहे पानी के मामले में देखा जाये, चाहे चिकित्सा के मामले में देखा जाये, हमारे गांव दूरदराज के हैं। बजट दौसा जिले में भी उतना

(श्री छोटू सिंह)

ही दिया जा रहा है और जैसलमेर को भी उतना ही दिया जा रहा है। जैसलमेर जिला 39 हजार स्क्वायर माइल का क्षेत्र है और दौसा जिला मेरे ख्याल में 5 हजार या 7 हजार का होगा। जब बजट में 10 करोड़ रुपये दौसा को दिये जाते हैं तो उसके 20 गांव जुड़ जाते हैं और हमारे 10 करोड़ रुपये जाते हैं तो 3 गांव ही जुड़ पाते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार बनी है और बहुत ही मजबूत और समृद्ध है और इसकी पैनी नजर है, अत: जैसलमेर की जनता के लिए विशेष पैकेज दिया जाये, क्योंकि यहां दूरदराज फैली धरती है, आमजन दूरदराज पर रहते हैं।

एक मुख्य बात कहना चाहता हूं, हम सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं; आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र में हमेशा पड़ोसी देश की नजर रहती है। पूर्ववर्ती सरकार ने 2004 से 2008 में सीमा पर सी.आई.डी. की चौकियां की थीं और कांग्रेस सरकार द्वारा उन सीमा-चौकियों को हटा दिया गया है। हमेशा पड़ोसी देश की नजर रहती है और उनकी इंटेलीजेंस सी आई डी का पता नहीं पड़ता है। हमारे पोकरण के विधायक ने भी इस प्रकार की शिकायत की थी। हम भी यह चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, जो सी आई डी चौकियां हटाई गई हैं, पुन: उनको स्थापित किया जाये जिससे कि हमारा जिला, हमारा प्रदेश और हमारा देश सुरक्षित रहे।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा निवेदन और करना चाहता हूं, पशुपालन क्षेत्र होने के नाते हम बहुत बड़ा निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी धरती पर पूरे राष्ट्र की नजर है, यहां तक कि भू-माफियाओं की भी विशेष नजर है। हमारी जमीन इतनी कीमती हो गयी है कि फाउण्डेशन के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, पानी हो गया है। 75 प्रतिशत धरती में आटोमेटिक पानी आ गया है। यह कुदरत की मेहर या इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की मेहर से हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सोलर के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने डी.एल.सी. रेट के दस परसेंट पर पूरी लैण्ड बाहरी कम्पनियों को, भूमाफियाओं को बेच दी और उसका जो आउट-पुट आना चाहिये कि बिजली पैदा हो, मगर सोलर की इन कम्पनियों ने पूर्ववर्ती सरकार के साथ धोखा किया और कुछ भी उसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से और हमारे

(श्री छोटू सिंह)

मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी बहुमूल्य धरती है, जिसमें सेवण घास पैदा होती है और वह पशुओं के लिये बहुत पौष्टिक आहार है, उसको छोड़ते हुए, उसके साथ में जो खेती योग्य जमीन है, उसको छोड़ते हुए; हम बिजली पैदा करना चाहते हैं और पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र को भी देना चाहते हैं लेकिन हमारी यह ख्वाहिश है कि एक तो जो हमारा चरागाह क्षेत्र है और दूसरी जो हमारी खेती-योग्य जमीन है, तीसरा हमारे जैसलमेर में बहुत सारा खनिज है, उस खनिज को बचाया जाये, और बाकी जमीन हम देंगे, आप चाहें जितनी बिजली पैदा करो। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): जिस हिसाब से बिजली पैदा होगी, उस हिसाब से हमारे जिले को वरीयता देकर 24 घंटे बिजली दी जाये।

इन्हीं आशाओं के साथ, आपने हमें जो बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को राजस्थान के इस पावन सदन में महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पांच वर्ष के शासनकाल की अगर कोई गणना की जाये तो इन पांच वर्षों में जो राजस्थान की जनता को अविश्वास, और जनता इस माहौल में जी रही थी, नौजवान नौकरी के लिये तड़प रहे थे और बेरोजगारी की वजह से हताशा-सी महसूस कर रहे थे और उसी की परिणति हुई और उसी के हिसाब से 4 अप्रैल को वसुन्धराजी ने सुराज संकल्प यात्रा शुरू की।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन में आधा घंटे की और वृद्धि की जाए, क्या आप सहमत हैं?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आधा घंटे की वृद्धि की जाती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा निर्देश फरमायें कि ये रिपीट नहीं करें। बार-बार वही रिपिटिशन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: केसारामजी, आपके लिए सात मिनट हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, सुराज संकल्प यात्रा जैसे ही चारभुजा नाथ से स्टार्ट हुई, उसी दिन से कांग्रेस को हताशा महसूस हो गयी थी। हताशा महसूस होते ही, इन्होंने आनन-फानन में जो घोषणाएं कीं, उसका नतीजा यह हुआ कि इन्होंने कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं छोड़ा जिसमें घोषणा नहीं की हो। योजनाओं की घोषणा तो बहुत की लेकिन क्रियान्विति नहीं हो रही थी, ऐसा राज्यपाल महोदया ने अपने भाषण में अजमेर में कहा था और हाई कोर्ट ने तो कहा था कि ऐसी निकम्मी सरकार आज दिन तक राजस्थान में नहीं आयी।

अध्यक्ष महोदय, माननीया वसुन्धराजी ने जवाई बांध से पेयजल की योजना बनाकर, पाली जिले के गांवों को जोड़ने के लिए 300 करोड़ की योजना बनायी और उसको 700 करोड़ तक पहुंचा कर, 2010 तक पाली जिले के समस्त गांवों को पानी देने की योजना माननीया वसुन्धराजी ने बनायी थी। वसुन्धराजी का राज जाने के बाद, कांग्रेस की सरकार ने उस योजना को वहीं का वहीं ठप कर दिया और पाली से पानी आगे नहीं बढ़ा सकी। जैसे ही चुनाव नजदीक आये और बजट रखा, उस बजट के बाद इन्होंने आनन-फानन में पाइप डाल कर ऐसा शो करने की कोशिश की कि हम गरीब जनता को पानी दे देंगे; इन्होंने कैबिनेट की बैठक करके इस योजना के द्वारा 2014 तक मारवाड़ जंक्शन के 113 गांव, सोजत और जैतारण तक पानी पहुंचाना था किन्तु वहां तक पानी नहीं पहुंचाया; वह जस की तस पड़ा है। आज दिन तक वह योजना अधरझूल में है।

माननीया वसुन्धराजी ने जैसे ही इस योजना को संभाला, निश्चित रूप से पाली जिले के लिए यह योजना बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी। रानी पंचायत समिति के गांवों के लोग फ्लोराइडयुक्त और टी डी एस वाला पानी पी रहे हैं। उन गांवों के लिए भी मैं मांग करूंगा कि उनको भी जवाई योजना के तहत जोड़ा जाएं, ताकि जनता को मीठा पानी मिल सके।

(श्री केसाराम चौधरी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पी डब्ल्यू डी की सड़कों की हालत, 1977 से लेकर आज दिन तक मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती आयी है; 1977 से आज तक केवल दो बार कांग्रेस को मौका मिला, सात बार तक वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती रही; उसी के कारण से, कांग्रेस ने बदले की भावना से वहां की सड़कों की ऐसी बुरी हालत कर दी है। यह महसूस होता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं? जो बजट में घोषणा की गईं, वे भी अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं। सिरियारी पर्यटक स्थल है, वहां की सड़क खराब है, वह चलने लायक भी नहीं है। उसको पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद भी नहीं बनायी गयी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस सड़क के टेण्डर, वगैरह हो चुके हैं, कृपया उस सड़क को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवायें। 62 नम्बर का स्टेट हाइवे, जो सिरियारी से भोपारी तक का टुकड़ा खराब हो रखा है, वह जल्दी से जल्दी दुरुस्त हो सके और जनता को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: आप भी कृपया समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, अभी तो बोलना शुरू किया है मैंने।

श्री अध्यक्ष: छह मिनट बोल चुके हैं आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बिजली के लिए माननीय वसुन्धराजी ने, राजस्थान में पहल करके ग्रामीण जन को 24 घंटे बिजली देने के लिए सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर कोई लेकर आया तो वसुन्धराजी लेकर आयी थीं। उसके बाद, कांग्रेस के राज में आते ही बी पी एल परिवार के कनेक्शन बन्द कर दिये गये, एक भी नहीं दिया। जो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर थे, जो चोरी हो गये, उनके स्थान पर भी दूसरे नहीं लगाये और ग्रामीण जन को सिंगल फेज की बिजली भी देने की पूरी व्यवस्था इन्होंने नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसानों के डिमाण्ड नोट तीन-तीन साल से जमा हैं किन्तु उनके कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। इलेक्शन के पहले माननीय अशोकजी गहलोत ने घोषणा की कि जिन किसानों के डिमाण्ड नोट जमा हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन दिए जाएं मगर इनके मुख्य मंत्रीजी की बात को भी इन्होंने नहीं माना। अब वसुन्धराजी के प्रेशर से वे काम पूरे हो रहे हैं, नहीं तो, वे कनेक्शन भी तीन-तीन साल से,

(श्री केसाराम चौधरी)

डिमाण्ड नोट जमा करवाने के बावजूद भी किसानों को कनेक्शन नहीं दिए गए।

वसुन्धराजी ने आते ही किसानों को पांच घंटे के स्थान पर छह और सात घंटे बिजली देने की जो बात की है, उसकी किसानों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है और कहा कि अशोकजी गहलोत ने पांच घंटे बिजली देकर खेती में जो पिलाई कराई थी, वह अब हमें छह-सात घंटे मिल रही है। इससे, हमारी खेती पांच घंटे की पिलाई के कारण खराब हो गयी थी, अब सात घंटे बिजली मिलने से पिलाई बड़े आराम से हो रही है।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछले राज में किसानों की जो वी.सी.आर. भरी जा रही थी, उस विषय में किसानों को लूट लिया। एक-एक किसान की एक-एक लाख रुपये की वी.सी.आर. भरकर, झूठी वी.सी.आर. भरी गयीं। एक काश्तकार के द्वारा पांच हजार रुपये नहीं देने की वजह से, उसकी 92 हजार की वी.सी.आर. भरी गयी और जब मुझे मालूम चला तो मैंने पूछा कि किस आधार से भरी गयी? मैंने कहा, आपने झूठी वी.सी.आर. भरी है। किसान को इस तरह से लूटने का काम किया है, तो कांग्रेस की सरकर ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कारण बनधार में एक सरपंच को चार साल पहले सस्पेण्ड किया गया था, मगर उसको आज दिन तक नहीं हटाया गया।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा तो बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट और बोल लीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज में इंदिरा आवास और मुख्य मंत्री आवास की जो किश्तें देनी चाहिए थीं, खाली एक-एक किश्त देकर, पूर्व मुख्य मंत्री ने, अपनी वाहवाही लेने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री आवास योजना शुरू की, मगर आज दिन तक, आज दिन तक गरीब लोगों की दूसरी और तीसरी किश्त बकाया हैं। उनका जो घर था, इन्होंने उसको भी गिरा दिया और बरसात के अन्दर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर किया कांग्रेस सरकार ने।

(श्री केसाराम चौधरी)

सरपंचों को यहां पर बुलाकर उनके डण्डे मारे, जिसकी वजह से सरपंचों ने काम करना बंद कर दिया।

पूर्व सरकार ने ठेकेदारी प्रथा कर दी थी और ठेकेदारों के माध्यम से एम.एल.ए. लैड की और अन्य कार्यों की यू.सी., सी.सी. आज दिन तक जारी नहीं हुई हैं। विधायक कोष से पैसा स्वीकृत होने के बाद, जो भी बचत होती है, उस बचत से दूसरा काम करवा सकते हैं, लेकिन जब तक यू.सी., सी.सी. जारी नहीं होगी, तब तक एम एल ए लैड के पैसे भी पूरे खर्च नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अब पब्बारामजी का नाम पुकार रहा हूं।

श्री पब्बारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, 23 जनवरी, 2014 को महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मुझे बोलने का आपने अवसर प्रदान किया, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता ने प्रचण्ड बहुमत से राज्य के शासन की बागडोर भारतीय जनता पार्टी और सदन की नेता, यशस्वी मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धरा राजेजी के हाथों में सौंपकर, जनता चैन और सुकून की सांस ले रही है, ऐसा सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर महसूस किया जा रहा है। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जिस सुराज संकल्प पत्र को प्रचण्ड बहुमत दिया, उसे नीति पत्र के रूप में स्वीकार किये जाने एवं समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लागू करने के लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को अनेकों बार बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, पूर्व में मेरे साथी माननीय सदस्यों द्वारा जिन बिन्दुओं को उठाया गया है, उन बिन्दुओं के अतिरिक्त बिन्दुओं को अगर मैं उठा नहीं पाया और बहस में सम्मिलित नहीं करा पाया तो यह बहस अधूरी रह जायेगी, ऐसा मैं सोचता हूं। कल मुख्य मंत्रीजी का जवाब आने वाला है। कम से कम चार बिन्दु हैं...

श्री अध्यक्ष: बोलिये। बोलिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): बीच में यदि टोक दिया तो सम्भव नहीं हो पायेगा, क्योंकि मैं नया सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष: चारों बिन्दुओं को संक्षेप में बोल दीजिये।

(21.00 बजे)

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार, मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक पार्टी, सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्टी, एक खण्डहर की तरह एक कोने में सिमट कर कैसे रह गयी? निश्चित तौर से उनसे इस प्रकार की गलतियां हुई होंगी, जिनके कारण से यह अपने पराभव के न्यूनतम स्तर पर पहुंची है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आम जनता के ऊपर कुठाराघात करने वाला एक बहुत बड़ा निर्णय इस केन्द्र सरकार ने लिया और केन्द्र सरकार ने इस हिन्दुस्तान की जनता के ऊपर एफ.डी.आई. नाम पर एक निर्णय थोपा, जिससे फुटकर और खुदरा विक्रेता, जो हमारे हिन्दुस्तान में करोड़ों की संख्या में हैं, जो अपना जीवन-यापन करते हैं उस व्यवसाय के बल पर उनके व्यवसाय के ऊपर कुठाराघात हुआ। शायद यही कारण है कि इस पार्टी को उनके न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया। मुझे इस चीज का दुख है कि उस अविवेकहीन निर्णय को राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने भी सहमति प्रदान कर दी।

ऐसी परिस्थिति में, लाखों की संख्या में जो खुदरा व्यापारी हैं, जिनका जीवन व्यापार के बल पर चलता है, उन कम्पनियों में मात्र सेल्समैन बन कर रह जायेंगे; जो बड़े-बड़े माल हैं, उनके अन्दर सेल्समैन और नौकरी के रूप में अपना कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे घरेलू उत्पाद और कुटीर उद्योगों के जो उत्पाद वे अपनी दुकानों में बेचा करते थे और मजदूर जो उनके साथ में लगे हुए थे, वे सारे के सारे बेरोजगार हो जायेंगे।

इसलिए मैं मौजूदा सरकार में विराजमान सभी सदस्यगण और सरकार से आग्रह करता हूं कि इस निर्णय को पलट कर के असहमति का प्रस्ताव पुन: केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिए, ताकि खुदरा व्यापारियों के हक के ऊपर कुठाराघात नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा घोटाला, शायद इतिहास में इसका कोई गवाह नहीं है, इतिहास में उदाहरण नहीं है, मेरे क्षेत्र फलौदी क्षेत्र में भूमि घोटाले के रूप में। यह भूमि घोटाला पुराना है, कांग्रेस का, जो कार्यकाल में 2011 में हुआ है, जिसके अन्तर्गत सरकार ने एक निर्णय लिया, एनीव्हेयर

(श्री पब्बाराम)

रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की, कि रजिस्ट्री जिले में कहीं पर करवा दीजिए। इनका लाभ उठाते हुए भूमि-माफियाओं ने फलौदी एवं बाप क्षेत्र की 25,600 बीघा जमीन का फर्जी बेचान कर दिया। यह सुन कर सदन भी हतप्रभ रह जायेगा कि इसका बेचान सरकार के कारिंदों ने एक होटल में बैठ कर के, उन भू-माफियाओं के साथ में मिल कर के किया। उम्मेद नगर की वह होटल थी जिसके अन्दर बैठ कर के किया, रात्रि में बैठ कर के किया। पहले दिन किसान सैकड़ों बीघा का मालिक था और जब सूर्योदय हुआ तो भूमिहीन बन कर रह गया। इसी का कारण है कि इस पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया है।

कुल मिलाकर के 228 पंजीयन हुए और 35 एफ.आई.आर. दर्ज हुईं। इस घोटाले में देश का ही नहीं, राजस्थान का तो नाम शर्मसार किया ही है, इस घोटाले की गूंज पाकिस्तान के अखबारों में, अमेरिका के न्यूयार्क टाइम्स और यूरोप के कई अखबारों में और इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में भी इसकी गूंज रही। इसलिए इस घोटाले ने हमारे राजस्थान के नाम को शर्मसार किया है। इसकी भी जिम्मेदार पूर्व की सरकार है। इसमें मुम्बई, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों की कई कम्पनियां हैं।

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष ने, वहां जाकर के हमने, जिले के सभी नेताओं के साथ महापड़ाव दिया लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसका परिणाम यह हुआ कि एक किसान, जिसकी बूढी माता को जब यह पता चला कि उसकी भूमि बिक गयी है और पता नहीं, किसके नाम हो गयी है और पैसे भी नहीं मिले हैं, तो हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गयी। इसी प्रकार से एक गांव पूरा का पूरा बिक गया; उस गांव की सात सौ बीघा जमीन चली गयी। एक रेबारी जाति का किसान था, उसका एक ही पुत्र था और जब उस पुत्र ने यह सुना कि तुम्हारी पूरी जमीन बिक गयी है, तो विक्षिप्त हो गया।

ऐसी परिस्थिति, ऐसी हृदय-विदारक घटना हुई, जिसका संज्ञान इस सरकार ने नहीं लिया। उस समय में, उस सरकार के कारिंदे ने अथवा उस सरकार में बैठे किसी भी व्यक्ति ने, एक वार्ड पंच के स्तर का व्यक्ति भी किसानों के आंसू पोंछने के लिए उनके घर तक नहीं पहुंचा।

मैं भारतीय जनता पार्टी के पुरोधाओं को धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली से किरिटजी सोमैया, जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं और हम, मांडली गांव के उस किसान के आंसू पोंछने के लिए वहां पहुंचे और उनको आश्वस्त किया कि

(श्री पब्बाराम)

तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम रहेगी। आज भी वह लिटिगेशन के अन्दर कोर्ट में पड़ा हुआ है और किसान को मानसिक आघात है और धन का व्यय कर रहे हैं ,परन्तु उनके नाम पर अभी तक नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अब आप तीसरे बिंदु पर आ जाइये, चार बिंदु हैं।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अभी दूसरा बिंदु आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह बहुत लम्बा हो गया है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मेरा आग्रह है कि ये पंजीयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त हों; मानसिक, आर्थिक अशांति हेतु मुआवजे की मांग करता हूं; दोषियों को कड़ी सज़ा हो और कम्पनियों की मान्यता निरस्त हों, यह मेरा आग्रह है।

दूसरा बिंदु ...

श्री अध्यक्ष: यह तीसरा है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, दूसरा बिंदु है।

किसान के साथ एक दूसरा धोखा और कुठाराघात यह किया गया कि जो पूर्व की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विशेष फसल बीमा योजना लागू की गयी थी, फसल बीमा फसल की गिरदावरी के आधार पर लागू की गयी थी, फसल बीमा गिरदावरी के आधार पर लागू की गयी थी, परन्तु बीमा कम्पनियों के साथ मिलकर के इस पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मौसम आधारित बीमा करना शुरू कर दिया, बीमा कम्पनियों ने मिलकर के। इसका प्रभाव यह रहा कि उसमें मोइश्चर जहां पर अधिक हो, जहां पर नमी अधिक हो, वहां पर नमी के आधार पर उस फसल का आकलन किया जाता है और उन्होंने मिलकर के ऐसे स्थान पर उन संयंत्रों को लगाया, मापन यंत्र को लगाया, जहां पर चारों तरफ ट्यूबवेल थे। वहां पर मोइश्चर और नमी रहती है, चाहे बरसात नहीं भी हुई हो, फसल की गिरदावरी में 80 प्रतिशत खराबा बताया गया मेरे वहां पर फलौदी क्षेत्र में, परन्तु जो प्रीमियम राशि तीन हजार रुपये लोगों ने भरी थी, उसका भी आधा, 1,500 रुपया लोगों को मिला। इस प्रकार से यह किसानों के साथ बड़ा कुठाराघात हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप अब अंतिम बिंदु पर आ जाइये और कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस देश के 65 प्रतिशत युवा हैं और यह पूरा देश युवा है, सबसे बड़ा कुठाराघात तो यहां के युवाओं के साथ किया गया है और उनको बेरोजगार करने के वे हर कार्य किये

(श्री पब्बाराम)

गये, उनको रोजगार नहीं दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, वह आपके कार्यालय पर धरना है, उसको तो उठवाओ, कृपया।

श्री पब्बाराम (फलौदी): बंधु, आप अपनी वरिष्ठता का परिचय कई बार खड़े होकर दे चुके हैं। कृपया हर समय, हर व्यक्ति को बीच में टोक कर के रोकने का प्रयास, आप जैसे वरिष्ठ लोगों को शोभा नहीं देता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप ग्यारह मिनट तो बोल चुके हो, आप कृपया समाप्त कीजिए। आप ग्यारह मिनट तक बोल चुके, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात के साथ में अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। अध्यक्षजी, एक बात के साथ में, मैं आपके आदेश की पालना पूरी करते हुए, बैठना चाहता हूं।

एक बिगुल बज चुका है और जनता ने अपने गीत की इबारत लिख दी है; जीत का जज्बा, नक्शे के प्रति निष्ठा, लगातार चेष्टा ने मन के अरमान को जिंदा कर दिया है। जीत गयीं जनता की भावनाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री नानालाल अहारी। आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अगला नाम पुकार चुका हूं।

श्री पब्बाराम (फलौदी): जनता का उद्देश्य स्वयं जनता ने हासिल कर लिया है और उसी भावना को...

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अगला नाम पुकार चुका हूं।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अभिव्यक्ति देते हुए राज्यपाल महोदया द्वारा दिए गए इस गरिमापूर्ण अभिभाषण के प्रति उनका आभार व्यक्त करते हुए, अध्यक्ष महोदय को कोटिश: धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नाना लाल अहारी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान की महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: सात मिनट।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया

(श्री नाना लाल अहारी)

और उसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी केवल इक्कीस सीटों पर निपट कर रह गयी। जनता में निराशा का भाव जगा, जनता दुःखी हो गयी, त्राहि-त्राहि मची और जब सुराज का संदेश लेकर हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री 4 अप्रैल से चारभुजानाथ से रवाना हुईं, इस चुनाव में जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। मैं राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

उदयपुर जिले में नरेगा में करीब 1 लाख 59 हजार मजदूर अभी कार्यरत हैं इसे सुराज कहते हैं। पिछले पांच वर्षों में कभी भी इस प्रकार की लेबर नहीं लगी। महानरेगा में जो काम आज चल रहा है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

हमारे उदयपुर जिले में ग्रीन मार्बल निकलता है, वह विश्व में कहीं पर भी नहीं निकलता है और वहां सालाना करीब-करीब चौदह करोड़ रुपए की आय सरकार को सीधी-सीधी मिलती है। गैंगसा और टाइलों के माध्यम से अलग मिलती है। मेरे वहां पर कई वर्षों से सड़कों का काम नहीं हुआ है। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां सड़कों का काम होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए।

साथ ही खैरवाड़ा में एक बालिका महाविद्यालय खोला गया है, वह एक राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में तीन कमरों में चल रहा है, जहां पढ़ने वाली बच्चियों की संख्या करीब-करीब 300 के आसपास है।

दूसरा, उदयपुर जिले में ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित की है, नाम मात्र की। अगर उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम राणा पूजा या हमारे मानगढ़ धाम के गोविन्द गुरु के नाम से रखा जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने आजादी में बहुत बड़ा सहयोग किया था। मानगढ़ धाम में करीब-करीब 1,700 लोग शहीद हुए थे। तो इसका नाम गोविन्द गुरु के नाम से या राणा पूजा के नाम से कर दिया जाए।

साथ ही, खैरवाड़ा में, उदयपुर जिले में जो आवास दिये जा रहे हैं, वे आवास पक्के मकान के रूप में दिए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास पक्के दिये जा रहे हैं, वहां किसान के पास गाय भी होती है, बकरी भी होती है, मवेशी होते हैं, उस छोटे से मकान में वह अपना जीवन-यापन नहीं कर सकता है। तो मेरा सदन के माध्यम से यह कहना है कि जो पूर्व में ग्रामीण एरिये में कच्चे मकान दिए जा रहे थे, तो थोड़ा इसमें संशोधन करके, ग्रामीणों को अगर राहत मिल जाएगी तो वह उस मकान में आराम से रह पाएगा।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): जंगल और जमीन में हमारे आदिवासी भाइयों के कई वर्षों पुराने कब्जे हैं, दो मिनट में मेरी बात खतम कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): एक मिनट में कर दूंगा;... कई पुराने कब्जे हैं, तो मेरा आग्रह है, जिन भाइयों के उसमें कुएं हैं, मकान हैं, पेड़-पौधे उगाये हैं, तो सरकार उन पर थोड़ा ध्यान देकर उनको पट्टे दिलाए।

दूसरा, हमारे वहां पर दो बांध बने हुए हैं, वसुन्धराजी के राज में बनाए हुए थे, राज जाने के बाद में उनकी न तो नहरें निकली हैं। वे कम से कम सौ एम सी एफटी के बांध बने हुए हैं। उन नहरों का सुदृढ़ीकरण करके आगे पानी दिया जाए।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धनसिंह रावत।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के समर्थन में उपस्थित हुआ हूं।

मैं राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पैरा संख्या-4 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, "सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से सत्ता में हुआ परिवर्तन राजस्थान को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। राजस्थान खुशहाल और समृद्धशाली बनेगा। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, रोजगार एवं भय-मुक्त वातावरण मिलेगा।'' माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के समर्थन में कहना चाहता हूं कि हमारी सदन की नेता, हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो अपना यह संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं मेरी ओर से, पूरे मेरे बांसवाड़ा की जनता की ओर से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): बांसवाड़ा जिला बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी जिला है, वहां किसानों की समस्याएं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि

(श्री धनसिंह रावत)

बांसवाड़ा में जो किसान बरसों से काबिज हैं, जंगलात की जमीन पर, उनको खातेदारी हक दिया जाना चाहिए। फोरेस्ट राइट्स बिल पास हुआ, कांग्रेस के लोगों ने जो पिछली बार जो पट्टे दिए, पक्षपातपूर्ण तरीके से दिए। मेरा आपसे आग्रह है और मुझे पूरा भरोसा है हमारी सदन की नेता और राजस्थान के मंत्रिमंडल पर कि निश्चित रूप से हमारे लोगों को उनका हक मिलेगा।

बांसवाड़ा जिले में थर्मल पावर और रेलवे लाइन जो जा रही है, मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जिन लोगों के जंगलात के ऊपर कब्जे हैं, जिनके मकान बने हुए हैं, जो माही के विस्थापित हैं, जो कड़ाना के विस्थापित हैं और विस्थापित लोग जहां पर रह रहे हैं, उस स्थान से दूसरे स्थान पर थर्मल पावर बनाया जा रहा है; रेल्वे ट्रैक निकल रहा है। उन किसानों को स्पेशल मुआवजे के रूप में पैकेज दिया जाना चाहिए और किसानों के हित के बारे में सोचा जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसानों की विशेष समस्या बिजली की है। मैं चाहता हूं कि किसी भी कैटेगरी का किसान हो, अगर उसको कृषि कनेक्शन के लिए बिजली चाहिए, किसान जब मांगे, तब उसको कनेक्शन दिया जाना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी चिकित्सालय स्थित है, वहां डाक्टरों की समस्या है, अधिकतर पद रिक्त हैं। लेकिन जैसे ही आप चिकित्सा मंत्री बने, निश्चित रूप से बांसवाड़ा के चिकित्सालय में काम करने की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया, सुधार आया। मैं चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो कमी है, उसको पूरा किया जाए।

मैं माननीय पंचायत राज मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे सभी मंत्रियों ने अपना काम संभालना प्रारम्भ किया है। अगर रोजगार गारंटी को कृषि के कार्य से जोड़ा जाएगा, तो बांसवाड़ा ही नहीं, सम्पूर्ण बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ के लोग आपके आभारी रहेंगे, राजस्थान की सरकार के आभारी रहेंगे। लोग काम पर लगना चाहते हैं, मंत्री महोदय, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने लोगों को प्रपत्र-6 भराने के नाम से, गरीब आदिवासी लोग प्रपत्र-6 नहीं भर पाएं और उनको समय पर रोजगार नहीं मिला। मजबूरी में मेरे क्षेत्र के लोगों को गुजरात जाना पड़ता है, मध्य प्रदेश

(श्री धनसिंह रावत)

जाना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि रोजगार गारंटी को कृषि कार्य से जोड़ा जाए और कृषि में कुओं को प्राथमिकता दी जाए।

हमारी पिछली सरकार ने, हमारी लोकप्रिय नेता, वसुन्धराजी ने केसर बाड़ी योजना किसानों के लिए लागू की थी, माननीय अध्यक्षजी, कांग्रेस के लोगों ने उस केसर बाड़ी योजना को बंद कर दिया, कुओं को बंद कर दिया। तो राजस्थान में हमारी नेता ने जो नारा दिया, जय-जय राजस्थान का नारा दिया और उस नारे की बदौलत आज कांग्रेस सिमट करके कोने में चली गयी है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जय-जय राजस्थान का जो नारा गूंजा, सबको साथ लेकर के चलने का जो संकल्प हमारी नेता का है, आज राजस्थान की विधान सभा में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वह हमारी नेता के काम करने के जज्बे का परिणाम है। हमारी नेता पर राजस्थान के लोगों ने भरोसा किया है...

श्री अध्यक्ष: कृपया...

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्षजी, एक मिनट में मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): राजस्थान के युवाओं ने भरोसा किया है, नौजवानों ने भरोसा किया है। उनको राजस्थान की लोकप्रिय नेता पर पूरा भरोसा है, वसुन्धरा राजेजी जो कहती हैं उसको करेंगी। इस आशा और विश्वास के साथ सदन में विश्वास व्यक्त करता हूं; मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो चाहेंगे वह करेंगे, हम हमारी जनता के सम्मुख खरे उतरेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुशील कटारा।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं राजस्थान में डूंगरपुर जिले के चौरासी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं; उस स्टेट के बार्डर से आ रहा हूं, जिसकी महक और खुशबू, जिस व्यक्ति का नाम पूरे देश में आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है, माननीय नरेन्द्र जी मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री।

मेरा विधान सभा क्षेत्र राजधानी से 660 किलोमीटर दूर है, गुजरात

(श्री सुशील कटारा)

सीमा पर है और पहली बार डूंगरपुर की जनता ने कांग्रेस-मुक्त डूंगरपुर दिया है। मेरा विधान सभा क्षेत्र चौरासी जैसा नाम है, चौरासी कोई स्थान नहीं है, चौरासी किसी प्लेस का नाम नहीं है। कांग्रेस-मुक्त डूंगरपुर इस बार हुआ है, क्योंकि देश आजाद होने के 65-66 साल बाद तक पूरे डूंगरपुर जिले में कांग्रेस का राज रहा है। सरपंच कहो तो कांग्रेस का; डेलीगेट कांग्रेस का; जिला परिषद् सदस्य कांग्रेस का; प्रधान कांग्रेस का; जिला प्रमुख कांग्रेस का; एम एल ए कांग्रेस के; एम पी कांग्रेस के।

मेरा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में न लाइट है, न टीचर हैं, न हास्पिटल में बेड हैं, न स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिये कमरा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं।

इस अभिभाषण के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहां मौका दिया है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। उप खण्ड स्तर का विधान सभा क्षेत्र है और वहां आज तक महाविद्यालय नहीं है। इसलिये एक महाविद्यालय खोला जाये, ऐसा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि टी एस पी क्षेत्र में 30 प्रतिशत सामान्य और ओ बी सी की जनसंख्या रहती है, हमारे ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, उनको वहां किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। 27 नवम्बर, 2008 को नौकरियों में और राजनीति में आरक्षण की पूर्व मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत घोषणा कर गये थे, साबला में, कि मैं यहां के सामान्य और ओ बी सी वर्ग के लोगों को पूरा आरक्षण दूंगा और +++ बोलकर उन्होंने वहां पर ...

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द निकाल दिया जाये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): असत्य बोलकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा टी एस पी क्षेत्र में वोट लिये थे। उनके असत्य बोलने का परिणाम डूंगरपुर और टी एस पी क्षेत्र की जनता ने दिया है। मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया इस बात को सुनेंगी। सामान्य और ओ बी सी वर्ग के लोगों के हितों की भी रक्षा हो।

डूंगरपुर जिले में एक सबसे बड़ा सामान्य अस्पताल जिले का है और वहां डाक्टर्स की 72 पोस्ट्स हैं, जिनमें मात्र 17 डाक्टर्स हैं। हमारे यहां के लोगों को गुजरात के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कांग्रेस के पिछले 5 साल के शासन में दवाइयों के नाम पर, फर्जी दवाइयां टी एस पी क्षेत्र में लोगों को दी हैं। माननीय

(श्री सुशील कटारा)

चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनसे निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में सामान्य अस्पताल में 72 में से मात्र 17 डॉक्टर्स हैं; जिले में सी एच सी, पी एच सी में वही हालत है। स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स उपलब्ध हों।

पिछली सरकार में, हर क्षेत्र में, वन विभाग क्षेत्र हो या खनन, हमारे यहां ग्रीन मार्बल निकलता है, पर टी एस पी क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मैं मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि टी एस पी क्षेत्र में बहुत से हमारे युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। कांग्रेस के राज में टैट, पता नहीं, क्या-क्या लगा करके युवाओं को नौकरी लगाने से रोका है। तो... (व्यवधान) आपकी सरकार दोनों जगह थीं न, तो हटवा देते। अभी तो 21 हो, आते-आते फिर बाद में 2 ही रह जाओगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आपने अपनी बात पर्याप्त कह दी।

श्री अमृत लाल।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा आपने बढ़ाया था। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में मैं बोलना चाहता हूं।

मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो महाराणा प्रताप की कर्म भूमि है और उन्होंने बलिदान दिया। हाड़ा रानी ने अपना सिर काटकर...(व्यवधान) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): 2008 से 2013 तक पिछली सरकार रही। पूरा क्षेत्र ट्राइबल एरिया है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप साहब का निवेदन स्वीकार कर लिया क्या?

श्री अध्यक्ष: कर लिया। हम तो आपका भी कर लेते, आप कहते तो।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): सड़कों का, चिकित्सा का, पानी और बिजली व्यवस्था, सब चरमरा गयीं। कोई काम नहीं हुआ।

जयसमन्द झील पूरे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उसको भरने के लिये जाखम डैम का बचा हुआ पानी उस झील में डाला जाये तो सिंचाई भी होगी और पीने के लिये मीठा पानी भी उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में सलूम्बर मुख्य नगरपालिका क्षेत्र है। खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कल्याणपुर तक जो मुख्य रोड है, स्टेट हाईवे, उसको अगर 7 मीटर चौड़ा किया जाये तो आये-दिन होने वाली घटनाएं नहीं होंगी।

जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, वह पहाड़ी इलाका है, वन क्षेत्र है। वहां शेर, चीता, कई जंगली जानवर रहते हैं। वे अपनी सीमा लांघकर मेरे क्षेत्र में आ जाते हैं। एक-दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। जिन्दा लड़की को घर से चीता उठाकर ले गया और खा गया। इन जंगली जानवरों से रक्षा की जाये। वन क्षेत्र में बसे हुए हमारे भाइयों को व्यवस्थित रूप से पट्टे दिये जायें।

पिछली सरकार ने बी पी एल फार्म भराये थे, वे उप-खण्ड कार्यालय में पड़े हुए हैं। उनकी जल्दी से जल्दी जांच करके, वास्तविक लोगों को बी पी एल में लिया जाये।

उस क्षेत्र की सबसे बड़ी बजरी की समस्या है। अभी सरकार नीति बना रही है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से होने वाली बजरी समस्या को दूर किया जाये।

पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री आवास में सम्पूर्ण राजस्थान में जो आवास दिये गये, हमारे एरिये में....

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या नेता प्रतिपक्ष बदल दिया गया क्या? नेता प्रतिपक्ष की चेयर पर जो बैठे हैं...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): उनके सम्पूर्ण मकान बरसात के सीजन में या तो तिरपाल डालकर ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्या लीडर आफ अपोजिशन चेंज हो गये क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): क्या लीडर आफ अपोजिशन नये बन गये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें, माननीय विधायक बोल रहे हैं।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): कालेज खोला जाये। सराड़ा में पिछली सरकार ने जाते-जाते कालेज की घोषणा की, उसका कोई अता-पता नहीं। एक कमरे में चल रहा है। सराड़ा की उस कालेज को राजकीय कालेज का दर्जा दिया है तो हमें अवगत कराया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल बुधवार, दिनांक 29 जनवरी के सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.31 बजे बुधवार, दिनांक 29 जनवरी, 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन हेतु आबंटित बजट

43. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है? यदि हां, तो किस-किस पात्र व्यक्ति को किस-किस दर पर? वांछित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पर्याप्त बजट राशि का प्रावधान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान अन्य मद से किया गया है? यदि हां, तो क्यों व इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता करने के लिए सरकार द्वारा किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राज्य के निवासियों को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष को मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध 60 वर्ष व अधिक आयु के बी.पी.एल. परिवार के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देय है। 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 500 प्रति माह तथा 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत (राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना) हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान निर्धारित मद से ही किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर जिले में पेयजल के अवैध कनेक्शनों की जांच

44. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में विगत एक वर्ष में पानी के अवैध कनेक्शनों की जांच करवायी गई है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी से? क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले में विगत एक वर्ष में 2 अवैध जल सम्बन्धों की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थानों में दर्ज कराकर विभाग के दो अधिशासी अभियन्ताओं के माध्यम से भी इन अवैध जल सम्बन्धों की प्रारम्भिक जांच कराई गई है। प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पुलिस विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों पर अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दोष निर्धारण सम्भव हो सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जोबनेर से रेनवाल टोल सड़क का निर्माण

45. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोबनेर से रेनवाल सड़क का निर्माण किस योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है और उक्त कार्य किस निजी कम्पनी को किन शर्तों पर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क का निर्माण कब शुरु किया गया और कब तक पूर्ण किया जाना था? सरकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर सम्बन्धित फर्म/कम्पनी पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क को टोल रोड बनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों व क्या सरकार स्थानीय निवासियों को उक्त टोल से मुक्त करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोबनेर से रेनवाल सड़क का निर्माण चौमूं-महला सड़क मार्ग के दो-लेन निर्माण कार्य के तहत पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) योजना के अन्तर्गत डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेन्स, आपरेट एवं ट्रांसफर) आधार पर किया जा रहा है। उक्त कार्य मैसर्स यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, मुम्बई को उनके द्वारा प्रस्तुत बिड के आधार पर पी.पी.पी. योजना के अन्तर्गत यह कार्य भारत सरकार के योजना आयोग के द्वारा प्रदत्त माडल कन्सेशन एग्रीमेन्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा कन्सेशन अनुबन्ध में निहित शर्तों पर दिया गया है।

(2) इस सड़क परियोजना का निर्माण कन्सेशन अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 15 जून, 2012 को प्रारम्भ किया जाकर प्रोजेक्ट कार्य प्रारम्भ तिथि से 550 दिन में, जो कि 16 दिसम्बर, 2013 को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। परियोजना की कुल लम्बाई 82.27 कि.मी. है। इसमें से कुल लम्बाई 50 कि.मी. डी.बी.एम. स्तर तक कार्य पूर्ण हो गया है। इस सड़क परियोजना के कार्य को पूर्ण करने में कन्सेशनर द्वारा अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हो जाने के कारण सम्बन्धित कन्सेशनर को सक्षम स्तर से अनुबन्ध के मुताबिक कार्यवाही की गई एवं अभी तक भारत सरकार से स्वीकृत वी.जी.एफ. की राशि भी कन्सेशनर को भुगतान नहीं की गई है।

इस परियोजना में रेलवे ओवरब्रिज बनाने हेतु डिजाइन एवं ड्राईंग्स का रेलवे से अनुमोदन अभी तक अपेक्षित है।

(3) जी हां। इस परियोजना सड़क के अनुबन्ध में उपलब्ध प्रावधान के अनुरूप टोल वसूलने का कार्य भी सम्बन्धित कन्सेशनर द्वारा रियायत अवधि तक किया जाना है, क्योंकि यह परियोजना कार्य पी.पी.पी. योजना के अन्तर्गत डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेन्स, आपरेट एवं ट्रांसफर) आधार पर करवाया जा रहा है।

जी नहीं। अनुबन्ध की धारा 27 में स्थानीय निवासियों के वाहनों को रियायत पास जारी करने का प्रावधान है एवं स्थानीय निवासियों को टोल-मुक्त) करने का प्रावधान नहीं है।

राजसमन्द जिले में बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत जारी स्वीकृतियां

46. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य मंत्री अवनिर्धनता (बीपीएल) ग्रामीण आवास योजना में राजसमन्द जिले में विधान सभा क्षेत्रानुसार कितने परिवारों को स्वीकृति दी गई है?

(2) कितने परिवारों को देय लाभों का पूर्ण, आंशिक एवं शून्य भुगतान किया गया है? शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

(3) उक्त योजना में सम्भाग अनुसार कितने परिवारों को आवास सुविधा स्वीकृत की गई एवं उन्हें देय लाभों के भुगतान की स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक राजसमन्द जिले में 18,061 परिवारों को वित्तीय स्वीकृति दी गई। विधान सभा क्षेत्रानुसार स्वीकृत किये गये परिवारों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत 18,061 परिवारों को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, जिनमें से 196 आवास निरस्त किये गये। 17,865 परिवारों को प्रथम किश्त, 11,084 परिवारों को द्वितीय किश्त तथा 4,704 परिवारों को तृतीय किश्त/पूर्ण भुगतान किया गया। शून्य भुगतान का एक भी प्रकरण नहीं है। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किश्त एवं द्वितीय किश्त के उपयोग उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र तृतीय किश्त का भुगतान किया जावेगा। किश्तों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों को जारी की गई आवास स्वीकृतियों व स्वीकृतियों के विपरीत प्रदत्त लाभ (किश्तों) भुगतान की स्थिति का सम्भागवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की दरें

47. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं से पेयजल की क्या दरें वसूल की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार घरेलू उपभोक्ताओं से वर्तमान में वसूली जा रही दरों को कम करने या मुफ्त में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं से वर्तमान में ली जा रही निर्धारित जल शुल्क की राशि के सम्बन्ध में जारी अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण पर सरकार द्वारा वर्तमान में व्यय की जा रही राशि की तुलना में घरेलू उपभोक्ताओं से नाम मात्र जल शुल्क राशि ली जा रही है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्टेट हाइवे नम्बर 38 की क्षतिग्रस्त सड़क

48. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्टेट हाइवे नम्बर 38 की वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) क्या यह सही है कि स्टेट हाइवे 38 में कि.मी. 110 से 118, 123 से 138, 138 से 140 एवं 155 से 160 पूर्णतया क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त हिस्से का सुदृढीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्टेट हाइवे नम्बर-38 कि.मी. 155/0 से 160/0 तक 5 कि.मी. लम्बाई में क्षतिग्रस्त है, शेष लम्बाई में स्थिति संतोषजनक है।

(2) जी नहीं। स्टेट हाइवे-38 के कि.मी. 110/0 से 118/0, 123/0 से 138/0 एवं 138/0 से 140/0 में स्थिति संतोषजनक है तथा कि.मी. 155/0

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

से 160/0 की सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसका सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

पीपलू (निवाई) में नये पंचायत समिति कार्यालय की स्थापना

49. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने पंचायत समिति कार्यालय कहां-कहां स्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में प्रदेश में कहां-कहां नये पंचायत समिति कार्यालय खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू कस्बे में नया पंचायत समिति कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 248 पंचायत समिति कार्यालय स्थापित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।(परिशिष्ट-क)

(2) गत 5 वर्षों में प्रदेश में दिनांक 28.10.2009 को अधिसूचना जारी कर निम्नलिखित 10 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया है—

1.	खाजूवाला	2.	चितलवाना
3.	बून्दी	4.	ऋषभदेव
5.	बावडी	6.	घडसाना
7.	रावतसर	8.	संगरिया
9.	पीलीबंगा	10.	टिब्बी

उक्त नवगठित 10 पंचायत समितियों में से ऋषभदेव पंचायत समिति के गठन पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, जहां अभी भी कार्यालय अस्तित्व में नही है। शेष 9 पंचायत समितियों में

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

कार्यालय स्थापित कर दिये गये हैं। जारी अधिसूचना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-ख)

(3) वर्तमान में पीपलू कस्बे में नया पंचायत समिति कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब भी राज्य में पंचायतों/पंचायत समितियों के पुनर्गठन का कार्य आरम्भ होगा, तत्समय गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गंगापुर सिटी में लम्बित पेयजल योजनाएं

50. **श्री मान सिंह** (गंगापुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के शहर एवं ग्रामों में पेयजल की विकट समस्या व्याप्त है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को चम्बल से पानी नहीं मिलने पर विकल्प के आधार पर कौन-कौनसी योजनाएं कब से लम्बित हैं? लम्बित योजनाएं कब तक प्रारम्भ कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प चालू हालात में हैं तथा कितने हैण्डपम्प कब से खराब हैं? खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के दो कस्बों क्रमश: गंगापुर सिटी एवं महू कलां (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार) तथा ग्रामीण क्षेत्र के 23 ग्रामों में उपलब्धू भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने तथा कम मात्रा में भू-जल उपलब्ध होने के कारण वर्तमान में पेयजल की आंशिक समस्या है। विभाग द्वारा भू-जल उपलब्धता अनुरूप उक्त कस्बों एवं ग्रामों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था वर्तमान में सामान्य बनाई रखी जा रही है। उक्त कस्बों एवं ग्रामों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु स्वीकृत एवं प्रगतिरत योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त, उक्त क्षेत्र की कोई योजना सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु वर्तमान में लम्बित नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के दो कस्बों में कुल स्थापित 345 हैण्डपम्पों में से 313 हैण्डपम्प वर्तमान में चालू तथा 32 हैण्डपम्प सूखे/नाकारा हैं। उक्त क्षेत्र के ग्रामों में कुल स्थापित 1,652 हैण्डपम्पों में से 1,357 हैण्डपम्प वर्तमान में चालू तथा 295 हैण्डपम्प सूखे/नाकारा हैं। विभाग द्वारा राज्य में दिनांक 01 फरवरी, 2013 से प्रारम्भ किये गये 37वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के तहत उक्त क्षेत्र के कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्र में मरम्मत योग्य खराब पाये गये क्रमश: 298 एवं 1,238 हैण्डपम्प अब तक सुधारे गये

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

हैं। मरम्मत-योग्य खराब हैण्डपम्पों को अभियान के दौरान सतत प्रक्रिया के तहत सुधारने का कार्य किया जा रहा है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

एस.बी. सिविल याचिका 3852/1999 के निर्णय की पालना

51. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एस.बी. सिविल याचिका संख्या 3852/1999 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त याचिका में दिये गये निर्णय की पालना सरकार द्वारा नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक पालना कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एस.बी. सिविल याचिका संख्या 3852/1999 सरकार बनाम मदन लाल में माननीय उच्च न्यायालय एकल पीठ, जयपुर द्वारा दिनांक 25.11.2013 को पारित किये निर्णय का विवरण निम्नानुसार है:- प्रार्थीगण दिनांक 29.7.1999 से बैक वेजेज का हकदार होगा। बैक वेजेज के भुगतान के समय इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अन्तर्गत सेक्शन 17बी के तहत दिये गये भुगतान का समायोजन राजपक्ष कर सकेगा। एरियर राशि प्रार्थीगण के कानूनी उत्तराधिकारियों को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकाई जाये तथा निर्णय की पालना तीन माह में की जाये। निर्णय की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय एकल पीठ, जयपुर द्वारा दिनांक 25.11.2013 को पारित किये निर्णय पर अपील/नो अपील के निर्णय हेतु कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। सक्षम स्तर पर निर्णय होने के उपरान्त तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

टोंक में बीसलपुर बांध से सिंचाई हेतु धोरों का निर्माण

52. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अजीत सिंह)

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध से किसानों को सिंचाई का पानी खेतों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धोरों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र टोंक के कौन-कौन से ग्रामों में स्वीकृत धोरों का निर्माण हो चुका है तथा कहां-कहां पर धोरों का निर्माण किया जाना शेष है? शेष धोरों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में निर्मित धोरे घटिया सामग्री के कारण जगह-जगह से टूट गये हैं तथा कीमती पानी व्यर्थ में बह जाने से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अब उक्त क्षतिग्रस्त धोरों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बीसलपुर बांध से किसानों को सिंचाई का पानी खेतों तक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पक्के धोरों का निर्माण करवाया जाता है। विधान सभा क्षेत्र टोंक में जिन गांवों में धोरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर है एवं जिन गांवों में धोरों का निर्माण प्रगति पर है उनकी सूची परिशिष्ट-'ब' है तथा जिन गांवों में कार्य किया जाना शेष है, उनकी सूची परिशिष्ट-'स' पर है। शेष रहे धोरों का निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। घटिया सामग्री के कारण धोरे नहीं टूटे हैं। सम्भवतया कहीं-कहीं धोरे क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि एवं काश्तकारों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं।

(3) क्षतिग्रस्त खालों का रख-रखाव एवं मरम्मत सिंचित क्षेत्र विकास, बीसलपुर वृत्त द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि भारत सरकार के आदेश दिनांक 06.11.2008, जिनके अधीन परियोजना संचालित हो रही है, में ऐसा कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं है। (परिशिष्ट-'द')

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिवाना के सड़कों से वंचित ग्राम

53. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम को सड़कों से जोडा जा रहा है? यदि हां, तो सिवाना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ा जा चुका है और कितने वंचित हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वंचित ग्रामों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्तमान में केवल वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित 250 से अधिक आबादी के राजस्व गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। सिवाना विधान सभा क्षेत्र में 171 राजस्व गांव हैं तथा इनमें से 164 राजस्व ग्राम डामर सड़क से जुड़े हुए हैं (सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है) तथा 7 गांव डामर सड़क से जुडने शेष हैं (सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है) जनगणना 2001 के बाद घोषित 28 राजस्व गांवों में से 8 राजस्व गांव डामर सड़क से जुडे हुए हैं (सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है) तथा 20 राजस्व गांव डामर सड़क से जुड़ने शेष हैं। (सूची परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है)।

(2) उक्त डामर सड़कों से वंचित 27 गांवों में से 3 गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है। इनमें से 1 कार्य प्रगतिरत है तथा एक कार्य भूमि अवाप्ति के पश्चात् पूर्ण किया जा सकेगा व 1 कार्य भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका है। एक कार्य यू सी आर वी योजना में स्वीकृत है तथा प्रगतिरत है। एक कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हैबिटेशन के आधार पर प्रस्तावित है। (सूची परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है) शेष 22 वंचित गांवों (सूची परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है) को डामर सड़क से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर-भिवाड़ी हाइवे रोड को एन.एच. 8 से जोड़ने हेतु कार्य योजना

54. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अलवर-भिवाड़ी मेगा हाइवे रोड को किशनगढ़ बास-खैरथल-बानसूर-कोटपूतली एन.एच. 8 से सीधा जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा इस हेतु किशनगढ़ बास व खैरथल बाइपास का भी सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में किशनगढ़ बास से खैरथल तक फोर-लेन प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर बजट की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भिजवाया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(5) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सरकार के पास वर्तमान में कितनी नवीन सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान परियोजना में परियोजना का निर्माण तोप चौराहा, किशनगढ़ बास चैनेज 0/0 से प्रारम्भ होकर कोटपूतली के पास दिल्ली-जयपुर एन.एच.-8 को परियोजना के चैनेज 61.075 कि.मी. पर जुड़ता है। अलवर-भिवाड़ी मेगा हाइवे से परियोजना का कि.मी. 0/0 (तोप चौराहा) को वर्तमान में जोड़ने हेतु परियोजना में प्रस्तावित नहीं है। तोप चौराहा से मेगा हाइवे को जोड़ना सरकार की नीति एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में वाहन संख्या के आधार पर फोर-लेन सड़क की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(4) जी नहीं। किशनगढ़ बास-खैरथल-बानसूर-कोटपूतली (एन.एच. 8) सड़क परियोजना बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। उक्त

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

योजना अन्तर्गत बाइपासों का निर्माण राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में 2001 की जनगणना के अनुसार 100-249 आबादी के चौदह गांव एवं 500 से अधिक आबादी के एक गांव का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

100-249 तक के गांव को सड़क से जोड़ने के प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	गांव का नाम	जनसंख्या (2001)	लम्गाई (कि. मी.)	राशि (रु. लाख)
1.	किशनगढ़ बास	लालपुरी	237	3.00	90.00
2.	किशनगढ़ बास	खौजाका	228	3.00	90.00
3.	किशनगढ़ बास	नागल हीरा	179	2.00	80.00
4.	किशनगढ़ बास	नगली मेवान	159	2.00	60.00
5.	किशनगढ़ बास	घतरपुर	134	1.50	50.00
6.	किशनगढ़ बास	साहुवास	132	1.00	30.00
7.	किशनगढ़ बास	नगली खलील	108	2.00	50.00
8.	किशनगढ़ बास	मूनपुर मेवान	240	1.50	45.00
9.	किशनगढ़ बास	बेगमपुर	223	1.00	30.00
10.	किशनगढ़ बास	बिरावास खुर्द	217	2.00	60.00
11.	किशनगढ़ बास	लिसाणी	186	1.50	50.00
12.	किशनगढ़ बास	गोकुलपुर	172	2.00	75.00
13.	किशनगढ़ बास	तुर्कवास	165	2.00	70.00
14.	किशनगढ़ बास	देवसिखा	117	2.50	75.00
	योग			**27.00**	**855.00**

परिशिष्ट-2

2001 के बाद घोषित गांवों को सड़क से जोड़ने के प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	गांव का नाम	जनसंख्या (2001)	लम्गाई (कि. मी.)	राशि (रु. लाख)
1.	किशनगढ़ बास	बेडा का बास	630	3.50	140.00
	योग			**3.50**	**140.00**

अलवर शहर में विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण

55. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में किस-किस योजना में किन-किन सड़कों का कहां-कहां निर्माण कराया गया? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त सड़कों के निर्माण पर कुल कितना व्यय किया गया? योजनावार सड़क सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्ष में विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में निर्माण करवाई गई सड़कों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) सरकार द्वारा उक्त सड़कों के निर्माण पर कुल व्यय योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

पिछले पांच वर्ष में विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में सड़कों के निर्माण का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	योजना का नाम	सड़क का नाम	कार्य का प्रकार	स्वीकृत लम्बाई (किमी)	स्वीकृत लागत (राशि रु. लाख)	सड़क निर्माण		भौतिक प्रगति (किमी)	व्यय राशि (रु. लाख)	वर्तमान स्थिति
							कहां से	कहां तक			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	2010-11	आरआईडीएफ-16	सम्पर्क सड़क दिवाकरी कि.मी. 0/0 से 1/300 (वी.आर. 131)	नवीनीकरण	1.00	6.53	अलवर दिल्ली सड़क	दिवाकरी	1.00	6.98	कार्य पूर्ण
2	2010-11	आरआईडीएफ-16	संपर्क सड़क बेलाका कि.मी. 0/0 से 0/600 (वी.आर. 422)	नवीनीकरण/ सी.सी सड़क	0.60	7.60	अलवर दिल्ली सड़क	बेलाका	0.60	8.12	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2010-11	आरआईडीएफ-16	संपर्क सड़क ईटाराणा झोपड़ी से रूपबास कि.मी. 0/0 से 1/300 (वीआर 623)	नवीनीकरण	1.00	6.53	ईटाराणा झोपड़ी	रूपबास	1.40	6.48	कार्य पूर्ण
4	2010-11	आरआईडीएफ-16	संपर्क सड़क भूगोर कि.मी. 0/0 से 1/0 (वीआर 115)	नवीनीकरण	1.00	10.01	राजगढ़ सड़क	भूगोर	1.00	10.42	कार्य पूर्ण
5	2010-11	आरआईडीएफ-16	घोडाफेर चौराहा अलवर से अहिंसा सर्किल अलवर	नवीनीकरण/ सी.सी सड़क	5.00	124.9	घोडाफेर चौराहा अलवर	अहिंसा सर्किल	5.00	108.20	कार्य पूर्ण
6	2010-11	स्टेट हाइवे प्लान	दिल्ली अलवर शाहपुरा सड़क मरम्मत कार्य कि.मी. 16/0 से 166/0	नवीनीकरण	6.00	20.00	हनुमान सर्किल	भवानी तोप सर्किल	6.00	22.00	पैच मरम्मत कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2011-12	आरआईडीएफ-17	अलवर से केरवा जाट वाया मदनपुरी भजोट नंगला चारण सड़क कि.मी. 0/0 से 4/0	नवीनीकरण	4.00	40.00	अलवर	मदनपुरी	4.00	42.85	कार्य पूर्ण
8	2011-12	आरआईडीएफ-17	भूगोर से मदनपुरी कि.मी. 0/0 से 4/0	नवीनीकरण/ सी.सी सड़क	4.00	112.51	भूगोर	मदनपुरी	4.00	80.87	कार्य पूर्ण
9	2011-12	आरआईडीएफ-17	जगन्नाथ मंदिर जयपुर रोड से रूपबास कि.मी. 0/0 से 2/0	नवीनीकरण	2.00	43.75	जयपुर सड़क जगन्नाथ मन्दिर	रूपबास	2.00	36.33	कार्य पूर्ण
10	2011-12	आरआईडीएफ-17	मदनपुरी गांव से गुजरबास कि.मी. 0/0 से 2/0	नवीनीकरण/ सी.सी सड़क	2.00	43.75	मदनपुर	गुजरबास	2.00	42.74	कार्य पूर्ण
11	2011-12	स्टेट हाइवे प्लान	रामगढ़ अलवर थानागाजी सड़क किमी. 160/300 से 167/0	सी.सी सड़क	6.70	389.40	हनुमान सर्किल	मण्डी मोड़	5.00	240.09	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2011-12	13वां वित्त आयोग	अरबन शहर की सड़कें	नवीनीकरण	16.00	150.00	—	रेस्ट हाउस व सर्किल आफिस कैम्पस	1.00	15.83	कार्य पूर्ण शहरी क्षेत्रकी सड़कों पर नगर विकास न्यास द्वारा नवीनीकरण करवा दिया गया है।
13	2011-12	13वां वित्त आयोग	अरबन शहर की सड़कें	नवीनीकरण/ सी.सी. सड़क	9.00	90.00	काली मोरी	मण्डी मोड़ से पहले स्टेशन तक	5.00	89.24	कार्य पूर्ण
14	2012-13	आरआईडीएफ-18	मुख्य सड़क बखतल की चौकी से ग्राम पण्डित बास एवं पथरोडा का बास अप टू कैमाला सड़क	नवीनीकरण/ सी.सी. सड़क	2.00	50.05	बखतल की चौकी	कैमाला सडक	0.38	24.80	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2012-13	आरआईडीएफ-18	बहरोड़ सड़क से राठ नगर अप टू रेलवे लाइन	नव निर्माण	1.00	24.98	बहरोड़ सड़क	राठ नगर	1.00	23.18	कार्य पूर्ण
16	2012-13	आरआईडीएफ-18	कटीघाटी राजगढ़ सड़क से अलवर बाईपास अप टू स्टेट हाईवे 25	नवीनीकरण/ सी.सी. सड़क	1.70	42.50	कटीघाटी राजगढ़ सड़क	अलवर बाईपास	1.70	37.67	कार्य पूर्ण
17	2012-13	आरआईडीएफ-18	ग्राम रूपबास से मालवीय नगर मुख्य सड़क	नवीनीकरण	1.00	24.98	रूपबास	मालवीय नगर	0.35	15.73	कार्य पूर्ण
18	2012-13	आरआईडीएफ-18	ग्राम झोपड़ी से ग्राम मदनपुरी	नवीनीकरण/ सी.सी. सड़क	2.30	57.47	ग्राम झोपडी	मदनपुरी	2.30	49.16	कार्य पूर्ण
19	2012-13	13वां वित्त आयोग	सम्पर्क सड़क भूरासिद्ध (पुराना)	नवीनीकरण	1.00	10.00	जयपुर सड़क	भूरासिद्ध	1.00	10.86	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2012-13	13वां वित्त आयोग	अलवर किला सडक (ओ.डी.आर. 24) कि.मी 3/0 से 4/0	नवीनीकरण	1.00	10.00	किमी 3	किमी 4	1.00	10.81	कार्य पूर्ण
21	2013-14	13वां वित्त आयोग	संपर्क सड़क यशवन्त विलास ईटाराणा	नवीनीकरण/ सी.सी. सड़क	1.00	55.00	ईटाराणा आर ओ बी	ईटाराणा गेट	1.00	50.76	कार्य पूर्ण
22	2012-13	विशेष मरम्मत कार्य	संपर्क सड़क बाला किला (ओ.डी.आर. 24)	सुरक्षा दीवार निर्माण	0.00	6.60	किमी 6	किमी 7	0.00	3.04	अन्तिम भुगतान शेष

कोटा जिले की भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों की मरम्मत

56. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कोटा जिले की भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र की निर्मित ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्भाले जाने के पश्चात् जिले की किन-किन सम्पर्क सड़कों का मरम्मत कार्य करवाया गया? उक्त कार्य में कितनी राशि व्यय की गई एवं भामाशाह कृषि उपज मण्डी कोटा द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति कोटा क्षेत्र की सड़कों की सुपुर्दगी के पश्चात् मरम्मत हेतु मण्डी समिति कोटा द्वारा प्रेषित राशि का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग कर लिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों पर कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.06.2010 के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हुई हैं। भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति कोटा के क्षेत्र की हस्तान्तरित सड़कों पर वर्ष 2009 से 2013 तक विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में किये गये मरम्मत कार्यो का व्यय सहित विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति कोटा से विभाग को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। तथापि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में हस्तान्तरित सड़कों की मरम्मत हेतु निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि (रु. करोड़)**
1	2010-2011	**25.00**
2	2011-2012	**25.00**
3	2012-2013	**25.00**
4	2013-14	**22.00**
	योग	**97.00**

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति कोटा द्वारा विभाग को कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के विरुद्ध भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र की हस्तान्तरित सड़कों की मरम्मत पर राशि रुपये 206.20 लाख का व्यय किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में सड़क निर्माण व मरम्मत के स्वीकृत कार्य

57. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र निवाई में सड़क निर्माण व मरम्मत के कौन-कौन से कार्य किस मद में कहां-कहां और कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? वर्षवार एवं ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये गये और उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं व अपूर्ण कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत होने के बाद भी किन कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये व अब कब तक उक्त कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे?

(5) वर्तमान व आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण व मरम्मत के कौन-कौन से कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में 1 जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक सड़क निर्माण एवं मरम्मत में कुल राशि रुपये 9517.42 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) स्वीकृत कार्यों में से 36 कार्य पूर्ण किये गये एवं राशि रुपये 2,792.33 लाख का व्यय किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कुल 76 कार्य अपूर्ण हैं जिन पर राशि रुपये 960.70 लाख व्यय की जा चुकी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 37 कार्य स्वीकृत होने के बाद भी प्रारम्भ नहीं हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। इनमें से 5 कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं एवं दिनांक 05.02.2014 तक प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है। शेष 32 कार्यों में से परिशिष्ट-4 में क्रम संख्या 36 एवं 37 पर अंकित 2 कार्यों की स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रक्रियाधीन है। 30 कार्यों की निविदा आमंत्रित कर स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

(5) वर्तमान व आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विधान सभा क्षेत्र निवाई में ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत 1,046.30 लाख रुपये की सड़क स्ट्रेन्थनिंग, रिन्यूअल एवं चौड़ाईकरण के कार्य प्रस्तावित हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पांचना बांध से सिंचित गांव

58. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करौली स्थित पांचना बांध सिंचाई हेतु निर्मित किया गया था? यदि हां, तो इससे किस-किस गांव का कितना-कितना क्षेत्र कब तक सिंचित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत 8-10 वर्षों से पांचना बांध से सिंचाई हेतु पानी नहीं छोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार किसानों के हित में सिंचाई हेतु उक्त बांध से पानी छोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पांचना बांध के कमाण्ड क्षेत्र के ग्रामों को 2005 तक ही सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया गया। ग्रामवार, वर्षवार सिंचित क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी हां। वर्ष 2005 के दौरान पांचना बांध के समीपवर्ती गांवों के असिंचित क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा पांचना बांध से लिफ्ट के जरिये पानी की मांग किये जाने से उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति के मध्य-नजर वर्ष 2006 से अब तक सिंचाई हेतु नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सका है।

(3) पांचना बांध कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों एवं पांचना बांध से लिफ्ट के जरिये पानी की मांग कर रहे असिंचित क्षेत्र के काश्तकारों के मध्य हुए समझौते अनुसार पांचना बांध से पांचना-गुडला लिफ्ट स्कीम के कार्य को पूर्ण कर सिंचाई हेतु पानी दिये जाने उपरान्त नहरी कमाण्ड क्षेत्र में पानी दिया जाना विचाराधीन है।

परिशिष्ट 'अ'

पांचना बांध से सिंचित क्षेत्रफल की वर्षवार सूचना

उपलब्ध रिकार्ड अनुसार सिंचित रकबा हैक्टेयर में

क्र. सं.	ग्राम	वर्षवार सिंचित रकबा (हैक्टेयर में)												
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2001-02	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पीलोदा	255.65	524.89	430.51	528.62	686.69	389.83	400.13	410.60	682.47	282.43	527.40	416.53	494.74
2	खरेडा	44.34	72.64	83.35	76.33	82.03	70.72	68.02	68.01	120.67				
3	मोहचा	243.95	272.90	251.77	264.13	248.48	222.12	176.30	182.79	182.93	153.45	209.59	213.54	154.86
4	सुन्दरपुरा	85.45	104.16	100.62	129.43	128.05	116.59	90.95	100.77	97.34	-	115.48	134.12	106.14
5	रैडायल तुर्क	24.34	45.92	24.07	41.29	36.83	38.64	44.25	54.63	48.63	16.82	57.62	37.45	27.61
6	चकरैडायल तुर्क	20.15	25.98	12.96	23.50	20.81	20.93	17.22	24.20	24.98	8.58	39.87	21.72	20.02
7	चकरैडायल गुर्जर	28.03	55.54	2.62	5.53	3.13	4.55	6.56	24.20	8.03	8.54	177.56	154.84	125.06
8	रैडायल गुर्जर			73.87	72.23	27.36	231.70	69.57	73.75	66.66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	खेडलाजनत पुर	3430	70.27	42.58	66.00	67.32	51.48	35.94	57.53	63.99	22.90	89.69	69.13	55.22
10	बाढरायल	967	42.95	39.54	48.49	40.81	28.04	28.22	35.24	34.48	-	57.60	66.12	60.51
11	खण्डीप	368.65	579.51	538.12	643.32	632.97	549.95	526.98	726.53	742.73	513.28	611.05	530.17	315.00
12	सिवाला	159.91	263.26	219.24	316.45	269.87	245.39	247.08	257.22	191.21	66.41	248.65	201.86	191.09
13	नयागांव	34.62	78.73	65.51	108.42	76.48	91.02	71.20	96.09	75.40	-	233.53	171.41	122.13
14	बगलाई	112.36	276.17	254.58	289.84	281.27	228.28	197.55	225.79	290.61	55.76	360.96	356.10	338.53
15	खेडली	81.29	166.57	236.70	289.61	295.48	248.70	127.61	224.97	233.84	94.68	271.53	287.33	248.01
16	किशोरपुर	232.36	263.46	266.93	288.36	282.26	302.23	89.12	281.13	281.90	214.80	330.90	334.43	319.68
17	कैमरीखुर्द		4.31	9.33	23.07	25.61	51.40	13.66	15.32	14.77	-	72.65	77.93	58.75
18	चौंदनगांव		12.99	35.31	49.94	55.40	72.15	31.69	32.71	31.03				
19	दुब्बी								20.28	19.37				
20	अकबरपुर/ नौरंगाबाद		19.62	13.35	61.66	22.17	79.92	21.04	20.69	28.57				
21	कोडिया	5.12	37.23	65.02	67.71	58.94	159.29	48.13	49.50	48.59				
22	रानौली								11.12					10.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	भौटवाड़ा				6.27			12.63	14.31					6.12
24	अखावाड़ा									50.63				12.53
25	शेखपुरा								9.98					84.9
26	किरवाड़ा								51.03					10.48
27	कैमला	8.10	245.38	442.81	644.25	694.16	734.07	491.86	513.06	640.30				1105.2
28	रौसी			16.53	63.50	70.51	11878	27.78	88.45	39.15		604.89		
29	कुंजेला				8.87	27.51	41.10	29.94	20.20	65.12	220.24		489.39	441.97
30	खेड़ला												155.18	
31	खेड़ली											199.95	210.52	
32	रड़ावता											25.58	96.49	

नोट– वर्ष 1995-96 व 2002-03 में कोई सिंचाई नहीं हुई।

परवन वृत्त सिंचाई परियोजना से सिंचित ग्राम पंचायतें

59. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

परवन वृत्त सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है व इसका कार्य कब तक प्रारम्भ होना प्रस्तावित है तथा इस परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

परवन परियोजना की पर्यावरण विभाग की स्वीकृति दिनांक 25.11.2011, वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 07.08.2013, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.08.2013 (राशि रुपये 2,360.43 करोड़) एवं केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की तकनीकी सलाहकर समिति की स्वीकृति दिनांक 19.09.2013, विनिवेश स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक 10.12.2013 को जारी की जा चुकी है। बांध के निर्माण की निविदा आमन्त्रित की जा चुकी है तथा दिनांक 14.04.2014 तक प्राप्ति किया जाना प्रस्तावित है।

वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना उपरान्त वन विभाग की अंतिम स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।

परवन वृहद सिंचाई परियोजना से कुल 313 गांवों जिनमें झालावाड़ जिले के 81 गांवों, बारां जिले के 194 गांवों एवं कोटा जिले के 38 गांवों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। जिला एवं तहसीलवार गांवों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बीसलपुर बांध से मेवाड़ अंचल की प्रभावित सिंचाई परियोजनाएं

60. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र एवं सहायक नदियों पर बांध व एनिकट बनाने की क्या नीति है?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) बीसलपुर बांध में मेवाड़ क्षेत्र की कौन-कौनसी नदियों का पानी जाता है?

(3) बीसलपुर परियोजना के कारण मेवाड़ अंचल की कौन-कौनसी परियोजनाएं, बांध व एनिकट प्रभावित हुए हैं?

(4) क्या यह सही है कि बीसलपुर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र एवं सहायक नदियों के क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय ने विशेष निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र एवं सहायक नदियों में बांध, एनिकट आदि बनाने के सम्बन्ध में राज्य जल नीति के अनुसार माइक्रो-वाटर शेड पर आधारित जल उपलब्धता का अध्ययन राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किया जाकर जल उपलब्धता के अनुसार नये निर्माण बाबत निर्णय लिया जाता है।

(2) बीसलपुर बांध में मेवाड़ क्षेत्र की बनास, खारी, मैनाली, ऊनली, मानसी, गंभीरी, गागन, चन्द्रभागा, गोमती, कौठारी, खारी, बेडच, औराई नदियों का पानी आता है।

(3) बीसलपुर परियोजना के मेवाड़ अंचल में स्थित जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण हेतु विचाराधीन/प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु राज्य, जल नीति के अनुसार जल उपलब्धता के अध्ययन के पश्चात् राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा क्लीयरेन्स दी जाती है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी होती है। वर्तमान में प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिला/तहसील
1.	हरसागर लघु सिंचाई परियोजना	भीलवाड़ा/माण्डलगढ़
2.	आका का नाका लघु सिंचाई परि.	भीलवाड़ा/माण्डलगढ़
3.	खटवाडा एनिकट	भीलवाड़ा/माण्डलगढ़
4.	नील की खेडी एनिकट	भीलवाड़ा/माण्डलगढ़
5.	खाखून्दा एनिकट	भीलवाड़ा/माण्डलगढ़
6.	सुरास एनिकट	भीलवाड़ा/माण्डलगढ़
7.	भेसा कुण्डल एनीकट गुवारडी	भीलवाड़ा/हमीरगढ़
8.	देवली एनिकट	भीलवाड़ा/हमीरगढ़
9.	भेरू घाटी तालाब	चितौड़गढ़/भदेसर
10.	शनि महाराज तालाब	चितौड़गढ़/डूंगला
11.	मोरवन मंगेडा ल.सि.परि.	चितौड़गढ़/डूंगला
12.	वजेला तालाब	चितौड़गढ़/डूंगला
13.	साण्ड सिंचाई परियोजना	चितौड़गढ़/निम्बाहेड़ा
14.	इन्द्रासागर तालाब	प्रतापगढ़/छोटी सादड़ी
15.	वाना जल प्रदाय योजना	उदयपुर/वल्लभनगर
16.	जीतावास-जीवाखेडा एनिकट कम काजवे	राजसमन्द/रेलमगरा
17.	कानाखेडा एनिकट पंचायत कुरज	राजसमन्द/रेलमगरा
18.	भूरवाडा-पीपली अहिरान एनिकट कम काजवे	राजसमन्द/रेलमगरा

नर्मदा परियोजना से आहौर के लाभान्वित गांव

61. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार नर्मदा परियोजना से विधान सभा क्षेत्र आहोर को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितने गांवों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। नर्मदा नहर परियोजना की स्वीकृत परियोजना अनुसार आहोर विधान सभा का क्षेत्र, सिंचाई हेतु सम्मिलित नहीं होने के फलस्वरूप पानी उपलब्ध कराया जाना विचाराधीन नहीं है।

बाड़मेर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लम्बित प्रकरण

62. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2013 तक बाड़मेर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितनी पेंशनें स्वीकृत की गईं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में स्वीकृत पेंशनों का भुगतान लम्बी अवधि से नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2013 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत आवेदनों का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

क्रम सं.	नाम तहसील	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1.	बाड़मेर	24,789	24,198
2.	बायतू	22,256	21,900
3.	चौहटन	32,878	30,423
4.	गुडामलानी	36,707	35,889
5.	पचपदरा	15,467	14,710
6.	रामसर	7,542	7,436
7.	शिव	15,386	14,717
8.	सिवाना	16,263	15,982
	योग	**1,71,288**	**1,65,255**

(2) जिले में पेंशन भुगतान लम्बी अवधि से बकाया नहीं है। माह दिसम्बर, 2013 तक का भुगतान सम्बन्धित पोस्ट आफिस को भिजवाया गया है।

प्रदेश में विभिन्न प्रकार की पेंशन हेतु पात्र व्यक्ति

63. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न प्रकार की पेंशन (राज्यकर्मियों को सेवानिवृत्ति के अलावा) उपलब्ध करवाई जा रही है? यदि हां, तो कितनी-कितनी व कौन-कौनसी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कितने व्यक्तियों को इस प्रकार की पेंशन उपलब्ध करवाई गई है? राशि सहित जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निम्नांकित पेंशन योजनाएं संचालित हैं:-

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

4. मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

5. मुख्य मंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

6. मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत, 40 वर्ष से 79 वर्ष के मध्य आयु की बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिलाओं को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत तथा बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति जो गुरुत्तर नि:शक्तता या बहु-नि:शक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष के मध्य है, को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन देय है।

मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुषों को, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को एवं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत किसी भी आयु के विशेष योग्यजन को पात्रतानुसार पेंशन देय है।

पेंशन दर:-

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 750/- प्रति माह।

2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 500/- प्रति माह।

3. 0 से 8 वर्ष के विशेष योग्यजन पेंशनर को रुपये 250/- प्रतिमाह।

वांछित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 1 से 5 पर संलग्न हैं।

(2) जिला कोषाधिकारियों से वित्तीय एवं भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार राज्यों में अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में माह दिसम्बर 2013 तक भुगतान की गई राशि एवं माह दिसम्बर 2013 में लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के तहत जारी परिपत्र की पालना

64. श्री सुन्दरलाल (पिलानी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सुन्दरलाल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के नियम संख्या 6 उप-नियम 4 (1) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से अपने विवाह में दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आदेश/परिपत्र जारी किया है? यदि हां, तो कब? परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वर्ष 2012 में नव नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं, से उक्त परिपत्र/आदेश की पालना समय पर कराई गई है? यदि हां, तो कब? प्रतिनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता, जो वर्ष 2012 से अब तक उक्त निगम में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित हैं, के नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान व पालना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश/परिपत्र की पालना सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी के साथ-साथ सम्बन्धी कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने का प्रावधान है? यदि हां, तो अब तक किस-किस अधिकारी के साथ-साथ किस-किस सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? नाम, पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक एफ.15(3)म.क./दहेज/सान्याअवि/12/51719 दिनांक 11.7.2012 द्वारा परिपत्र जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्नक-अ पर संलग्न है।

(2) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2012 एवं 2013 में नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं में से 27 कनिष्ठ अभियंता राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये थे, जिनमें से 12 कनिष्ठ अभियंता विवाहित हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के नियम 6 उपनियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार विवाहित कनिष्ठ अभियंताओं से उनके विवाह में दहेज नहीं लेने सम्बन्धी विवाह के पश्चात् घोषणा-पत्र लिये गये थे। राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लि. में प्रतिनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं का विवरण संलग्नक-ब पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त परिपत्र की पालना सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता द्वारा नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी के साथ-साथ सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का प्रावधान है। राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लि. में प्रतिनियुक्त एवं विवाहित सभी 12 कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा परिपत्र की पालना में उनके विवाह में दहेज नहीं लेने सम्बन्धी घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अत: किसी भी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

संलग्नक-अ

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ 15 (3) म.क./दहेज/सान्याअवि/12/51719   जयपुर, दिनांक 11.07.2012

अम्बेडकर भवन, जी 3/4 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

परिपत्र

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम, 28) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वयन करने के लिये राजस्थान दहेज प्रतिषेध नियम, 2004 बनाकर दिनांक 19.7.2004 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किये थे। अत: इस तारीख से उक्त नियम राजस्थान राज्य में लागू हैं।

राजस्थान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की नियम संख्या-6 उपनियम-4 (i) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के पश्चात् यह कथन करते हुये विभागाध्यक्ष को घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है। घोषणा पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित होगी। अत: समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियमों की पालना सुनिश्चित करे तथा की गयी कार्यवाही से मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को अवगत कराने का श्रम करावें।

ह./-

अतिरिक्त मुख्य सचिव

संलग्नक-ब

Annexure "B"

List of Junior Engineers (on deputation from PWD) Joined in RSRDC Ltd.

S. No.	Name	Place of posting	Date of joining	Status of marriage
1	2	3	4	5
1.	Sh. Jitendra Jangid	Kuchaman	04.07.2013	Married
2.	Sh. Joga Ram	Nasirabad, H.Q. at Sarwar	09.1.2013	Married
3.	Sh. Deepak Parihar	Pratapgarh	12.12.2012	Married
4.	Sh. Deepak Tundawal	Neem ka Thana	06.12.2012	Married
5.	Sh. Naresh Shersiya	Sikar	05.12.2012	Married
6.	Sh. Kheta Ram	Sikar	17.12.2012	Married
7.	Sh. Anil Kr. Nagar	Dausa	16.8.2013	Married
8.	Sh. Jitendra Chauhan	Jodhpur	02.1.2013	Married
9.	Sh. Sawai Singh Rathore	Jodhpur	31.12.2012	Married
10.	Sh. Vijendra Singh	Udaipur	17.7.2013	Married
11.	Sh. Rajesh Sisodiya	Jodhpur	26.4.2013	Married
12.	Sh. Babu Lal Chabarwal	Neem ka Thana	31.12.2012	Married
13.	Sh. Dolat Ram	Kuchaman city (Nagaur)	05.12.2012	Unmarried
14.	Sh. Vishnu Parihar	Jodhpur	11.12.2012	Unmarried
15.	Sh. Siya Ram Chandrawat	Dausa	01.1.2013	Unmarried
16.	Sh. Vipin Kumar Jindal	Desuri (Pali)	10.12.2012	Unmarried
17.	Sh. Lal Chand Verma	Merta (Nagaur)	10.12.2012	Unmarried
18.	Sh. Neeraj Soni	High Court, Jodhpur	31.12.2012	Unmarried
19.	Miss Shilpa Gupta	Manager (Enq.)	12.12.2012	Unmarried
20.	Sh. Vishal Kumar	Q.C.-II, Jaipur	10.12.2012	Unmarried
21.	Miss Priya Kavariya	Jodhpur	14.12.2012	Unmarried
22.	Miss Nipun Gupta	Kota	07.01.2013	Unmarried
23.	Sh. Subhash Bairwa	Bhusawar-II	29.07.2013	Unmarried

1	2	3	4	5
24.	Sh. Aniruddha Veer Singh	Udaipur	10.09.2013	Unmarried
25.	Sh. Satish Kumar	Behror, H. Q. at Bansur	16.07.2013	Unmarried
26.	Sh. Amrit Raj Meena	Dausa	07.10.2013	Unmarried
27.	Mithilesh Kr. Rao	Udaipur	16.08.2013	Unmarried

प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायतें

65. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां वर्तमान में कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें ग्राम पंचायतवार ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 6,076 ग्राम सेवा सहकारी समितियां वर्तमान में कार्यरत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 3,289 ग्राम पंचायतें हैं जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

न्यायालय कर्मचारी बचत एवं सहकारी साख समिति लिमिटेड, जयपुर का चुनाव प्रकरण

66. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 03 जुलाई, 2013 को उप रजिस्ट्रार,

(श्री निर्मल कुमावत)
सहकारी समितियां, जयपुर शहर के अधीन न्यायालय कर्मचारी बचत एवं सहकारी साख समिति लिमिटेड, जयपुर के पदाधिकारियों के आम चुनाव आयोजित करवाये गये थे? यदि हां, तो निर्वाचन अधिकारी का नाम, चुनाव कार्यक्रम की प्रति व मतदाता सूची की प्रति तथा प्रत्याशियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चुनाव में निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों के उपनाम मत पत्रों से हटा दिये गये थे? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि प्रत्याशियों के मत पत्रों से उपनाम हटाने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा किस अधिकार के तहत मत पत्रों से उपनाम हटाये? क्या सरकार इस कारण उक्त चुनाव को रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त चुनाव को अवैध घोषित किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रत्याशी द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर शहर के समक्ष एक आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्वाचन अधिकारी का नाम श्री विमलेश दीक्षित, निरीक्षक (कार्यकारी) है तथा निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा उक्त समिति के जारी निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति संलग्न है। मतदाता सूची एवं प्रत्याशियों की सूची राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 45(23) व 46(8) के तहत लिफाफे में सील बंद है, जिसे राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 60 के अन्तर्गत पंचनिर्णायक/न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के कारण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) उक्त चुनाव मे निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों के उप-नाम मतपत्र से हटाने या नहीं हटाने की जानकारी चुनाव में प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों एवं मतपत्रों से हो सकती है, जो कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 45(23) व 46(8) के तहत लिफाफे में सील बंद है।

(3) समिति के चुनाव से सम्बन्धित कोई भी विवाद राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 60 के तहत ही निर्णीत किया

(सहकारिता राज्य मंत्री)

जा सकता है। इस सम्बन्ध में एक वाद राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 60 के तहत पंच निर्णायक के समक्ष विचाराधीन है जिसके निर्णय पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र के क्रम में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 60 के तहत सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर को दिनांक 27.08.2013 को पंचनिर्णायक नियुक्त किया गया है तथा पंचनिर्णायक के स्तर पर उक्त विवाद पर सुनवाई प्रक्रियाधीन है, जिसमें आगामी सुनवाई तारीख 09.02.2014 नियत है।

परिशिष्ट

राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण

क्रमांक फा. 3 (1) रा.रा.सह.निर्वा.प्रा./जयपुर (शहर)/2012/880-86 दिनांक 13.6.13

आदेश

इस कार्यालय के सम संख्यक आदेश क्रमांक 757-63 दिनांक 05.06.2013 द्वारा जयपुर (शहर) इकाई की न्यायालय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति लि., जयपुर के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन करवाये जाने हेतु श्री शंकरलाल शर्मा, निरीक्षक (कार्यकारी) कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर (शहर) को निर्वाचन अधिकारी की नियुक्त किया गया था। इकाई रिटर्निंग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) द्वारा अवगत कराया गया है कि समिति का निर्वाचन कार्यक्रम देरी से प्राप्त होने के कारण समय पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकी अत: संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने एवं निर्वाचन अधिकारी को बदलने का अनुरोध किया है। अत: श्री शंकरलाल शर्मा के स्थान पर श्री विमलेश दीक्षित, निरीक्षक (कार्यकारी) कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) को संशोधित कार्यक्रमानुसार निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

निर्वाचन अधिकारी राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 नियम 2003 एवं सम्बन्धित सोसाइटी के अद्यतन पंजीकृत उपविधियों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना करते हुये निर्वाचन सम्पन्न करवायेंगे।

यह संशोधित आदेश आज दिनांक 13.6.2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से अंकित कर जारी किया गया।

संलग्न-परिशिष्ट-1

ह./-

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी

राजस्थान सरकार

कार्यालय राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी

जयपुर (शहर) इकाई की न्यायालय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति लि., जयपुर के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम

क्र. सं.	विवरण	दिनांक
1.	निर्वाचन का नोटिस एवं प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन	17.06.2013
2.	प्रस्तावित मतदाता सूची पर आक्षेपों की प्राप्ति 17.06.2013 से 24.06.2013 तक दोपहर 1.00 बजे तक एवं तत्पश्चात् प्रस्तावित मतदाता सूची पर प्राप्त आक्षेपों की सुनवाई करके सुनवाई पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन	24.06.2013
3.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति प्रात: 11.00 A.M. से 2.30 P. M. तक तत्पश्चात प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सूची का प्रकाशन 3.30 P.M. तक। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की जांच 04.00 P.M. से प्रारम्भ करके जांच पश्चात वैद्य नाम निर्देशन पत्रों की सूची का प्रकाशन	25.06.2013
4.	उम्मीदवारी से नाम वापसी 11.00 A.M. से 12.30 P. M. तक तत्पश्चात् चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन	26.06.2013
5.	मतदान (यदि आवश्यक हो तो) 9.00 A.M. से 5.00 P. M. तक	03.07.2013
6.	मतगणना मतदान पश्चात प्रारम्भ करके मतगणना पश्चात परिणाम घोषणा	03.07.2013

ह.

राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी

परबतसर में क्षतिग्रस्त सड़कें

67. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र परबतसर की ग्रेवल/डब्ल्यू बी एम सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में ग्रेवल/डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र परबतसर की 23 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी लम्बाई 115.02 कि.मी. है। क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र परबतसर की क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की श्रेणी	क्षतिग्रस्त चेनेज	नवीनीकरण वर्ष	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी.)
1	2	3	4	5	6
1.	रिड़ खुण्डियास सड़क	वीआर	15/0 से 21/0	2005	6.00
2.	बागोट बडू बिल्लू मामड़ोली सड़क	वीआर	2/0 से 5/0, 10/0 से 11/0 व 12/0 से 17/0	2002	9.00

1	2	3	4	5	6
3.	भकरी गूलर हरनावा गच्छीपुरा सड़क	वीआर	0/0 से 16/0	2002	16.00
4.	बंवाल मायापुर खुण्डियास सड़क	वीआर	0/0 से 6/0	2003	6.00
5.	भकरी जावला सड़क	वीआर	0/0 से 4/0	2002	4.00
6.	रिड़ लेगा की ढाणी सड़क	वीआर	0/0 से 6/0	2003	6.00
7.	सम्पर्क सड़क कुराडा बिठवालिया	वीआर	0/0 से 8/0 व 8/0 से 12/0	1998, 2008	12.00
8.	सम्पर्क सड़क सिटावट	वीआर	0/0 से 3/0	2002	3.00
9.	सम्पर्क सड़क नैतियास	वीआर	0/0 से 3/0	1998	3.00
10.	कंवलाद राबड़ीयाद सड़क	वीआर	0/0 से 5/0	1998	5.00
11.	बागोट चिताई गूलर सड़क	वीआर	0/0 से 5/0	2004	5.00
12.	सम्पर्क सड़क ललाणा कलां	वीआर	0/0 से 3/270	2002	3.27
13.	सम्पर्क सड़क धोंकलिया	वीआर	0/0 से 6/0	2003	6.00
14.	बाजवास से पालड़ी कड़वा	वीआर	0/0 से 4/700	2002	4.70
15.	सम्पर्क सड़क कुलियाना	वीआर	0/0 से 4/800	2002	4.80
16.	जंजीला से ललाणा खुर्द	वीआर	0/0 से 5/0	2002	5.00
17.	मंगलाना से कलकला की ढाणी	वीआर	0/0 से 2/700	2005	2.70
18.	खोखरिया से मानपुरा	वीआर	0/0 से 1/750	2005	1.75
19.	हुलढाणी से गूजरों की ढाणी	वीआर	0/0 से 1/800	2005	1.80
20.	नरवर बंवाल सड़क	वीआर	0/0 से 3/0	2005	3.00

1	2	3	4	5	6
21.	रिको सड़क से परबतसर	कृ.उ.म.	0/0 से 1/0	2009-10	1.00
22.	रानासर से रसाल	वीआर	0/0 से 3/0	2004	3.00
23.	परबतसर बिदियाद सड़क (डीएलपी)	ओडीआर	0/0 से 2/0 व 15/0 से 16/0	2009-10	3.00
	योग				**115.02**

देवली-उनियारा में अतिवृष्टि से प्रभावितों को मुआवजा

68. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में अतिवृष्टि से देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र में कई कच्चे मकान ढहने के कारण काफी नुकसान हुआ था तथा प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए पटवारी, ग्राम सेवक द्वारा पंचायतवार क्षति का आकलन करके मुआवजे हेतु फार्म भरवाये गये थे? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अतिवृष्टि से प्रभावितों को मुआवजा अब तक भी नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक मुआवजा राशि दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। उनियारा उपखण्ड के 2,720 प्रकरणों तथा तहसील देवली के 04 प्रकरणों, कुल 2,724 प्रकरणों में फार्म भरवाये गये थे। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। क्योंकि एस डी आर एफ नोर्म्स के अनुसार 01 दिन में अत्यधिक वर्षा 90 एम एम अथवा लगातार 02 दिवसों 100 एम एम से अधिक वर्षा दर्ज होने पर ही आर्थिक सहायता देय है। उक्त प्रकरणों में क्षति की दिनांक को वर्षा की मात्रा निर्धारित मानदण्डों से कम होने के कारण सहायता देय नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरदारशहर तहसील में पाले से फसलों को हुए नुकसान का आकलन

69. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सरदारशहर तहसील में तेज सर्दी व पाले से फसलों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितना-कितना एवं कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त नुकसान की जांच रिपोर्ट बनवाई गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो प्रति हेक्टेयर गेहूं, जौ, चना, सरसों में कितने मुआवजे की घोषणा कब तक कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार सरसों में 25 व 30 प्रतिशत नुकसान हुआ है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 50 या 50 प्रतिशत से अधिक फसल में हुए नुकसान पर ही कृषि आदान अनुदान देय है।

परिशिष्ट-अ

तहसील सरदारशहर जिला चूरू में तेज सर्दी एवं पाले से फसल रबी (सम्वत 2070) में नुकसान की सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम	नाम फसल	प्रारम्भिक आकलन के अनुसार नुकसान का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	भोजासर छोटा	सरसों (अगेती)	25%
2.	भोजासर बड़ा	सरसों (अगेती)	25%
3.	रणसीसर	सरसों (अगेती)	25%
4.	बिजरासर	सरसों (अगेती)	25%
5.	भीयासर	सरसों (अगेती)	25%

1	2	3	4
6.	बतियासर	सरसों (अगेती)	25%
7.	नेणासर	सरसों (अगेती)	25%
8.	सुमेरिया	सरसों (अगेती)	25%
9.	भाटवाला	सरसों (अगेती)	25%
10.	बुकनसर छोटा	सरसों (अगेती)	25%
11.	पुनसीसर	सरसों (अगेती)	25%
12.	राजासर पंवारान	सरसों (अगेती)	30%
13.	राजासर चोड़िया	सरसों (अगेती)	30%
14.	मालकसर	सरसों (अगेती)	30%
15.	लूणासर	सरसों (अगेती)	30%
16.	बायला	सरसों (अगेती)	30%
17.	लोडसर	सरसों (अगेती)	30%
18.	नाहरसरा	सरसों (अगेती)	30%
19.	देराजसर	सरसों (अगेती)	30%
20.	सारसर	सरसों (अगेती)	30%
21.	राणासर बीकान	सरसों (अगेती)	30%
22.	मेहरासर चाचेरा	सरसों (अगेती)	30%
23.	अडमालसर	सरसों (अगेती)	30%
24.	बरलाजसर	सरसों (अगेती)	30%
25.	जीवणदेसर	सरसों (अगेती)	30%
26.	साजनसर	सरसों (अगेती)	30%
27.	रामसरा पडिहारान	सरसों (अगेती)	30%
28.	चक रामसरा	सरसों (अगेती)	30%

(अगेती अर्थात निर्धारित समय से पूर्व बोई गई फसल)

तहसीलदार

सरदारशहर

जोधपुर सम्भाग में शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

70. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सम्भाग में शीतलहर से रबी की फसलों पर पाला-दावा पड़ने से काश्तकारों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितना नुकसान हुआ है?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त नुकसान का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त काश्तकारों को मुआवजा राशि वितरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) फसलों के नुकसान के लिये मौसमी बीमा के क्या प्रावधान व मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या सरकार उक्त प्रावधानों व मानदण्डों में सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के समस्त जिला कलक्टरों को पाला/शीतलहर से हुई क्षति के आकलन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिलों से फसल क्षति का आकलन प्राप्त होने के पश्चात् नुकसान की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो पायेगी।

(2) जिलों को फसल के नुकसान के आकलन हेतु निर्देश जारी किये हुए हैं। सर्वे रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(3) जी हां। फसलों में 50 या 50 प्रतिशत से अधिक क्षति की स्थिति पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ/एन डी आर एफ मानदण्डों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) रबी 2013-14 में जोधपुर सम्भाग के जोधपुर एवं सिरोही जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर एवं पाली जिलों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी मौसम के लिए

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

अधिक तापमान, कम तापमान, बे-मौसमी वर्षा एवं आर्द्रता की जोखिम शामिल की गई हैं। रबी मौसम में बीमित राशि की कुल 8 प्रतिशत प्रीमियम राशि खाद्यान्न एवं तिलहनी फसलों के लिए निर्धारित है, जिसमें से 4.8 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा वहन की जाती है एवं शेष राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। वाणिज्यिक/उद्यानिकी फसलों में 12 प्रतिशत प्रीमियम दर निर्धारित है, जिसमें से 6 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा वहन की जाती है एवं 6 प्रतिशत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। रबी 2013-14 में जोधपुर जिले के लिए गेहूं, चना, सरसों, जीरा, तारामीरा, इसबगौल एवं मैथी तथा सिरोही जिले के लिए गेहूं, चना, सरसों एवं जीरा फसल को अधिसूचित किया गया है। इन फसलों हेतु निर्धारित किए गए मौसमी मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। अधिसूचित सन्दर्भ मौसम केन्द्रों पर अंकित मौसमी आंकड़ों का अधिसूचित मौसमी मापदण्डों से विचलन होने पर बीमा क्लेम देय है। यह योजना भारत सरकार की योजना है, इसके प्रावधानों में बदलाव भारत सरकार के स्तर से ही सम्भव है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

करौली जिले में डांग क्षेत्र विकास योजना में आबंटित राशि

71. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डांग क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में करौली जिले में विकास कार्यों हेतु कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि से किस-किस प्रकार के कितने-कितने कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हैं एवं कितने कार्य अब तक प्रारम्भ भी नहीं हो सके हैं? अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ कार्य काफी समय पूर्व स्वीकृत किये जाने के पश्चात् भी प्रारम्भ नहीं करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं होने के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डांग क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों में करौली जिले को विकास कार्य हेतु आबंटित की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	आबंटित राशि (लाखों में)
1	2008-09	222.05
2	2009-10	20.67
3	2010-11	49.22
4	2011-12	267.00
5	2012-13	1007.28

(2) उक्त स्वीकृत राशि से 410 कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उनमें से पूर्ण, अपूर्ण तथा अब तक प्रारम्भ नहीं कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	कुल कार्य		
		पूर्ण	अपूर्ण	प्रारम्भ नहीं
1	2008-09	53	1	1
2	2009-10	7	1	0
3	2010-11	18	1	0
4	2011-12	97	3	0
5	2012-13	190	38	0
योग		**365**	**44**	**1**

अपूर्ण कार्यों को 31.03.2014 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(3) उक्त योजनान्तर्गत केवल 1 ही कार्य अप्रारम्भ है, जो कि भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम की पंचायतों में संचालित
ग्रामीण विकास योजनाएं

72. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में ग्रामीण विकास हेतु पंचायत स्तर पर कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायतों में समानीकरण करने के लिए नवीन ग्राम पंचायतों का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में ग्रामीण विकास हेतु पंचायत स्तर पर निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
2. मगरा विकास योजना
3. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
4. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
5. इन्दिरा आवास योजना
6. मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना
7. तेरहवां वित्त आयोग
8. राज्य वित्त आयोग
9. निर्बन्ध राशि योजना
10. स्वच्छता कार्यक्रम
11. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
12. आजीविका परियोजनाएं (स्वयं सहायता समूह)

(2) जी हां। सरकार द्वारा आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों से पूर्व ग्राम पंचायतों के गठन करवाये जाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

बड़ी सादड़ी में स्वीकृत आवास योजनाओं में अनियमितताएं

73. **श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वित्तीय वर्ष 2009-10 से दिसम्बर, 2013 तक इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये एवं उनमें से कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कितने-कितने आवास ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत योजनान्तर्गत कितने आवेदकों को कितनी किश्तों का तथा कितनों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत आवासों के सत्यापन व आवेदन करने में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत से एवं कब-कब तथा उक्त प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वित्तीय वर्ष 2009-10 से दिसम्बर, 2013 तक इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत (नियमित एवं विशेषकर वंचित जनजातिय समूह) 1,834 के लक्ष्य निर्धारित किये गये जिसके विरुद्ध 1,725 आवासों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयीं। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत 3,077 के लक्ष्य के विरुद्ध 3,062 आवासों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयीं। इस प्रकार, कुल निर्धारित लक्ष्य 4,911 के विरुद्ध 4,787 आवासों की स्वीकृतियां जारी की गई। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्ष 2009-10 से दिसम्बर, 2013 तक इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत (नियमित एवं विशेषकर वंचित जनजातिय समूह) 1,725 मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत 3,062 आवास स्वीकृत किये गये। स्वीकृत आवासों का ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना अन्तर्गत 4,621 आवेदकों को प्रथम किश्त 2,301 आवेदकों को द्वितीय किश्त एवं 928 को तृतीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में मनरेगा योजना के तहत आबंटित राशि

74. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली जिले में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक पंचायत समितिवार मनरेगा योजना के तहत कितनी राशि आबंटित की गई एवं कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति टोडाभीम (करौली) में वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार कितनी-कितनी राशि का समायोजन होने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है? इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली जिले में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 (दिसम्बर 2013) तक पंचायत समितिवार आबंटित की गई एवं प्राप्त की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि सं. लाखों में)

क्र. सं.	**पंचायत समिति**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14 (दिसम्बर, 13 तक)**	**योग**
1	हिण्डौन	192.69	257.28	219.00	436.178	1105.19
2	टोडाभीम	226.38	467.74	276.28	295.58	1265.98
3	सपोटरा	666.60	827.06	1362.76	1123.62	3980.04
4	नादौती	382.73	332.08	378.01	256.55	1349.37
5	करौली	437.02	901.08	1010.58	1381.00	3729.68
		1905.42	2785.23	3246.63	3492.93	11430.26

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(2) नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में माह दिसम्बर 2013 तक निम्न पंचायतों के अलावा, बाकी सभी ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत समायोजन के आधार पर चाही गयी राशि का भुगतान कर दिया गया है :-

- अजीजपुर 3 लाख,
- उदरैन 5 लाख,
- शहराकर 0.37 लाख,
- लपावली 0.25 लाख।

उक्त चारों ग्राम पंचायतों द्वारा नियत समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिये गये। जनवरी 2014 में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, एवं भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। शीघ्र ही शेष भुगतान कर दिया जायेगा। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति टोडाभीम की ग्राम पंचायतों में राशि के समायोजन एवं वर्ष 2013-14 में हस्तान्तरित राशि का ग्राम पंचायतवार विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	समायोजन	हस्तान्तरण राशि वर्ष 2013-14	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	पदमपुरा	387315	200000	वित्तीय वर्ष 2012-13 का पूर्व समायोजन शामिल है।
2.	भोपुर	0	300000	समायोजन बकाया
3.	रानोली	283690	400000	ग्राम पंचायत के पास शेष
4.	नांगल शेरपुर	0	0	
5.	निसूरा	685230	100000	वित्तीय वर्ष 2012-13 का पूर्व समायोजन शामिल है।
6.	खोरा	346247	200000	वित्तीय वर्ष 2012-13 का पूर्व समायोजन शामिल है।

1	2	3	4	5
7.	खेड़ी	0	0	
8.	भनकपुरा	0	170000	समायोजन बकाया
9.	सांकरवाडा	0	400000	समायोजन बकाया
10.	बजेडा	908996	400000	वित्तीय वर्ष 2012-13 का पूर्व समायोजन शामिल है।
11.	उरदेन	2760405	2200000	ग्राम पंचायत को भुगतान किया जाना शेष
12.	जगदीशपुरा	0	0	
13.	कमालपुरा	0	0	
14.	कटारा अजिज	1637428	1730719	ग्राम पंचायत के पास शेष
15.	कंजोली	260132	500000	ग्राम पंचायत के पास शेष
16.	महस्या	0	100000	समायोजन बकाया
17.	गोरडा	295190	300000	ग्राम पंचायत के पास शेष
18.	अजीजपुर	715490	400000	ग्राम पंचायत को भुगतान किया जाना शेष
19.	मान्नोज	252122	300000	ग्राम पंचायत के पास शेष
20.	देवलेन	785190	800000	ग्राम पंचायत के पास शेष
21.	बालघाट	0	0	
22.	मुण्डिया	1707321	1850000	ग्राम पंचायत के पास शेष
23.	भण्डारी	0	802000	समायोजन बकाया
24.	महमदपुर	1398573	1500000	ग्राम पंचायत के पास शेष
25.	शेखपुरा	0	0	

1	2	3	4	5
26.	जोल	1219402	1200000	वित्तीय वर्ष 2012-13 का पूर्व समायोजन शामिल है।
27.	नांगल लाट	0	0	
28.	करीरी	0	0	
29.	मांचडी	0	0	
30.	तिघरिया	937470	800000	वित्तीय वर्ष 2012-13 का पूर्व समायोजन शामिल है।
31.	कुढावल	0	400000	समायोजन बकाया
32.	किरवाडा	297931	300000	ग्राम पंचायत के पास शेष
33.	धवान	0	0	
34.	मातासूला	0	0	
35.	मण्डेरू	0	0	
36.	झाडीसा	0	0	
37.	पहाडी	0	400000	समायोजन बकाया
38.	शहराकर	437541	400000	ग्राम पंचायत को भुगतान किया जाना शेष
39.	मोरडा	1638416	200000	वित्तीय वर्ष 2012-13 का पूर्व समायोजन शामिल है।
40.	बौल	0	200000	समायोजन बकाया
41.	सिंघनिया	0	0	
42.	पाडला खालसा	0	0	
43.	लपावली	1247748	1200000	ग्राम पंचायत को भुगतान किया जाना शेष
	योग	**18201837**	**17752719**	

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-41 की सूची)

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र भादरा में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम मय चैनेज	सड़क का वर्गीकरण	लम्बाई (कि.मी.)	पेचेबल/नान पेचेबल लम्बाई (कि.मी.)
	(अ) पेचेबल सड़कें			
1.	अप्रोच सड़क आसन किमी 0/0 से 3/0	वीआर	3.00	1.50
2.	शेरड़ा से गालड़ अपटु हरियाणा बोर्डर किमी 0/0 से 3/550	वीआर	3.55	3.00
3.	मुन्सरी-नथवानिया सड़क किमी 5/0 से 8/500	वीआर	3.50	2.00
4.	अजीतपुरा से झाझड़ियों की ढाणी किमी 0/0 से 4/0	वीआर	4.00	1.00
5.	जाटान-हुनतपुरा सड़क किमी 0/0 से 1/750	वीआर	1.75	1.00
6.	भादरा बाई पास से बेरवाल की ढाणी किमी 0/0 से 9/400	वीआर	9.40	3.00
7.	सागड़ा से सवाईछानी किमी 0/0 से 4/900	वीआर (मण्डी सड़क)	4.90	2.50
8.	लाखनवास से गढीछानी किमी 0/0 से 5/100	वीआर	5.10	4.00
9.	उज्जलवास से ढिलकी किमी 0/0 से 7/500	वीआर (मण्डी सड़क)	7.50	5.50
10.	सम्पर्क सड़क बरवाली बस स्टैण्ड से हरियाणा सीमा किमी 0/0 से 8/400	वीआर	8.40	8.40

क्र. सं.	सड़क का नाम मय चैनेज	सड़क का वर्गीकरण	लम्बाई (कि.मी.)	पेचेबल/नान पेचेबल लम्बाई (कि.मी.)
11.	परलीका से दीपलाना किमी 0/0 से 8/800	वीआर	8.80	3.00
12.	सम्पर्क सड़क रामगढ़ किमी 0/0 से 2/500	वीआर	2.50	2.00
13.	रामगढ़ से उज्जलवास किमी 0/0 से 3/0	वीआर	3.00	1.50
14.	दीपलाना से करोती किमी 0/0 से 1/600	वीआर	1.60	0.60
15.	अनूपशहर से रामबास किमी 0/0 से 1/600	वीआर	1.60	1.60
16.	भादरा राजगढ़ सड़क से पचारवाली किमी 0/0 से 2/00	वीआर	2.00	2.00
17.	भादरा राजगढ़ सड़क से मोमनवास किमी 0/0 से 2/300	वीआर	2.30	2.00
18.	भादरा साहवा सड़क किमी 3/0 से 7/0, 9/0 से 12/0 एवं 30/0 से 33/200 (डीएलपी सड़क)	एमडीआर-31	10.20	7.00
	पेचेबल सड़कें योग			**51.60**
	(ब) नान पेचेबल सड़कें			
19.	भादरा-लुदेसर सड़क किमी 0/0 से 0/300	एमडीआर-66	0.30	0.30
20.	गदरा से चुरू बोर्डर सड़क किमी 0/0 से 2/600	वीआर	2.60	2.60
21.	गोगामेड़ी से निठराना सड़क किमी 5/0 से 10/0	वीआर	5.00	5.00
22.	अप्रोच सड़क आसन किमी 3/0 से 4/0	वीआर	1.00	1.00

क्र. सं.	सड़क का नाम मय चैनेज	सड़क का वर्गीकरण	लम्बाई (कि.मी.)	पेचेबल/नान पेचेबल लम्बाई (कि.मी.)
23.	मुन्सरी-नथवानिया सड़क किमी 0/0 से 5/0	वीआर	5.00	5.00
24.	गढीछानी से भिरानी सड़क किमी 0/0 से 6/500	वीआर (मण्डी सड़क)	6.50	6.50
25.	भोजासर से चक भोजासर किमी 0/0 से 3/500	वीआर (मण्डी सड़क)	3.50	3.50
26.	गढडा से भानगढ़ वाया झिलोदा किमी 0/0 से 10/0	वीआर (मण्डी सड़क)	10.00	10.00
27.	डाबडी से हरियाणा बोर्डर किमी 0/0 से 1/500	वीआर (मण्डी सड़क)	1.50	1.50
28.	नोहर-भादरा-बालसमन्द-हिसार सड़क किमी. 30/400 से 58/200 (रिडकोर को हस्तान्तरित)	मेगा हाइवे	66.00	27.80
	नान पेचेबल सड़कें योग			**63.20**
	कुल योग क्षतिग्रस्त सड़कें			**114.80**